

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31 मार्च 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

वाणिज्यिक

बिहार सरकार

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31 मार्च 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

वाणिज्यिक

बिहार सरकार

www.cag.gov.in.

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्रस्तावना		VII
विहंगावलोकन		IX-XIII
अध्याय – I		
सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन	1	
प्रस्तावना	1.1	1
कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	1.2 – 1.13	1–7
राज्य विद्युत विनियामक आयोग	1.14	7–8
अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	1.15 –1.19	8–9
लेखापरीक्षा के उल्लेख पर वसूली	1.20	9
सा.क्षे. उपक्रमों को बन्द करने के संबंध में अनुशंसा	1.21	9
सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के विधानमंडल में प्रस्तुतीकरण की स्थिति	1.22	9–10
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण और पुर्नगठन	1.23	10
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा किए गए सा. क्षे.उ. की लेखापरीक्षा के परिणाम	1.24–1.27	10–12
आंतरिक लेखापरीक्षा/आंतरिक नियंत्रण	1.28	12
लोक उपक्रम समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर विचार विमर्श की स्थिति	1.29	13
619–ब कम्पनियाँ	1.30	13
अध्याय – II		
सरकारी कम्पनी से संबंधित समीक्षा		
बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की अधिप्राप्ति एवं वितरण कार्य–कलाप	2	
मुख्य अंश	–	14
परिचय	2.1	15
लेखापरीक्षा का क्षेत्र	2.2	15
लेखापरीक्षा का उद्धेश्य	2.3	15–16
लेखापरीक्षा का मापदंड	2.4	16
लेखापरीक्षा पद्धति	2.5	16
लेखापरीक्षा–निष्कर्ष	2.6	16–17
खाद्यान्नों का आवंटन एवं उठाव	2.6.1 – 2.6.2	17–18
कम्पनी द्वारा योजनाओं का कार्यान्वयन	2.6.3–2.6.22	18–27
आन्तरिक नियंत्रण एवं आन्तरिक लेखापरीक्षा	2.6.23	27
निष्कर्ष	–	27–28
अनुशंसायें	–	28

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
अध्याय – III		
सांविधिक निगमों से संबंधित समीक्षाएँ		
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में टैरिफ, विपत्रीकरण एवं राजस्व संग्रहण	**3.1**	
मुख्य अंश	–	29
परिचय	3.1.1	30
लेखापरीक्षा का क्षेत्र	3.1.2	30
लेखापरीक्षा का उद्देश्य	3.1.3	30–31
लेखापरीक्षा का मापदण्ड	3.1.4	31
लेखापरीक्षा पद्धति	3.1.5	31
लेखापरीक्षा का निष्कर्ष	3.1.6	31
आंतरिक संसाधन का अपर्याप्त सृजन	3.1.7–3.1.12	31–34
विपत्रीकरण प्रणाली	3.1.13–3.1.23	34–38
राजस्व का संग्रहण	3.1.24–3.1.32	38–42
आंतरिक नियंत्रण एवं आंतरिक लेखापरीक्षा	3.1.33	42–43
निष्कर्ष	–	43
अनुशंसाएँ	–	43
त्वरित उर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम सहित उर्जा क्षेत्र में सुधार	**3.2**	
मुख्य अंश	–	44
परिचय	3.2.1	44–45
लेखापरीक्षा के क्षेत्र	3.2.2	45
लेखापरीक्षा के उद्देश्य	3.2.3	45–46
लेखापरीक्षा के मापदण्ड	3.2.4	46
लेखापरीक्षा पद्धति	3.2.5	46
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.2.6	46
बिहार सरकार/बिहार राज्य विद्युत परिषद द्वारा सुधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्थिति	3.2.7	47
त्वरित उर्जा विकास सुधार कार्यक्रम का कार्यान्वयन	3.2.8–3.2.10	47–49
पी.जी.सी.आई.एल. के साथ त्रुटिपूर्ण अनुबन्ध	3.2.11	49
अनुबन्ध के हस्ताक्षर के पूर्व अग्रिम का भुगतान	3.2.12	49
कार्य के कार्यान्वयन में देरी	3.1.13	49–51
पी.जी.सी.आई.एल. द्वारा कार्य में एक पक्षीय कमी	3.2.14	51–52
कुल प्रणालीगत एवं वाणिज्यिक हानियाँ	3.2.15	52
अनुश्रवण एवं नियंत्रण	3.2.16	52–53
निष्कर्ष	–	53
अनुशंसाएँ	–	53
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का परिचालन निष्पादन	**3.3**	
मुख्य अंश	–	54
परिचय	3.3.1	54–55
लेखापरीक्षा का क्षेत्र	3.3.2	55–56
लेखापरीक्षा का उद्देश्य	3.3.3	56

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
लेखापरीक्षा का मापदण्ड	3.3.4	56
लेखापरीक्षा पद्धति	3.3.5	56–57
लेखापरीक्षा का निष्कर्ष	3.3.6	57
निगम के नई बसों के क्रय हेतु उपलब्ध निधि को उपयोग में लाने में विफल रहने के कारण संभाव्य राजस्व की हानि	3.3.7	57
उपयोग में न लाये गये मूल्य ह्रास संचित निधि को बैंक में रखने के परिणामस्वरूप हानि	3.3.8	57–58
रद्दी बसों व स्पेयर पार्ट्स के विक्रय न होने से हानि	3.3.9	58
परिचालन कार्य निष्पादन	3.3.10–3.3.17	58–62
बसों का अनधिकृत चलना	3.3.18	62
मानव–शक्ति विश्लेषण	3.3.19	63
कर्मशालाओं का निम्न कार्य निष्पादन	3.3.20–3.3.23	63–64
बसों की समय पूर्व निवृति	3.3.24	65
राजस्व का संग्रहण	3.3.25–3.3.26	65–66
आन्तरिक लेखापरीक्षा	3.3.27	66–67
निष्कर्ष	–	67
अनुशंसाएँ	–	67
अध्याय – IV		
कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा प्रेक्षण		
सरकारी कम्पनियाँ		
बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड		
केन्दु पत्ते के विक्रय नहीं होने के कारण 46.35 लाख रूपये की हानि	4.1	68–69
बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड		
खराब नियोजन के कारण कोष का उपयोग न होना	4.2	69–70
बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड		
जाली कागजातों को स्वीकार करने के कारण हानि	4.3	70
अयोग्य इकाईयों को अनुचित लाभ	4.4	70–71
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड		
पावर सब स्टेशन तथा संबंधित 33 के.वी. तार पर निरर्थक व्यय	4.5	71–72
अतिरिक्त पुर्जों का अनावश्यक क्रय	4.6	73
त्रुटिपूर्ण अनुबंध के कारण परिहार्य व्यय	4.7	73–74
थर्मल पावर स्टेशन पर निरर्थक व्यय	4.8	74–75
बिहार राज्य वित्त निगम		
बन्धक सम्पत्ति की चोरी/हटाया जाना	4.9	76–77
सामान्य		
निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रारूप कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर प्रतिक्रिया	4.10	77

विवरण		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
परिशिष्ट			
1.	31 मार्च 2006 को सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के संदर्भ में अद्यतन प्रदत्त पूंजी, बजट से बर्हिगमन, बजट से दिये गए ऋण एवं बकाया ऋणों को दर्शाने वाली विवरणी	1.3, 1.4, 1.5 एवं 1.16	81–88
2.	सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों, जिनकी लेखायें सम्पूर्ण हो गयी थे, उनके अद्यतन वर्षो का संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	1.6, 1.7, 1.13, 1.18 एवं 1.19	89–96
3.	वर्ष के दौरान प्राप्त अर्थ साहाय्य, प्राप्त प्रतिभूतियॉ, बकाए की माफी, ऋण जिस पर मोहलत दी गई एवं वर्ष के दौरान ऋणों का अंश पूँजी में रूपान्तरण तथा मार्च 2006 के अंत तक प्राप्य अर्थ साहाय्य तथा बकाये प्रतिभूतियों को दर्शाने वाली विवरणी	1.5 एवं 1.16	97–98
4.	सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाली विवरणी	1.7	99–101
5.	सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणाम की विवरणी	1.7	102–104
6.	सांविधिक निगमों के परिचालन निष्पादन को दर्शाने वाली विवरणी	1.12	105–108
7.	बंद की जाने वाली बिहार की सरकारी कम्पनियों के नाम	1.21	109–110
8.	कम्पनियों जिनके परिसंपत्तियों, दायित्वों और प्रबंधन के बंटवारें के संदर्भ में निर्णय लिया गया है, को दर्शाने वाली विवरणी	1.23	111
9.	कम्पनियों के आंतरिक लेखापरीक्षा/आंतरिक नियंत्रण पर सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रेक्षण	1.28	112
10.	अद्यतन अंतिमीकरण किये हुए लेखाओं के अनुसार 619(ब) कम्पनियों की प्रदत्त पूँजी, निवेश एवं संक्षिप्त कार्यचालन परिणाम को दर्शाने वाली विवरणी	1.30	113–114
11.	विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत कम्पनियों द्वारा अपने जिला कार्यालयों द्वारा सम्पूर्ण आवंटन एवं उठाव	2.6.2	115–116
12.	विभिन्न योजनाओं के प्रति खाद्यानों के विचलन की तालिका	2.6.13	117–119
13.	गया एवं पटना जिला कर्यालय के अप्रभावित भंडार की विवरणी	2.6.16	120–121
14.	एम.ओ.यू. के कार्यान्वयन स्थिति को दर्शाती तालिका	3.2.7	122–123
15.	वाणिज्यिक निष्पादन (ए.टी. एवं सी. हानि)	3.2.15	124–125
16.	नई बसों के क्रय हेतु 18.41 करोड़ रूपये के उपयोग न होने सें संभाव्य हानि की गणना	3.3.7	126
17.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का परिचालन	3.3.10	127–128

	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
	कार्य–निष्पादन		
18.	वाहन शक्ति एवं उम्र रूप रेखा	3.3.11	129
19.	हाई स्पीड डीजल का अधिकाई खपत	3.3.16	130
20.	2001–02 से 2005–06 की अवधि में कार्यशालाओं का लक्ष्य एवं उपलब्धि	3.3.21	131–132
21.	योजना के अन्तर्गत लाभ पाये ईकाईयों की विवरणी	4.4	133
22.	अपूर्ण आपूर्ति के आदेश के नियोजन के कारण अतिरिक्त लागत से सम्बन्धित विवरणी	4.7	134
23.	(क) बी.टी.पी.एस. एवं एम.टी.पी.एस. पर स्थापना व्यय पर निरर्थक व्यय सम्बन्धित विवरणी (ख) 88.05 करोड़ रूपये हानि के गणना की विवरणी (ग) स्थाई लागत की विवरणी (घ) अस्थाई लागत की विवरणी	4.8	135–137
24.	जनवरी 2005 तक दर्ज किये गये एफ.आई.आर. के वर्ष–वार विशलेषण से सम्बन्धित सारणी	4.9	138
25.	विभागवार बाकी निरीक्षण प्रतिवेदनों को दर्शाती विवरणी	4.10	139
26.	विभागवार प्रारूप कंडिकाओं/समीक्षाओं जिनके जवाब अप्राप्त है को दर्शाती विवरणी	4.10	140

विहंगावलोकन

1. सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

31 मार्च 2005 को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की उतनी ही संख्याओं के विरूद्ध 31 मार्च 2006 को राज्य में 50 सरकारी कम्पनियों एवं 4 सांविधिक निगमों सहित 54 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे। 50 सरकारी कम्पनियों में से 16 सरकारी कम्पनियॉ कार्यशील थीं जबकि 34 सरकारी कम्पनियॉ अकार्यशील थीं। सभी 4 सांविधिक निगम कार्यशील थे। इसके अतिरिक्त 31 मार्च 2006 को 8 कम्पनियॉ कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–ब के अधीन थी।

(कंडिका 1.1 एवं 1.30)

कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 31 मार्च 2005 को 6,448.08 करोड़ रूपये का कुल निवेश बढ़कर 31 मार्च 2006 को 7,638.65 करोड़ रूपये हो गया। अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश पिछले वर्ष 709.07 करोड़ रूपये के तुलना में 31 मार्च 2006 को 709.13 करोड़ रूपये हो गया।

(कंडिका 1.2 एवं 1.15)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पूँजी, ऋण एवं अर्थ साहाय्य/अनुदानों के रूप में दी गई बजट सहायता 2004–05 में 778.25 करोड़ रूपये से बढ़कर 2005–06 में 1,176.24 करोड़ रूपये हो गयी। 31 मार्च 2006 को सरकार द्वारा कार्यशील सा.क्षे.उ. को प्रत्याभूत ऋणों की कुल बकाए की राशि 355.49 करोड़ रूपये थी।

(कंडिका 1.5 एवं 1.16)

कार्यशील सरकारी कम्पनियों एवं कार्यशील सांविधिक निगमों में से किसी ने वर्ष 2005–06 के लिए अपनी लेखाओं को अनुबंधित अवधि के अन्दर अंतिम रूप नहीं दिया था। 16 कार्यशील सरकारी कम्पनियों एवं 4 कार्यशील नियत निगमों की लेखाएँ 30 सितम्बर 2006 को एक से 22 वर्षो के परास में बकाये में थीं। सभी अकार्यशील सरकारी कम्पनियों की लेखाएँ 30 सितम्बर 2006 को 11 से 29 वर्षो के परास में बकाए में थीं।

(कंडिका 1.6 एवं 1.18)

अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं के अनुसार सात कार्यशल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पॉच सरकारी कम्पनियॉ एवं दो सांविधिक निगम) ने कुल 11.87 करोड़ रूपये का लाभ अर्जित किया। इसके विपरीत 12 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (10 सरकारी कम्पनियॉ एवं दो सांविधिक निगमों) ने अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं के अनुसार कुल 221.92 करोड़ रूपये की हानि उठाई। अद्यतन लेखाओं के अनुसार हानि उठाने वाली सात कम्पनियों ने कुल 174.70 करोड़ रूपये की संचित हानि उठाई थी जो उनकी कुल प्रदत्त–पूँजी 33.85 करोड़ रूपये से अधिक थी। दो हानि उठाने वाली सांविधिक निगमों ने 788.27 करोड़ रूपये की संचित हानि उठाई थीं जो उनकी 101.27 करोड़ रूपये की प्रदत्त पूँजी से अधिक थी।

(कंडिका 1.7, 1.9 एवं 1.11)

बिहार सरकार ने 17 कम्पनियों (पॉच कार्यशील एवं 12 अकार्यशील), जिनमें सरकार का पूंजी एवं ऋण में कुल निवेश 548.49 करोड़ रूपये था, को बन्द करने का निर्णय लिया।

(कंडिका 1.21)

2. सरकारी कम्पनी से संबंधित निष्पादन समीक्षा

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की अधिप्राप्ति एवं वितरण कार्यक्रलाप

खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति एवं वितरण के सम्बन्ध में कम्पनी का निष्पादन संतोषजनक नही रहा जैसे कि विभिन्न योजनाओं में कुल उठाव विशेष कर ए.पी.एल./बी.पी.एल. योजनाओं में कम रहा जहॉ 2001 से 2006 तक की अवधि में यह 0.16 से 5.71 प्रतिशत तक कम रही। कम्पनी ने ना ही अधिक आवंटन समर्पण किया और ना ही सुधारात्मक कार्यवाही के लिए कम उठाव के कारणों का विश्लेषण किया।

(कंडिका 2.6.2)

कम्पनी ने सरकार से प्रभावी रूप से सीमान्त राशि के पुनर्निर्धारण ए.ए.वाई. एवं बी.पी.एल. योजना में नहीं किया जिसके फलस्वरूप 54.06 करोड़ रूपये की हानि हुई।

(कंडिका 2.6.5 एवं 2.6.8)

एक योजना के खाद्यान्न को दूसरी योजना में विचलन करके कम्पनी ने 12.64 करोड़ रूपये के लाभ सरकारी परिदान की कीमत पर किया ।

(कंडिका 2.6.10, 2.6.12, 2.6.13)

अभिलेखों भण्डारण, संधारण व लेखे एवं भौतिक सत्यापन में आन्तरिक नियंत्रण के कार्यान्वयन के कमी के कारण 1.22 करोड़ रूपये के खाद्यान्नों के कर्मचारियों द्वारा दुर्विनियोजन में मदद मिली एवं 28.74 करोड़ रूपये के खाधान्न छः वर्षो से अधिक की अवधि तक अचन्न रहा और जिसका अस्तित्व/मानव उपयोगिता संदेहास्पद है।

(कंडिका 2.6.16 एवं 2.6.17)

कम्पनी ने 1.56 करोड़ रूपये का बिना खर्च के प्रमाण लिए गोदाम प्रबंधकों को भुगतान कर दिया। साथ ही कम्पनी ने परिवहन संविदाओं के अन्तिमीकृत करने एवं खाद्यान्न उठाने में देरी के कारण 57.25 लाख रूपये परिहार्य व्यय किया/सीमान्त राशि की हानि उठाई।

(कंडिका 2.6.18 एवं 2.6.15)

भारतीय खाद्य निगम से 76.62 लाख रूपये का अग्रिम उचित दावे प्रस्तुत न कर पाने के कारण वसूल नहीं हुआ जिसके परिणामस्वरूप 91.94 लाख रूपये के ब्याज की हानि हुई।

(कंडिका 2.6.19)

3. सांविधिक निगमों में सम्बन्धित निष्पादन समीक्षाएँ

3.1 बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में टैरिफ, विपत्रीकरण एवं राजस्व संग्रहण

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को विद्युत अधिनियम, 1948 की धारा 46 एवं 49 के अंतर्गत टैरिफ निर्धारण का अधिकार प्राप्त था। मई 2005 से राज्य विद्युत विनियामक आयोग को विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत टैरिफ निर्धारण करना था। बोर्ड ने जून 2001 में निर्धारित टैरिफ का पुनरीक्षण नहीं किया और राज्य विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष भी टैरिफ निर्धारण के लिए याचिका दाखिल करने में असफल रहा (मार्च 2006)। टैरिफ पुनरीक्षण नहीं होने के कारण वर्ष 2001–06 के दौरान बोर्ड 165.21 करोड़ रूपये के राजस्व से वंचित रहा।

(कंडिका 3.1.8 एवं 3.1.10)

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकार (के.वि.प्रा.) द्वारा निर्धारित संचरण एवं वितरण हानि 15.5 प्रतिशत के विरूद्ध बोर्ड की संचरण एवं वितरण हानि 38.20 एवं 62.05 प्रतिशत के बीच रही। के.वि.प्रा. द्वारा निर्धारित मानक के अतिरिक्त संचरण एवं वितरण हानि के कारण वर्ष 2001–06 की अवधि में 3,200.99 करोड़ रूपये की संभावित हानि हुई।

(कंडिका 3.1.12)

उर्जा मीटरों के संस्थापन/प्रतिस्थापन नहीं होने के कारण बोर्ड को 5.24 करोड़ रूपये की हानि हुई। उसी प्रकार नए विद्युत सम्बन्धों के अकार्यान्वयन के कारण बोर्ड को 1.15 करोड़ रूपये की संभावित राजस्व की. हानि हुई।

(कंडिका 3.1.14 एवं 3.1.16)

उच्चतर क्षमता के ट्रांसफर्मर उपयोग करने के कारण विपत्र वृद्धि के संबंध में बोर्ड की निष्क्रियता के कारण 18.97 करोड़ रूपये राजस्व की हानि हुई। धमन भट्ठी के गलत माप ग्रहण करने के कारण बोर्ड को 8.29 करोड़ रूपये राजस्व की भी हानि हुई।

(कंडिका 3.1.18 एवं 3.1.22)

बोर्ड द्वारा उपभोक्ताओं से बकाए की वसूली सम्बन्धी विद्युत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने में विफल रहने के कारण 31 मार्च 2005 तक 5,086.22 करोड़ रूपये अवरूद्ध रहा एवं परिणामस्वरूप 1,858.42 करोड़ रूपये के ब्याज की हानि हुई।

(कंडिका 3.1.25)

बकाए की वसूली के लिए बोर्ड द्वारा शीघ्र कार्रवाई प्रारम्भ करने में बोर्ड की विफलता के कारण 26.79 करोड़ रूपये राजस्व की वसूली कालातीत हो गया।

(कंडिका 3.1.30)

3.2 त्वरित उर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम सहित उर्जा क्षेत्र में सुधार

समझौता पत्रक (एम.ओ.यू.) के हस्ताक्षर के पांच वर्षो के बीत जाने के बावजूद बिहार राज्य विद्युत बोर्ड उससे प्रतिबद्ध कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका।

(कंडिका 3.2.1)

बोर्ड को कृषि सम्बन्धी अनुसूची का मानक से कम निर्धारण करने से 57.37 करोड़ रूपये की हानि हुई।

(कंडिका 3.2.7)

बोर्ड द्वारा बिना प्रतिस्पर्धी दरों को आमंत्रित किये पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (पी.जी.सी.आई.एल.) को कार्य देने से 27.86 करोड़ रूपये की हानि हुई एवं वह प्रतिस्पर्धी दरों का लाभ लेने के अवसर से भी वंचित रहा।

(कंडिका 3.2.8)

बोर्ड ने त्वरित उर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.) के अन्तर्गत 334.36 करोड़ रूपये के अनुदान/ऋण भारत सरकार से प्राप्त किया एवं 121.48 करोड़ रूपये ऋण के रूप में पावर फाइनेस कारपोरेशन से प्राप्त किया। राज्य सरकार ने 147.57 करोड़ रूपये के अनुदान को ऋण माना जिससे बोर्ड को 22.71 करोड़ रूपये ब्याज का अधिभार हुआ।

(कंडिका 3.2.10)

बोर्ड ने 12.00 करोड़ रूपये का अग्रिम पी.जी.सी.आई.एल. को बिना अनुबंध हस्ताक्षर किये दिया फलस्वरूप धन के अवरूद्ध होने साथ 1.17 करोड़ रूपये ब्याज की अनुवर्ती हानि हुई।

(कंडिका 3.2.12)

306.42 करोड़ रूपये व्यय करने एवं नियत तिथि व्यतीत होने के बावजूद पी.जी.सी.आई. एल. द्वारा कोई भी कार्य पूर्ण नहीं किया गया।

(कंडिका 3.2.13)

3.3 बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का परिचालन निष्पादन

नई बसों के क्रय हेतु 18.41 करोड़ रुपए की उपलब्ध निधि के उपयोग करने में निगम की विफलता के कारण, निगम को, 2001–06 की अवधि में, 76.08 करोड़ रुपए के संभाव्य राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 3.3.7)

यथा निर्देशित मूल्य–ह्रास संचित निधि का नई बसों के क्रय में उपयोग न कर, निगम ने निधि को बैंक में रखा जिसके फलस्वरुप बिहार सरकार को देय अन्तर ब्याज–राशि के रुप में 1.63 करोड़ रुपए की हानि हुई।

(कंडिका 3.3.8)

निगम निर्धारित संख्या में बसों तथा स्पेयर पार्ट्स की नीलामी में विफल रहा और 113 नई बसों को खरीदने का अवसर खो दिया जिसके कारण 2004–06 की अवधि में 27.15 करोड़ रुपए के अंशदान की हानि के हुई।

(कंडिका 3.3.9)

निम्न इंधन कार्य कुशलता, टायरों के समय से पूर्व खराब होने व निम्न दखलकारिता के कारण निगम को 2001–06 की अवधि में 82.07 करोड़ रुपए की हानि हुई।

(कंडिकाएं 3.3.14, 3.3.16 तथा 3.3.17)

निगम का फ्लीट उपयोगिता कम था और 2001–06 की अवधि में अन्य राज्यों में 82.15 तथा 99.49 प्रतिशत के विरुद्ध 11.5 से 78.6 प्रतिशत रहा।

(कंडिका 3.3.12)

निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों की तुलना में प्रभावी किलोमीटर में गिरावट की वजह से वर्ष 2001–02 से 2005–06 की अवधि में निगम 1ए672.41 लाख निर्धारित किलोमीटर पूरा नहीं कर सका, जिसके कारण 220.29 करोड़ रुपए के अंशदान की हानि हुई।

(कंडिका 3.3.15)

4. कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा प्रेक्षण

प्रतिवेदन में सम्मिलित किये गये कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा प्रेक्षण, लोक उपक्रमों के प्रबन्धन की कमियॉ जिसके परिणामस्वरूप गंभीर वित्तीय प्रभाव पड़े, को मुख्य रूप से दर्शाती है। इंगित की गयी मुख्यतः निम्न प्रकार की त्रुटियॉ पाई गई :

तीन मामलों में 92.19 करोड़ रूपये के निरर्थक व्यय/अवरूद्ध निधि और ब्याज की हानि हुई।

(कंडिका 4.5, 4.6 एवं 4.8)

दो मामलों में कुल 18.74 करोड़ रूपये की चोरी/परिहार्य व्यय हुई।

(कंडिका 4.7 एवं 4.9)

एक मामले में 1.02 करोड़ रूपये राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 4.1 एवं 4.3)

एक मामले में अयोग्य इकाईयों को 3.69 करोड़ रूपये का अनुचित लाभ।

(कंडिका 4.4)

एक मामले में खराब नियोजन के कारण 14.12 लाख रूपये उपलब्ध निधि का उपयोग न होना।

(कंडिका 4.2)

कुछ महत्वपूर्ण प्रेक्षाओं का सारांश निम्न प्रकार है :

बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड

जाली कागजातों को स्वीकार करने के कारण कम्पनी को 56.11 लाख रूपये की हानि।

(कंडिका 4.3)

ओ.टी.एस. योजना के त्रुटिपूर्वक लागू करने से कम्पनी ने अयोग्य इकाईयों को 3.69 करोड़ रूपये का अनुचित लाभ दिया।

(कंडिका 4.4)

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड

अपूर्ण पावर सब स्टेशन तथा संबंधित 33 के.वी. लाइन पर बोर्ड ने 1.91 करोड़ रूपये का निरर्थक व्यय किया।

(कंडिका 4.5)

अतिरिक्त पुर्जों के अनावश्यक क्रय के परिणामस्वरूप 1.59 करोड़ रूपये के कोष का अवरोधन तथा 63.73 लाख रूपये ब्याज की अनुवर्ती हानि हुई।

(कंडिका 4.6)

बोर्ड ने थर्मल पावर स्टेशन पर 88.05 करोड़ रूपये का निरर्थक व्यय किया।

(कंडिका 4.8)

बिहार राज्य वित्त निगम

अपने सम्पतियों की सुरक्षा हेतु कोई व्यवस्था न बना पाने की निगम की विफलता के कारण 18.32 करोड़ रूपये की हानि हुई।

(कंडिका 4.9)

प्रस्तावना

सरकारी वाणिज्यिक संस्थायें जिनकी लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है, निम्नलिखित श्रेणियों में आती है :

(i) सरकारी कम्पनियॉं,

(ii) सांविधिक निगमें, एवं

(iii) विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम।

यह प्रतिवेदन सरकारी कम्पनियों और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड सहित सांवधिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंध रखता है तथा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) के (कर्त्तव्यों, अधिकारों एवं सेवा शर्त्तों) अधिनियम, 1971, यथा समय–समय पर संशोधित धारा 19–क के अधीन बिहार सरकार के समक्ष प्रस्तुति हेतु तैयार किया गया है। विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रमों की लेखापरीक्षा का परिणाम भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) बिहार सरकार में अन्तर्निष्ट है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के द्वारा की जाती है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम एवं बिहार राज्य विधुत बोर्ड, जो सांविधिक निगमें हैं, के संबंध में भारत के नियत्रक–महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक है। राज्य वित्तीय निगम (सशोधन) अधिनियम, 2000 के अनुरूप बिहार राज्य वित्तीय निगम द्वारा भारतीय रिजर्व बैक से अनुमोदित सूची में से सनदी लेखाकारों को नियुक्त कर लेखापरीक्षा कराने के अतिरिक्त नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को उनकी लेखाओं की लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। बिहार राज्य भंडारण निगम के संबंध में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को उनकी सहमति से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अतिरिक्त उनकी लेखाओं की लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक, बिहार विद्युत नियामक आयोग के एकमात्र लेखापरीक्षक है। इन निगमों के वार्षिक लेखाओं का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अलग से राज्य सरकार को भेजे जातें है।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लेखित हैं, जो वर्ष 2005–06 के दौरान लेखाओं की लेखापरीक्षा के क्रम में देखने में आये, साथ–साथ वे जो पूर्व के वर्षो में ध्यान मे आए किन्तु पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलत नही किये जा सके। 2005–06 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी जहॉं आवश्यक समझे गये, सम्मिलित कर लिए गये है।

अध्याय – 1

1. सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

प्रस्तावना

1.1 31 मार्च 2006 को 50 सरकारी कम्पनियों (16 कार्यशील एवं 34 अकार्यशील कम्पनियॉं)[1] तथा चार सांविधिक निगमों (सभी कार्यशील) राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन थे। 31 मार्च 2005 से कार्यशील एवं अकार्यशील कम्पनियों की स्थिति और संख्या अपरिवर्तित है। सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा (कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 617 के अनुसार) सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा किया जाता है, जो नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 के धारा 619(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत नियुक्त किए जाते है। इन लेखाओं की पूरक लेखापरीक्षा भी नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा (कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अन्तर्गत) की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा की व्यवस्था अधोदर्शित है।

क्र0स.	सांविधिक निगम के नाम	नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को लेखा परीक्षण का प्राधिकार	लेखापरीक्षा व्यवस्था
1.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बि.रा.वि.बो.)	विद्युत (आपुर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 69(2) के अन्तर्गत।	नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के द्वारा एकमात्र लेखापरीक्षा
2.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बि.रा.प.प.नि.)	पथ परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33(2) के अन्तर्गत।	नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के द्वारा एकमात्र लेखापरीक्षा
3.	बिहार राज्य वित्तीय निगम (बि.रा.वि.नि.)	राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 की धारा 37(6) के अन्तर्गत।	सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा एवं नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा पूरक लेखापरीक्षा
4.	बिहार राज्य भंडार निगम (बि.रा.भ.नि.)	राज्य भंडार निगम अधिनियम 1962 की धारा 31(8) के अन्तर्गत।	सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा एवं नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा पूरक लेखापरीक्षा

राज्य सरकार ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग का गठन किया तथा उसकी लेखापरीक्षा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(2) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक –महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है।

कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सा.क्षे.उ.)

कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

1.2 मार्च 2005 एवं मार्च 2006 के समाप्ति तक 20 कार्यशील सा.क्षे.उ. (16 सरकारी कम्पनियों एवं 4 सांविधिक निगमों) में कुल निवेश क्रमशः निम्न प्रकार थे :–

[1] अकार्यशील कम्पनियॉं वह कम्पनियॉं है जो कि परिसमापन, बंदी, विलयन आदि की प्रक्रिया में है।

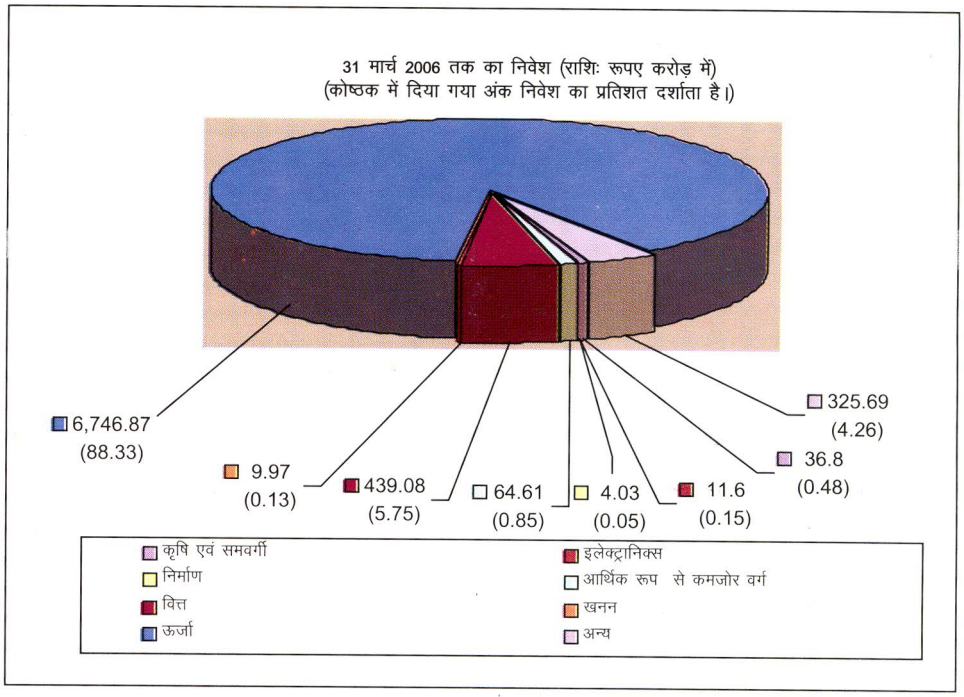
(राशिः रूपये करोड़ में)

वर्ष	कार्यशील सा.क्षे उपक्रमो की संख्या	कार्यशील सा.क्षे. उपक्रमों में निवेश			
		अंश पूँजी	अंश आवेदन राशि	ऋण	कुल
2004–05	20	454.07	3.66	5,990.35	6,448.08
2005–06	20	456.08	3.66	7,178.91	7,638.65[1]

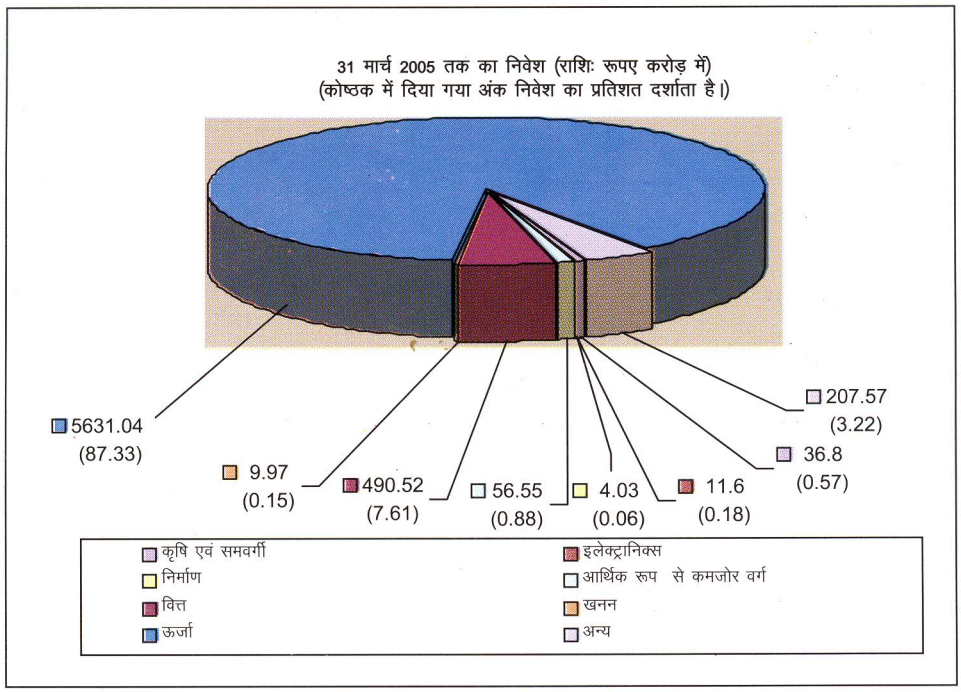
31 मार्च 2005 तक कार्यशील सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों में साधारण पूँजी तथा ऋण में कुल निवेश क्रमशः 7.10 एवं 92.90 प्रतिशत की तुलना में 31 मार्च 2006 को 6.02 प्रतिशत साधारण पूँजी एवं 93.98 प्रतिशत ऋण के रूप में था। कार्यशील सा.क्षे.उ. में निवेश का विश्लेषण अधोलिखित कंडिकाओं में दिया गया है।

कार्यशील सरकार कम्पनियों एवं निगमों में प्रक्षेत्रवार निवेश

31 मार्च 2005 एवं 31 मार्च 2006 के अन्त में विभिन्न प्रक्षेत्रों में निवेश (साधारण पूँजी तथा दीर्घ कालीन ऋण) तथा उनका प्रतिशत निम्नांकित पाई चार्ट में दर्शाए गए है :–



[1] कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार का निवेश 6,829.56 करोड़ रूपये (अन्य 809.09 करोड़ रूपये) था। वित्त लेखा के अनुसार आंकड़े 12,017.47 करोड़ रूपये है। आंकड़ों के अंतर को सामाधान किया जा रहा है।



कार्यशील सरकारी कम्पनियॉं

1.3 मार्च 2005 एवं मार्च 2006 के अंत में 16 कार्यशील कम्पनियों में क्रमशः कुल निवेश निम्न था :–

(राशि : रूपये करोड़ में)

वर्ष	कार्यशील सरकारी कंपनियों की संख्या	कार्यशील सा.क्षे. उपक्रमों में निवेश			
		अंश पूँजी	अंश आवेदन राशि	ऋण	कुल
2004–05	16	273.59	3.66	925.62	1,202.88
2005–06	16	275.59	3.66	1,039.25	1,318.50[1]

कार्यशील सरकारी कंपनियों में साधारण पूँजी एवं ऋण के रूप में सरकारी निवेश की संक्षिप्त विवरणी **परिशिष्ट–I** में दर्शाया गया है।

31 मार्च 2005 तक कार्यशील सरकारी कम्पनियों में साधारण पूँजी तथा ऋण में कुल निवेश क्रमशः 23.05 प्रतिशत एवं 76.95 प्रतिशत की तुलना में 31 मार्च 2006 को 21.18 प्रतिशत साधारण पूँजी एवं 78.82 प्रतिशत ऋण के रूप में था।

कार्यशील सांविधिक निगम

1.4 मार्च 2005 एवं मार्च 2006 के अन्त तक चार कार्यशील सांविधिक निगमों में कुल निवेश निम्नलिखित थे :–

[1] इसमें 100 करोड़ रूपये पूँजी तथा 608.89 करोड़ रूपये ऋण का निवेश तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड में सम्मिलित है, जिसके स्वामित्व के स्थानांतरण को लेकर बिहार राज्य तथा झारखंड राज्य के बीच एक मुकदमा हाई कोर्ट पटना तथा रांची में लंबित है।

(राशि : रूपये करोड़ में)

निगम के नाम	2004–05		2005–06	
	पूँजी	ऋण	पूँजी	ऋण
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बि.रा.वि.बो.)	–	4,657.31[1]	–	5,764.70
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बि.रा.प.प.नि.)	101.27	81.02	101.27	81.02
बिहार राज्य वित्तीय निगम (बि.रा.वि.नि.)	77.84	322.58	77.84	286.68
बिहार राज्य भंडार निगम (बि.रा.भ.नि.)	1.37	3.81	1.37	7.26
कुल योग –	**180.48**	**5,064.72**	**180.48**	**6,139.66**

कार्यशील सांविधिक निगमों में साधारण पूँजी तथा ऋण के रूप में सरकारी निवेश का संक्षिप्त विवरणी **परिशिष्ट–1** में दर्शाया गया है।

31 मार्च 2005 तक कार्यशील सांविधिक निगमों में साधारण पूँजी तथा ऋण में निवेश कुल निवेश का क्रमशः 3.44 प्रतिशत एवं 96.56 प्रतिशत के विरूद्ध 31 मार्च 2006 की समाप्ति पर यह निवेश कुल निवेश का क्रमशः 2.86 प्रतिशत तथा 97.14 प्रतिशत था।

बजट से बर्हिगमन, अनुदान/आर्थिक सहायता, प्रतिभूतियॉ, देय राशि का अधित्याग तथा ऋणों का साधारण पूँजी में रूपांतरण

1.5 राज्य सरकार द्वारा कार्यशील सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों को बजट से बर्हिगमन, अनुदान/आर्थिक सहायता, निर्गत प्रतिभूतियॉ, देय राशि का अधित्याग तथा ऋणों का साधारण पूँजी में रूपांतरण की विस्तृत विवरणी **परिशिष्ट–1 एवं 3** में दी गयी है।

मार्च 2006 तक तीन वर्षो की अवधि में, साधारण पूँजी, ऋण एवं अनुदानों/आर्थिक सहायता के रूप में कार्यशील सरकारी कंपनियों एवं कार्यशील सांविधिक निगमों को राज्य सरकार द्वारा बजट में सहायता प्रदान की गई, जिसकी विवरणी अधोदर्शित है :–

(राशि : रूपये करोड़ में)

	2003–04				2004–05				2005–06			
	कंपनियॉ		निगमें		कंपनियॉ		निगमें		कंपनियॉ		निगमें	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
बजट से बर्हिगमन साधारण पूँजी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
बजट से दिया गया ऋण	2	23.38	3	701.39	1	3.02	3	775.23	2	122.78	1	1,053.46
आर्थिक सहाय्य	–	–	1	0.10	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल बर्हिगमन	**2**	**23.38**	**4**	**701.49**	**1**	**3.02**	**3**	**775.23**	**2**	**122.78**	**1**	**1,053.46**

वर्ष 2005–06 में सरकार ने कुल 20 करोड़ रूपये के ऋण पर गारंटी दिया जिसे एक कार्यशील सरकारी कम्पनी[2] ने प्राप्त किया। वर्ष के अंत तक 2 कार्यशील सरकारी कम्पनियों (38.32 करोड़ रूपये) और दो कार्यशील सांविधिक निगमों (317.62 करोड़ रूपये) के विरूद्ध 355.94 करोड़ रूपये की कुल गारंटी राशि बकाया थी। गारंटी कमीशन सरकारी कम्पनियों द्वारा सरकार को भुगतान की जाती है। बिहार राज्य बीज निगम लि. ने सरकार को 3 लाख रूपये का भुगतान किया तथा 38.72 लाख रूपये बिहार राज्य पथ परिवहन निगम और बिहार राज्य वित्त निगम द्वारा भुगतेय थे।

[1] बोर्ड ने 2004–05 में सूचित ऋण की रकम 2,917.59 करोड़ रूपये को संशोधित कर 4,657.31 करोड़ रूपये किया। 2004–05 तथा 2005–06 के लेखा औपबंधिक है।

[2] बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लि.

कार्यशील सा.क्षे. उपक्रमों द्वारा लेखाओं का अंतिमीकरण

1.6 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 एवं 619–ब, जो भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्यों, शक्ति एवं सेवा शर्त्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के साथ पढ़ा गया, के अनुसार कम्पनियों के प्रत्येक वर्ष की लेखाओं को उस वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर अंतिमीकरण कर लेना होता है। उसे वर्ष की समाप्ति के नौ माह के अन्दर ही राज्य की विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है। इसी प्रकार सांविधिक निगमों के मामलो में उनसे सम्बन्धित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार उनकी लेखाओं का अन्तिमीकरण लेखा परीक्षण तथा विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है।

जैसा **परिशिष्ट–2** से देखा जा सकता है, 16 कार्यशील सरकारी कम्पनियॉ एवं चार सांविधिक निगमों में से किसी ने भी नियत अवधि के अन्दर वर्ष 2005–06 के लेखाओं का अन्तिमीकरण नहीं किया था। अक्टूबर 2005 से सितम्बर 2006 के दौरान आठ कार्यशील सरकारी कम्पनियों ने पिछले वर्षो के नौ लेखाओं को अन्तिमीकरण किया। इसी प्रकार, इस अवधि में तीन कार्यशील सांविधिक निगमों ने पिछले वर्ष के तीन लेखाओं का अन्तिमीकरण किया।

16 कार्यशील सरकारी कम्पनियों के बकाए लेखाओं के परास चार वर्षो से 22 वर्षो की अवधि में थे। इसके अतिरिक्त 30 सितम्बर, 2006 को चार सांविधिक निगमों के बकाए लेखाओं के परास एक से चार वर्षो की अवधि में थे जो अधोलिखित है :–

क्रम सं0	कार्यशील सरकारी कम्पनियों / सांविधिक निगमो की संख्या		वर्ष जिसके लेखे बकाए है	वर्षो की संख्या जिसके लेखे बकाए है	परिशिष्ट–2 का संदर्भित क्रमांक	
	सरकारी कम्पनियां	सांविधिक निगमें			सरकारी कम्पनियॉ	सांविधिक निगमें
1	2	3	4	5	6	7
1	1	–	1984–85 से 2005–06	22	अ–10	–
2	1	–	1990–91 से 2005–06	16	अ–6	–
3	1	–	1992–93 से 2005–06	14	अ–16	–
4	1	–	1993–94 से 2005–06	13	अ–2	–
5	2	–	1994–95 से 2005–06	12	अ–7,अ–13	–
6	5	–	1996–97 से 2005–06	10	अ–1,अ–3, अ–11, अ–12, अ–15	–
7	1	–	1997–98 से 2005–06	9	अ–9	–
8	3	1	2001–02 से 2005–06	5	अ–4, अ–5,अ–14	–
9	1	2	2002–03 से 2005–06	4	अ–8	ब–2, ब–4
10	–	1	2003–04 से 2005–06	3	–	ब–1
11	–	1	2005–06	1	–	ब–3
कुल	**16**	**4**				

प्रशासनिक विभागों को आश्वस्त एवं सुनिश्चित करना है कि निर्धारित अवधि में लेखाओं का अन्तिमीकरण हो जाये और सा.क्षे. उपक्रमों द्वारा उनकों अंगीकृत किया जाये। यद्यपि बकाये लेखाओं के अन्तिमीकरण से सम्बन्धित जानकारी सम्बद्ध प्रशासनिक विभागों तथा सरकारी पदाधिकारियों को प्रत्येक तिमाही में प्रधान महालेखाकार द्वारा दी गई थी पर सरकार द्वारा कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाये गये जिसके फलस्वरूप सा. क्षे. उपक्रमों में निवेश का निर्धारण लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका।

कार्यशील सा.क्षे. उपक्रमों की वित्तीय स्थिति तथा कार्यचालन परिणाम

1.7 कार्यशील सा.क्षे. उपक्रमों (सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों) के उपलब्ध नवीनतम लेखाओं पर आधारित संक्षिप्त वित्तीय परिणाम **परिशिष्ट–2** में दिए गए है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक कार्यशील सांविधिक निगम की पिछले तीन वर्षो की वित्तीय स्थिति तथा कार्यचालन परिणाम क्रमशः **परिशिष्ट – 4 एवं 5**[1] क्रमशः में वर्णित है।

15[2] कार्यशील सरकारी कम्पनियों तथा चार कार्यशील सांविधिक निगमों के अन्तिम रूप दिये गये नवीनतम लेखाओं के अनुसार 10[3] कम्पनियों तथा दो[4] निगमों को क्रमशः 53. 34 करोड़ रूपये एवं 168.58 करोड़ रूपये की कुल हानि हुई। पॉच[5] कम्पनियों एवं दो[6] निगमों ने क्रमशः 10.47 करोड़ रूपये तथा 1.40 करोड़ रूपये का लाभ अर्जित किया।

कार्यशील सरकारी कम्पनियॉ

लाभ अर्जित करने वाली कम्पनियॉ तथा लाभांश

1.8 नवीनतम उपलब्ध लेखाओं के अनुसार (सितम्बर 2006) 16 कार्यशील सरकारी कम्पनियों में से पॉच[7] कम्पनियों ने 10.47 करोड़ रूपये लाभ अर्जित किया। तथापि इन कम्पनियों ने कोई लाभांश घोषित नहीं किया। राज्य सरकार ने न तो न्यूनतम लाभांश के भुगतान हेतु कोई नीति बनाई है और न कम्पनियों को कोई मार्गदर्शन जारी किया है।

घाटा देने वाली कम्पनियॉ

1.9 नवीनतम प्राप्त लेखाओं के अनुसार 10[8] हानिदायी कम्पनियों ने कुल 53.34 करोड़ रूपये की हानि उठाई। सात[9] घाटा देने वाली कम्पनियों की कुल संचित हानि 174.70 करोड़ रूपये थी जो कि इन कम्पनियों की कुल प्रदत्त पूँजी 33.85 करोड़ रूपये से पॉच गुणा अधिक थी।

कार्यशील सांविधिक निगम

लाभ अर्जित करने वाली सांविधिक निगमें तथा लाभांश

1.10 चार सांविधिक निगमों (सितम्बर 2006) में से, बिहार राज्य वित्तीय निगम और बिहार राज्य भंडारण निगम ने क्रमशः वित्तीय वर्ष 2004–05 तथा 2001–02 के लिए क्रमशः 53.47 और 87.00 लाख रूपये का कुल लाभ अर्जित किया। तथापि सांविधिक निगमों ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया।

[1] निगमों से प्राप्त आकड़ो के अनुसार
[2] टी.भी.एन.एल. को छोड़कर
[3] परिशिष्ट–2 के क्रमांक अ–1, अ–2, अ–3, अ–6, अ–7, अ–8, अ–10, अ–12, अ–14 तथा अ–15
[4] परिशिष्ट–2 के क्रमांक – ब-1,ब-2
[5] परिशिष्ट–2 के क्रमांक – अ–4, अ–5, अ–9, अ–11 और अ--16
[6] परिशिष्ट–2 के क्रमांक– स C-3, ब-4
[7] परिशिष्ट–2 के क्रमांक– अ–4, अ–5, अ–9, अ–11 तथा अ–16
[8] परिशिष्ट–2 के क्रमाक– अ–1, अ–2, अ–3, अ–6, अ–7, अ–8, अ–10, अ–12, अ–14, और अ–15
[9] परिशिष्ट–2 के क्रमांक– अ–1, अ–2, अ–3, अ–16, अ–7, अ–10, तथा अ–14

घाटा देने वाली सांविधिक निगमें

1.11 बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में कुल निवेश (ऋण) 5,764.70 करोड़ रूपये (31 मार्च 2006) की तुलना में 163.84 करोड़ रूपया (31 मार्च 2003) की संचित हानि थी।

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की संचित हानि 624.43 करोड़ रूपये थी जिससे उसकी प्रदत्त पूँजी 101.27 करोड़ रूपये का अपक्षरण हो गया है।

कार्यशील सांविधिक निगमों का परिचालन निष्पादन

1.12 कार्यशील सांविधिक निगमों का परिचालन निष्पादन **परिशिष्टि–6** में दिया गया है। यद्यपि, निगमों के परिचालन निष्पादन पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणीयॉ, ऊपर वर्णित परिशिष्ट में दिए गये आंकड़ों पर आधारित है, नीचे दी गयी है :

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम

1.12.1 उपयोग में लाई गई वाहनों की प्रतिशतता 78 (2003–04) से घटकर 71 (2005–06) हो गयी।

बिहार राज्य वित्तीय निगम

1.12.2 वसूली योग्य देय राशि (मूलधन एवं ब्याज) वर्ष 2002–03 में 2,095.01 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2004–2005 में 2,791.64 करोड़ रूपये हो गई।

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

1.13 अंतिम रूप दिए गये नवीनतम लेखाओं (सितम्बर 2006 तक प्राप्त) के अनुसार 16 कार्यशील कम्पनियों में नियेजित पूँजी[1] की गणना 1,016.74 करोड़ रूपये की गयी थी तथा नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल[2] पिछले वर्ष (सितम्बर 2005 तक अन्तिमीकरण किये गये लेखओं) के ऋणात्मक प्रतिफल 11.19 करोड़ की तुलना में 10.79 करोड़ रूपये का ऋणात्मक प्रतिफल था। इसी प्रकार, कार्यशील सांविधिक निगमों में नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं (सितम्बर 2006 तक प्राप्त) के अनुसार नियोजित पूँजी एवं उस पर कुल ऋणात्मक प्रतिफल क्रमशः 7,22.51 करोड़ रूपये तथा 88.51 करोड़ रूपये था। जबकि पिछले वर्ष (सितम्बर 2006 तक अन्तिमीकरण किये गये लेखाओं के अनुसार) कुल ऋणात्मक प्रतिफल 201.99 करोड़ रूपये था। कार्यशील सरकारी कंपनियों एवं सांविधिक निगमों से सम्बन्धित नियोजित पूँजी तथा उस पर कुल प्रतिफल का ब्यौरा **परिशिष्ट–2** में दिये गये है।

राज्य विद्युत नियामक आयोग

1.14 बिहार विद्युत नियामक आयोग (आयेाग) का गठन, अप्रैल 2002 में विद्युत नियामक आयोग अधिनियम 1998 के धारा 17(1) के अंतर्गत राज्य में विद्युत उत्पादन, परिषण, वितरण तथा विद्युत की आपूर्ति का विवेकसंगत बनाने, राज्य में विद्युत उद्योग को नियमित करने जिसमें विद्युत का क्रय, वितरण, आपूर्ति एवं उपयोग, सेवा की गुणवता, टैरिफ एवं अन्य भार तथा उपभोक्ताओं की रूचि एवं उपयोगिताओं को ध्यान में रखतें हुए एक ऐसा वातावरण बनाये जो राज्य के विद्युत उद्योग में निजि क्षेत्र के उद्यमियों की सहभागिता को आकर्षित करेगा, के उद्देश्यों के साथ किया गया था। आयोग एक कारपोरेट निकाय है जिसमें अध्यक्ष सहित तीन सदस्य होते हैं, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते है। आयोग के लेखाओं की लेखापरीक्षा विद्युत अधिनियम,

[1] वित्तीय कंपनियों एवं निगमों जहॉ नियोजित पूंजी, प्रदत पूँजी, मुक्त संरक्षित बाण्डों, जमा एवं उधारों (पुनर्वित सहित) के समग्र योग के औसत का द्योतक है, को छोड़कर नियोजित पूँजी, निवल अचल परिसंपतियों (पूंजीगत कार्य प्रगति सहित) एवं कार्यचालन पूंजी के योग का द्योतक है।

[2] नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की गणना निवल लाभ/हानि (लाभ–हानि लेखानुसार) में उधार ली गयी निधि पर ब्याज को जोड़कर/घटाकर की गयी है।

2003 की धारा 104(2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। आयोग ने, जुलाई 2005 से मार्च 2006 तक 71.39 लाख रूपये को अनुदान ग्रहण किया है। आयोग ने अभी तक (सितम्बर 2006) अपने प्रथम लेखाओं का अंतिमीकरण नहीं किया है।

अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सा.क्षे.उ.)

अकार्यशील सा.क्षे. उपक्रमों में निवेश

1.15 कमशः मार्च 2005 और मार्च 2006 के अन्त में 34 अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सभी सरकारी कम्पनियॉं) में कुल निवेश निम्न प्रकार था :

(राशि : रूपये करोड़ में)

वर्ष	अकार्यशील सा.क्षे. उपक्रमों की संख्या	अकार्यशील सा.क्षे. उपक्रमों में निवेश			
		अंश पूँजी	अंश आवेदन राशि	ऋण	कुल
2004–05	34	159.62	6.76	542.69	709.07
2005–06	34	159.62	6.76	542.75	709.13[1]

बजट से बहिर्गमन, अनुदान/आर्थिक साहाय्य, प्रतिभूतियॉं बकाये का परित्याग तथा ऋणों का साधारण पूँजी में रूपान्तरण

1.16 अकार्यशील सा.क्षे.उ. को राज्य सरकार द्वारा बजट से बहिर्गमन, आर्थिक साहाय्य/अनुदान, प्रतिभूतियॉं, बकाये का परित्याग तथा ऋणों का साधारण पूँजी में रूपान्तरण की विवरणी **परिशिष्ट–1 तथा 3** में निहित है। वर्ष की समाप्ति पर दो अकार्यशील[2] सा.क्षे. उपक्रमों पर 2.07 करोड़ रूपये की प्रतिभूतियॉं बकाया थी।

अकार्यशील सा.क्षे. उपक्रमों के कुल स्थापना व्यय

1.17 2005–2006 तक विगत तीन वर्षो की अवधि में सम्बन्धित प्रबन्धनों द्वारा दिए गए सूचनाओं के अनुसार अकार्यशील सा.क्षे. उपक्रमों के स्थापना व्यय पर कुल देयताएँ तथा उनके वित्त पोषण के स्रोतो का वर्षवार ब्योरा निम्न है :–

(राशि : रूपये करोड़ में)

वर्ष	सा.क्षे. उपक्रमों की संख्या	स्थापना व्यय पर कुल देयताए	नियत्री कम्पनी द्वारा सहायता	बकाया देयताए
2003–2004	12[3]	39.42	0.11	39.31
2004–2005	11[4]	14.74	0.07	14.67
2005–2006	12[3]	4.10	0.92	3.18

अकार्यशील सा.क्षे.उ. के लेखाओं का अन्तिम रूप दिए जाना

1.18 30 सितम्बर 2006 तक 34 अकार्यशील सा.क्षे. उपक्रमों की लेखाएँ पिछले 11 से 29 वर्षों की अवधि के परास में बकाए में थी जैसा कि **परिशिष्ट–2** में देखा जा सकता है।

अकार्यशील सा.क्षे. उपक्रमों की वितीय स्थिति तथा कार्यचालन परिणाम

1.19 अकार्यशील सरकारी कम्पनियों के अन्तिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं के आधार पर वित्तीय परिणामों का सार **परिशिष्ट–2** में निहीत है। 34 अकार्यशील

[1] अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार का निवेश 632.43 करोड़ रूपये (अन्य 76.70 करोड़) था। वित्त लेखा के अनुसार आंकड़े 262.10 करोड़ रूपये है। आंकड़ों के अंतर का सामाधान किया जा रहा है।

[2] बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लि. तथा बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लि.

[3] 22 सरकारी कम्पनियों के विषय में सूचना लेखापरीक्षा को नहीं दी गई।

[4] 23 सरकारी कम्पनियों के विषय में सूचना लेखापरीक्षा को नहीं दी गई।

सरकारी कम्पनियों प्रदत्त पूँजी 101.04 करोड़ रूपये की तुलना में शुद्ध मूल्य[1] (–) 68.08 करोड़ रूपये था। इन कम्पनियों को 18.34 करोड़ रूपये की नगद हानि[2] एवं 173.48 करोड़ रूपये की संचित हानि हुई।

लेखापरीक्षा के उल्लेख पर वसूली

1.20 वर्ष 2005–06 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के अभिलेखों के नमुना जॉच के दौरान पाया गया कि बोर्ड ने पॉच मामलों में कुल 246.62 लाख रूपये टैरिफ का गलत/न्यून उदग्रहण/कम राजस्व वसूली किया। लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियों को बोर्ड ने स्वीकार किया और न्यून उदग्रहण की वसूली के लिए पूरक विपत्र जारी किए।

सा.क्षे. उपक्रमों को बन्द करने के संबंध में अनुशंसा

1.21 अकार्यशील सा.क्षे. उपक्रमों की संचित हानि, प्रदत पूँजी से करीब 1.7 गुणा ज्यादा थी और प्रत्येक वर्ष हानि हो रही थी, अतः सरकार को इनके कार्यों की सूक्ष्मता से समीक्षा करना चाहिए।

बिहार सरकार ने 17 कम्पनियों (पॉच कार्यशील एवं 12 अकार्यशील), जिनमें सरकार का पूंजी एवं ऋण में कुल निवेश 548.49 करोड़ रूपये था, को बन्द करने का निर्णय लिया। 15 निगमों ने पटना उच्च न्यायालय में बन्दी के लिए याचिका दायर की एवं इनमें से 3 निगमों के सम्बन्ध में बन्दी के आदेश पारित हो गये। कम्पनियॉ जो बन्द होनी है और कम्पनियॉ जिन्होनें बन्दी के लिए याचिका दायर की है उनकी सूची **परिशिष्ट–7** में निहित है।

सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की विधानमंडल में प्रस्तुतीकरण की स्थिति

1.22 सांविधिक निगमों के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत विभिन्न पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ.ले.प.प्र.) का सरकार द्वारा विधायिका के पटल पर रखने की स्थिति को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

क्रम	सांविधिक निगमो के नाम	विधायिका में पृ.ले.प.प्र. की प्रस्तुतीकरण की तिथि	विधायिका मे पृ.ले.प.प्र. के न प्रस्तुत करने के वर्ष		
			पृ.ले.प.प्र. के वर्ष	सरकार को निर्गत करने की तिथि	विधान सभा में प्रस्तुतीकरण में विलम्ब के कारण
1.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	1998–99	1999–2000 2000–2001	23.5.2003 30.06.2004	कारण सूचित नहीं किये गये।
2.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	1973–74	1974–75 से 1999–2000	1991–92–9.6.97 1992–93–2.9.98 1993–94–2.9.98 1994–95–4.12.98 1995–96–18.4.00 1996–97–19.3.04 1997–98–19.10.04 1998–99–12.04.05 1999–00–07.10.05	निगमों द्वारा प्रतिवेदनों की प्रतियॉ विधायिका को प्रस्तुतीकरण के लिए उपलब्ध नहीं करायी गयी।
3.	बिहार राज्य वित्तीय निगम	2002–03	2003–2004	03.09.2004	कारण सूचित नहीं किये गये।

[1] शुद्ध मूल्य अंश पूँजी में निवेश, मुक्त संरक्षित घटे संचित हानि को दर्शाती है।
[2] नगद हानि वर्ष के दौरान अवक्षय से पहले हानि को दर्शाती है।

4.	बिहार राज्य भंडारण निगम	2000–01	2001–2002	21.09.2004	कारण सूचित नहीं किये गये।

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता हे कि चार सांविधिक निगमों के 30 पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को एक वर्ष से 26 वर्षो तक विधायिका के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया जिसमें बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के दो पृ.ले.प.प्र., बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के 26 पृ.ले.प.प्र. और बिहार राज्य वित्तीय निगम एवं बिहार राज्य भंडारण निगम के एक–एक पृ.ले.प.प्र. अभी तक (सितम्बर 2006) पटल पर नहीं रखा गया है। पृ.ले.प.प्र. को पटल पर नहीं रखे जाने के कारण विधायिका इन निगमों पर वित्तीय नियंत्रण रखने में वंचित रही।

सम्बन्धित अधिनियमों के आवश्यकतानुसार राज्य सरकार को पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका के समक्ष समय पर प्रस्तुतीकरण हेतु ठोस कदम उठाने चाहिए।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण और पुर्नगठन

1.23 वर्ष 2005–06 में राज्य सरकार ने अपने किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश, निजीकरण और पुर्नगठन कार्य शुरू नहीं किया। झारखंड राज्य बनने पर सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/निगमों के पुर्नगठन का कार्य शुरू किया गया। 12 कम्पनियों/निगमों के परिसंपतियों एवं दायित्वों के बंटवारे के साथ–साथ प्रबंधन के बंटवारे का निर्णय सितम्बर 2005 में लिया गया। तथापि केवल चार[1] कम्पनियों/निगमों के संदर्भ में ही इसका कार्यान्वयन किया गया (सितम्बर 2006) जिसका विवरण **परिशिष्ट–8** में निहित है।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा किए गए सा.क्षे.उ. की लेखापरीक्षा के परिणाम

1.24 अक्टूबर 2005 से सितम्बर 2006 की अवधि में 10 सरकारी कम्पनियों के 11 और दो सांविधिक निगमों (बि.रा.प.प.नि. और बि.रा.वि.नि.) की दो लेखाओं पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा टिप्पणी निर्गत कि गई। सा.क्षे.उ. के लेखाओं पर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियों का शुद्ध प्रभाव निम्न प्रकार है :

(राशिः रूपये करोड़ में)

विवरण	सरकारी कम्पनियाँ		सांविधिक निगम	
	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
हानि में बढ़ोतरी	7	27.75	2	69.41
हानि में कमी	–	–	1	18.33
आय/व्यय तथा सम्पत्ति एवं देयताओं का गलत वर्गीकरण	2	0.47	–	–
महत्वूपर्ण तथ्यों का अप्रकटन	2	8.59	1	0.83

1.25 सरकारी कम्पनियों के मामले में पाए गए भूल–चूक

सरकारी कम्पनियों के मामलों में लेखापरीक्षा के क्रम में अवलोकित कुछ महत्वपूर्ण भूल–चूकों को नीचे सारणीबद्ध किया गया है :

[1] बिहार राज्य बीज निगम लि., बिहार राज्य भंडार निगम, बिहार राज्य जल विद्युत उर्जा निगम लि. और बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड

(राशि : रूपये करोड़ में)

क्र. स.	कम्पनीयों का नाम	लेखा का वर्ष	भूल/चूक	राशि (रूपये करोड़ में)
1.	बिहार राज्य जलविद्युत उर्जा निगम लि.	1995–96	(1) सरकारी ऋण पर दण्डात्मक ब्याज का प्रावधान न करने से हानि कम दर्शाई गई (2) ठेकेदारों को निर्गमित सामाग्री पर प्रावधान न करने से हानि कम दर्शाई गई	23.52 2.39
2.	बिहार राज्य इलेट्रोनिक विकास निगम लि.	1995–96	पूँजीगत कार्य प्रगति पर हुए निष्फल व्यय को लेखे में से न हटाने से हानि कम दर्शाई गई।	0.39
3.	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लि.	2000–01	ब्याज कर और सेवाभार का प्रावधान न करने से हानि कम दर्शाई गई।	0.20
4.	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लि.	1995–96	आपूर्तिकर्ता को दिए असमायोजित अग्रिम तथा कर्मचारियों को देय आंतरिक राहत का प्रावधान न करने से हानि कम दर्शाई गई।	0.61
5.	बिहार राज्य पुलिस भवन निर्माण निगम लि.	1989–90	अभिकरण शुल्क का आर्थिक क्रेडिट, अपयोजित स्कंध का प्रावधान नही करने तथा अंतिम स्कंध का दोषपूर्ण मूल्यांकन के कारण हानि कम दर्शाई गई।	0.14

सांविधिक निगमों के मामले में पाए गए भूल–चूक

1.26 सांविधिक निगम के वार्षिक लेखापरीक्षा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण भूल–चूकों को निम्न रूप से सारणीबद्ध किया गया है :

क्रमांक	सांविधिक निगमों का नाम	लेखाओं का वर्ष	भूल चूक	राशि (रूपये करोड़ में)
1.	बिहार राज्य वित्तीय निगम	2003–04	1. ऋणपत्रों पर ब्याज दायित्व, कर्मचारियों पर दायित्व और सरकारी धन पर ब्याज दायित्वों का प्रावधान न करने से हानि कम दर्शाई गई। 2. किरायेदारों से वसूलनीय किराया जो वसूली के लिए संदिग्ध है का प्रावधान न करने से हानि कम दर्शाई गई।	15.90 0.68
2.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	1999–2000	1. सेवानिवृत/मृत/मार्च 2000 तक अलग हुए कर्मचारी को उपादान, छुट्टी का नगद भुगतान आदि देयों के लिए प्रावधान न करने से हानि राशि कम दर्शाई गई। 2. वाणिज्यक विभाग द्वारा अवसूलनीय स्रोत पर कर की कटौती का प्रावधान न करने से हानि कम दर्शाई गई। 3. पूँजीगत उपकरणों पर ह्रास नहीं प्रभावित करने से ह्रास एवं हानि कम दर्शाई गई।	37.84 7.22 2.62

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के कार्यचालन परिणामों का लेखापरीक्षा द्वारा मूल्यांकन

1.27 2002–2003 तक तीन वर्षों के लिए बि.रा.वि.बो. के कार्यचालन परिणामों का लेखापरीक्षा द्वारा किए गए मूल्यांकन पर आधारित तथा बोर्ड के 2000–01 तक वार्षिक लेखाओं पर पृ.ले.प.प्र. में इंगित बड़ी अनियमितताओं तथा भूल–चूक को ध्यान में रखते हुए और सरकार से प्राप्य अर्थ साहाय्य को छोड़कर, बोर्ड का शुद्ध अधिशेष घाटा एवं नियोजित पूँजी के प्रतिफल की प्रतिशत वापसी निम्नलिखित है।

(राशि : रूपये करोड़ में)

क्र. स.	विवरण	2000–01[1]	2001–02[2]	2002–03
1.	लेखा–पुस्तिका के अनुसार निवल घाटा	3,538.73	12.63	117.73
2.	राज्य सरकार से सहायिकी	834.30	471.80	541.30
3.	राज्य सरकार से सहायिकी के पूर्व निवल घाटा (1+2)	4,373.03	484.43	659.03
4.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के वार्षिक लेखा पर लेखापरीक्षा की टिप्पणी के फलस्वरूप निवल बचत/(–) घाटा में निवल वृद्धि/ह्रास (–)	3,289.21	टिप्पणियाँ अंतिमिकरण की प्रक्रिया में है।	लेखा, लेखापरीक्षा में है।
5.	राज्य सरकार से सहायिकी के पूर्व तथा लेखापरीक्षा की टिप्पणी के अभिघट्टन को लेते हुए विल बचत/(–) घटा (3–4)	7,662.24	–वही–	–वही–
6.	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल[3]	(–)2,629.85	109.64	93.09

आंतरिक अंकेक्षण/आंतरिक नियंत्रण

1.28 सांविधिक लेखापरीक्षकों (सनदी लेखाकारों) को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227(4) के अन्तर्गत यह प्रतिवेदन देना है कि निगम के आकार और कार्य की प्रकृति के अनुसार पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण प्रक्रिया लागू है कि नहीं। इसके अतिरिक्त उन्हें कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(क) के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में आंतरिक लेखापरीक्षा/आंतरिक नियंत्रण सहित विभिन्न पहलुओं पर पूरक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है और जिन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है उसकी पहचान करनी है। आगे इसी अधिनियम की धारा 292 अ, जो कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 2000 के अन्तर्गत संशोधित की गई है, के अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक निगम जिसकी प्रदत्त पूँजी पाँच करोड़ रूपये से कम नहीं है, को आन्तरिक नियंत्रण के अनुपालन, इसकी पर्याप्तता और निदेशक मंडल के समक्ष वित्तीय प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने के पूर्व उसकी समीक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा समिति का गठन करना है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों में प्राप्त किए गए आठ सरकारी कम्पनियों के ऐसे नौ प्रतिवेदनों, जो कि वर्ष 2005–06 में अंतिम रूप दिए गए लेखाओं से सम्बन्धित है, के विश्लेषण से प्रकटित हुआ कि छह कम्पनिओं में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त थी। सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा पाई गई कमियाँ **परिशिष्ट–9** में निहित है।

[1] ऑकड़े अविभाजित बि.रा.वि.बो. के है।

[2] बोर्ड ने लेखापरीक्षा के उल्लेख पर लेखाओं का संशोधन किया।

[3] नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल निवल अधिशेष/हानि तथा लाभ एवं हानि लेखे पर प्रभारित ब्याज (पूँजीकृत ब्याज को घटाकर) के योग का द्योतक है।

लोक उपक्रम समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर विचार विमर्श की स्थिति

1.29 लोक उपक्रम समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर विचार विमर्श, लोक उपक्रम समिति में समीक्षाओं एवं कंडिकाओं पर विचार विमर्श की स्थिति सितम्बर 2006 तक निम्नलिखित है :

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में वर्णित समीक्षाओं एवं कंडिकाओं की संख्या		विचार विमर्श के किए गए समीक्षाओं एवं कंडिकाओं की संख्या	
	समीक्षायें	कंडिकायें	समीक्षायें	कंडिकायें
1981–82	5	8	1	8
1982–93	8	18	4	17
1983–84	4	34	2	29
1984–85	3	9	2	8
1985–86	3	21	–	18
1986–87	6	29	–	22
1987–88	5	23	2	17
1988–89	4	44	–	35
1989–90	6	48	–	36
1990–91	4	39	–	31
1991–92	4	49	1	34
1992–93	5	31	–	23
1993–94	3	32	–	28
1994–95	3	19	–	13
1995–96	3	21	–	14
1996–97	3	21	1	4
1997–98	2	25	–	1
1998–99	6	15	–	–
1999–2000	3	15	1	–
2000–01	2	13	–	–
2001–02	3	9	–	–
2002–03	3	7	–	–
2003–04	3	10	–	–
2004–05	3	9	1	1
कुल –	**94**	**549**	**15**	**339**

619–बी कम्पनियाँ

1.30 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–(बी) के अन्तर्गत आठ कम्पनियाँ थी, जिनमें से छः कम्पनियों ने प्रारम्भ से ही अपने लेखाओं का अन्तिमीकरण नहीं किया तथा सोन कमाण्ड एरिया डेवलपमेंट एजेन्सी (स्कादा) ने बंदी हेतु सितम्बर 2000 में माननीय उच्च न्यायाल, पटना में आवेदन दाखिल किया। इन कम्पनियों के नवीनतम लेखाओं के आधार पर प्रदत्त पूँजी, अंश पूँजी के रूप में निवेश, ऋण एवं अनुदानों तथा संक्षिप्त कार्यचालन प्रणाली की विस्तृत विवरणी **परिशिष्ट–10** में निहित है।

अध्याय – II

सरकारी कम्पनी से सम्बन्धित समीक्षा

2. *बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की अधिप्राप्ति एवं वितरण कार्यकलाप*

मुख्य अंश

खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति एवं वितरण के सम्बन्ध में कम्पनी का निष्पादन संतोषजनक नही रहा जैसे कि विभिन्न योजनाओं में कुल उठाव विशेष कर ए.पी.एल./बी.पी.एल. योजनाओं में कम रहा जहाँ 2001 से 2006 तक की अवधि में यह 0.16 से 5.71 प्रतिशत तक कम रही। कम्पनी ने ना ही अधिक आवंटन समर्पण किया और ना ही सुधारात्मक कार्यवाही के लिए कम उठाव के कारणों का विश्लेषण किया।

(कंडिका 2.6.2)

कम्पनी ने सरकार से प्रभावी रूप से सीमान्त राशि के पुनर्निर्धारण ए.ए.वाई. एवं बी.पी.एल. योजना में नहीं किया जिसके फलस्वरूप 54.06 करोड रूपये की हानि हुई।

(कंडिका 2.6.5 एवं 2.6.8)

एक योजना के खाद्यान्न को दूसरी योजना में विचलन करके कम्पनी ने 12.64 करोड रूपये के लाभ सरकारी परिदान की कीमत पर किया ।

(कंडिका 2.6.10, 2.6.12, 2.6.13)

अभिलेखों भण्डारण, संधारण व लेखे एवं भौतिक सत्यापन में आन्तरिक नियंत्रण के कार्यान्वयन के कमी के कारण 1.22 करोड़ रूपये के खाद्यान्नों के कर्मचारियों द्वारा दुर्विनियोजन में मदद मिली एवं 28.74 करोड़ रूपये के खाधान्न छः वर्षो से अधिक की अवधि तक अचन्न रहा और जिसका अस्तित्व/मानव उपयोगिता संदेहास्पद है।

(कंडिका 2.6.16 एवं 2.6.17)

कम्पनी ने 1.56 करोड़ रूपये का बिना खर्च के प्रमाण लिए गोदाम प्रबंधकों को भुगतान कर दिया। साथ ही कम्पनी ने परिवहन संविदाओं के अन्तिमीकृत करने एवं खाद्यान्न उठाने में देरी के कारण 57.25 लाख रूपये परिहार्य व्यय किया/सीमान्त राशि की हानि उठाई।

(कंडिका 2.6.18 एवं 2.6.15)

भारतीय खाद्य निगम से 76.62 लाख रूपये का अग्रिम उचित दावे प्रस्तुत न कर पाने के कारण वसूल नहीं हुआ जिसके परिणामस्वरूप 91.94 लाख रूपये के ब्याज की हानि हुई।

(कंडिका 2.6.19)

परिचय

2.1 बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (कम्पनी) का निगमीकरण अप्रील 1973 में सरकार के पूर्ण स्वामित्व कम्पनी के रूप में हुआ जिसका उत्तरदायित्व खाद्यान्नों के क्रय, परिवहन, संग्रहण, भंडारण अधिप्राप्ति और वितरण एवं खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति एवं आपूर्ति, मिलों की योजना एवं स्थापित करने या चावल व आटा मिलों को स्थापित करने में सहायता करने के सरकार के एजेंट के रूप में काम करने के लिए हुआ।

वर्तमान में कम्पनी का परिचालन सीमित था :

- सरकार की योजनाओं के लिये भारतीय खाद्य निगम (भा.खा.नि.) से खाद्यान्नों का अधिप्राप्ति करना एवं उनका उचित मूल्य की दुकानों व अन्य अभिकर्ताओं द्वारा जो जिला प्रशासन द्वारा अधिकृत हो, के माध्यम से वितरण करना,
- आवश्यक वस्तुओं का माडल उचित मूल्य की दुकानों एवं मोबाइल वैन द्वारा वितरण करना, और
- विभागीय भंडारों, तरलीय पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.) केन्द्रों, ईंधन स्टेशनों का संचालन, लेवी चीनी का वितरण एवं खाद्यान्नों का जेलों में आपूर्ति।

कम्पनी का प्रबंधन पांच निदेशको के निदेशक मंडल के साथ अध्यक्ष–सह–प्रबंध–निदेशक (सी.एम.डी.) में निहित है, और यह सभी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। सी.एम.डी. कम्पनी का मुख्य कार्यपालक है जिसकी सहायता दिन प्रतिदिन के कार्य में मुख्यालय पर तीन मुख्य प्रबंधकों, एक कम्पनी सेक्रेटरी एवं 35 जिला प्रबंधकों (प्रत्येक जिले में एक) द्वारा की जाती है।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र

2.2 जनवरी से जून 2006 के दौरान की गई वर्तमान लेखापरीक्षा कम्पनी की वर्ष 2005–06 तक के पांच वर्षो में सरकार की योजनाओं से सम्बन्धित खाद्यानों के अधिप्राप्ति एवं उनका वितरण मुख्यालय, 35 जिला में से नौ[1] जिला कार्यालयों के अभिलेखों के नमूना जांच पर आधारित है। जिला कार्यालयों का चयन भौगोलिक स्थिति एवं कार्य परिमाण पर आधारित है।

लेखापरीक्षा के उदेश्य

2.3 कम्पनी द्वारा खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति एवं वितरण की निष्पादन लेखापरीक्षा, यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कि :

- भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति एवं उनका वितरण उचित मूल्य की दुकानों एवं अन्य अभिकर्ताओं को किफायती, कुशलतापूर्ण एवं प्रभावी रूप से की गई थी,

[1] छपरा, गया, हजारीबाग, मधुबनी, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, एवं रॉची

- विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आवंटित खाद्यान्नों का शीघ्रतापूर्वक उठाव हुआ, ताकि आवंटित मात्रा की समाप्ति एवं कंपनी की सीमान्त अंशदान के घाटे को रोका जा सके।
- एक योजना के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न को अन्य उद्देश्यों के लिये विचलन नहीं किया गया;
- सरकार द्वारा निर्धारित सीमान्त राशि/कमीशन कम्पनी के प्रशासनिक व्यय के लिये पर्याप्त था,
- प्रबन्धन ने अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिये अच्छे कार्य प्रणाली को समन्यात्मक तरीके से योजनाबद्ध की है,
- उच्च प्रबंधन ने कम्पनी द्वारा गैर कानूनी कार्य न करने एवं वर्णित उद्धेश्यों के कुशलतापूर्वक प्रभावी एवं नियमबद्ध तरीके से प्राप्त करने के लिए पर्याप्त दूरदर्शिता अपनाया;
- परिवहन के वाह्य स्त्रोतों से लिये जाने वाले कार्य पारदर्शी तरीके से, प्रतिस्पर्धी दर सुनिश्चित करने के लिए किए गये,
- कम्पनी में निहित आन्तरिक नियंत्रण वित्तीय कम्पनी के हितों की सुरक्षा एवं खाद्यान्नों को अपयोजन/चोरी से बचाने की सुनिश्चितता प्रदान करते हैं।

लेखापरीक्षा का मापदण्ड

2.4 लेखापरीक्षा मे निम्न मापदण्ड अपनाये गये :

- निदेशक मंडल के निर्णय, परिपत्र;
- विभिन्न योजनाओं में खाद्यान्नों के अधिप्राप्ति एवं वितरण से सम्बन्धित राज्य/केन्द्र सरकार के दिशा निर्देश/अनुदेश,
- जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 में निहित प्रवधान

लेखापरीक्षा पद्धति

2.5 निम्न विधियों को मिश्रित रूप से प्रयोग में लाई गई :

- औपबंधित वित्तीय पत्रों, निकासी आदेश, रजिस्ट्र, मासिक विवरणी से आंकड़ो के एकत्रित करना एवं साक्ष्य प्राप्त करना,
- विभिन्न योजनाओं से सम्बन्धित खाद्यान्नो के आवंटन, उठाव एवं वितरण संबंधी अभिलेखों की जांच करना,
- भण्डार लेखा, क्रय पंजिका, एवं मासिक विपत्रों आदि,
- परिवहन अभिकर्ताओं की नियुक्ति से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच, निदेशक मंडल की बैठकों की कार्यसूची एवं कार्यवृत पुस्तक की जांच,
- कम्पनी द्वारा निर्धारित आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की जॉच,
- प्रबंधन से विचार–विमर्श।

2.6 लेखापरीक्षा का निष्कर्ष

लेखा परीक्षा निष्कर्ष को सरकार/प्रबंधन को जूलाई 2006 में प्रेषित की गई एवं 10 नवम्बर 2006 को आयोजित राज्य लोक उपक्रमों की लेखापरीक्षा समीक्षा समिति

(ए.आर.सी.पी.एस.ई.) की बैठक में विचार किया गया, जिसमें उप सचिव, खाद्य एवं नागरिक वितरण विभाग, ने सरकार का एवं प्रबंध निदेशक ने कम्पनी का प्रतिनिधित्व किया। समीक्षा को सरकार/प्रबंधन के विचार को समाहित करते हुये अन्तिमीकृत किया गया।

लेखा परीक्षा के निष्कर्षों को उत्तरवर्ती कंडिकाओं में वर्णित किया गया है :

खाद्यान्नों का आवंटन एवं उठाव

2.6.1 राज्य सरकार के अधिप्राप्ति, संग्रहण एवं वितरण अभिकर्ता होते हुए कम्पनी भारतीय खाद्य निगम से राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न[1] योजनाओं के अन्तर्गत मासिक/वार्षिक आवंटनों के विरूद्ध खाद्यान्न अधिप्राप्त करती है। कम्पनी अपने 35 जिला कार्यालयों द्वारा खाद्यान्नों के कीमत का भुगतान, निःशुल्क आपूर्ति खाद्यान्नों[2] के कीमत को छोड़कर, भारतीय खाद्य निगम को करती है एवं उनसे खाद्यान्नों के उठाव एवं विभिन्न उचित मूल्य की दुकानों एवं जिला प्रशासन द्वारा अधिकृत अभिकर्ताओं को वितरण करने के लिए निर्गत आदेश (आर.ओ.) प्राप्त करती है।

2.6.2 विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2000–2001 से 2005–2006 तक के वर्षो की खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण की स्थिति **परिशिष्ट–11** पर दर्शित है। परिशिष्ट से यह देखा जा सकता है कि :

सशुल्क खाद्यान्नों का उठाव कम्पनी एवं उचित मूल्य दुकान–व्यापारियों द्वारा कम रहा।

- विभिन्न योजनाओं में निःशुल्क निर्गत योग्य खाद्यान्नों का उठाव 70.68 एवं 94.16 प्रतिशत (अन्नपूर्णा) 71.75 एवं 99.30 प्रतिशत (ए.ए.वाई.), 50.47 एवं 190.32[3] प्रतिशत (एस.जी.आर.वाई.) और 47.62 एवं 75.90 प्रतिशत (एम.डी.एम.) के मध्य रहा जबकि सशुल्क खाद्यान्नों का उठाव 5.71 एवं 55.81 प्रतिशत (बी.पी.एल) और 0.16 एवं 0.84 प्रतिशत (ए.पी.एल.) के मध्य रहा,

आवंटन के विरूद्ध उठाव की कमी 16.18 से 24.25 लाख मी.ट. 2001–06 के अवधि में बढ़ गई।

- सभी योजनाओं में आवंटन के विरूद्ध उठाव की कमी हुई जो वर्ष 2001–02 में 16.18 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2005–06 में 24.25 लाख मीट्रिक टन हो गई।

लेखापरीक्षा जांच में उद्घाटित हुआ :

- कम्पनी एवं सरकार कुल उठाव में निरंतर गिरावट के कारणों को सुनिश्चित करने में असफल रही,
- तथापि प्रबंधन ने वर्षो से न उठाये जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा में निरंतर वृद्धि के बावजूद अधिक आवंटित कोटे को समर्पित नहीं किया,
- कम्पनी के मुख्यालय के पास वर्ष 2002–03 से 2005–06 तक की ए.पी.एल. की एवं 2000–01 से 2001–02 तक की एस.जी.आर.वाई. एवं एम.डी.एम. की आवंटन एवं उठान की सूचनायें नहीं थी।
- कम्पनी मुख्यालय पर ए.पी.एल. योजना से सम्बन्धित सूचनाओं का न होना अपर्याप्त अनुश्रण का द्योतक है।

[1] अंत्योदय अन्य योजना (ए.ए.वाई.) अन्नपूर्णा योजना, गरीबी रेखा के ऊपर (ए.पी.एल.) गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.,) मिड–डे मील (एम.डी.एम.) एवं सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.)

[2] अन्नपूर्णा, एम.डी.एम. एवं एस.जी.आर.वाई. योजनायें।

[3] भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसार, एज.जी.आर.वाई. योजना अन्तर्गत आर.ओ. दो वित्तीय वर्ष तक वैद्य है। 100 प्रतिशत से ज्यादा उठाव, पिछले वर्ष के उठाव को अगले वर्ष के उठाव में दर्शाता हैं।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2006) कि वर्ष 2005–06 में कम खरीद एवं कम उठाव का कारण विधान सभा चुनाव एवं भारतीय खाद्य निगम में खाद्यान्न की अनुपलब्धता थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है, भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध खाद्यानों के उठाव के लिए प्रबन्धन द्वारा तय समय सीमा में आवश्यक ट्रकों की उपलब्धता न करा पाना एवं आर.ओ. को प्राप्त करने में देरी ने भी कम उठाव में योगदान दिया।

योजनाओं का कम्पनी द्वारा क्रियान्वयन

कम्पनी ने वर्ष 2000–01 से 2005–06 के अवधि में छः योजनाओं को क्रियान्वित किया। योजनाओं के क्रियान्वयन में कमियां/दोष निम्न प्रकार विवेचित है :

अंत्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.) स्कीम

2.6.3 कम्पनी भारतीय खाद्य निगम से गेहूँ एवं चावल क्रमशः 210 रूपये एवं 315 रूपये प्रति क्वींटल अधिप्राप्त करती है एवं अधिकृत अभिकर्ताओं को वसूली दर से क्रमशः 187 रूपये एवं 287 रूपये प्रति क्वींटल की दर से "गरीबों में गरीब परिवार" में वितरण के लिये आपूर्ति करती है। सरकार 50 रूपये प्रति क्वींटल की दर से अधिप्राप्ति एवं विक्रय मूल्य के अन्तर और ढुलाई एवं वितरण व्यय के लिये कम्पनी को भुगतान करती है। लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया कि कम्पनी ने योजना को भली प्रकार क्रियान्वित नहीं किया जैसा कि निम्न कंडिकाओं में विवेचित है :

ए.ए.वाई. योजना के गेहूँ को निःशुल्क योजनाओं में निर्गत करने से हानि

2.6.4 वर्ष 2002–06 के दौरान, कम्पनी के मधुबनी जिला कार्यालय ने 14,437 क्वींटल गेहूँ जिसे ए.ए.वाई. योजना के अन्तर्गत 30.32 लाख रूपये के कीमत पर खरीदी गई थी उसे निःशुल्क योजनाओं यथा अन्नपूर्णा और एम.डी.एम. योजना में विचलन कर दिया गया। मूल्यांकित खाधानों को निःशुल्क योजनाओं में विचलन के परिणामस्वरूप कम्पनी को 30.32 लाख रूपये की हानि हुई।

अंत्योदय योजना अन्तर्गत खाद्यान्नों का निःशुल्क योजना अन्तर्गत निर्गमन से 30.32 लाख रूपये का हानि हुई।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2006) की अनाज को एक योजना से दूसरे योजना में विचलन एक अस्थायी वृत्ति है जिसे संग्रहण की समस्या एवं अनाज की गुणवता में क्षति से बचने के कारण की जाती है। प्रबंधन ने आगे बताया कि सम्बन्धित जिला प्रबंधकों को विचलन की भरपाई शीघ्र करने का आदेश दे दिया गया है। तथापि, जिला प्रबंधकों द्वारा विचलित अनाज की भरपाई किये जाने का कोई तथ्य अभिलेख में नहीं था (अक्टूबर 2006)।

ए.ए.वाई. योजना में सीमान्त राशि का पुनर्निधारण न करना

2.6.5 कम्पनी 27 रूपये एवं 22 रूपये प्रति क्वींटल का निविल सीमान्त राशि ए.ए.वाई. योजना के अन्तर्गत क्रमशः गेहूँ एवं चावल के संचालन, परिवहन व लाभ सीमान्त राशि के लिए प्राप्त कर रही थी। लेखापरीक्षा जांच में उद्घाटित हुआ कि बी.पी.एल. योजना का सीमान्त राशि 35 रूपये प्रति क्वींटल गेहूँ व चावल दोनों के लिए उस समय के 25.35 रूपये एवं 23.75 रूपये प्रति क्वींटल क्रमशः गेहूँ व चावल दोनों के स्थान पर संशोधित किया गया (नवम्बर 2002)। सरकार ने अन्य कल्याणकारी योजनाओं यथा एम.डी.एम. एवं एस.जी.आर.वाई. के लिए सीमान्त राशि को 37 रूपये प्रति क्वींटल भुगतान किया। तथापि, प्रबंधन द्वारा नवम्बर 2002 के बाद ए.ए.वाई. योजना में सीमान्त राशि संशोधीत करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रबंधन द्वारा सीमान्त राशि में संशोधन के लिए कोई प्रयास न कर के पुराने सीमान्त राशि को

अंत्योदय योजना अन्तर्गत कम सीमान्त राशि स्वीकार करने से 22.86 करोड़ रूपये की हानि हुई।

स्वीकार करने के कारण कम्पनी को वर्ष 2002–03 से 2005–06 के अवधि के दौरान 22.86 करोड़[1] रूपये की हानि हुई।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2006) कि कम्पनी ने 35 रूपये प्रति क्वींटल का सीमान्त राशि गेहूँ व चावल दोनों के लिए प्रस्तावित किया था (अक्टूबर 2001) किन्तु सरकार ने गेहूँ के लिए 27 रूपये प्रति क्वींटल व चावल के लिए 22 रूपये प्रति क्वींटल सीमान्त राशि पारित किया। प्रबंधन ने आगे बताया कि ए.ए.वाई. सरकार की कल्याणकारी योजना है। प्रबंधन ने आगे बताया कि (सितम्बर 2006) सीमान्त राशि 33.00 रूपये एवं 31 रूपये प्रति क्वींटल क्रमशः चावल व गेहूँ के लिए पुनः निर्धारित कर दिया गया है। उत्तर निम्न कारणों से तर्कसंगत नहीं थे :

- कम्पनी लगातार क्षति उठाने के बावजूद नवम्बर 2002 के बाद सीमान्त राशि को बी.पी.एल. योजना के समतुल्य करने के लिये मामले को सरकार के समक्ष नहीं ले गई,
- एम.डी.एम. एवं एस.जी.आर.वाई. भी सरकार की कल्याणकारी योजना है जहाँ कम्पनी सीमान्त राशि 37 रूपये प्रति क्वींटल प्राप्त करती है,
- गेहूँ एवं चावल के सीमान्त राशि क्रमशः 27 रूपये एवम् 22 रूपये से बढ़ कर 31 एवम् 33 रूपये प्रति क्वींटल होने का प्रमुख कारण मूल्य वर्द्धित कर में चार से एक प्रतिशत कमी थी ना कि मूल सीमान्त राशि सरकार द्वारा बढ़ाया जाना था। मूल्य वर्द्धित कर में कमी का लाभ अन्तिम प्रयोगकर्ता को प्राप्त होना था ना कि कम्पनी को। जिसने इस लाभ को अपने सीमान्त राशि में समाहित कर लिया।

मॉग से अधिक क्रय

2.6.6 दो जिला कार्यालयों[2] ने वर्ष 2001–02 से 2005–06 की अवधि में उचित मूल्य के दुकानदारों से जमानत राशि प्राप्त किये बिना 2.09 करोड़ रूपये मूल्य के 48,572 एवं 33,893 क्वींटल गेहूँ का क्रय किया।

2.09 करोड़ रूपये मूल्य के खाद्यान्नों का उचित मूल्य दुकान–व्यापारियों से बिना अग्रिम पाये क्रय।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2006) कि कभी–कभी जिला प्रबंधकों द्वारा वितरण व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिये उचित मूल्य व्यापारी से जमानत राशि प्राप्त किये बिना खाद्यान्न क्रय किया जाता है। प्रबंधन ने आगे बताया कि अग्रिम क्रय किये गये खाद्यान्न की आपूर्ति उचित मूल्य के दूकानदारों को अगले महीने के आवंटन के विरूद्ध कर दी गई। उत्तर तर्कसंगत नहीं थे क्योंकि अतिरिक्त क्रय किये गये खाद्यान्नों का अगामी माह के विनियोजन के विरूद्ध समायोजन को दर्शाने वाले अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। आगे, जैसा कि कंडिका 2.6.12 एवं 2.6.13 में वर्णित है अतिरिक्त क्रय कम्पनी द्वारा जेल एवं अन्य योजनाओं में अपर्वतन कर दिया गया जिससे अधिक लाभ हो।

गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) योजना

2.6.7 राज्य सरकार बी.पी.एल. लाभार्थियों को वितरण हेतु गेहूँ एवं चावल का जिलेवार आवंटन करती हैं। कम्पनी, उचित मूल्य के दूकानदार–व्यापारियों से अग्रिम राशि प्राप्त कर भारतीय खाद्य निगम से 435.75 रूपये प्रति क्वींटल एवं 583.08 रूपये प्रति क्वींटल की दर से खाद्यान्न अधिप्राप्त करती है एवं उसका वितरण उचित मूल्य के

[1] 80 रूपये प्रति टन की दर से 12,90,643 टन गेहूँ एवं 130 रूपये प्रति टन की दर से 9,64,708 टन चावल (सीमान्त राशि के अन्तर को मानते हुये)।

[2] मधुबनी (चावल 31,136 कुन्टल गेहूँ एवं चावल 19,770 कुन्टल चावल) और मुफ्फरपुर (17,436 कुन्टल गेहूँ एवं 14,123 कुन्टल चावल)

दूकानदार–व्यापारी को उनके आवंटित मात्रा के विरूद्ध क्रमशः 470.75 रूपये एवं 618.08 रूपये प्रति क्वींटल की दर से करती हैं। कम्पनी 35 रूपये प्रति क्वींटल के सीमान्त राशि प्राप्त करती है। लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया कि कम्पनी ने हानि होने के बावजूद झारखण्ड सरकार से सीमान्त राशि बढ़ाने का मामला नहीं लिया एवं खाद्यान्न का क्रय उचित मूल्य के दूकानदारों से अग्रिम राशि प्राप्त किये बिना किया, जैसा कि निम्न विवेचित है :

बी.पी.एल. योजना के लिए निम्न सीमान्त राशि का निर्धारण

कम्पनी ने झारखण्ड सरकार से सीमान्त राशि के पुनर्निधारण का अनुसरण नहीं किया। पुनर्निधारण न होने से कम्पनी को 31.20 करोड़ रूपये की हानि हुई।

2.6.8 कम्पनी 35 रूपये प्रति क्वींटल की दर से सीमान्त राशि पर बिहार में बी.पी.एल. योजना के कियान्वयन 13 नवम्बर 2002 से कर रही थी जबकि यह गेहूँ व चावल के लिए क्रमशः 29.15 रूपये प्रति क्वींटल एवं 27.30 रूपये प्रति क्वींटल झारखण्ड सरकार से प्राप्त कर रही थी। बिहार सरकार द्वारा नवम्बर 2002 में सीमान्त राशि के पुनर्निधारण के बाद प्रबन्ध ने झारखण्ड सरकार से मामले का अनुसरण नहीं किया। फलस्वरूप, सीमान्त राशि का बिहार सरकार के समतुल्य न करने के कारण कम्पनी को 2003–04 से 2005–06 के अवधि में 69.36 लाख क्वींटल एवं 40.22 लाख क्वींटल गेहूँ एवं चावल के विक्रय (झारखण्ड में) पर 31.20 करोड़ रूपये राजस्व की हानि हुई।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2006) कि उन्होंने झारखण्ड सरकार से सीमान्त राशि बढ़ाने के लिये निवेदन किया था (अक्टूबर 2001) किन्तु कम्पनी के प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकार नहीं किया। उत्तर तर्कसंगत नहीं थे क्योंकि कम्पनी ने बिहार सरकार द्वारा नवम्बर 2002 में सीमान्त राशि बढ़ाये जाने के बाद झारखण्ड सरकार से मामला का अनुसरण नहीं किया, यद्यपि कम्पनी लगातार हानि वहन कर रही थी।

बी.पी.एल. चावल का उचित मूल्य के दुकान–व्यापारियों से प्राप्त जमा राशि से अधिक क्रय किया जाना

उचित मूल्य दूकान–व्यापारियों से बिना अग्रिम पाये 1.38 करोड़ रूपये के खाद्यान्नों का क्रय।

2.6.9 दो जिला कार्यालयों[1] 2001–02 से 2005–06 के अवधि में 23,659 क्वींटल चावल 1.38 करोड़ रूपये मूल्य का क्रय, उचित मूल्य दूकान–व्यपारियों से बिना जमा राशि प्राप्त किये किया।

प्रबन्धन ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2006) कि जिला प्रबंधकों द्वारा कभी–कभी वास्तविक जमानत प्राप्त किये बिना खाद्यान्न का क्रय आपूर्ति को सुचारू बनाये रखने के लिए की जाती है। प्रबंधन ने आगे बताया कि अग्रिम क्रय किये गये खाद्यान्नों की आपूर्ति उचित मूल्य दुकान–व्यापारियों को अगले महीने के आवंटन के विरूद्ध कर दी गई। उत्तर तर्कसंगत नहीं थे क्योंकि अतिरिक्त क्रय दिये गये खाद्यान्न का अगले माह के विनियोजन के विरूद्ध समायोजन के दर्शाने वाले अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। आगे जैसा कि कंडिका 2.6.12 एवं 2.6.13 में वर्णित है अतिरिक्त क्रय कम्पनि द्वारा जेल एवं अन्य योजनाओं में विचलन कर दिया गया जिससे अधिक लाभ हो।

एम.डी.एम. योजना के गेहूँ का विचलन

2.6.10 कम्पनी स्कूलों में निःशुल्क वितरण हेतु जिलावार आवंटित गेहूँ व चावल भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त करती है। कम्पनी 37 रूपये प्रति क्वींटल की दर से सीमान्त राशि संचालन, संग्रहण एवं वितरण हेतु प्राप्त करती है।

[1] मधुबनी (17,526 कुन्टल) और मुजफ्फरपुर (6,133 कुन्टल)

लेखापरीक्षा में उद्घाटित हुआ कि कम्पनी ने 33,825 क्वींटल गेहूँ एवं 9,000 क्वींटल चावल जो कि गया एवं पटना के गोदामों में था का विक्रय 2001–02 के अवधि में बी.पी.एल. योजना[1] के अन्तर्गत किया।

कम्पनी ने एम.डी.एम. गेहूँ की बी.पी.एल. योजना में विक्रय करके 2.15 करोड़ रूपये का लाभ अर्जित किया।

कम्पनी ने परिणामस्वरूप 2.15 करोड़ रूपये[2] का लाभ एम.डी.एम. खाद्यान्न योजना पर जो कि स्कूल के बच्चे के लिए था, केन्द्रीय परिदान की कीमत पर अर्जित किया और अपने पास रखा।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2006) कि खाद्यान्न कम्पनी के गोदाम में पड़ा था एवं खाद्यान्न की गुणवता में गिरावट व भण्डारण की समस्या के कारण खाद्यान्नों का विचलन किया गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं थे। खाद्यान्नों का एकत्रित होना, जैसा खाद्यान्नों का अधिक क्रय या वितरित न किया जाना दर्शाता है, और जिसे खाद्यान्नों के उठाव में बेहतर योजना, प्रबंधन द्वारा उचित अनुश्रवण व जिला प्रशासन से समन्वय द्वारा बचाया जा सकता था।

गरीबी रेखा से ऊपर (ए.पी.एल.) योजना

2.6.11 केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को आवंटन के विरूद्ध, खाद्यान्न विमुक्ति होती है जिसे गरीबी रेखा से ऊपर के कार्डधारकों को आपूर्ति की जाती है। राज्य सरकार खाद्यान्न का सम्पूर्ण कोटा विभिन्न जिलों में पुर्ननियोजित करती है। कम्पनी आवंटन के आधार पर भारतीय खाद्य निगम से गेहूँ एवं चावल क्रमशः 640.50 रूपये एवं 834.75 रूपये प्रति क्वींटल की दर पर अभिप्राप्त करती है तथा उसका विक्रय उचित मूल्य दुकान–व्यापारियों को क्रमशः 661.50 रूपये एवं 857.35 रूपये प्रति क्वींटल की दर पर करती है। राज्य सरकार इस योजना में कोई परिदान नहीं देती है। लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि कम्पनी ने ए.पी.एल. खाद्यान्न को जेल एवं अन्य योजनाओं में विचलित किया जैसा कि निम्न कंडिकाओं में विवेचित है :

खाद्यान्नों का जिला जेलों मे विचलन

2.6.12 कम्पनी ने राज्य की जिला जेलों में विभिन्न सामग्रियों की आपूर्ति के लिए जिसमें गेहूँ एवं चावल सम्मिलित है, एक अनुबन्ध निष्पादित किया। अनुबन्ध के अन्तर्गत, कम्पनी सम्बन्धित जिला के ए.पी.एल. कोटा के विरूद्ध भारतीय खाद्य निगम से गेहूँ और चावल क्रय करती है, तथा जिला के जेलों को आपूर्ति करती है और उसपर ए.पी.एल. के निर्धारित मूल्य पर 7 प्रतिशत का लाभ अर्जित करती है। लेखा परीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 9,582 क्वींटल गेहूँ एवं 2,867 क्वींटल चावल अन्य योजनाओं से विचलित[3] कर दिया गया और जेलों को विक्रय किया गया, जो कि निर्धारित लाभार्थियों के लिए था। और इस प्रकार कम्पनी ने 26.84[4] लाख रूपये का अतिरिक्त लाभ सृजित किया।

कम्पनी ने सरकारी परिदान के कीमत पर 26.84 लाख रूपये अर्जित किया।

जिला प्रबंधक, मधुबनी ने बताया (सितम्बर 2006) कि ए.पी.एल. योजना में आवंटन न होने के कारण अन्य योजनाओं के आवंटित खाद्यान्न को जेलों को बेचा गया। वस्तुस्थिति यह है कि कम्पनी ने गरीबों के लिए उपलब्ध सरकारी परिदान के मूल्य पर लाभ अर्जित किया।

[1] 32,483 एवं 13,384 क्वींटल गेहूँ क्रमशः गया एवं पटना द्वारा एवं 9000 क्वींटल चावल गया द्वारा

[2] (33,825 क्वींटल गेहूँ × 470.75 रूपये प्रति क्वींटल = 1.59 करोड़ रूपये) + (9,000 क्वींटल चावल × 618.08 रूपये प्रति क्वींटल = 0.56 करोड़ रूपये) = कुल 2.15 करोड़ रूपये

[3] छपरा, हाजारीबाग एवं मधुबनी जिला कर्यालय

[4] ए.पी.एल. एवं बी.पी.एल. के क्रय मूल्य के अन्तर पर गणना

एक योजना से दूसरी योजना में खाद्यान्नों का विचलन

2.6.13 विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत क्रय एवं विक्रय मूल्य परिवर्तित होती तथा सरकार परिदान की मात्रा। अन्नपूर्णा, एम.डी.एम. एवं एस.जी.आर.वाई. जैसी योजनान्तर्गत खाद्यान्नों की आपूर्ति कम्पनी को निःशुल्क होती है।

लेखापरीक्षा जॉच में उद्घाटित हुआ कि 2001–02 से 2005–06 की अवधि में कम्पनी निरन्तर एक योजना से दूसरी योजना में खाद्यान्नों का विचलन पुस्तक समायोजन द्वारा करती रही बिना उस योजना को पूर्ण किये हुए कि जहॉ से विचलन किया गया। इस प्रकार इकाईवार विचलन **परिशिष्ट–12** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा ने निम्न अनियमितायें पायी :

- कम्पनी ने 75,610 क्वींटल (29,672, 1,924, 41,757, 1,532 एवं 725 क्वींटल ए.ए.वाई., अन्नापूर्णा, बी.पी.एल., एम.डी.एम. एवं एस.जी.आर.वाई. योजनाओं से) गेहूँ एवं 8,224 क्वींटल (4,163, 298 एवं 3,763 क्वींटल ए.ए.वाई, अन्नपूर्णा एवं एस.जी.आर.वाई. योजना से) चावल विचलित किया एवं उसे ए.पी.एल. योजना में विक्रय किया।

- कम्पनी ने 40,261 क्वींटल गेहूँ (24,261, 3,163, 9,522, 12 एवं 3,303 क्वींटल ए.ए.वाई., अन्नपूर्णा, एम.डी.एम., सहायता एवं एस.जी.आर.वाई. योजना) एवं 1.10 लाख क्वींटल (31,293, 1,570, 39,427 एवं 37,885 क्वींटल ए.ए.वाई., अन्नपूर्णा, एम.डी.एम. एवं एस.जी.आर.वाई. योजना से) चावल विचलित किया एवं उसका विक्रय बी.पी.एल. योजना में किया।

- कम्पनी ने 7,772 क्वींटल एम.डी.एम. (5,236 क्वींटल) एवं एस.जी.आर.वाई. (2,536 क्वींटल) चावल अन्नपूर्णा योजना में एवं 3,000 क्वींटल एम.डी.एम. गेहूँ ए.ए.वाई. योजना में विक्रय किया।

कम्पनी ने खाद्यान्नों के विचलन करके, विक्रय पर 10.22 करोड़ रूपये का लाभ अर्जित किया।

उपरोक्त विचलनों के परिणामस्वरूप कम्पनी ने 10.22 करोड़ रूपये का लाभ अर्जित किया जैसा कि **परिशिष्ट–12** में दर्शाया गया है। यद्यपि प्रबंधन खाद्यान्नों के इस प्रकार का विचलन, जो निरन्तर वर्षो से हो रहे थे, से भली प्रकार अवगत था परंतु इसकी सूचना निदेशक मंडल व सरकार को नहीं दी गई।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2006) कि उसके पास भण्डारण क्षमता सीमित है एवं उसके पास सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सभी खाद्यान्नों के निश्चित समय सीमा में उठाव व वितरण का दायित्व है, इसलिये व्यापारियों/अभिकर्ताओं को उनकी मांग के आधार पर पुस्तक समायोजन द्वारा खाद्यान्न निर्गत किया जाता है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि खाद्यान्नों का एक योजना से दूसरी योजना में पुस्तक समायोजन द्वारा विचलन व अपनी उस योजना को पूर्ति न किया जाना जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) अधिनियम, 2001 एवं प्रबंधन द्वारा जिला प्रबंधकों को पुस्तक समायोजन न किये जाने का आदेश का उल्लंघन है, साथ ही खाद्यान्नों का विचलन कम्पनी को सरकारी परिदान की कीमत पर अतिरिक्त निधि अर्जित कराता है।

उचित मूल्य दुकान – व्यापारियों से अग्रिम के रूप में 82.96 करोड़ प्राप्त करने के बाद खाद्यान्नों की आपूर्ति में विफलता।

उचित मूल्य दूकान–व्यापारियों को अवरूद्ध आपूर्ति

2.6.14 कम्पनी के पास अवशेष के रूप में 82.96 करोड़[1] रूपये है (31 मार्च 2005 तक) जो उचित मूल्य दूकान–व्यापारियों से खाद्यान्नों के मूल्य के विरूद्ध प्राप्त है और उन्हें ए.ए.वाई. व बी.पी.एल. योजना के अन्तर्गत आपूर्ति नही की गई। इसके परिणामस्वरूप लाभार्थियों को उस महीने में खाद्यान्नों के आपूर्ति से वंचित रखा गया। कम्पनी ने पुराने जमा को समीक्षा करके उनके समायोजन/वापसी के लिये कोई तंत्र विकसित नहीं किया।

कम्पनी ए.आर.सी.पी.एस.ई. बैठक (10 नवम्बर 2006) के दौरान पुराने प्रकरणों की समीक्षा करने व उन्हें वापसी के लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को सूचित करने के लिए सहमत हुई।

खाद्यान्नों का परिवहन एवं संचालन

2.6.15 भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से कम्पनी के गोदामों तक खाद्यान्नों का परिवहन कम्पनी द्वारा वार्षिक दरो पर संविदा के आधार पर नियुक्त परिवहन अभिकर्ताओं (टी.एस.) द्वारा की जाती है। परिवहन अभिकर्ताओं की नियुक्ति खुली निविदा के आधार पर इस उपबन्ध के साथ की जाती है कि उनका कार्यकाल दो वर्ष के लिये बिना निविदा आमंत्रित किये बढाया जा सकता है। परिवहन अभिकर्ताओं की दर संविदा का अन्तिमीकरण करने में अक्सर देर होती है। दर–संविदा के अभाव में जिला प्रबंधकों द्वारा बाजार से ट्रक किराये पर लेकर परिवहन की जाती है जिसे "विभागीय परिवहन" में वर्गीकृत किया जाता है। लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया कि परिवहन अभिकर्ताओं की नियुक्ति में पारदर्शिता नहीं थी एवं कम्पनी द्वारा प्रतिस्पर्धी दर नहीं प्राप्त किये गये थे, जो उच्च प्रबंधन के योजनागत एवं अनुश्रवण के अभाव को दर्शाती है जैसा कि आगे वर्णित है :

- जिला कार्यालय, गया द्वारा वर्ष 2002–03 में अन्तिमीकृत किया गया परिवहन दर संविदा 2003–04 एवं 2004–05 तक बढ़या गया। छपरा जिला कार्यालय, ने 2003–04 के दौरान दर संविदा को उस वर्ष की दर पर 2004–05 तक बढ़ाया जो प्रचलित बाजार मूल्य से अधिक था। उक्त दोनों कार्यालयों द्वारा वर्ष 2005–06 में खुली निविदा के आधार, अन्तिमीकृत चालू दर संविदा से कम थी। इस प्रकार, बिना खुली निविदा आमंत्रित किये दर संविदा को बढ़ाये जाने से कम्पनी को 21.92 लाख[2] रूपये का अतिरिक्त व्यय हुआ। लेखापरीक्षा ने देखा कि विद्यमान ठेकेदारों ने भी वर्ष 2005–06 के लिए कम दरें बताये। प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2006) परिवहन की लागत प्रति वर्ष ईंधन आदि की लागत में वृद्धि के कारण बढ़ती है। इस प्रकार पिछले वर्ष की दरों पर दर संविदा बढ़ाये जाने से हानि का प्रश्न नहीं उठता। उत्तर इस विचार से तर्कसंगत नहीं है क्योंकि संविदायें बाद की खुले संविदा में प्राप्त दर से उच्च दरों पर बढ़ायी गई थी। इस प्रकार खुली संविदा प्राप्त किये बिना दर संविदा बढ़ाये जाने से 21.92 लाख रूपये की हानि हुई।
- जिला परिवहन कमिटी (डी.टी.सी.) ने वर्ष 2004–05 में प्राप्त दो वैध प्रस्तावों में से श्री गजेन्द्र दुबे (जिला कार्यालय, मुजफ्फरपुर) को परिवहन आदेश देने की संस्तुति की। परिवहन दरों को डी.टी.सी. द्वारा अन्तिमीकृत करने में छः महीने के देरी होने से कथित परिवहन अभिकर्ता ने अपने दिये दर पर कार्य करने से

[1] 2004–05 के औपबन्धित लेखाओं के अनुसार

[2] 6.57 लाख रूपये छपरा एवं 15.35 लाख रूपया गया द्वारा

मना कर दिया। प्रबन्धन ने बिना डी.टी.सी. के पुनः अनुमोदन प्राप्त किये श्री सुरेन्द्र दुबे, जिसने उच्च दर उद्धृत किये थे, को आदेश दे दिया। बोली को अन्तिमीकृत करने में देरी एवं उच्च दरों को स्वीकार करने के कारण कम्पनी को 16.18 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। आगे यह भी देखा गया कि कम्पनी ने दोषी परिवहन अभिकर्ता की जमानत राशि 6.00 लाख रूपये को जब्त भी नहीं किया जबकि संविदा की दरें दर जमा करने से एक वर्ष तक मान्य थी, इस प्रकार बोलीकर्ता को अमान्य लाभ पहुँचाया गया।

कम्पनी ने परिवहन एवं हस्तलन पर 57.25 लाख रूपये का अतिरिक्त खर्च किया।

- विभिन्न योजनाओं में आवंटित खाद्यान्नों को कम्पनी द्वारा एक निश्चित अवधि में उठाना होता है। संविदा के अनुसार परिवहन अभिकर्ता द्वारा प्रचुर मात्रा में ट्रक प्रदान करना होता है ताकि खाद्यान्नों का उठाव हो सके, जिसके लिए भारतीय खाद्य निगम आर.ओ. निर्गत करता है।यह देखा गया कि परिवहन अभिकर्ता[1] द्वारा वांछित संख्या में ट्रक उपलब्ध नही कराने के कारण 77,000 क्वींटल आवंटित खाद्यान्नों का उठाव कालातीत हो गया। इससे कम्पनी को 13.09 लाख रूपये सीमान्त राशि की हानि हुई साथ ही लक्ष्य–में–निहित लाभार्थियों को खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं हो सकी। संविदा में दण्डात्मक प्रावधान न होने के कारण, कम्पनी ट्रान्सपोर्टरों से हानि की भरपाई भी नही कर सकी। प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2006) कभी–कभी भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्न की अनुपलब्धता के कारण आर.ओ. कालातीत हो जाते हैं। इस प्रकार यह सच नहीं है कि आर.ओ., परिवहन अभिकर्ता द्वारा चूक के कारण कालातीत होते हैं। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि कम्पनी ने स्वयं अभिलेख में अंकित किया है कि परिवहन अभिकर्ता द्वारा वांछित ट्रकों को ना लगाये जाने के कारण आवंटित खाद्यान्न कालातीत हुए।

- मधुबनी जिला कार्यालय द्वारा 2004–05 अवधि के लिए, परिवहन कार्य हेतु, परिवहन अभिकर्ता के साथ, कम्पनी के सीलिंग दर से 9 प्रतिशत कम पर दर अन्तिमीकृत किया। लेखापरीक्षा जॉच में यह पाया गया कि कम्पनी ने 2005–06 की दरें अन्तिमीकृत करने में देरी की। परिणामस्वरूप परिवहन का कार्य अप्रील से जून 2005 तक विभागीय किया गया। गोदाम प्रबंधकों को दी गई दरें कम्पनी के सीलिंग दरों से 25 प्रतिशत अधिक थीं। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 2005–06 की अवधि में खुली संविदा द्वारा प्राप्त परिवहन दर कम्पनी के सीलिंग दर से 15 प्रतिशत कम थी। लेखापरीक्षा में आगे यह भी देखा गया कि मुख्यालय द्वारा निविदा के माध्यम से वर्ष 2005–06 के लिए, अन्तिमीकृत दर से 40 प्रतिशत (25+15) अधिक दर की अनुमति देने के कारण 6.06 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय हुआ । प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2006) कि मधुबनी कार्यालय द्वारा विभागीय परिवहन विपत्रों के भुगतान कम्पनी के मानकों के अनुरूप था। प्रबंधन ने आगे बताया कि खुले बाजार की निविदायें एवं विभागीय परिवहन विपत्रों को "मिलाया" नहीं जाना चाहिये। उत्तर तर्कसंगत नहीं थे क्योंकि समय से परिवहन अभिकर्ताओं के दरों को अन्तिमीकृत करके कम्पनी 6.06 लाख रूपये के अतिरिक्त व्यय से बच सकती थी।

अचल/भण्डार की कमी

2.6.16 लेखापरीक्षा जांच में उद्घाटित हुआ कि 28.74 करोड़ रूपये लागत की अनेक वस्तुएँ जैसे कि खाद्यान्न, चाय, पाम ऑयल, अभ्यास–पुस्तिकाएँ आदि गया एवं पटना जिला कार्यालयों में छः वर्षो से भी अधिक समय से अचल पड़ी हुई थीं जैसे कि

[1] पटना एवं राँची

परिशिष्ट–13 में दर्शाया गया है। तथापि प्रबन्ध द्वारा सम्बन्धित भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2006) कि अचल वस्तुओं के भौतिक सत्यापन के लिये कार्रवाई की गई है। तथापि, वस्तुओं के अस्तित्व से सम्बंधित साक्ष्य नहीं दिये गये। इस प्रकार वस्तुओं की चोरी होने/मूल्य कम होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

खाद्यान्नों का गबन/चोरी

2.6.17 कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा समीक्षा की अवधि में किये गये गबन/चोरी के दृष्टांत निम्न तालिका में दर्शित है :

जिला कार्यालय	खाद्यान्न		आंका गया मूल्य (रूपये लाख में)	गबन की अवधि
	गेहूँ	चवल		
मधुबनी	2,653.55	3,762.63	51.45	2001–02 से 2003–04
मुंगेर	3,910.55	1,589.28	44.78	दिसम्बर 02 से जून 04
हजारीबाग	257.34	2,297.48	26.20	फरवरी 03 से नवम्बर 04
कुल	6,821.44	7,649.39	122.43	

आन्तरिक नियंत्रण की विफलता से 1.22 करोड़ रूपये मूल्य के खाधान्न का कर्मचारियों द्वारा गबन हुआ।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि निर्धारित आन्तरिक नियंत्रण की अनदेखी जिसमें शामिल है– गोदाम प्रबंधकों द्वारा जिला कार्यालय को मासिक भण्डार प्रपत्र जमा करना, भण्डार में उपलब्ध भण्डार का निर्गत भण्डार आदेश (एस.आई.ओ.) के साथ समाधान, जिला प्रबंधकों द्वारा आकस्मिक भौतिक सत्यापन, जिला आपूर्ति पदाधिकारियों द्वारा समय–समय पर जॉच, के कारण 6,821.44 क्वींटल गेहूँ एवं 7,649.39 क्वींटल चावल जिसका मूल्य 1.22 करोड़ रूपये था, कर्मचारियों द्वारा गबन/चोरी कर ली गई। प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2006) कि कर्मचारियों के विरूद्ध आवश्यक आपराधिक एवं सिविल मुकदमें दायर किये गये हैं।

अभिलेखीय साक्ष्य के बिना व्यय को प्रतिपूर्ति करना :

2.6.18 परिवहन अभिकर्ताओं से किसी अनुबन्ध के अभाव में, गोदाम प्रबंधको द्वारा परिवहन एवं संचालन का कार्य खुले बाजार से ट्रक किराये पर लेकर किया जाता है। मुख्यालय द्वारा इसकी अनुमति निर्धारित सीलिंग दर पर दी जाती है। कम्पनी, गोदाम प्रबंधकों को, अग्रिम राशि अंशव्यय के लिये प्रदान करती है, जो बाद में अन्तिम विपत्र प्रस्तुत करने पर समायोजित होता है। लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया कि कम्पनी ने 1.56 करोड़[1] रूपये का अन्तिम निपटारा बिना विपत्र/प्राप्त राशि विपत्र प्राप्त किये, ट्रान्सपोटरों, अन्य एजेंसी या अन्य व्यक्ति को कर दिया। प्रबंधन ने ए.आर.सी.पी.एस.ई. बैठक में (10 नवम्बर 2006) भुगतान के प्रमाण प्राप्त करने के प्रणाली लागू करने का आश्वासन दिया।

कम्पनी ने गोदाम प्रबंधकों को बिना खर्च के साक्ष्य प्रस्तुत किए 1.56 करोड़ रूपये का भुगतान किया।

भारतीय खाद्य निगम को उचित दावा प्रस्तुत न करने से अग्रिम की वसूली न होना

2.6.19 कम्पनी भारतीय खाद्य निगम को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत खाद्यान्न की लागत का अग्रिम भुगतान करती है और आर.ओ. प्राप्त करती है। आर.ओ. में निर्दिष्ट सम्पूर्ण मात्रा का उठाव/आपूर्ति न होने की दशा में भारतीय खाद्य निगम अधिक राशि को वापस करती है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि, पटना जिला कार्यालय में 76.62

उचित दावा न प्रस्तुत करने से 76.62 लाख रूपये अग्रिम की वसूली नहीं हुई।

[1] 40.26 लाख रूपये छपरा, 15.16 लाख रूपये मधुबनी, 17.57 लाख रूपये मुंगेर, 43.38 लाख रूपये पटना एवं 39.13 लाख रॉची द्वारा

लाख रूपये भारतीय खाद्य निगम से बिना वसूली के विगत दस वर्षो से भी अधिक समय से पड़ी है क्योंकि प्रबंधन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दावा प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः प्रबंधन के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में समय से दावा न प्रस्तुत करने के कारण वसूली की सम्भावना नगण्य रह गई है और इसके परिणामस्वरूप 91.94 लाख[1] रूपये के ब्याज की भी हानि हुई। प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2006) कि भारतीय खाद्य निगम से दावे का निपटारा करने के लिए हर सम्भव प्रयास किये गये और दावों का निपटारा करने के लिए उच्चाधिकारियों की बैठक आयोजित की जा रही है। तथापि, तथ्य यह है कि कम्पनी की निधि विगत दस वर्षो से भी अधिक समय से अनुसरण न करने के कारण अवरूद्ध है।

मूल्य वर्द्धित कर लगने से 90.90 लाख रूपये की हानि

बढ़ी हुई मूल्य वर्द्धित कर की प्रतिपूर्ति सरकार से या उचित मूल्य दूकान – व्यापारियों से नहीं करने के कारण कम्पनी को 90.90 लाख रूपये की हानि हुई।

2.6.20 ए.पी.ल. एवं बी.पी.एल. खाद्यान्नों का क्रय एवं विक्रय का नियमन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। कम्पनी संचालन, वितरण एवं भण्डारण के लिए निश्चित सीमान्त राशि पाती है जो भारत सरकार एवं राज्य सरकार के कीमत तंत्र पर निर्भर करती है। मूल्य वर्द्धित कर (वी.ए.टी.) बिहार में अप्रैल 2005 से लागू हुआ, उचित मूल्य दुकान–व्यापारियों को निर्गत मूल्य कम्पनी द्वारा अपने सीमान्त राशि को ध्यान में रखते हुए पुनः निर्धारण करना चाहिये था। तथापि यह 31 मार्च 2006 तक नहीं किया गया था। कम्पनी ने अप्रील 2005 से मार्च 2006 की अवधि में, जिला कार्यालय द्वारा खाद्यान्नों के विक्रय पर 90.90 लाख रूपये मूल वर्द्धित कर के रूप में भुगतान किया जिसकी प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा नहीं की गई, जिसके कारण कम्पनी को हानि हुई। प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2006) कि कम्पनी ने योजना बनाई है कि सरकार से सीमान्त राशि पर क्षति, जो मूल वर्द्धित कर के भुगतान के कारण हुई, की क्षतिपूर्ति हेतु निवेदन किया जाय। फिर भी वस्तुस्थिति यह है कि कम्पनी सरकार से 90.90 लाख रूपये अभी तक वसूल नहीं कर सकी (अक्टूबर 2006)।

कम्पनी द्वारा त्रुटिपूर्ण विपत्र निर्गत करने से 38.49 लाख रूपये की हानि

2.6.21 कम्पनी 37 रूपये प्रति क्वींटल सीमान्त राशि क्रय, भण्डारण, वितरण एवं लाभ के लिए एस.जी.आर.वाई. एवं एम.डी.एम. योजना के अन्तर्गत बिहार एवं झारखण्ड सरकार से प्राप्त करती है। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि हजारीबाग जिला कार्यालय सीमान्त राशि के रूप में निश्चित एवं प्रत्येक अन्य जिला प्रशासन द्वारा भुगतित 37 रूपये प्रति क्वींटल के जगह 32 रूपये प्रति क्वींटल का त्रुटिपूर्ण विपत्र प्रशासन को निर्गत किया।

त्रुटिपूर्ण विपत्र निर्गत करने से 38.49 लाख की हानि।

अतः प्रबंधन की सही विपत्र निर्गत करने की असफलता के कारण कम्पनी को 2001–02 से 2005–06 के अवधि में 7.70 लाख क्वींटल खाद्यान्न के विक्रय में 38.49 लाख रूपये की हानि हुई। प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2006) कि कम्पनी अपने भुगतान के लिए जिला प्रशासन से आग्रह कर रही है। तथापि, यह तथ्य है कि कम्पनी, जिला प्रशासन से 38.49 लाख रूपये अभी तक वसूल नहीं कर पाई है (अक्टूबर 2006)।

देय–राशि की वसूली न होना

2.6.22 निःशुल्क खाद्यान्नों के अधिप्राप्ति एवं वितरण के एवज में कम्पनी सीमान्त राशि प्राप्त करने के लिए जिला प्रशासन को मासिक दावा प्रस्तुत करती है। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि कम्पनी के जिला कार्यालयों द्वारा समय पर दावा खाद्यान्नों के

[1] 10 वर्ष तक गणना, 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष करने पर

जिला प्रशासन एवं जेलों से 4.12 करोड़ रूपये की वसूली नहीं हुई।

आपूर्ति के साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप चार[1] जिला कार्यालयों में 3.64 करोड़ रूपये की वसूली नहीं हो पाई। दो[2] जिलों के जिला जेलों से खाद्यान्नों के आपूर्ति के एवज में 48.00 लाख रूपये वसूल नहीं हो पाई थी। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि कम्पनी ने सही रूप से जेलों से राशि का दावा नहीं किया था, जिसके कारण देय–राशि अप्राप्त रही। प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2006) जिला जेलों एवं जिला प्रशासन से देय–राशि की वसूली की कार्यवाही की जा चुकी है। इस सम्बन्ध में प्रगति प्रतीक्षित है।

आन्तरिक नियंत्रण एवं आन्तरिक लेखापरीक्षा

2.6.23 आन्तरिक नियंत्रण, प्रबंधन का एक तंत्र है जो यह सुनिश्चित करता है कि कम्पनी के उद्देश्य की प्राप्ति मितव्ययता, दक्षतापूर्ण एवं सुव्यवस्थित तरीके से हो रही है। लेखापरीक्षा में देखा गया कि कम्पनी की आन्तरिक नियंत्रण व्यवस्था निम्न प्रकार से दोषपूर्ण है :–

- कम्पनी ने कोई लेखा नियमावली नहीं बनाया है। जिलों के विभिन्न गोदामों के रहतिया का आकस्मिक सत्यापन नहीं किया जा रहा था। जिला कार्यालय उचित लेखा पुस्तकें नहीं बना रहे थे।
- जिला कार्यालयों द्वारा प्रेषित राशि के लेखा का मिलान मुख्यालय कार्यालय के लेखाओं से नहीं किया जा रहा था।
- आन्तरिक नियंत्रण का अभाव कर्मचारियों को खाद्यान्न का दुर्विनियोजन/गबन करने में सहायक थे।

आन्तरिक लेखापरीक्षा एक मूल्य निर्धारक क्रिया–कलाप है, जो कम्पनी के लिए एक सेवा है। इसके कार्य अन्य बातों के अलावे लेखांकन एवं आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली का परीक्षण, मूल्यांकन एवं पर्याप्तता का अनुश्रवण है। इनमें निम्न कमियॉ पाई गई :–

- कम्पनी के पास अपना कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग नहीं है एवं आन्तरिक लेखापरीक्षा का कार्य सनदी लेखाकारों द्वारा किया जाता है,
- कम्पनी ने आन्तरिक लेखापरीक्षा नियमावली नहीं बनाया है,
- आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन निदेशक मंडल को प्रस्तुत नहीं की जाती है।

निष्कर्ष

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत खाद्यान्नों के अधिप्राप्ति एवं वितरण के सम्बन्ध में कम्पनी का निष्पादन, विशेष कर ए.पी.एल. एवं बी.पी.एल. योजना में कम उठाव के कारण प्रभावित रही। कम्पनी ने कम उठाव के कारणों का कोई विश्लेषण नहीं किया ताकि सुधारात्मक कार्यवाही की जा सके। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत खाद्यान्नों के कम उठाव का कारण न केवल यह अपने उद्देश्य को हतोत्साहित किया, साथ ही कम उठाव के कारण कम्पनी को सीमान्त राशि की भी हानि हुई।

कम्पनी ने अवैधानिक तरीके से परिदिकृत खाद्यान्नों, जो कि गरीबों के लिये था, का विचलन करके सरकारी परिदान की कीमत पर 12.64 करोड़ रूपये का

[1] 1.87 करोड़ रूपये गया, 81.20 लाख रूपये हजारीबाग, 78.77 लाख रूपये मुंगेर और 17.07 लाख पटना द्वारा
[2] 5.97 लाख रूपये छपरा और 42.11 लाख रूपये हजारीबाग द्वारा

लाभ अर्जित किया। कम्पनी सीमान्त राशि के पुर्ननिधारण के प्रकरण को सरकार के समक्ष प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने में असफल रही, जिसके कारण 54.06 करोड़ रूपये के सीमान्त राशि की हानि 2002–2006 के अवधि में हुई। सीमान्त राशि एवं अन्य देय–राशि के दावा एवं अनुसरण में कम्पनी धीमी रही। इन सभी कारणों से एक बड़ी राशि अवरूद्ध रही एवं ब्याज की भी हानि हुई। परिवहन अभिकर्ताओं की नियुक्ति में भी कमी देखी गई जिसके कारण परिवहन पर 51.19 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय हुआ। मुख्य क्षेत्रों में आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की कमियॉ थी, जो भण्डार की चोरी / दुर्विनियोजन / विचलन में सहायक रही।

अनुशंसायें

कम्पनी के लिए आवश्यक है कि :

- खाद्यान्नों का कम उठाव के कारणों, विशेषकर ए.पी.एल. एवं बी.पी.एल. योजना के अन्तर्गत, कम उठाव के कारणों का विश्लेषण कर सुधारात्मक कार्रवाई करे,
- कम्पनी सरकार से सीमान्त राशि पुनर्निर्धारित करने का मामला उठाए ताकि निरन्तर हानि से बचा जा सके,
- जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 का पालन करे एवं खाद्यान्नों का विचलन रोके,
- दावों को प्रस्तुत करने एवं देय–राशि की वसूली की प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए समन्वयात्मक प्रयास करे,
- कमियों व दुर्विनियोजन से होने वाले हानि से बचने के लिए आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करे।

अध्याय–III

3. सांविधिक निगमों से सम्बन्धित निष्पादन समीक्षाएँ

3.1 बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में टैरिफ, विपत्रीकरण एवं राजस्व संग्रहण

मुख्य अंश

बोर्ड ने जून 2001 में निर्धारित टैरिफ का पुनरीक्षण नहीं किया और राज्य विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष भी टैरिफ निर्धारण के लिए याचिका दाखिल करने में असफल रहा (मार्च 2006)। टैरिफ पुनरीक्षण नहीं होने के कारण वर्ष 2001–06 के दौरान बोर्ड 165.21 करोड़ रूपये राजस्व से वंचित रहा।

(कंडिका 3.1.10)

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकार (के.वि.प्रा.) द्वारा निर्धारित संचरण एवं वितरण हानि 15.5 प्रतिशत के विरूद्ध बोर्ड की संचरण एवं वितरण हानि 38.20 एवं 62.05 प्रतिशत के बीच रही। के.वि.प्रा. द्वारा निर्धारित मानक के अतिरिक्त संचरण एवं वितरण हानि के कारण वर्ष 2001–06 की अवधि में 3,200.99 करोड़ रूपये की संभावित हानि हुई।

(कंडिका 3.1.12)

उर्जा मीटरों के संस्थापन/प्रतिस्थापन नहीं होने के कारण बोर्ड को 5.24 करोड़ रूपये की हानि हुई। उसी प्रकार नए विद्युत सम्बन्धों के अकार्यान्वयन के कारण बोर्ड को 1.15 करोड़ रूपये की संभावित राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 3.1.14 एवं 3.1.16)

उच्चतर क्षमता के ट्रांसफर्मर उपयोग करने के कारण विपत्र वृद्धि के संबंध में बोर्ड की निष्क्रियता के कारण 18.97 करोड़ रूपये राजस्व की हानि हुई। धमन भट्ठी के गलत माप ग्रहण करने के कारण बोर्ड को 8.29 करोड़ रूपये राजस्व की भी हानि हुई।

(कंडिका 3.1.18 एवं 3.1.22)

बोर्ड द्वारा उपभोक्ताओं से बकाए की वसूली सम्बन्धी विद्युत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने में विफल रहने के कारण 31 मार्च 2005 तक 5,086.22 करोड़ रूपये अवरूद्ध रहा एवं परिणामस्वरूप 1,858.42 करोड़ रूपये के ब्याज की हानि हुई।

(कंडिका 3.1.25)

बकाए की वसूली के लिए बोर्ड द्वारा शीघ्र कार्रवाई प्रारम्भ करने में बोर्ड की विफलता के कारण 26.79 करोड़ रूपये राजस्व की वसूली कालातीत हो गया।

(कंडिका 3.1.30)

परिचय

3.1.1 बिहार सरकार को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82 के अंतर्गत टैरिफ आदि निर्धारित करने के लिए राज्य विद्युत विनियामक आयोग (रा.वि.वि.आ.) स्थापना करना था। रा.वि.वि.आ. अप्रैल 2002 में अधिसूचित हुआ, लेकिन वह मई 2005 में क्रियान्वित हुआ।

बोर्ड को रा.वि.वि.आ. की अनुपस्थिति में विद्युत अधिनियम की धारा 46 एवं 49 के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ निर्धारण का अधिकार प्राप्त था। यद्यपि आयोग का गठन मई 2005 में हुआ था, बोर्ड आयोग को टैरिफ निर्धारण के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। इस प्रकार वर्ष 2001 में बोर्ड द्वारा जिस टैरिफ का निर्धारण हुआ था, अनुप्रयुक्त जारी रहा (मार्च, 2006)।

कैपिटल बेस[1] के लिए आवश्यक 3 प्रतिशत न्यूनतम रिटर्न दर के विरूद्ध वर्ष 2001–06 के दौरान बोर्ड का न्यूनतम रिटर्न दर 48 से 161 तक ऋणात्मक रहा। टैरिफ की युक्तिपुर्ण व्यवस्था, नियमित विपत्रीकरण एवं राजस्व की उगाही जो राजस्व की ऋणात्मक प्राप्ति के संदर्भ में अधिक महत्व रखते है, का अनुपालन नहीं होने से बोर्ड के अस्तित्व की समस्या पैदा हुई।

उर्जा बिक्री के लिए टैरिफ, विपत्रीकरण एवं राजस्व संग्रहण की नीति का प्रतिरूपण बोर्ड मुख्यालय में सदस्य (वित्त एवं राजस्व) एवं मुख्य अभियंता (वाणिज्यिक) द्वारा होता है, जो टैरिफ के आवधिक निर्धारण और उन्नयन के लिए उत्तरदायी होते हैं। उच्च विभव (एच.टी.) उपभोक्ताओं का विपत्रीकरण अंचल में होता है, जबकि घरेलू सेवा (डी. एस.), वाणिज्यिक सेवा (एन.डी.एस.) और निम्न विभव औद्योगिक सेवा (एल.टी.आई.एस.) उपभोक्ताओं का विपत्रीकरण प्रमण्डलों/अवर प्रमण्डलों में होता है।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के वर्ष 2001–02 के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), बिहार सरकार में टैरिफ, विपत्रीकरण एवं राजस्व संग्रहण की समीक्षा सम्मिलित की गई थी।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र

3.1.2 वर्तमान समीक्षा में मार्च 2006 को समाप्त विगत पांच वर्षो के लिए टैरिफ विपत्रीकरण एवं राजस्व संग्रहण के संदर्भ में बोर्ड के क्रियाकलाप को सम्मिलित किया गया है। लेखा परीक्षा फरवरी 2006 से मई 2006 के बीच पटना के बोर्ड मुख्यालय के साथ भौगोलिक वितरण के आधार पर चयनित 16 अंचलों में से 6 (37 प्रतिशत) और 54 प्रमण्डलों में से 15 (28 प्रतिशत) के अभिलेखों के परीक्षण के द्वारा किया गया।

लेखापरीक्षा का उद्देश्य

3.1.3 टैरिफ, विपत्रीकरण एवं राजस्व संग्रहण की निष्पादन को लेखा परीक्षा यह आकलन करने के उद्देश्य से किया गया कि क्या और किस प्रकार :

- टैरिफ का निर्धारण मानक के अनुसार था और इसका पुनरीक्षण नियमित किया गया,
- उर्जा खपत का माप शुद्धता से लिया गया और विपत्र शीघ्रता से निर्गत किया गया,
- राजस्व संग्रहण के लिए पर्याप्त एवं शीघ्र कार्रवाई की गई और दोषी उपभोक्ताओं के मामले में विद्यमान प्रावधानों के तहत शीघ्र दंडात्मक कार्रवाई की गई,

[1] कैपिटल बेस वर्ष के प्रारम्भ में सेवा में स्थायी सम्पति (समग्र ह्रास एवं सेवा लाईन के लिए उपभोक्ता की भागीदारी का योग) के मुल्य को दर्शाता है।

- बोर्ड ने संचरण एवं वितरण हानियों के लागू मानकों के अंतर्गत हानियों को समाविष्ट करने के लिए कार्रवाई किया।

लेखापरीक्षा का मापदण्ड

3.1.4 निम्नलिखित लेखा परीक्षा मापदण्डों को अपनाया गया :

- विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948/2003 के प्रावधान/टैरिफ के प्रतिबध एवं शर्तें,
- बोर्ड के निदेशक मंडल के फैसले/निर्देशनों/नियमों/परिपत्रों, सरकार/बोर्ड के विनियमों,
- संचरण एवं वितरण हानियों के लिए के.वि.प्रा. के मानक,
- उर्जा बिक्री के लिए एकरारनामा की प्रतिबध एवं शर्तें।

लेखापरीक्षा कार्य प्रणाली

3.1.5 निम्नलिखित कार्य प्रणालियों का एक मिला जुला उपयोग किया गया :

- बोर्ड मुख्यालय में संधारित अभिलेखों का परीक्षण,
- अभिलेखों से ऑकड़ों एवं प्रमाणकों का संग्रहण, जैसे कि, कार्यवृत और कार्यसूची पत्रों, क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत विवरणियॉ, शक्ति उपकेन्द्र, अंचलों, प्रमण्डलों एवं अवर प्रमण्डलों के अभिलेखों इत्यादि,
- विभिन्न स्तरों पर प्रबन्धन के साथ विचार विमर्श।

लेखापरीक्षा का निष्कर्ष

3.1.6 लेखा परीक्षा के निष्कर्षो को सरकार/बोर्ड को जून 2006 में प्रतिवेदित किया गया तथा 9 नवम्बर 2006 को सम्पन्न राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए लेखा परीक्षा समिति (ए.आर.सी.पी.एस.ई.) की बैठक में इस पर विचार विमर्श किया गया, जहॉ सरकार का प्रतिनिधित्व अपर सचिव, उर्जा विभाग तथा बोर्ड का प्रतिनिधित्व मुख्य अभियंता (वाणिज्यिक) द्वारा किया गया। सरकार/बोर्ड के विचारों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा को अन्तिम रूप दिया गया। लेखा परीक्षा निष्कर्षो को उत्तरवर्ती कन्डिकाओं में वर्णित किया गया है।

आंतरिक संसाधन का अपर्याप्त सृजन

3.1.7 लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि बोर्ड में आंतरिक संसाधन का अपर्याप्त सृजन था। इसका कारण उपभोक्ताओं के विभिन्न श्रेणियों के टैरिफ निर्धारण में कमी, प्रचालन अदक्षता, अत्याधिक संचरण एवं वितरण हानियॉ,[1] उर्जा की चोरी, अपर्याप्त राजस्व वसूली और टैरिफ का आवधिक पुनरीक्षण नहीं किया जाना था। बोर्ड की वित्तीय स्थिति साल दर साल दयनीय होती गई। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा किए गए अनुदान एवं छूट के बावजूद बोर्ड के घाटे में भारी वृद्धि हुई जो निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है :

(राशि : रूपये करोड में)

वर्ष	कैपिटल बेस	वित्तीय वर्ष का घाटा (छूट एव अनुदान के सयोजन के पहले)	घाटा, लेखा के अनुसार (छूट एव समायोजन के बाद)	कैपिटल बेस पर रिर्टन दर/प्रतिशत	कुल घाटा
2001–02	767.25	1,570.01	1,308.94	(–) 170.60	3,755.50

[1] संचरण एव वितरण हानि, बिक्री के लिए उपलब्ध उर्जा एवं वास्तविक बिक्री उर्जा का अंतर है।

2002–03	931.99	460.64	460.64	(–) 49.43	4,216.14
2003–04[1]	931.99	678.34	678.34	(–) 72.78	4,894.48
2004–05	931.99	442.82	442.82	(–) 47.51	5,337.30
2005–06	931.99	1,349.09	1,349.09	(–) 144.75	6,686.39

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है, कि अनुदान एवं छूट (सबसिडी) के समायोजन के पश्चात भी बोर्ड का घाटा जो 2001–02 के अंत में 3,755.50 करोड़ रूपये था, 2005–06 के अंत में बढ़कर 6,686.39 करोड़ रूपये हो गया।

उपर्युक्त तालिका में बोर्ड द्वारा दर्शाए गए घाटा को लेखा परीक्षा में आकलित राजस्व घाटा 10,886.92 करोड़ रूपये के आलोक में देखा जाना चाहिए। यदि नियंत्रण योग्य कारकों यथा, टैरिफ् का नियमित पुनरीक्षण, प्रणाली हानियों में कमी, टैरिफ के उचित उपयोग और दोषी उपभोक्ताओं के विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई जो कि अधोलिखित कंडिकाओं में उल्लेखित किया जाता तो घाटा को लाभ में बदला जा सकता था।

टैरिफ ढॉचा

3.1.8 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 के अनुसार रा.वि.वि.आ. की क्रियान्वित होने की तिथि (मई 2005) से टैरिफ निर्धारण करने की शक्ति प्रदत्त था। इसके अतिरिक्त, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 के अनुसार विद्युत अधिनियम, 1948 निर्धारित टैरिफ मात्रा 10 जून 2004 तक लागू थी।

टैरिफ का निर्धारण

टैरिफ का निर्धारण बिना किसी मानक के किया गया।

3.1.9 विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 और विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार टैरिफ का निर्धारण कैपिटल बेस के लिए आवश्यक 3 प्रतिशत रिटर्न के आधार पर करना चाहिए। लेखा परीक्षा के दौरान यह सूचित हुआ कि न तो बोर्ड और न ही राज्य सरकार ने अभी तक विभिन्न कोटि के उपभोक्ताओं, यथा, घरेलू सेवा (डी.एस.), वाणिज्यिक सेवा (एन.डी.एस.) निम्न विभव औद्योगिक सेवा (एल.टी.आई.एस.), उच्च विभव औद्योगिक सेवा (एच.टी.आई.एस.), उच्च विभव विशिष्ट सेवा (एच.टी.एस.एस.), रेलवे कर्षण सेवा (आर.टी.एस.), कृषि और सार्वजनकि प्रकाश के टैरिफ निर्धारण में किसी नियम या निर्धारित नियामक सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। टैरिफ का निधारण लागत से सम्बन्धित मानक पर आधारित नहीं था और संचरण एवं वितरण घाटा तथा पूंजीगत आधार मुल्य के 3 प्रतिशत न्युनतम वापसी दर पर बिना विचार किए सिर्फ अनुमानित उर्जा बिक्रय (राजस्व व्यय एवं वर्तमान दर तथा प्रस्तावित टैरिफ पर राजस्व प्राप्ति के अनुसार लाभ/हानि की गणना के आधार पर किया गया)। इस प्रकार टैरिफ निर्धारण न तो वैज्ञानिक और न ही समुचित था, जिससे राजस्व प्राप्ति एवं आपूर्ति लागत के बीच भारी अंतर रह गया।

वर्ष 2005–06 तक पॉच वर्षो के लिए बिक्री के लिए बिक्री लागत, औसत बिक्री मूल्य और प्रति इकाई घाटा के संबंध में विवरणी निम्नलिखित है :

बिकी दर, बिकी लागत से कम था।

वर्ष	उर्जा क्रय एवं अन्य लागत[2] (करोड़ रूपये में)	बिक्री इकाई (एम.यु.)	प्रति इकाई बिक्री लागत (रूपये में)	औसत बिकी दर (रूपये में)	ळानि	
					प्रति इकाई (रूपये में)	राशि (करोड़ रूपये में)
2001–02	3,327.84	2,695.19	12.35	3.44	8.91	2,401.41

[1] 2003–06 के आकड़े औपबन्धिक है क्योकि लेखा अभी तक अंतमीकृत नही हुआ है।
[2] स्थापना और अन्य उपरिव्यय

2002–03	1,771.96	2,538.52	6.98	3.58	3.40	863.10
2003–04	2,187.37	2,771.30	7.89	3.42	4.47	1,238.77
2004–05	2,041.53	2,922.55	6.99	3.37	3.62	1,057.96
2005–06	2,578.97	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
					योग	**5,561.24**

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता हे कि बिक्री लागत 6.98 रूपये से 12.35 रूपये प्रति इकाई के मध्य रहा जबकि बिक्री मूल्य 3.37 रूपये और 3.58 रूपये प्रति इकाई के मध्य रहा, जिसके परिणामस्वरूप 5,561.24 करोड़ रूपये बोर्ड को हानि हुई (मार्च, 2005 तक)। जिससे प्रचालन लागत तथा संचरण एवं वितरण हानियों को घटाकर और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार टैरिफ का निर्धारण कर बचा जा सकता था।

राज्य सरकार द्वारा टैरिफ का अनुमोदन नहीं किया जाना

3.1.10 राज्य सरकार के समक्ष टैरिफ पुनरीक्षण का प्रस्ताव भेजा गया (अक्टूबर 2002) लेकिन राज्य सरकार द्वारा कुछ स्पष्टीकरणों/सूचनाओं के अभाव में टैरिफ का अनुमोदन नहीं किया गया (नवम्बर 2002)।

राज्य सरकार द्वारा टैरिफ अनुमोदन नहीं होने के फलस्वरूप 165.21 करोड़ रूपये की हानि हुई

टैरिफ पुनरीक्षण प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं होने के कारण, बोर्ड अपने उपभोक्ताओं को पुनरीक्षित दरों पर विपत्रीकृत नहीं कर सका। जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2006 तक 165.21 करोड़ रूपये से बोर्ड वंचित रह गया।

टैरिफ को नियमित पुनरीक्षित नहीं किया गया

3.1.11 लेखा परीक्षा के दौरान यह सूचित हुआ कि बोर्ड टैरिफ का पुनरीक्षण आवधिक नहीं किया। बोर्ड एच.टी.एस.एस का टैरिफ अप्रैल 2001 में और अन्य श्रेणियों का जून 2001 में पुनरीक्षित किया। एच.टी. का टैरिफ गत जुलाई 1993 में ही पुनरीक्षित किया गया।

एच.टी. टैरिफ का पुनरीक्षण जुलाई 1993 से नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त लेखा परीक्षा में यह भी पाया गया कि एच.टी.आई.एस. का टैरिफ मार्च 2002 तक ही प्रभावी था, न तो इस टैरिफ को पुनरीक्षित किया गया और न ही वर्तमान टैरिफ की अवधि को बढ़ाया गया।

अत्यधिक प्रणाली हानियॉं

3.1.12 राज्य विद्युत बोर्ड में शक्ति का संचरण एवं वितरण लम्बी दूरी से किया जाता है, जिससे अनेक स्तर पर निश्चित रूप से उर्जा की हानि होती है। के.वि.प्रा. उर्जा अंकेक्षण के लिए दिशा निर्देश जारी करने (मई 1992) के दौरान 15.5 प्रतिशत का संचरण एवं वितरण हानि की सीमा का निर्धारण किया (8 प्रतिशत संचरण/सह संचरण तथा 7 प्रतिशत वितरण हानि)।

वर्ष 2005–06 तक विगत पॉच वर्षो के दौरान बोर्ड में बिक्री के लिए उपलब्ध उर्जा, उर्जा बिक्री और संचरण एवं वितरण हानियों से सम्बन्धित विस्तृत विवरणी निम्नलिखित है :

वर्ष	बिक्री के लिए उपलब्ध उर्जा (एम.यु.)	उर्जा बिक्री (एम.यु.)	संचरण एवं वितरण हानि (एम.यु.)	संचरण एवं वितरण हानि का प्रतिशत
2001–02	6,215.09	3,840.83	2,374.26	38.20

2002–03	6,162.76	2,338.52	3,824.24	62.05
2003–04	6,071.20	2,771.30	3,299.90	54.35
2004–05	6,555.20	2,922.55	3,632.65	55.42
2005–06	7,374.84	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
योग	**25,004.25**		**13,131.05**	

बोर्ड को 3,200.99 करोड़ रूपये की संभावित राजस्व की हानि हुई।

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वास्तविक संचरण एवं वितरण हानियॉ 15.5 प्रतिशत मानक के विरूद्ध 38.20 और 62.05 प्रतिशत के मध्य रहा। बोर्ड को के.वि.प्रा. के मानकों की गणना के विरूद्ध 10,225.38 एम.यु. अतिरिक्त हानि हुई। जिसका मूल्य 3,200.99 करोड़ रूपये था। लेखा परीक्षा के दौरान यह सूचित हुआ कि संचरण क्षति मानक के अंतर्गत ही था और इस प्रकार अतिरिक्त हानि वितरण प्रणाली में थी। बोर्ड ने असमान्य हानि का विश्लेषण नहीं किया। लेखा परीक्षा द्वारा असामान्य हानि का विश्लेषण करने पर हानियों का कारण प्रणाली आवर्द्धन का अक्रियान्वयन, ए.पी.डी.आर.पी.[1] के अंतर्गत प्रणालियां का सुधार और बोर्ड द्वारा उर्जा की चोरी नियंत्रित करने में विफलता को पाया गया।

विपत्रीकरण प्रणाली

3.1.13 बोर्ड के राजस्व का मुख्य स्त्रोत उपभोक्ताओं को उर्जा बेचने से है। विद्युत एक उद्योग है, जहॉ बिक्री साख पर उधार के रूप में दी जाती है एवं राजस्व की प्राप्ति एक अवधि के बाद होती है। अतएव त्वरित एवं सही विपत्रीकरण एक प्रमुख कार्य है, जिसमें किसी भी प्रकार के शिथिलता से बड़ा नुकसान हो सकता है। यह कार्य, बोर्ड के गंभीर वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए अत्यधिक महत्व रखता है। टैरिफ में दिए गए निर्देशों के आलोक में बोर्ड के बकाए राजस्व का त्वरित एवं सही विपत्रीकरण सुनिश्चित करने हेतु निम्नांकित मुख्य आवश्यकता है :

विद्युत अपूर्ति प्रारम्भ के पूर्व अपेक्षित क्षमता के मीटरों का संस्थापन और दोषपूर्ण मीटरों का प्रतिस्थापन,

मीटर अंकन निर्धारित तिथि पर लिया जाना चाहिए,

टैरिफ प्रावधानों के अनुसार शीघ्र विपत्रीकरण होना चाहिए,

आपूर्ति शर्तो के उल्लंघन पर जुर्माना तथा भुगतान नहीं किए जाने पर अविलम्ब विद्युत विच्छेदित किया जाना चाहिए,

समुचित विद्युत चोरी निरोधक उपाय।

उच्च विभव उपभोक्ताओं के अलावा बोर्ड का विपत्रीकरण कार्य कम्पयुटरीकृत हो चुका है। पटना विद्युत आपूर्ति प्रतिष्ठान (पेसू) क्षेत्र के लिए बोर्ड का अपना कम्पयुटरीकृत विपत्रीकरण प्रणाली है, जबकि अन्य प्रमण्डलों में कम्पयुटरीकृत विपत्रीकरण निजी एजेन्सियों द्वारा किया जाता है। राजस्व संग्रहण हस्तक होता है और संग्रहणों का हस्त समायोजन के पश्चात् अनुवर्ती महीनों का विपत्र तैयार किया जाता है। लेखा परीक्षा जॉच में पाया गया कि दस्तावेजों की अतिरिक्त प्रतियों पर और एकरारनामा में अउल्लेखित मदों[2] पर 35.60 लाख रूपये का अतिरिक्त भुगतान, कम्पयुटर विपत्रीकरण में नियुक्त एजेन्सियों को किया गया।

[1] त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम

[2] संग्रहण प्रतिवेदन तिथिवार, निर्गत विपत्रों का सार, इत्यादि।

विपत्रीकरण प्रणाली में सूचित अन्य अनियमितताओं/कमियों की चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

मीटरों का अस्थापना तथा विलम्ब से स्थापना किया गया

3.1.14 बोर्ड के पास दो प्रकार के उपभोक्ता, शहरी एवं ग्रामीण है। शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को मीटर–सहित विद्युत आपूर्ति की जाती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में मीटर–रहित आपूर्ति की जाती है। विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार मीटर–रहित विद्युत आपूर्ति अनुमत्य नहीं हैं। चार अंचलों के उपभोक्ताओं के शत–प्रतिशत मीटरीकृत करने के लिए बोर्ड ने 2.46 लाख सिंगल फेज मीटर, जिसका मुल्य 23.05 करोड़ रूपये था (935.83 रूपये प्रति मीटर जिसमें 180 रूपये संस्थापन एवं चालू करने का था) के आपूर्ति एवं संस्थापन का आदेश दिया। 2.23 लाख प्राप्त मीटरों में से मात्र 1.26 लाख मीटरों की ही संस्थापन हो पाया था (मार्च 2006)।

उर्जा मीटरों की संस्थापना नहीं होने के फलस्वरूप 5.24 करोड़ रूपये की हानि हुई।

लेखा परीक्षा जॉच में यह पाया गया कि पेसू (पश्चिमी) अंचल के न्यु–कैपिटल प्रमण्डल में बोर्ड कॉलोनी फीडर के उपभोक्ताओं, जिनमें से अधिकतर मीटर रहित थे या दोषपूर्ण मीटर–सहित थे, को वास्तविक 29.31 एम.यु. विद्युत आपूर्ति के विरूद्ध केवल 4.06 लाख एम.यु. का ही विपत्रीकरण किया गया। इस प्रकार मीटरों के संस्थापन/दोषपूर्ण प्रतिस्थापन को नहीं बदलने के कारण 25.25 एम.यु. उर्जा अविपत्रीकृत रह गया। इसके परिणामस्वरूप बोर्ड को 2.25 रूपये प्रति इकाई[1] की दर से 2001–06 की अवधि में 5.24 करोड़ रूपये की हानि उठानी पड़ी।

बोर्ड ने बताया कि नए मीटरों की संस्थापना की कार्रवाई की जाएगी (नवम्बर 2006)।

अल्प–विपत्रीकरण

3.1.15 मीटर–रहित/दोषपूर्ण मीटर–सहित उपभोक्ताओं से बोर्ड एक समान दर 144 इकाई (279 रूपये) प्रति उपभोक्ता, विद्युत प्रभार वसूली करता है। बोर्ड के सरकारी आवास में रहने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों को न्युनतम देय राशि पर भी विपत्र तैयार नहीं किया जाता है और उर्जा खपत अनुज्ञेय निःशुल्क इकाई के अंतर्गत दिखाया जाता है। बिहार सशस्त्र सेना, पटना के आवासों में केवल 100 रूपये प्रतिमाह ही प्रभारित किया जाता है। इस प्रकार मीटर–रहित अनियमित उपभोक्ताओं से 144 इकाई के समान दर से कम पर राशि प्रभारित करने से बोर्ड को 2005–06 तक पॉच वर्षो में 58.23 लाख रूपये की हानि उठानी पड़ी।

बोर्ड ने बताया (नवम्बर 2006) कि विपत्रीकरण मासिक खपत पर किया जा रहा है। जबाब तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि वे सभी उपभोक्ताऐं मीटर–रहित थे।

नए विद्युत सम्बन्ध देने में विलम्ब

3.1.16 बोर्ड के परिपत्र के अनुसार आवेदित उपभोक्ताओं द्वारा सारी औपचारिकताऐं पूरी करने के एक माह के अंदर नया सम्बन्ध दे दिया जाय। एक माह की अवधि को तत्पश्चात् बोर्ड द्वारा घटाकर तीन दिन कर दिया गया (जून 2005)। लेखा परीक्षा के दौरान ये उद्घाटित हुआ कि उपभोक्ताओं द्वारा सभी औपचारिकताएँ पूर्ण करने के पश्चात् भी नए सम्बन्ध देने में 1 माह से 38 माह तक का विलम्ब किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 2002–06 के अवधि में 1.15 करोड़ रूपये की संभावित हानि हुई।

विलम्ब से विद्युत संबंध देने के फलस्वरूप 1.15 करोड़ रूपये राजस्व की हानि हुई।

बोर्ड ने कहा (नवम्बर 2006) कि नए सम्बन्ध विलम्ब से देने का मुख्य कारण उपभोक्ताओं द्वारा औपचारिकताएँ का अनुपालन नहीं करना था। जबाब स्वीकार्य नहीं

[1] घरेलू उपभोक्ता का औसत दर

है, क्योंकि उपभोक्ताओं द्वारा सभी औपचारिकताएँ पूर्ण करने के पश्चात् ही प्रतिभूति राशि जमा किया जाता है।

उपभोक्ता को अनुचित लाभ

3.1.17 एच.टी. उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति के लिए बोर्ड और उपभोक्ता के बीच विहित प्रपत्र में एकरारनामा किया जाता है। विहित एकरारनामा के खंड 1(बी) के अनुसार, बोर्ड द्वारा विद्युत उपलब्धता के सम्बन्ध में सूचना प्राप्ति के छः माह के अंदर उपभोक्ता द्वारा आपूर्ति प्रारम्भ कर लेना चाहिए। उपभोक्ता के द्वारा आपूर्ति लेने में विफल रहने की स्थिति में एकरारनामा को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और बोर्ड को यह हक है कि तीन वर्षो के लिए न्युनतम गारंटी खपत का 50 प्रतिशत और मासिक मांग प्रभार का 50 प्रतिशत जोड़कर उपभोक्ता से वसूल किया जाय।

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि आईस वर्ग इन्डस्ट्रीज लिमिटेड ने 1,000 के.वी.ए. विद्युत सम्बन्ध के लिए आवेदन दिया, जिसको बोर्ड द्वारा संस्वीकृत किया गया (जनवरी 2004) और 16 अप्रैल 2004 को एकरारनामा पर हस्ताक्षर किया गया। 33 के.वी. लाईन की संस्थपना में विलम्ब के कारण विद्युत आपूर्ति सम्बन्ध संस्वीकृत तिथि के 16 माह पश्चात्, 6 मई 2005 से किया गया।

बोर्ड उपभोक्ता से 71.55 लाख रूपये वसूल करने में विफल रहा।

एकरारनामा को समाप्त कर दिया जाना चाहिए था तथा उपभोक्ता की ओर से विलम्ब के कारण उपभोक्ता से 71.55[1] लाख रूपये की वसूली किया जाना चाहिए। लेकिन बोर्ड द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने के कारण उपभोक्ता को 71.55 लाख रूपये का अनुचित लाभ मिला।

बोर्ड ने लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (नवम्बर 2006)।

अनाधिकृत भार का पता लगना

3.1.18 टैरिफ (1993) के खंड 16.4 के अनुसार और बोर्ड के दिनांक 29 अक्टूबर 2002 के परिपत्र के अनुसार, एच.टी. उपभोक्ता के ट्रांसफर्मर क्षमता संविदा मांग के 150 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्वीकार्य क्षमता से अधिक क्षमता के ट्रांसफर्मर संस्थापना के प्रकरण में उपभोक्ता द्वारा क्षतिपूर्ति[2] का भुगतान करना चाहिए, जो कि ट्रांसफर्मर क्षमता के दो तिहाई अनाचार की पूर्ण अवधि के लिए उपयुक्त टैरिफ के वर्तमान दर का दुगुना में से पहले का प्रभारित राशि घटाकर राशि के बराबर होगा। अनाचार अवधि अभिनिश्चित नहीं होने के मामले में, इस प्रकार का अनाचार का पता लगने की तिथि से छः माह पूर्व का अवधि लिया जाएगा।

अनाधिकृत भार वाले उपभोक्ता से वसूली नहीं होने के कारण 18.97 करोड़ रूपये की हानि बोर्ड को हुई।

लेखा परीक्षा जांच में यह पाया गया कि कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड, बंजारी जो विद्युत संचरण अंचल, डिहरी ऑन सोन के अंतर्गत ई.एच.टी. उपभोक्ता है, जिसकी संविदा मॉग 15,000 के.वी.ए. है को 32,000 के.वी.ए. का ट्रांसफर्मर उपयोग करते हुए पाया गया। **बोर्ड द्वारा दोषी उपभोक्ता के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं करने के फलस्वरूप उपभोक्ता को अनुचित लाभ मिला तथा बोर्ड को 18.97 करोड़ रूपये[3] राजस्व की हानि हुई।**

बोर्ड ने लेखा परीक्षा आपत्ति के स्वीकार किया (नवम्बर 2006)।

[1] मांग प्रभार = संविदा मॉग का 50% × दर प्रति के.वी.ए. × अवधि (माह में)
(500× 115 × 36 = 20,70,000 रूपये) (अ)
उर्जा प्रभार = संविदा मांग × शक्ति गुणन खंड × भार गुणन खंड × घंटा × दिनों की संख्या
(1000 × 0.9 × 0.25 × 24 × 365 × 3 × 1.72) त्र 1,01,70,360 / 2 = 50,85,180 रूपये (ख)
(क) + (ख) = 71.55 लाख रूपये

[2] ट्रांसफर्मर क्षमता के दो तिहाई का वर्तमान दर से दुगुना कर पूर्व में प्रभारित राशि को घटाने की राशि के समतुल्य

[3] 15.54 करोड़ रूपये उर्जा प्रभार जोड़ 3.43 करोड़ रूपये मांग प्रभार = 18.97 करोड़ रूपये

देय–राशि का स्थानांतरण नहीं किया जाना

देय राशि का स्थानान्तरण नहीं होने के फलस्वरूप ब्याज के रूप में 3.23 करोड़ रूपये की हानि हुई।

3.1.19 बोर्ड के दिनांक 29 अक्टूबर 2002 के परिपत्र के अनुसार विच्छेदित उपभोक्ताओं के संदर्भ में बकाए देय राशि का स्थानान्तरण उसी उपभोक्ता के चालू सम्बन्ध पर कर दिया जाना चाहिए। लेखा परीक्षा के दौरान विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर (शहरी) और गोपालगंज में यह देखा गया कि 81 विच्छेदित उपभोक्ताओं के संदर्भ में 4.99 करोड़ रूपये की बकाए देय–राशि को चालु खाता में स्थानान्तरित नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2006 तक 4.99 करोड़ रूपये की अवरूद्ध राशि पर 3.23[1] करोड़ रूपये ब्याज की बोर्ड को हानि हुई।

अपर्याप्त प्रतिभूति जमा

3.1.20 टैरिफ (1993) के खंड 15.3(सी) के अनुसार यदि अप्रैल से सितम्बर या अक्टूबर से मार्च तक के छः माह के विपत्रों की कुल राशि का आधा, वर्तमान प्रतिभूति जमा से 20 प्रतिशत बढ़ जाती है तो प्रतिभूति जमा को उस राशि तक बढ़ा देना चाहिए और उपभोक्ता को अतिरिक्त प्रतिभूति राशि जमा करने के लिए नोटिस दिया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा जॉच में पाया गया कि 183 उपभोक्ताओं से 1.45 करोड़ रूपये की अतिरिक्त प्रतिभूति जमा की मांग नहीं किया गया। प्रतिभूति जमा की अपर्याप्तता के कारण बकाया असुरक्षित रह गया और बोर्ड इस राशि के तरलता से वंचित रहा।

ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं का गलत श्रेणीकरण

उपभोक्ताओं के गलत श्रेणीकरण के फलस्वरूप 1.25 करोड़ की हानि हुई।

3.1.21 बोर्ड ने अधिसूचना निर्गत किया (मई 2001) कि ग्रामीण क्षेत्रो में वे उपभोक्ता जिनको नगरीय/शहरी फीडरों से विद्युत सम्बन्ध दिया जाता है, को विपत्रीकरण करने के लिए डी.एस.–II में श्रेणीकृत किया जाना चाहिए। लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि अधिसूचना का उल्लंघन करते हुए 3,594 घरेलू उपभोक्ताओं, जो शहरी फीडर से विद्युत प्राप्त कर रहे थे को डी.एस.–II के स्थान पर डी.एस.–I में श्रेणीकृत किया गया। इस प्रकार गलत श्रेणीकरण करने के कारण 2001–06 के दौरान बोर्ड को 1.25 करोड़ रूपये की हानि उठानी पड़ी।

बोर्ड ने लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (नवम्बर 2006)।

धमन भट्ठी क्षमता का गलत माप

3.1.22 धमन भट्ठी रखने वाले उपभोक्ता के राजस्व का निर्धारण नियत प्रभार (600 रूपये प्रति मेट्रिक टन), जो कि धमन भट्ठी की क्षमता पर निर्भर करता है तथा उपयोगित विद्युत (1.20 रूपये प्रति इकाई) पर आधारित रहता हैं। इस प्रकार धमन भट्ठी उपभोक्ताओं के प्रकरण में राजस्व के सही निर्धारण के लिए भट्ठी क्षमता का माप एक महत्वपूर्ण कारक है।

भट्ठी क्षमता का गलत माप के कारण 8.29 करोड़ रूपये की हानि हुई।

बोर्ड के दल ने जगदम्बा इस्पात के परिसर का निरीक्षण किया (16 दिसम्बर 1999) और दोनों भट्ठियों की क्षमता का निर्धारण 8.799 एम.टी. किया। लेकिन विद्युत अधीक्षण अभियंता (वि.अ.अभि.) द्वारा दल के माप को उपेक्षित करते हुए 24 सितम्बर 1999 को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा भट्ठी क्षमता की घोषणा के आधार पर उपभोक्ता के साथ 5.5 एम.टी. पर एकरारनामा किया गया। पुनः 25 अगस्त 2001, 1 सितम्बर 2001 और 30 सितम्बर 2001 को भट्ठियों का माप लिया गया और "रैमिंग मास", को घटाकर जो कि सितम्बर 2004 तक स्वीकार्य नहीं था, 4.97 एम.टी. निर्धारित किया गया। इस प्रकार भट्ठी क्षमता का गलत माप की गणना करने के कारण बोर्ड को 8.29 करोड़ रूपये की हानि उठानी पड़ी।

[1] राज्य सरकार द्वारा ऋण पर 13 प्रतिशत की दर से प्रभारित

बोर्ड ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (नवम्बर 2006)।

बोर्ड के फैसले का उल्लंघन

3.1.23 जे.एम.डी. एलॉयज, बिहटा जिसका संविदा मॉग 4,850 के.वी.ए. था, को बोर्ड के विद्युत चोरी निरोधक प्रकोष्ठ द्वारा उर्जा चोरी करते हुए 7,200 के.वी.ए. ट्रांसफर्मर क्षमता का उपयोग करते हुए पाया गया। पुलिस में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफ.आई.आर.) दर्ज किया गया और टैरिफ के खंड 16.9 के अनुसार दंडात्मक विपत्र निर्गत किया गया। राशि का भुगतान नहीं करने के कारण 28 अगस्त 1999 को विद्युत सम्बन्ध विच्छेदित कर दिया गया। उपभोक्ता द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर किया गया। न्यायालय ने 60 लाख रूपये की भुगतान के शर्तो पर विद्युत पुनः चालू करने का आदेश दिया। उपभोक्ता ने सूचित किया कि उसके धमन भट्ठी की क्षमता 9 एम.टी. है। स्वतंत्र एजेंसी, आई.आई.टी., कानपुर को भट्ठी की क्षमता माप के लिए आवेदित किया गया। आई.आई.टी., कानपुर भट्ठी की क्षमता 9.3 एम.टी. निर्धारित किया और साथ ही अभ्युक्ति दिया कि " एक भट्ठी में तल को बढ़ा हुआ पाया गया और कुंडली–जोड़ घटा हुआ पाया गया, यद्यपि संवेदी बाहरी लोहा को मूल लम्बाई में ही पाया गया।" यह एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कुंडली को मूल स्तर तक बढ़ाया जा सकता था और इस मामला में भट्ठी की क्षमता बढ़ सकती थी। बोर्ड के दल भट्ठी का निरीक्षण किया (जून 2000) और माप के आधार पर भट्ठी की क्षमता को 11 एम. टी. पाया।

बोर्ड ने उपभोक्ता को 11 एम.टी. (6,600 के.वी.ए.) एकरारनामा निष्पादन करने के लिये कहा, लेकिन विद्युत अधीक्षण अभियंता ने उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन कर 9 एम.टी. (5,400 के.वी.ए.) एकरारनामा का क्रियान्वयन किया। यद्यपि बोर्ड ने 11 एम.टी. पर भुगतान लेने का आदेश दिया, विद्युत अधीक्षण अभियंता 9 एम.टी. पर भुगतान लेना जारी रखा।

इस प्रकार विद्युत अधीक्षण अभियंता द्वारा बोर्ड के निर्देश का उल्लंघन कर उपभोक्ता को अनुचित लाभ पहुँचाया और बोर्ड को 8.80 करोड़ रूपये राजस्व की हानि हुई।

बोर्ड ने कोई उपयुक्त जवाब प्रस्तुत नहीं किया।

राजस्व का संग्रहण

3.1.24 मासिक आधार पर उपभोक्ताओं को निर्गत उर्जा विपत्रों का भुगतान निर्धारित अवधि के अन्दर किया जाता है। बोर्ड के अवर प्रमण्डलों के स्तर पर दैनिक संग्रहित राजस्व को प्रतिदिन विभिन्न बैंकों में अक्रियात्मक प्राप्ति खाता में जमा किया जाना चाहिए। ये बैंक जमा राशियों को पटना स्थित मुख्य शाखा में स्थानांतरित करेंगे, जहॉ उस राशि को बोर्ड के मुख्य राजस्व खाता में जमा किया जाएगा। राजस्व के संग्रहण एवं प्रेषण तथा बैंकों द्वारा स्थानान्तरण विधि की लेखा परीक्षा जॉच में निम्नलिखित कमियॉ/अनियमितताएँ पाई गई :–

अपर्याप्त वसूली निष्पादन

3.1.25 2001–06 के दौरान बिक्री योग्य उपलब्ध उर्जा एवं वास्तव–में–बिक्री की गई उर्जा तथा बकाया सहित की गई वसूली की स्थिति निम्नलिखित है :

(राशि : रूपये करोड़ में)

क्र0सं0	विवरण	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05
1	बिक्री हेतु उपलब्ध उर्जा (एम.यु.)	6,216.72	6,162.76	6,071.20	6,555.20
2	बिक्री की गई उर्जा (एम.यु.)	3,843.61	2,338.52	2,771.30	2,922.55

3	उर्जा की बिक्री से उपलब्ध उर्जा की प्रतिशत	61.80	37.95	45.65	44.58
4	कुल निर्धारित राजस्व	1,196.83	1,313.19	1,452.78	1,547.69
5	वर्ष के आरम्भ में बकाया	2,819.83	3,171.74	3,698.17	4,387.06
6	कुल प्राप्ति योग्य राशि	4,016.66	4,484.93	5,150.95	5,934.75
7	संग्रहित राजस्व (बकाया सहित)	844.92	786.76	763.89	848.53
8	प्राप्ति योग्य राशि से संग्रहण का प्रतिशत	20.01	17.54	14.83	14.30
9	वर्ष के अंत में बकाया राशि	3,171.74	3,698.17	4,387.06	5,086.22
10	बकाया में वृद्धि	351.91	526.43	763.89	699.16
11	वृद्धि का प्रतिशत	12.48	16.60	14.83	16.08
12	13% की दर से ब्याज की हानि	366.58	412.33	480.76	570.32
13	बकाया, महीने के संख्या के शब्द में	26.73	37.08	40.10	39.44

नोट : 2005–06 के ऑकड़े उपलब्ध नहीं थे।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2001–06 के दौरान उपलब्ध उर्जा से उर्जा बिक्री का प्रतिशत 37.95 से 61.80 तक रहा, 2001–02 में 61.80 से 2004–05 को 44.58 साल दर साल पतन हुआ और 2002–03 में निम्नतम 37.95 था। वास्तविक वसूली की स्थिति काफी कम रही, जो कि उक्त अवधि में कुल बकाया देय राशि का 14.30 से 20.01 प्रतिशत के बीच रहा।

विद्युत अधिनियम, 1910 के साथ विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 के प्रावधानुसार भुगतान की निर्धारित तिथि के एक माह पश्चात्, भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को पन्द्रह दिनों का नोटिस दिया जाना चाहिए और यदि राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो विद्युत सम्बन्ध विच्छेदित कर देना चाहिए ताकि बकाया में अनावश्यक बढ़ोतरी न हो। तथापि, अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में बोर्ड असफल रहा, जिससे करोड़ों का बकाया इकठ्ठा हो गया। अपर्याप्त वसूली के कारण उर्जा देनदारी 3,171.74 करोड़ रूपये (2001–02) से बढ़कर 5,086.22 करोड़ रूपये (2004–05) हो गया, जो कि 26.73 से 39.44 महीनों के अनुमानित आकलन के बराबर था, जबकि उपभोक्ताओं का तीन महीना के आकलन के बराबर प्रतिभूति जमा रहता है। बकाया वसूली नहीं होने के कारण निधि अवरूद्ध होने से 2001–05 के अवधि में बोर्ड को 1,858.42 करोड़ रूपये ब्याज की भारी हानि उठानी पड़ी।

लापता उपभोक्ता

3.1.26 विद्युत आपूर्ति के सामान्य निबंधन और शर्त के अनुसार अगर कोई उपभोक्ता प्रस्तुत विपत्र का भुगतान विपत्र में उल्लेखित देय तिथि के अन्दर करने में विफल रहता है तो, बोर्ड भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 24 के उप धारा 1 के साथ ही विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 के अंतर्गत पन्द्रह दिनों की लिखित सूचना देकर विद्युत आपूर्ति विच्छेद कर सकता है, एवं समुचित वैधानिक कार्रवाई कर उपभोक्ता से वसूली कर सकता है बिना उसके अधिकार पर प्रतिकुल प्रभाव पड़े हुये। लेखा परीक्षा में यह अवलोकित हुआ कि अधिनियम/टैरिफ के उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा था। इसके परिणामस्वरूप 89 उपभोक्ता, जिनके पास 71.12 लाख रूपये का बकाया राशि था, लापता हो गये। इसलिए 71.12 लाख रूपये की वसूली संदिग्ध हो गई।

71.12 लाख रूपये बकाये वाले उपभोक्ताओं का पता नहीं था।

बोर्ड ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया (नवम्बर 2006) और समुचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

छूट का दावा अनिष्पादन

3.1.27 उच्च विभव उपभोक्ताओं के एकरारनामा प्रपत्र की धारा 13 के अनुसार यदि किसी समय उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति हड़ताल, दंगा, आग, बाढ़, विस्फोट या अन्य कारणों से जो तर्कसंगत रूप से उपभोक्ताओं के नियंत्रण से बाहर हो, बाधित हुई या 30 मिनट और उससे अधिक या तो लोड शेडिंग या बोर्ड के नियंत्रण से बाहर की प्रणाली विफलता के कारण विद्युत रूकी है तो टैरिफ में वर्णित मॉग प्रभार अनुपातिक रूप में घटाया जा सकता है। संबंधित क्षेत्र के महाप्रबंधक–सह–मुख्य–अभियंता (जी.एम सह सी.ई.), मामलों के मात्र मध्यस्त होंगे जो दावा के दाखिल होने चार महीने के अन्दर निर्णय देंगे।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि 253 उपभोक्ताओं द्वारा 2005–06 तक 9.17 करोड़ रूपये की छूट का दावा दाखिल करने के पश्चात्, आपूर्ति अंचल/प्रमण्डल से आपूर्ति व्यवधान प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण, सम्बन्धित महाप्रबंधक–सह–मुख्य–अभियंता द्वारा मामला अनिर्णीत रहा। इसके परिणामस्वरूप, बोर्ड उस राशि की वसूली नहीं कर सका।

बोर्ड ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया (नवम्बर 2006)।

त्रुटिपूर्ण एकरारनामा के कारण ब्याज की हानि

3.1.28 बैंको के साथ व्यवस्था के अन्तर्गत अवर–प्रमण्डलों/प्रमण्डलों द्वारा किए गए सारे राजस्व जमा को, बैकों की शाखाओं द्वारा, बोर्ड के चालू खाता में जमा करने के लिए पटना में उनके मुख्य शाखा में प्रतिदिन प्रेषित करने थे।

बैंकों द्वारा विलम्ब से निधि का स्थानान्तरण करने से 1.12 करोड़ रूपये के ब्याज की हानि हुई।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 2001–06 के दौरान 39.20 करोड़ रूपये राजस्व को बैंकों द्वारा प्रतिदिन के आधार पर पटना स्थित मुख्य शाखा में प्रेषित नहीं किया गया था। राजस्व प्रेषण में विलम्ब 10 से 770 दिनों के बीच किया गया। बोर्ड को उस राशि पर 13[1] प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से गणना करने पर 1.12 करोड़ रूपये ब्याज की हानि हुई। एकरारनामा में बैंकों की विभिन्न शाखाओं द्वारा उनके पटना के मुख्य शाखा में स्थानान्तरण में विलम्ब से सम्बन्धित क्षतिपूर्ति के लिए कोई दांडिक क्लॉज नहीं होने के कारण बोर्ड ने ब्याज हानि के लिए दावा नहीं किया।

लुप्त जमा

2.23 करोड़ रूपये जमा राजस्व लुप्त हो गये।

3.1.29 बोर्ड 11 बैंक शाखाओं में अपने पटना स्थित मुख्यालय में राजस्व प्राप्त करता है। लेखापरीक्षा जॉच में यह पाया गया कि 2.23 करोड़ रूपये, जो क्षेत्रीय इकाई द्वारा जमा किये गये थे, परन्तु पटना स्थित बोर्ड मुख्यालय के मुख्य खाता में जमा नहीं हुये थे। 2004–05 के दौरान बोर्ड का 2.23 करोड़ रूपये राशि अवरूद्ध रही एवं इसके अतिरिक्त उस राशि पर ब्याज के रूप में 15.07 लाख[2] रूपये की हानि भी उठानी पड़ी।

बोर्ड द्वारा बताया गया कि (नवम्बर 2006) लेखा परीक्षा द्वारा संकेत किए गए 2.23 करोड़ रूपये में से 2.01 करोड़ रूपये बैंकों द्वारा जमा कर दिया गया है तथा 22 लाख रूपये लुप्त हैं। तथापि बोर्ड द्वारा ब्याज हानि के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई।

[1] राज्य सरकार द्वारा बोर्ड को दिए गए ऋण पर ब्याज की दर

[2] सरकार द्वारा ऋण पर 13% ब्याज की दर से गणना के आधार पर

कालातीत राजस्व

3.1.30 टैरिफ (2001) के खंड 15.4 (ई) के साथ विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 के अनुसार, अगर कोई उपभोक्ता उसकों प्रस्तुत विपत्र का भुगतान देय तिथि के अंदर नहीं करता हैं तो, बोर्ड को पन्द्रह दिनों की नोटिस दी जानी चाहिए और भुगतान नहीं होने की स्थिति में विद्युत सम्बन्ध विच्छेदित करना चाहिए तथा बकाए की वसूली के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई के लिए पहल करना चाहिए। लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि यद्यपि उपभोक्ताओं का विद्युत सम्बन्ध विच्छेदित किया गया था, लेकिन विच्छेदन तिथि के तीन वर्षो की अवधि के अंदर वैधानिक कार्रवाई नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, सीमित अधिनियम प्रावधानों के अंतर्गत मार्च 2006 तक विभिन्न उपभोक्ताओं के विरूद्ध 26.79 करोड़ रूपये अवसूलनीय हो गया। इस कालातीत राजस्व के कारणों को पता करने के लिए कोई छानबीन नहीं की गई और न ही इस भूल के लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कोई कार्रवाई की गई। आगे, ऐसे कालातीत राजस्व की उगाही के लिए बोर्ड के पास कोई वैधानिक उपाय नहीं बचा था।

विद्युत चोरी निरोधक उपाय

3.1.31 के.वि.प्रा. के मानकों के अनुसार संचरण एवं वितरण हानियॉ दोनों मिलाकर 15.5[1] प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। वर्ष 2004–05 तक चार वर्षो के दौरान बोर्ड की संचरण एवं वितरण हानियॉ क्रमशः 5 प्रतिशत (1,250.21 एम.यु.) और 47.52 प्रतिशत (11,880.84 एम.यु.) थे। हानियों का कारण संचरण एवं वितरण प्रणालियों में सहज दोष तथा उपभोक्ताओं एवं अन्य द्वारा विद्युत चोरी था।

इस विद्युत चोरी का पता लगाने के लिए बोर्ड द्वारा मुख्यालय स्थित मुख्य अभियंता (उर्जा लेखांकन) के अधीन एवं सभी क्षेत्रीय पर्षद कार्यालयों में विद्युत चोरी निरोधक प्रकोष्ठ की स्थापना हुई। इन प्रकोष्ठों को उपभोक्ताओं और अन्य द्वारा विद्युत चोरी का पता लगाने के लिए आवधिक छापामारी करनी थी। खास अवधि में छापामारी करने व लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए बोर्ड के पास कोई पद्धति नहीं थी।

विद्युत चोरी निरोधक उपाय अपर्याप्त था।

लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि 2002–06 (जून 2005 तक) के अवधि में उपलब्ध 5,889 दलों के विरूद्ध बोर्ड केवल 1,961 दलों (33.30 प्रतिशत) का उपयोग कर सका। बोर्ड के अनुदेश (जुलाई 2002) के बावजूद कि बड़े फैक्ट्रियों/एच.टी.आई.एस. उपभोक्ताओं को केन्द्रित करते हुए छापेमारी की संख्या बढ़ाया जाय, उक्त अवधि में एक भी एच.टी.आई.एस. उपभोक्ता के यहॉ छापामारी नहीं की गई। इसके अलावा, लेखा परीक्षा में यह भी पाया गया कि उर्जा चोरी का पता लगने के पश्चात् भी बोर्ड समुचित कार्रवाई करने में विफल रहा।

एक व्याख्यात्मक मामला निम्न वर्णित है :

मजिस्ट्रेट के साथ बोर्ड के अभियंताओं का एक दल ने एक वाणिज्यिक उपभोक्ता (होटल भवना इंटरनेशनल) के परिसर में छापा मारा (नवम्बर 2005) जिसका सम्बन्धित भार 30 कि.वा. था, को 132 कि.वा. उर्जा उपयोग करते हुए पाया गया। तदनुसार एच.टी.आई.एस. उपभोक्ता के अधीन 13.29 लाख रूपये का दंडात्मक विपत्र निर्गत किया गया (3 दिसम्बर 2005)। भुगतान नहीं करने की स्थिति में विद्युत सम्बन्ध विच्छेदित कर दिया गया (26 दिसम्बर 2005)। लेकिन बिना किसी भुगतान प्राप्ति के पुनः उसके विद्युत सम्बन्ध को चालू कर दिया गया। दूसरा भार (लोड) जॉच, जो कि जनवरी 2006 में किया गया, तब भार 49 कि.वा. पाया गया तथा पूर्व में निर्गत दंडात्मक विपत्र को बिना किसी अभिलिखित कारणों को रद्द कर दिया गया।

[1] संचरण/सहसंचरण 8.5% और वितरण 7%

लेखापरीक्षा जॉच में यह देखा गया कि दूसरे जॉच में एअर कंडीशनरों की संख्या पूर्व जॉच से कम था क्योंकि इस प्रकार, 34 एअर कंडीशनरों को हटा दिया गया था। प्रावधानों के अनुसार एच.टी. उपभोक्ता को लागू टैरिफ न्यूनतम तीन वर्ष है। उपभोक्ता का वास्तवकि भार 132 कि.वा. था, जो कि एच.टी. श्रेणी से सम्बन्धित है, अतः उपभोक्ता से मार्च 2006 तक 20.43 लाख रूपये (132 के.वा. संस्वीकृत भार पर छः माह के लिए दुगुना दर स) प्रभारित कर एकरारनामा किया जाना चाहिए। उपभोक्ता से वसूली/उगाही नहीं होने के परिणामस्वरूप 20.43 लाख रूपये राजस्व की हानि बोर्ड को हुई।

बोर्ड ने बताया (नवम्बर 2006) की दूसरी जॉच करने पर भार 49 कि.वा. पाया गया अतः 49 कि.वा. पर विपत्रीकरण किया गया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि छापामारी के वक्त उपभोक्ता 132 कि.वा. उर्जा उपयोग करते हुये पाया गया अतः उपभोक्ता को एच.टी. उपभोक्ता के अन्तर्गत श्रेणीकृत करना चाहिए। टैरिफ के प्रावधान के अनुसार एच.टी. उपभोक्ता को न्यूनतम तीन वर्षों की अवधि के लिए संविदा मॉग के आधार पर न्युनतम गारंटी राशि का भुगतान करना चाहिए।

गुलजारबाग प्रमण्डल का विशेषाधिकारी एकरारनामा का अक्रियान्वयन

3.1.32 पेसू क्षेत्र के गुलजारबाग प्रमण्डल के राजस्व संग्रहण के विशेषाधिकार कार्य उच्चतम बोली लगाने वाले, बालाजी कन्सलटेंसी, पटना को अधिनिर्णीत किया गया। लेकिन पूर्ण प्रतिभूति जमा नहीं करने के कारण आशय पत्र (एल.ओ.आई.) रद्द कर दिया गया (अप्रैल 2005)। बालाजी कंसलटेन्सी को निर्गत आशय पत्र रद्द करने के पश्चात् कार्य को दुसरे उच्चतम बोली लगाने वाले, प्रकृति इन्टरप्राईजेज, पटना को निम्नतर वसूली दर और उच्चतर कमीशन दर पर अधिनिर्णीत किया गया। यद्यपि इस फर्म द्वारा भी पूरा प्रतिभूति राशि जमा नहीं किया गया, फिर भी फर्म के साथ एकरारनामा निष्पादित किया गया (अगस्त 2003)। कार्य को 1 सितम्बर 2005 में शुरू करना था लेकिन बोर्ड बिना किसी कारण के इसको अगले आदेश तक स्थगित रखा। फर्म, सितम्बर से नवम्बर 2005 तक 24.62 लाख रूपये प्रति माह की दर से 73.86 लाख रूपये का विपत्र प्रस्तुत किया। बोर्ड द्वारा विपत्रों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया (सितम्बर 2006)।

बोर्ड एकरारनामा को स्थगित रख कर 73.86 लाख रूपये के दायित्व का सृजन किया।

इस प्रकार, बोर्ड द्वारा इस सम्बन्ध में अंतिम फैसला लेने में विफलता के कारण 73.86 लाख रूपये का दायित्व सृजन हुआ। इसके अतिरिक्त, शर्तो को पूर्ण किए बिना फर्म को निम्नतम वापसी, उच्चतम कमीशन दर पर करने का अधिनिर्णय संबंधी अनियमितताओं के कारणों का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था।

आंतरिक नियंत्रण एवं आंतरिक लेखापरीक्षा

31.33 आंतरिक नियंत्रण युक्तिसंगत आश्वासन मुहैया कराने के लिए एक प्रबन्धन उपकरण है, ताकि संस्था जबाबदेही के दायित्वों को पूरा करें, सुव्यवस्थित एवं सक्षम संचालन मुहैया कराने, परिसम्पतियों एवं प्रबन्धन नीति की सुरक्षा करे तथा समय पर प्रतिवेदन के माध्यम से विश्वसनीय वित्तीय ऑकड़े उद्घाटित करे। आंतरिक नियंत्रण में बजट नियंत्रण, लेखा नियंत्रण, मुल्य नियंत्रण, आवधिक प्रचालन प्रतिवेदन, सांख्यिकीय विश्लेषण और आंतरिक लेखा परीक्षा सम्मिलित है।

लेखा परीक्षा जॉच में इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कमियॉ पाई गई :

विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 61 में अंर्तनिहित उपबंध के अनुसार, बोर्ड को आगामी वर्ष के लिए अनुमानित पूँजी एवं राजस्व प्राप्तियॉ एवं व्यय के साथ एक वार्षिक वित्तीय विवरणी तथा चालू वर्ष के लिए अनुपूरक विवरणी प्रत्येक वर्ष फरवरी में विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु राज्य सरकार को पेश करना होता है। यह

निरीक्षित हुआ कि वर्ष 2002–03, 2004–05 और 2005–06 के लिए बजट को मई 2002 और जून 2005 में क्रमशः तीन माह, एक वर्ष और चार माह के विलम्ब से अनुमोदित किया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2004–05 तक चार वर्षो के लिए संशोधित बजट और वास्तविक के बीच बड़ी भिन्नता थी (12 से 57 प्रतिशत)। वर्ष 2002–06 के लिए सांख्यिकीय प्रतिवेदन बोर्ड द्वारा अभी तक तैयार नहीं किया गया था।

विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 69 के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर बोर्ड के वार्षिक लेखा को अन्तिम रूप दे दिया जाना चाहिए। परन्तु बोर्ड का लेखा मात्र वर्ष 2002–03 तक ही पूर्ण हुआ था (सितम्बर 2006)।

बोर्ड के आंतरिक लेखा परीक्षा स्कन्ध द्वारा वर्ष 2005–06 तक पॉच वर्षो के दौरान 490 आन्तरिक लेखा परीक्षा इकाई के विरूद्ध केवल 128 इकाई (26%) की लेखापरीक्षा की गई। आंतरिक लेखा परीक्षा उपभोक्ताओं/कर्मियों से 41.34 करोड़ रूपये वसूली का सुझाव दिया, जिसके विरूद्ध मात्र 32 लाख रूपये (0.77%) ही वसूल हो पाया। आंतरिक लेखा परीक्षा द्वारा उठाई गई अनियमितताओं को बोर्ड के समक्ष समुचित कार्रवाई के लिए पेश नहीं किया गया। इस प्रकार, आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखा परीक्षा बोर्ड में अप्रभावी थे।

निष्कर्ष

टैरिफ, विपत्रीकरण और राजस्व के संग्रहण के सन्दर्भ में बोर्ड का निष्पादन, प्रचालन क्षमताओं, विभिन्न श्रेणियों के टैरिफ निर्धारण में कमियॉ और अप्रभावी राजस्व संग्रह चरित्रित करता है। टैरिफ पुनरीक्षण भी आवधिक नहीं किया गया है।

बोर्ड द्वारा क्रय किए गए आधे से अधिक उर्जा संचरण एवं वितरण हानियों में बर्बाद हो जाता है। बोर्ड द्वारा संग्रहित राजस्व का साल दर साल पतन के कारण भारी मात्रा में बकाया और परिणामस्वरूप ब्याज की हानि होती है। बोर्ड का राजस्व संग्रहण पद्धति अशक्ताओं यथा, बैकों द्वारा संग्रहित राजस्व का विलम्ब से प्रेषण, लुप्त जमा, अल्प विपत्रीकरण और लापता उपभोक्ता से प्रभावित होता है।

बोर्ड ने अपने ही निर्देशनों, विच्छेदित उपभोक्ताओं के बकाये का चालू उपभोक्ताओं में स्थानांतरण, प्रतिभूति जमा का पुनरीक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों का श्रेणीकरण और धमन भट्ठी का माप के संदर्भ में उल्लंघन किया। बोर्ड द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने के फलस्वरूप बकाया कालातीत हो गया। चोरी का पता लगाना तथा उसका रोकना अप्रभावी था और आंतरिक नियंत्रण कमजोर था।

अनुशंसाऐं

बोर्ड को चाहिए कि :

- अधिनियम के अनुसार टैरिफ निर्धारित करे अैर उसे नियमित पुनरीक्षित करें,
- उपभोक्ताओं को सही विपत्र शीघ्र निर्गत करे,
- दोषी उपभोक्ताओं और विद्युत चोरी के विरूद्ध समुचित कार्रवाई करे, जिससे कि राशि कालातीत होने और उपभोक्ताओं को लापता होने से रोका जा सके।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2006), जवाब अप्राप्त था।

3.2 त्वरित उर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम सहित उर्जा क्षेत्र में सुधार

मुख्य अंश

समझौता पत्रक (एम.ओ.यू.) के हस्ताक्षर के पांच वर्षों के बीत जाने के बावजूद बिहार राज्य विद्युत बोर्ड उससे प्रतिबद्ध कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका।

(कंडिका 3.2.1)

बोर्ड को कृषि सम्बन्धी अनुसूची का मानक से कम निर्धारण करने से 57.37 करोड़ रूपये की हानि हुई।

(कंडिका 3.2.7)

बोर्ड द्वारा बिना प्रतिस्पर्धी दरों को आमंत्रित किये पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (पी.जी.सी.आई.एल.) को कार्य देने से 27.86 करोड़ रूपये की हानि हुई एवं वह प्रतिस्पर्धी दरों का लाभ लेने के अवसर से भी वंचित रहा।

(कंडिका 3.2.8)

बोर्ड ने त्वरित उर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.) के अन्तर्गत 334.36 करोड़ रूपये के अनुदान/ऋण भारत सरकार से प्राप्त किया एवं 121.48 करोड़ रूपये ऋण के रूप में पावर फाइनेंस कारपोरेशन से प्राप्त किया। राज्य सरकार ने 147.57 करोड़ रूपये के अनुदान को ऋण माना जिससे बोर्ड को 22.71 करोड़ रूपये ब्याज का अधिभार हुआ।

(कंडिका 3.2.10)

बोर्ड ने 12.00 करोड़ रूपये का अग्रिम पी.जी.सी.आई.एल. को बिना अनुबंध हस्ताक्षर किये दिया फलस्वरूप धन के अवरूद्ध होने साथ 1.17 करोड़ रूपये ब्याज की अनुवर्ती हानि हुई।

(कंडिका 3.2.12)

306.42 करोड़ रूपये व्यय करने एवं नियत तिथि व्यतीत होने के बावजूद पी.जी.सी.आई.एल. द्वारा कोई भी कार्य पूर्ण नहीं किया गया।

(कंडिका 3.2.13)

परिचय

3.2.1 बिहार सरकार (जी.ओ.बी.) एवं भारत सरकार (जी.ओ.आई.) ने उर्जा क्षेत्र में समयबद्ध सुधार के उपाय की साझी वचनबद्धता के लिए एक समझौता पत्रक पर सितम्बर 2001 में हस्ताक्षर किये। यह समझौता पत्रक वार्षिक समीक्षा के अधीन पांच वर्ष के लिए वैद्य था। समझौता पत्रक की अवधि सितम्बर 2006 में समाप्त हुई एवं अद्यतन अवधि विस्तार नहीं किया गया (अक्टूबर 2006)।

उर्जा क्षेत्र में सुधार कार्यक्रम के उद्देश्यों में सभी घरेलू लोगों को समर्थ मूल्य पर अबधित उर्जा की आपूर्ति करना एवं उर्जा क्षेत्र की वाणिज्यिक व्यवहार्यता को प्राप्त करना था जिससे कि उर्जा की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति एवं उसके द्वारा, राज्य के त्वरित आर्थिक विकास के लिए आवश्यक विनियोग किया जा सके।

उर्जा क्षेत्र में सुधार के लिए बिहार सरकार (जी.ओ.बी.) के समझौता पत्रक (एम.ओ.यू.) में की गई बचनबद्धता में तदनुसार बोर्ड के कार्यात्मक बटवारे, सभी गांवों का वर्ष 2006

तक विद्युतीकरण, 31 मार्च 2003 तक घाटे की समाप्ति को सुनिश्चित करना, अंचल सम्पति पर 3 प्रतिशत प्रतिलाभ अर्जित करना, वर्ष 2002 तक प्रणालीगत हानियों को कम करके 18 प्रतिशत तक लाना, प्रभावी वितरण प्रबंधन सूचना प्रणाली का विकास, कृषि से सम्बन्धित दर सूची को न्यूनतम 50 पैसे प्रति यूनिट पर सुनिश्चित करना, थर्मलपावर स्टेशनों के प्लांट लोड फैक्टर को सुधारने का कार्य, दिसम्बर 2001 तक फीडर मीटरों का लगाना, उर्जा के लेखापरीक्षा को 2003 तक कार्यशील बनाना एवं उपभोक्ताओं की शत प्रतिशत मीटरिंग को सुनिश्चित करना था।

एम.ओ.यू. के प्रावधानों के अनुसार, भारत सरकार को त्वरित उर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम से नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण, एवं थर्मल एवं जल–विद्युत उत्पादन इकाइयों को गति देने, उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली के पारेषण एवं वितरण (टी. एण्ड डी.) हानियों को दिसम्बर 2002 तक 18 प्रतिशत तक कम करने हेतु विकसित करने के लिए धन उपलबध कराना था। ए.पी.डी.पी. को वर्ष 2002–03 में त्वरित उर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए.पी.आर.डी.पी.) में पुर्ननामांकित कर दिया जिसे राज्य विद्युत बोर्डो के वाणिज्यिक व्यवहार्यता को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध विनियोग कार्यक्रमों से विनियोजन को सम्पूर्ण एवं गहन करना था। ए.पी.डी.आर.पी. शहरों के सघन विद्युतीकृत क्षेत्रों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली के उन्नयन, एवं राज्य विद्युत बोर्ड (रा.वि.बो.) की वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर केन्द्रित था।

ए.पी.डी.आर.पी. के प्रमुख उद्देश्यों में तंत्रीय एवं वाणिज्यिक (ए.टी. एण्ड सी.) हानियों के परिमाण में कमी लाना, उर्जा क्षेत्र में वाणिज्यिक व्यवहार्यता लाना, बन्दी एवं व्यवधानों में कमी लाना एवं उपभोक्ता के संन्तोष में वृद्धि करना था। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार को उप पारेषण प्रणाली को सुदृढ़ एवं विकसित करने हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय योजनागत सहायता[1] साथ ही नकद हानियों में कमी के समतुल्य अनुदान प्रदान करना था।

लेखापरीक्षा के क्षेत्र

3.2.2 अप्रैल से मई एवं सितम्बर से अक्टूबर 2006 के दौरान उर्जा क्षेत्र में सुधार एवं ए.पी.डी.आर.पी. में की गई वर्तमान निष्पादन समीक्षा जिसमें 12 में से 6[2] वृत कार्यालयों को सम्मिलित करते हुये 2001–02 से 2005–06 के दौरान कियान्वयन का मूल्यांकन करती है। चयनित अंचल के परियोजनाओं की अनुमानित लागत रूपये 320.67 करोड़ रूपये था, जिसके विरूद्ध बोर्ड ने 199.93 करोड़ रूपये सितम्बर 2006 तक व्यय किये।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य

3.2.3 उर्जा क्षेत्र में सुधार कार्यक्रम एवं ए.पी.डी.आर.पी. निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिये कि क्या :

- परियोजनाओं के सावधानीपूर्वक योजनागत तरीके से बनाया गया था, योजनाओं को नियत समय में लाभों को ध्यान मे रखते हुये लागू किया गया,
- निधिकरण की आवश्यकताओं के विश्वसनीयता से सुनिश्चित किया गया था एवं बिहार सरकार एवं बोर्ड द्वारा धन समय से स्वीकृत एवं उपलब्ध कराया गया,
- बोर्ड के स्तर पर एक प्रभावी अनुश्रवण तंत्र था जिससे कि एम.ओ.यू. में वचनबद्ध लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके,

[1] अविशिष्ट श्रेणी के राज्यों के लिए परियोजना लागत का 25% अनुदान एवं 25 प्रतिशत ऋण के रूप में।
[2] भागलपुर, दरभंगा, गया, पेसू (पूर्व), पेसू (पश्चिम) एवं पूर्णिया

- उपलब्ध धन का प्रभावी, दक्ष एवं मितव्ययी प्रयोग किया गया,
- कुल तंत्रीय एवं वाणिज्यिक (ए.टी. एवं सी.) हानियॉ, एम.ओ.यू. एवं ए.ओ.ए. में निर्धारित स्तर एवं लक्ष्यों के अनुरूप थी,
- निविदागत एवं मूल्यांकन प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से लागू किया गया था एवं प्रतिस्पर्धी दर सुनिशचित किये गये थे,
- हानियों में कमी व राजस्व की वसूली विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप जा रही थी।

लेखापरीक्षा मापदण्ड

3.2.4 उर्जा क्षेत्र में सुधार कार्यक्रम एवं ए.पी.डी.आर.पी. का मूल्यांकन निम्न के संदर्भ में किया गया:

- एम.ओ.यू./एम.ओ.ए. में निर्धारित बेंचमार्क एवं लक्ष्य,
- जी.ओ.आई./जी.ओ.बी. के दिशा निर्देश,
- ए.पी.डी.आर.पी. योजना के दिशा निर्देश,
- पी.जी.सी.आई.एल. के साथ अनुबन्ध के नियम एवं शर्ते,
- सम्पूर्ण योजना की निर्धारित समय सीमा।

लेखापरीक्षा की पद्धति

3.2.5 निम्नलिखित पद्धतियों को मिले जुले रूप में अंगीकृत किया गया:

- एम.ओ.यू./एम.ओ.ए. एवं जी.ओ.आई./जी.ओ.बी. के दिशा निर्देशों का अध्ययन,
- प्रस्तावों एवं परियोजनाओं के विस्तृत प्रतिवेदनों से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच,
- कार्यादेशों एवं उनके कार्यान्वयन से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच,
- प्रबंधन से वार्ता।

लेखापरीक्षा परिणाम

3.2.6 लेखापरीक्षा के परिणामों को सरकार/प्रबंधन को जून 2006 में प्रतिवेदित किया गया एवं राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए लेखा परीक्षा समिति (ए.आर.सी.पी.एस.ई.) की बैठक दिनांक 9 नवम्बर 2006 में वार्ता की गई, जिसमें सरकार का प्रतिनिधित्व अतिरिक्त सचिव, उर्जा विभाग एवं बोर्ड का प्रतिनिधित्व मुख्य अभियंता (वाणिज्य) द्वारा किया गया। समीक्षा का अन्तिमीकरण सरकार/ बोर्ड के मत को समाहित करने के पश्चात किया गया।

लेखापरीक्षा परिणाम निम्न कंडिकाओं में वर्णित है।

बिहार सरकार/बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा सुधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्थिति

3.2.7 उन क्षेत्रों जहां बिहार सरकार द्वारा सुधार कार्यक्रम से सम्बन्धित एम.ओ.यू. मे की गई वचनबद्धता के कार्यान्वयन में देर हुई है **परिशिष्ट–14** में दर्शित है। परिशिष्ट से यह देखा जा सकता है कि बोर्ड बचनबद्धता के कार्यान्वयन में पूर्ण रूप से असफल रहा। कुछ प्रमुख कमियॉ निम्न प्रकार वर्णित है :

- 45,103 ग्रामों के विद्युतीकरण के विरूद्ध बोर्ड अद्यतन मात्र 20,473 ग्रामों (45.39 प्रतिशत) का ही विद्युतीकरण कर पाया है (मार्च 2006)।
- राज्य सरकार बिहार विद्युत सुधार बिल लागू नहीं कर पाई है परिणामस्वरूप बोर्ड का विभाजन नहीं हो सका।
- बोर्ड अद्यतन न तो फीडर मीटर लगा पाया है (अक्टूबर 2006) और न ही 11के.वी. स्तर पर जून 2002 तक एवं सभी स्तरों पर 2003 तक उर्जा सम्प्रेक्षण को कार्यशील बनाया है।
- बोर्ड ने टी. एण्ड डी. हानियों को 18 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है।
- प्लांट लोड फैक्टर के सुधार के लिए थर्मल पावर जेनरेटिंग इकाइयों के सुधार एवं आधुनिकीकरण कार्य अद्यतन शुरू नहीं किया गया है (अक्टूबर 2006)
- मुख्यमंत्री/उर्जा मंत्री के सम्मेलन (मार्च 2001) में लिये गये निर्णय को कार्यान्वित करने हेतु कृषि उपभोक्ताओं के अनुसूची दर अद्यतन (मार्च 2006) पुनरीक्षित नहीं किया है जहॉ यह निर्णय लिया गया था कि कृषि दर न्यूनतम 50 पैसे प्रति यूनिट पर किया जाय। वही बोर्ड ने 31.08 पैसे से 32.89 पैसे प्रति यूनिट वर्ष 2002–03 से 2004–05 के दौरान चार्ज किये। परिणामस्वरूप, बोर्ड को 57.37 करोड़ रूपये की हानि 2002–03 से 2004–05 के दौरान हुई।

त्वरित उर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम का कार्यान्वयन

परियोजना का नियोजन

3.2.8 उर्जा मंत्रालय (एम.ओ.पी.) भारत सरकार ने पी.जी.सी.आई.एल. को बिहार के लिए ए.पी.डी.आर.पी. योजना का सलाहकार–सह–परामर्शदाता (ए.सी.सी.) बोर्ड के चयनित अंचल में विस्तृत अध्ययन एवं आवश्यकतानुसार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाने के लिए नियुक्त किया (अगस्त 2001)। जिसका परामर्श शुल्क वास्तविक लागत के आधार पर (परियोजना लागत का 5 प्रतिशत) किया जाना था।

भारत सरकार के दिशा–निर्देशों (जून 2003) के अनुसार, राज्य विद्युत बोर्डो को परियोजनाओं का कार्यान्वयन प्रतिस्पर्द्धात्मक दरों पर प्रतिस्पर्द्धात्मक चयन पद्धति से चयनित ठेकेदारों द्वारा किया जाना था जिससे कार्य को शीघ्रताशीघ्र सम्पूर्ण गुणवता के साथ पूरा किया जा सके। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के विपरीत बोर्ड ने बिना प्रतिस्पर्धात्मक दरों को आमंत्रित किये बिना पी.जी.सी.आई.एल. को ए.पी.डी.आर.पी. योजना के कार्यान्वयन के लिए नामांकित कर दिया। बोर्ड ने पी.जी.सी.आई.एल. को योजना की निश्चयमात्रा का आकलन हुये बिना निविदा आमंत्रित करने व कार्य करने हेतु निर्देशित किया (दिसम्बर 2002)।

परियोजना के एकमुस्त कार्यान्वयन के लिए दो अनुबन्ध, प्रथम तीन अंचल यथा, पेसू (पूर्व) पटना एवं मुजफ्फरपुर जिसकी वास्तविक लागत 163.89 करोड़ रूपये एवं द्वितीय

अन्य आठ[1] अंचलों के लिए जिसकी वास्तविक लागत 461.89 करोड़ रूपये (कुल 625.78 करोड़ रूपये) थी पी.जी.सी.आई.एल. के साथ हस्ताक्षरित किया (दिसम्बर 2003) जिसे हस्ताक्षर के दिनांक से या प्रारम्भिक अग्रिम देने की तिथि जो पहले हो से 18 माह में पूर्ण होना था।

इस प्रकार कार्य जून 2005 तक पूर्ण होना था। लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया कि बोर्ड द्वारा पी.जी.सी.आई.एल. को भूमि हस्तान्तरित न करने, पी.जी.सी.आई.एल. द्वारा उप ठेकेदारों को सामाग्री न देने व कार्य देने में विलम्ब एवं बोर्ड द्वारा अनुश्रवण एवं नियंत्रण के अभाव में कोई भी परियोजना अद्यतन पूर्ण नहीं हुई है (सितम्बर 2006)।

बोर्ड ने 27.86 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय परामर्श शुल्क के रूप में किया।

यह देखा गया कि झारखंण्ड विद्युत बोर्ड, जो बिहार विद्युत बोर्ड से अलग हुआ था ने अपना कार्य स्वयं किया एवं 10 प्रतिशत परामर्श शुल्क की बचत की। पी.जी.सी.आई.एल. ने भी कार्य उप ठेकेदारों को देकर करवाया। यदि बोर्ड ने ए.पी.डी.आर.पी. का कार्यान्वयन स्वयं किया होता तो पी.जी.सी.आई.एल. को 625.78 करोड़ रूपये अनुबंधित लागत पर देय 10 प्रतिशत परामर्श शुल्क के 62.58 करोड़ रूपये, बचाया जा सकता था। इस प्रकार बोर्ड ने प्रतिस्पर्धी दरों को सुनिश्चित किये बिना पी.जी.सी.आई.एल. को कार्य देकर परामर्श शुल्क के लिए 27.86 करोड़ रूपये (306.42 करोड़ रूपये × 10 / 110) का अतिरिक्त व्यय किया।

निधिकरण ढ़ॉचा

3.2.9 परियोजना के कार्यान्वयन के लिए उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय योजनागत सहायता एवं परिदान के संयोजन में राज्य सरकारों को दी जानी थी। केन्द्र सरकार द्वारा योजना लागत का 50 प्रतिशत ऋण एवं परिदान के रूप 1:1 के अनुपात में देय थी। बोर्ड द्वारा शेष 50% समरूप धन पावर फाइनेन्स कारपोरेशन लि. (पी.एफ.सी.) / रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन (आर.ई.सी.) या अन्य वित्तीय संस्थानों से करना था।

भारत सरकार ने तीन योजना (तीन अंचल कार्यालय में[2]) 146.68 करोड़ रूपये के लिए स्वीकृत की (जुलाई 2002) बाद में 707.37 करोड़ रूपये 12 योजनायें (नौ अंचल कार्यालय में[3]) सितम्बर 2002 से सितम्बर 2004 के दौरान योजना में और जोड़ी गई। इस प्रकार, पांच चरणों में कुल 15 योजनाए जिनकी कुल अनुमानित लागत 845.05 करोड़ रूपये थी स्वीकृत की गई जिनमें दो योजनायें (93.72 करोड़ रूपये) अभी तक शुरू नहीं की गई।

राज्य सरकार द्वारा धन न / देर से मुक्त किया जाना

3.2.10 राज्य सरकार ने ए.पी.डी.आर.पी. योजना में 21.45 करोड़ रूपये (10.725 करोड़ रूपये ऋण एवं 10.725 करोड़ रूपये अनुदान) 2001–02 के दौरान एवं 313.18 करोड़ रूपये (156.59 करोड़ रूपये ऋण के रूप में एवं 156.69 करोड़ रूपये अनुदान में) 2002–03 से 2005–06 के दौरान प्राप्त किया। लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया कि राज्य सरकार ने मात्र 10.73 करोड़ रूपये ऋण एवं 8.06 करोड़ रूपये अनुदान के रूप में 2001–02 एवं 2002–03 तदनुसार एवं 313.92 करोड़ रूपये की एक धनराशि ऋण के रूप में बोर्ड को अवमुक्त किया। शेष 1.92[4] करोड़ रूपये कालातीत हो गया जिसका पुननिर्धारण भारत सरकार से प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2006)। राज्य सरकार ने 147.57[5]

[1] पेसू (पश्चिम), रोहतास, पुर्णिया, छपरा, सहरसा, भागलपुर, दरभंगा एवं गया।

[2] मुजफ्फरपुर, पटना और पेसू (पूर्व) सर्कल

[3] भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, मुंगेर, पेसू (पश्चिम), पूर्णियॉ, सहरसा एवं रोहतास

[4] (334.63 करोड़ रूपये – 313.92 करोड़ रूपये = 20.71 करोड़ रूपये) – 18.79 करोड़ रूपये = 1.92 करोड़ रूपये

[5] कुल परिदान प्राप्ति (167.32 करोड़ रूपये – 0.96 करोड़ रूपये) – 18.779 करोड़ रूपये = 147.57 करोड़ रूपये

करोड़ रूपये को परिदान न मान कर बोर्ड पर ऋण माना जैसा कि योजना में विचार किया गया था। इस प्रकार, ए.पी.आर.डी.पी. का प्रमुख उद्देश्यः जैसे कि बोर्ड को वित्तीय व्यवहार्य बनाया जाय हतोत्साहित हुआ एवं बोर्ड को रूपये 22.71 करोड़ ब्याज के रूप में अतिरिक्त भार पड़ा।

हालांकि लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया कि राज्य सरकार ने निधियों के स्थानांतरण में 24 से 346 दिन का विलम्ब किया।

बोर्ड ने पी.एफ.सी. से वर्ष 2004–05 से 2005–06 के दौरान 121.48 करोड़ रूपये का ऋण प्राप्त किया और इस कारण सरकारी ऋण पर वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक कुल 49.37 करोड़ रूपये एवं मार्च 2006 तक पी.एफ.सी. ऋण पर कुल 5.63 करोड़ रूपये ब्याज के दायित्व का भार पड़ा।

पी.जी.सी.आई.एल. के साथ त्रुटिपूर्ण अनुबन्ध

3.2.11 बोर्ड ने अनुमोदित किया (अगस्त 2003) कि विभिन्न योजनाओं की लागत में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की दशा में पी.जी.सी.आई.एल. पुर्नरीक्षित प्राक्कलन एवं पुर्नरीक्षित कार्य समाप्ति की सूची उर्जा मंत्रालय से अनुमोदन हेतु बोर्ड को देगा। पी.जी.सी.आई.एल. द्वारा ठेकेदार से कार्य समाप्ति में देर के कारण वसूला गया लिक्विडेटेड डैमेजेस की धनराशि को परियोजना लागत में समायोजित किया जायेगा। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि पी.जी.सी.आई.एल. से अनुबन्ध करते समय उपरोक्त शर्तो को अनुबन्ध में सम्मिलित नही किया गया। इस प्रकार बोर्ड ने योजनाओं के समय एवं लागत सीमा वृद्धि हो जाने की स्थिति में अपने हितों को सुरक्षित नहीं किया। पुर्नरीक्षित लागत की स्वीकृति प्राप्त करने से बचने के लिए पी.जी.सी.आई.एल. ने स्वेच्छा से कार्य का क्षेत्र कम कर दिया जैसा कि कंडिका 3.2.14 में वर्णित है।

पी.जी.सी.आई.एल. से लिक्विडेटेड डैमेज वसूली के लिए दण्डात्मक व्यवस्था नहीं की

साथ ही, समझौता पत्रक में टर्न–की संविदा के मानक विशिष्टयों के तहत एकमुश्त निष्पादन गारण्टी का प्रावधान किया गया था। तथापि, पी.जी.सी.आई.एल. के साथ किये गये अनुबन्ध में ऐसी व्यवस्था नहीं की गई थी।

अनुबन्ध के हस्ताक्षर से पूर्व अग्रिम का भुगतान

3.2.12 पी.जी.सी.आई.एल. के साथ किये गये अनुबन्ध के अनुसार कार्य को अनुबन्ध हस्ताक्षरित होने या प्रारम्भिक अग्रिम देने की तिथि जो बाद में हो, के 18 माह अन्दर कार्य पूर्ण करना था। लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया कि बोर्ड ने 12.00 करोड़ रूपये मार्च 2003 में प्रारम्भिक अग्रिम के रूप में किया। किन्तु पी.जी.सी.आई.एल के साथ अनुबन्ध दिसम्बर 2003 में हस्ताक्षरित किया। फलस्वरूप पी.जी.सी.आई.एल. के पास 12.00 करोड़ रूपये बोर्ड को बिना किसी मूर्त लाभ के धन अवरूद्ध रहने के कारण 1. 17 करोड़ रूपये ब्याज की हानि में परिणीत हुआ (9 माह के लिए गणना, 13 प्रतिशत वार्षिक दर से)।

अनुबन्ध हस्ताक्षार से पूर्व अग्रिम देने की वजह से परिषद को 1.17 करोड़ रूपये की हानि हुई।

कार्य के कार्यान्वयन में देरी

3.2.13 ए.पी.डी.आर.पी. योजना के सम्पूर्ण कार्य 11 अंचल कार्यालयों (मुंगेर अंचल कार्यालय को छोड़कर) के 49 पैकेज में विभक्त है, 11 पैकेज मुजफ्फरपुर, पटना एवं पेसू (पूर्व) के लिए एवं 38 पैकेज शेष आठ[1] अंचल कार्यालयों के थे। बाद में उप ठेकेदारों को कार्य देते समय पी.जी.सी.आई.एल. ने इन 49 पैकेज को 54 पैकेज में पुनः विभाजित कर दिया। पी.जी.सी.आई.एल. के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार सम्पूर्ण कार्य जून 2005 तक पूर्ण होने थे। इन 54 पैकेजों में पी.जी.सी.आई.एल. ने 47 पैकेजों के

[1] पेसू (पश्चिम), रोहतास, पुर्णिया, छपरा, सहरसा, भागलपुर, दरभंगा एवं गया।

लिये कार्य प्रदान किये, जिनमें से कोई भी कार्य 306.42 करोड़ रूपये के भुगतान के बावजूद पूर्ण नहीं हुये (मार्च 2006)। 31 मार्च 2006 तक कार्यो की भौतिक प्रगति निम्न प्रकार दर्शित है:–

क्र. सं.	अंचल	सब स्टेशन के सुधार एवं आधुनिकीकरण		नये पावर सब स्टेशन		नई एवं लाइनों की पुनः कन्डक्टरिंग		नये वितरण ट्रासफारमर (फीडर लाइनों सहित)		उपभोक्ता मीटर		कुल प्राप्ति प्रगति
		आपूर्ति	कार्य प्रगति	आपूर्ति	कार्य प्रगति	आपूर्ति	कार्य प्रगति	आपूर्ति	कार्य प्रगति	आपूर्ति	कार्य प्रगति	
1.	पेसू (पू0)	90	87	46	शून्य	51	26	95	77	बोर्ड	बोर्ड	59.0
2.	पटना	98	78	अनु.	अनु.	95	81	95	35	बोर्ड	बोर्ड	80.0
3.	मुजफ्फरपुर	98	69	अनु.	अनु.	95	91	5	5	बोर्ड	बोर्ड	60.5
4.	पेसू (प0)	98	61	77	30	शून्य	शून्य	12	12	बोर्ड	बोर्ड	34.0
5.	रोहतास	96	84	92	35%	31	20	33	28	70	12	50.0
6.	पुर्णिया	56	शून्य	12	शून्य	70	शून्य	शून्य	शून्य	3	शून्य	14.0
7.	छपरा	38	1	38	शून्य	54	शून्य	शून्य	शून्य	1	शून्य	14.0
8.	सहरसा	37	शून्य	शून्य	शून्य	18	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	5.5
9.	भागलपुर	आपूर्ति 99 प्रतिशत कार्य 34 प्रतिशत				शून्य	शून्य	21	21	30	शून्य	20.5
10.	दरभंगा	आपूर्ति 86 प्रतिशत कार्य 28 प्रतिशत				10	5	20	15	15	1	18.0
11.	गया	आपूर्ति 57 प्रतिशत कार्य 25 प्रतिशत				42	2	शून्य	शून्य	32	शून्य	17.00

पी.जी.सी.आई.एल. द्वारा कार्य समाप्त करने के देरी के कारण परिषद 143.96 करोड़ रूपये के लाभ को अर्जित नहीं कर सका।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि तीन अंचल (1 से 3) में प्रगति 59 एवं 80 प्रतिशत के मध्य रहा, जबकि शेष आठ अंचल में प्रगति 5.5 से 50 प्रतिशत के बीच रहा। परिणामस्वरूप परेषण एवं वितरण लाइन हानियों की कमी के कारण 143.96 करोड़ रूपये उपार्जित होने वाले लाभ, राजस्व वसूली की वृद्धि, उर्जा में वृद्धि जैसा कि ए.पी.डी.आर.पी. योजना के लाभ विश्लेषण में दिया गया था जुलाई 2005 से मार्च 2006 के मध्य नहीं लिया जा सका।

बोर्ड अधिकारियों के साथ ए.पी.जी.सी.आई.एल. द्वारा किये गये कार्यों के साझा जांच/सत्यापन में सम्प्रेक्षा ने छः अंचल कार्यालयों[1] में निम्न कमियां पाई :

- बोर्ड ने बताया (अक्टूबर 2006) कि विद्यमान 33 के.वी. औंरगाबाद पी.एस.एस. से उच्चौली लाइन (12 कि.मी.) एवं औंरगाबाद से दाउदनगर 35 कि.मी. पूर्ण है। तथापि यह देखा गया कि मात्र 38.5 कि.मी. लाइन पूर्ण हुई थी।

- पी.एस.एस. में पाइप मात्र 10 फिट लम्बाई के लगाये गये थे जबकि गर्मी के मौसम में 40 फुट के पाइप ताप सहने के लिए जरूरी थे। इस प्रकार आर्थिंग के कार्य मानक स्तर के नहीं थे एवं ट्रासफरमर को जलने से बचाने में सक्षम नही थे।

- ए.बी. स्विचेस संचालित नहीं की जा सकी क्योंकि वह क्रमवार नही लगाई गई थी। टर्मीनल कनेक्टर बसबार से पाइप एवं पाइप से आइसोलेटर तक एवं अन्य बिन्दुओं पर लगाये नहीं थे एवं तार से जुड़े नहीं थे। यह सब चिंगारी पैदा करने एवं पी.एस.एस. के लिए दुर्घटना के कारण थे।

- लाइटिंग अरेस्टर, टरमिनल कनेक्टर एवं तार से ठीक प्रकार जुड़े नहीं थे। यह सामान्यतः एकतार से जुड़े थे एवं साधारणतः 33 के.वी. एवं 11 के.वी. मुख्य

[1] भागलपुर, दरभंगा, गया, पेसू (पूर्व), पेसू (पश्चिम) एवं पूर्णियॉ।

लाइनों तक कसे गये थे। इस प्रकार पी.एस.एस. में अग्नि दुर्घटना का संभावित खतरा था।

- नवादा पी.एस.एस. में विद्यमान एक 5 एम.वी.ए. 33/11 के.वी. का एक ट्रासफरमर सितम्बर 2006 में जल गया था क्योंकि इसका आयल सर्किट ब्रेकर पी.जी.सी.आई.एल. ठेकेदार द्वारा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर लगाने के लिए निकाल लिया था एवं सीधे 33 के.वी. इनकामिंग लाइन से जोड़ दिया गया था। यथा एक नया 5 एम.वी.ए. का ट्रासफरमर जिसका मूल्य 18 लाख रूपये था मानपुर पी.एस.एस. से विचलित कर आकस्मिकता से निपटने हेतु नवादा पी.एस.एस. पर लगा दिया गया। बोर्ड ने अद्यतन पी.जी.सी.आई.एल. से कोई दावा नहीं किया है (अक्टूबर 2006)।

पी.जी.सी.आई.एल. द्वारा कार्य के क्षेत्र में एकपक्षीय कमी

3.2.14 बोर्ड ने पाया (फरवरी 2005) कि पी.जी.सी.आई.एल. ने डी.पी.आर. में मूलरूप से प्राविधानित कार्य के क्षेत्रों एवं सामग्रियॉ को एकपक्षीय परिवर्तित कर कार्य क्षेत्र एवं सामग्री की मात्रा का कम कर दिया। पी.जी.सी.आई.एल. ने यह आदेशित दरों को प्राक्कलित दरों से कम उच्च निविदा दरों के मद्देनजर किया। कार्य के क्षेत्र में कमी के विवरण निम्न प्रकार है :

क्र0 स0	मद विवरण	डी.पी.आर.[1] के अनुसार	एल.ओ.ए.[2] के अनुसार	कमी की मात्रा	कमी की प्रतिशत
1	उपभोक्ता मीटर 3 फेज (सं. में)	22,057	8370	13687	62.00
2	उपभोक्ता मीटर 1 फेज (सं. में)	2,74,414	257306	17108	6.23
3	फीडर मीटर (संख्या में)	884	1052	–168	–
4	डी.टी. मीटर (संख्या में)	10,990	4975	6015	54.73
5	नये पी.एस.एस. (संख्या में)	50	36	14	28
6	पी.एस.एस. की सुधारीकरण एवं मरम्मतीकरण (संख्या में)	135	135	0	–
7	नये डी.टी. (संख्या में)	3338	1354	1984	59.44
8	डी.टी. की सुधारीकरण एवं मरम्मतीकरण	9656	9656	–	–
9	नये लाइन (कि.मी.)	5397	2979	2418	4.80
10	लाईन का सुधारीकरण एवं मरम्मतीकरण (कि.मी.)	4493	2079	2414	53.73

कार्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कमी से मूल डी.पी.आर. व्यर्थनीय हो गया एवं पी.जी.सी.आई.एल. को इसे बनाने के लिए किया गया 31.29[3] करोड़ रूपये का व्यय व्यर्थ रहा।

कार्य के क्षेत्र एवं सामाग्री की मात्रा में कमी के पी.जी.सी.आई.एल. ने निम्न कारण बताये–

- कार्यस्थल के सर्वे में आवश्यक मात्रा में कमी एवं अनेक मदों का प्रावधान न किया जाना जो सिस्टम की पूर्णता के लिए आवश्यक थे।
- प्रवेश कर एवं सेवा कर का डी.पी.आर. में प्रावधान न किया जाना जो निविदा के समय लगभग 8 प्रतिशत थे।

[1] डी.पी.आर. = विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट

[2] एल.ओ.ए. = लेटर ऑफ अवार्ड

[3] कुल अनुमानित लागत 625.78 करोड़ रुपये का 5 प्रतिशत = 31.29 करोड़ रुपये

- मूल्य विचलन के लिए प्रावधान न किया जाना (आधार वर्ष 2001–02), एवं कच्ची सामाग्री के मूल्य जैसे स्टील, तांबा, अल्यूमिनियम आदि में टेण्डरिंग के बाद के समय में महत्वूपर्ण वृद्धि।

उपरोक्त कारणों से यह स्पष्ट होता है कि पी.जी.सी.आई.एल. बिना सर्वे किये व ध्यान दिये डी.पी.आर. बनाया।

बोर्ड ने आशंका व्यक्त की (अप्रैल 2005) कि पी.जी.सी.आई.एल. द्वारा मात्रा बिना बोर्ड से विमर्श किये कम कर दिये जाने से ए.पी.डी.आर.पी. द्वारा प्रणालीगत विकास एवं सशक्तीकरण के उद्देश्य हतोत्साहित होंगे जैसे कि कम की गई मात्रा 6 से 62 प्रतिशत के बीच थी जैसा उपरोक्त तालिका में दर्शित है। मात्रा में कमी के बावजूद पी.जी.सी.आई.एल. ने निश्चयपूर्वक कहा आदेशित प्रणाली की कार्य पूर्ण सुरक्षा, दक्षता एवं विश्वसनीयता प्रदान करेगा। चूंकि परियोजना के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं है (अक्टूबर 2006) प्रणाली की दक्षता सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

कुल प्रणालीगत एवं वाणिज्यिक हानियां

3.2.15 कुल प्रणालीगत एवं वाणिज्यिक हानियां (ए.टी. एण्ड सी.) 2001–02 के 87.92 प्रतिशत (भागलपुर अंचल) से 37.25 प्रतिशत 2004–05 (दरभंगा अंचल) के मध्य रही जैसा कि वृत कार्यालयों ने प्रतिवेदित किया जो पी.जी.सी.आई.एल. द्वारा भारत सरकार को प्रतिवेदित आकड़ों से भिन्न हैं **(अनुच्छेद–15)**। बोर्ड ने बोर्ड एवं पी.जी.सी.आई.एल. के प्रतिनिधियों की एक कमेटी 2001–06 की अवधि के वास्तविक ए.टी. एण्ड सी. लाइन हानियों को सुनिश्चित करने के लिये बनाई (जुलाई 2006)। कमेटी ने प्रतिवेदित किया (अगस्त 2006) उपरोक्त अवधि की ए.टी. एण्ड सी. हानियां 45.61 एवं 49.56 प्रतिशत के मध्य रहीं। अतः ए.टी. एण्ड सी. हानियों को प्रतिवर्ष 9 प्रतिशत कम करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका।

अनुश्रवण एवं नियंत्रण

3.2.16 बोर्ड ने एक ए.पी.डी.आर.पी. प्रकोष्ठ गठित किया है जिसके अध्यक्ष मुख्य अभियंता (परेषण) है व विद्युतीय कार्यकारी अभियंता (पारेषण) उनके सहायक है। एम.ओ.ए. के प्राविधानों के अनुसार अंचल में विद्युतीय सुपरिन्टेडिंग इंजीनियर को नोडल अधिकारी घोषित किया जाना था तथा दिसम्बर 2002 तक अंचल का मुख्य कार्यकारी अधिकारी घोषित किया जाना था। लेखापरीक्षा द्वारा यह देखा गया कि यह कार्य 26 माह बाद फरवरी 2005 में किया गया। बोर्ड ने यह निर्णय भी लिया कि प्रत्येक अंचल में एक विद्युत कार्यकारी अभियंता एवं सहायक विद्युत अभियंता मात्र ए.पी.डी.आर.पी. कार्य के लिये विद्युत सुपरिन्टेन्डिग इंजीनियर की सहायता के लिये नियुक्त किया जाय। तथापि, लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि विद्युतीय कार्यकारी अभियंता भागलपुर, गया एवं पुर्णिया अंचल में नियुक्त किये गये। एक अवर अभियंता को फीडर मैनेजर के पद पर तीन फीडरों के लिये नियुक्त किया जाना था। तथापि, बोर्ड ने किसी अवर अभियंता की नियुक्ति फीडर मैनेजर के पद पर नहीं की। फलस्वरूप अनुश्रवण एवं नियंत्रण का कार्य बाधित रहा।

एम.ओ.ए. के प्राविधानों के अनुसार बोर्ड ने चार[1] सदस्यों की एक राज्य स्तरीय वितरण सुधार कमेटी (एस.डी.आर.सी.) गठित की है। कमेटी को प्रत्येक दो माह में एक बार ए.पी.डी.आर.पी. योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु बैठक करनी थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि कमेटी की एक बैठक मार्च 2003 में हुई थी एवं उसके बाद कोई बैठक नहीं

[1] अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, एव प्रत्येक राज्य सरकार, पी.जी.सी.आई.एल., एवं सी.ई.ए. या एम.ओ.पी. का एक प्रतिनिधि

हुई। बोर्ड ने बताया (नवम्बर 2006) कि कार्यान्वयन की समीक्षा सचिव (उर्जा) भारत सरकार, द्वारा समय–समय पर की जाती है। तथापि यह तथ्य रहा कि नियमित बैठकों का होना जैसा कि एम.ओ.ए. में विचारित किया गया था, कार्यान्वयन के अनुश्रवण हेतु नहीं बुलाई गई थी।

निष्कर्ष

बोर्ड का उर्जा क्षेत्र के सुधार एवं ए.पी.डी.आर.पी. योजना के कार्यान्वयन के संदर्भ में बोर्ड का निष्पादन संतोषजनक नहीं पाया गया क्योंकि बोर्ड कोई मूर्त प्रगति करीब तीन वर्ष व्यतीत होने एवं 306 करोड़ रूपये से अधिक की राशि व्यय करने के उपरान्त भी नहीं प्राप्त कर सका।

11 के.वी. लाइनों एवं समस्त उपभोक्ताओं की मीटिरिंग, टी. एण्ड डी. हानियों में कमी, प्लांट लोड फैक्टर में कमी जैसे वचनबद्ध लक्ष्य भी नहीं प्राप्त कर सका। बोर्ड द्वारा पुनर्गठन या प्रणालीगत उर्जा लेखापरीक्षा की कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकी।

ए.पी.डी.आर.पी. योजना का कार्य करने के बजाय बोर्ड ने सम्पूर्ण कार्य पी.जी.सी.आई.एल. को प्रतिस्पर्धी बोली आमंत्रित किये बिना दिया जो 27.86 करोड़ रूपये पी.जी.सी.आई.एल. को देय परामर्श शुल्क के अतिरिक्त व्यय के रूप में हुआ। पी.जी.सी.आई.एल. के साथ किया गया अनुबन्ध त्रुटिपूर्ण था जैसे कि कार्य को देर से करने के लिए कोई दण्डात्मक व्यवस्था नही थी। पी.जी.सी.आई.एल. द्वारा कार्य के कार्यान्वयन की गति धीमी रही एवं कार्य समाप्ति के निर्धारण समय की समाप्ति के बावजूद कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हुये, परिणामस्वरूप योजना में निहित लाभ उपार्जित नहीं हुये।

पी.जी.सी.आई.एल. ने एकपक्षीय कार्य के क्षेत्र को कम करके करीब आधा कर दिया जिससे योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति सन्देहास्पद है।

अनुशंसायें

बोर्ड को चाहिये कि :–

- योजना का कार्यान्वयन बेहतर अनुश्रवण एवं नियंत्रण के साथ किया जाय;
- योजना की लगातार समीक्षा, समय सारणी में चूकों एवं उनके कारणों की पहचान हेतु की जाये एवं उपचारात्मक कदम उठाए जायें।
- निधि के त्वरित निर्गमन का प्रकरण का अनुश्रवण राज्य सरकार से करे।

उपर्युक्त लेखापरीक्षा परिणाम सरकार/बोर्ड को (नवम्बर 2006) में प्रतिवेदित किया गया। उनके उत्तर प्रतीक्षित थे।

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम

3.3 बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का परिचालन निष्पादन

मुख्य अंश

नई बसों के क्रय हेतु 18.41 करोड़ रुपए की उपलब्ध निधि के उपयोग करने में निगम की विफलता के कारण, निगम को, 2001–06 की अवधि में, 76.08 करोड़ रुपए के संभाव्य राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 3.3.7)

यथा निर्देशित मूल्य–ह्रास संचित निधि का नई बसों के क्रय में उपयोग न कर, निगम ने निधि को बैंक में रखा जिसके फलस्वरुप बिहार सरकार को देय अन्तर ब्याज–राशि के रुप में 1.63 करोड़ रुपए की हानि हुई।

(कंडिका 3.3.8)

निगम निर्धारित संख्या में बसों तथा स्पेयर पार्ट्स की नीलामी में विफल रहा और 113 नई बसों को खरीदने का अवसर खो दिया जिसके कारण 2004–06 की अवधि में 27.15 करोड़ रुपए के अंशदान की हानि के हुई।

(कंडिका 3.3.9)

निम्न इंधन कार्यकुशलता, टायरों के समय से पूर्व खराब होने व निम्न दखलकारिता के कारण निगम को 2001–06 की अवधि में 82.07 करोड़ रुपए की हानि हुई।

(कंडिकाएं 3.3.14, 3.3.16 तथा 3.3.17)

निगम का फ्लीट उपयोगिता कम था और 2001–06 की अवधि में अन्य राज्यों में 82.15 तथा 99.49 प्रतिशत के विरुद्ध 11.5 से 78.6 प्रतिशत रहा।

(कंडिका 3.3.12)

निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों की तुलना में प्रभावी किलोमीटर में गिरावट की वजह से वर्ष 2001–02 से 2005–06 की अवधि में निगम 1,672.41 लाख निर्धारित किलोमीटर पूरा नहीं कर सका, जिसके कारण 220.29 करोड़ रुपए के अंशदान की हानि हुई।

(कंडिका 3.3.15)

परिचय

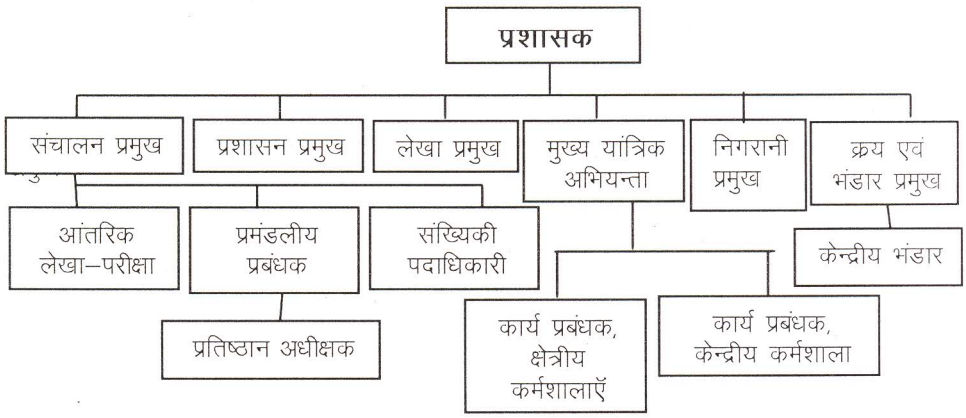
3.3.1 राज्य परिवहन, जो बिहार सरकार का एक विभाग था, का रुपान्तरण बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (निगम) के रुप में मई 1959 में राज्य परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (अधिनियम) की धारा 3 के अन्तर्गत कार्य–कुशल, पर्याप्त, किफायती और राज्य में समुचित रुप से समन्वित पथ परिवहन सेवा प्रदान करने के उद्धेश्य से किया गया था।

अधिनियम की धारा 38 (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार के विचार में यदि सरकार द्वारा स्थापित निगम निर्धारित कत्तव्यों का निर्वाह करने में अक्षम रहता है तो राज्य सरकार,

केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति से निगम का अधिक्रमण निर्दिष्ट अवधि के लिए कर सकती है।

तद्नुरुप, राज्य सरकार द्वारा निगम के निदेशक मंडल का विघटन (जून 1999) कर दिया गया और निगम के कार्यों की देख–रेख के लिए एक प्रशासन नियुक्त कर दिया गया जिन्हें लेखा प्रमुख, निगरानी, क्रय एवं भंडार, संचालन, प्रशासन के प्रमुखों तथा मुख्य यांत्रिक अभियन्ता एवं 11 प्रमंडलीय प्रबंधकों, 29 प्रतिष्ठान अधीक्षकों, तीन कार्य प्रबंधकों एवं भंडार पदाधिकारियों की भी सहायता प्राप्त है।

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की संगठन तालिका



अगस्त 1999 से अद्यतन तिथि (मई 2006) की अवधि में, नौ व्यक्तियों द्वारा प्रशासक का पद संभाला गया । प्रत्येक प्रशासक का औसत कार्य काल लगभग नौ महीने रहा। इसके अतिरिक्त, फरवरी 2004 से अद्यतन तिथि (मई 2006) तक, राज्य सरकार द्वारा कोई पूर्णकालीक प्रशासक नियुक्त नहीं किया गया। फरवरी 2002 से राज्य सरकार ने किसी मुख्य लेखा पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं किया है।

माननीय उच्चतम न्यायलय के आदेशों (जनवरी 1998 एवं मार्च 1998) के आलोक में, निगम को पुर्नरुत्थान के लिए एक योजना (अप्रील 1998) बनाई गई।

बिहार सरकार ने शपथ–पत्र दाखिल कर कहा कि वह इस योजना का कठोरतापूर्वक अनुपालन करेगी। योजना 1 अप्रील, 1998 से प्रभाव में है तथा इसमें अन्य बातों के साथ–साथ प्रावधानित है, (i) ऑन रोड बसों की संख्या–बल को 800 तक बढ़ाना, (ii) 800 ऑन–रोड बसों के अनुरुप कर्मचारियों की संख्या रखते हुए अधिकाई कर्मचारियों की छंटनी/हटाया जाना, तथा (iii) इंधन खपत, कर्मचारी–बस अनुपात, लोड फैक्टर, प्रति प्रभावी किलोमीटीर आय, फ्लीट उपयोगिता, टायर उपयोग, इत्यादि का निर्धारित मानकों के सूचाकांकों के अनुरुप संधारण ।
निगम की कार्यशैली पर एक विस्तृत समीक्षा तथा इसके संचालन गतिविधि पर समीक्षा को भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), बिहार सरकार, वर्ष 1990–91 तथा 1999–2000 में सम्मिलित किया गया था।

लेखा परीक्षा का क्षेत्र

3.3.2 जनवरी से मई 2006 की अवधि में की गई वर्तमान समीक्षा में, पुर्नरुत्थान योजना के उपरांत मार्च 2006 को समाप्त विगत पॉच वर्षों में, निगम के परिचालन निष्पादन को समाहित किया गया है।

साक्ष्य का संग्रह मुख्यालय–कार्यालय, 11 प्रमण्डलों में से छः[1] प्रमण्डल तथा उनके 29 प्रतिष्ठानों में से 17 प्रतिष्ठान, केन्द्रीय कर्मशाला, क्षेत्रीय कर्मशालाएँ तथा फुलवारीशरीफ में अवस्थित केन्द्रीय भंडार जिनका चयन फ्लीटों की संख्या के आधार पर किया गया, में संधारित अभिलेखों की जाँच के आधार पर किया गया।

लेखा–परीक्षा उद्देश्य

3.3.3 लेखा–परीक्षा यह आकलन करने हेतु किया गया कि:

- ❖ पुनर्रुद्धार याजना के अनुरुप निगम बिहार में कार्य कुशल, पर्याप्त,किफायती पथ परिवहन सेवाएँ देने में सफल रहा,
- ❖ राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायलय में यथा दाखिल पुनर्रुद्धार योजना का समुचित कार्यान्वयन किया गया,
- ❖ बसों के क्रय हेतु उपलब्ध निधि का समय से तथा उत्तम तरीके से उपयोग किया गया एवं नीति के अनुरुप स्क्रैप का समय से निष्पादन किया गया,
- ❖ 2001–06 की अवधि में क्रय किए गए बसों के उपलब्ध फ्लीट का आदर्श उपयोग किया गया तथा उपलब्ध प्लांट एवं मशीनरी, उपष्कर एवं संरचना सुविधाओं का उपयुक्त तरीके एवं समय से बसों की मरम्मती व संधारण किया गया,
- ❖ आन्तरिक नियन्त्रण पद्धति तथा अनुश्रवण तंत्र रचना विशेष रुप से सामग्री प्रबन्धन, संसाधनों के उपभोग तथा राजस्व के सृजन के मामले में, पर्याप्त तथा प्रभावी थे।

लेखा–परीक्षा मापदण्ड

3.3.4 लेखा–परीक्षा उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित लेखा–परीक्षा मापदण्ड अपनाया गया:

- ❖ फ्लीट वृद्धि/विस्थापन नीति के प्रावधान,
- ❖ बस उत्पादकता, मार्ग परिचालन, ईधन कार्य कुशलता तथा टायर कार्य निष्पादन के मानक,
- ❖ कर्मचारी उत्पादकता/बस कर्मचारी अनुपात,
- ❖ योजना के प्रावधान तथा सरकार के निर्देश एवं राज्य पथ परिवहन उपक्रम संघ (ए.एस.टी.आर.यू.) के मानक।

लेखा–परीक्षा पद्धति

3.3.5 निम्नलिखित विधियों के मिले–जुले रुप को उपयोग में लाया गया:

- ❖ योजना ब्योरा, सरकार के मार्गदर्शन तथा सरकार के आदेशों का अध्ययन,
- ❖ निगम मुख्यालय, एवं प्रमण्डल, प्रतिष्ठान, केन्द्रीय कर्मशाला और क्षेत्रीय कर्मशाला में संधारित परिचालन संबंधी अभिलेखों की जाँच,
- ❖ आँकड़ों यथा विभिन्न अभिलेखों यथा प्रशासक द्वारा निर्गत आदेश से साक्ष्यों का संकलन,

[1] भागलपुर, छपरा, दरभगा, दुमका, गया और मुजफ्फरपुर

- ❖ वार्षिक योजना/बजट, बसों के संधारण व मरम्मती के लिए सामग्रियॉ प्राप्त करने से संबंधित अभिलेख, निविदा संचिकाएँ, ठेके से संबंधित संचिकाएँ, ल्यूब्रिकेंट्स एवं स्पेयर पार्टस का क्रय, 2001–06 की अवधि में खरीदे गए बसों के परिचालन निष्पादन से संबंधित सांख्यिकी अभिलेख/ प्रतिवेदन की जॉच,
- ❖ प्रबंधन से विचार–विमर्श।

लेखा–परीक्षा निष्कर्ष

3.3.6 लेखा–परीक्षा निष्कर्षों को सरकार/प्रबंधन को मई 2006 में प्रतिवेदित किया गया तथा 9 नवम्वर 2006 को आयोजित राज्य लोक उपक्रमों की लेखा–परीक्षा समीक्षा समिति (ए.आर.सी.पी.एस.इ.) में विचार–विमर्श किया गया जहॉ मुख्य यांत्रिक अभियन्ता द्वारा प्रबन्धन का प्रतिनिधित्व किया गया। प्रबंधन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर इस समीक्षा को अंतिम रुप दिया गया। प्रतिनिधित्व के अभाव में सरकार के दृष्टिकोण को ध्यान में नहीं रखा जा सका।

लेखा–परीक्षा जॉच से पता चला कि फ्लीट वृद्धि करने व परिचालन निष्पादन में सुधार में विफलता तथा उच्च बस–कर्मचारी अनुपात/बेकार कर्मचारी के कारण, जिनका उल्लेख आगे की कंडिकाओं में किया गया है, प्रबन्धन निगम में बदलाव लाने में असफल रहा।

निगम के नई बसों के क्रय हेतु उपलब्ध निधि को, उपयोग में लाने में विफल रहने के कारण, संभाव्य राजस्व की हानि

3.3.7 2001–06 की अवधि में, निगम को नई बसों के क्रय हेतु 69.73[1] करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध थी। लेखा–परीक्षा के क्रम में पाया गया कि 69.73 करोड़ रुपये में से, निगम ने मार्च 2006 तक, 467 बसों के क्रय हेतु 51.32 करोड़ रुपये मात्र का उपयोग किया। शेष 18.41 करोड़ रुपये की राशि को नई बसों के क्रय हेतु उपयोग में विफल रहने के कारण, 2001–06 की अवधि में, निगम को 76.08 करोड़ रुपये की संभाव्य राजस्व की हानि हुई जिसका विवरण **परिशिष्ट–16** में दिया गया है।

लेखा–परीक्षा के क्रम में आगे यह पाया गया कि 69.73 करोड़ रुपये में से, 60.51 करोड़ रुपये की नई बसों, जिनका मार्ग पर आठ महीने की अवधि के अन्तर्गत अर्थात 31 जुलाई 2001 को व इससे पूर्व परिचालन करना था, के क्रय हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश (नवम्बर 2000) निर्गत किया था। अपुति, निविदाओं के आमंत्रण, निविदाओं के अंतिमीकरण, क्रय आदेशों के निर्गमन, इत्यादि में विलम्ब के कारण, बसों का क्रय व उनका मार्ग में परिचालन निर्धारित आठ महीने की समय–सीमा से बहुत बाद में सितम्बर 2002 से सितम्बर 2004 की अवधि में किया गया।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2006) कि 2001–06 की अवधि में 58.09 करोड़ रुपये उपलब्ध था जिनमें से 467 बसों की क्रय हेतु 50.74 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया। उत्तर सही नहीं है क्योंकि नई बसों के क्रय हेतु निगम ने 69.73 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की थी।

उपयोग में न लाए गए मूल्य–ह्रास संचित निधि को बैंक में रखने के परिणामस्वरुप 1.63 करोड़ रुपये की हानि

3.3.8 माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अन्तर्गत, निगम को, 2002–04 की अवधि में बिहार सरकार से 15.5 प्रतिशत (13 प्रतिशत तथा 2.5 प्रतिशत दंड ब्याज)

[1] 69.73 करोड़ रुपये (पैकेज प्रावधान –60.51 करोड़ रुपये + मूल्य ह्रास संचित निधि, 7.43 करोड़ रुपये तथा नीलामी से प्राप्तियॉ 1.79 करोड़ रुपये)

प्रतिवर्ष पर ऋण के रुप में प्राप्त 7.43 करोड़ रुपये की मूल्य–ह्रास संचित निधि (मू.ह्र.सं.नि.) का उपयोग नई बसों के क्रय हेतु करना था। नई बसों के क्रय हेतु निधि का उपयोग करने के बदले, निगम ने इसे एक बैंक में सावधि जमा में रखा। मू.ह्र.सं.नि. के विचलन के कारण निगम को, सावधि जमा से अर्जित ब्याज से बिहार सरकार को भूगतेय अधिकाई ब्याज के रुप में, 1.63 करोड़ रुपये की हानि हुई। नई बसों के क्रय नहीं होने से इसे अंशदान की भी क्षति हुई।

प्रबन्धन से उत्तर दिया (सितम्बर 2006) कि राज्य सरकार से ब्याज त्यागने हेतु अनुरोध किया जा रहा था।

रद्दी बसों व स्पेयर पार्ट्स के विक्रय न होने से हानि

3.3.9 पुनर्रुद्धार योजना के अन्तर्गत, अनुपयोगी व पुरानी बसों व स्क्रैप के विक्रय से 12 करोड़ रुपये की उगाही की जानी थी। इस प्रकार निर्मित निधि का उपयोग 130 नई बसों के क्रय हेतु किया जाना था। अपितु, लेखा–परीक्षा के क्रम में पाया गया कि 1,373 बसों (2002–03 में 1,350 तथा 2004–05 में 23), जिन्हें नीलामी हेतु रद्दी घोषित किया गया (अक्टूबर 2002 तथा जून 2004) था, में से, निगम 207 बसों की नीलामी (1.79 लाख रूपये तथा 0.36 लाख रूपये प्रति बस की दर से 2003–04 में 96 बसों तथा 2004–05 में 111 बसें) कर 1.59 करोड़ रुपये मात्र प्राप्त कर सका। बोली न लगने व कमतर बोली, बेहतर विक्रय मूल्य प्राप्ति की प्रत्याशा में रिजर्व मूल्य के ऊपर लगाई गई बोली को अस्वीकार करने तथा विधि–व्यवस्था की समस्याओं के कारण 142 बसों की नीलामी नहीं हो सकी।

प्रबन्धन ने शेष 1,024 बसों की नीलामी हेतु कोई कार्रवाई नहीं किया। निगम रद्दियों की नीलामी से 19.77 लाख रूपये ही प्राप्त कर सका अतः निगम पुर्नरूद्धार योजना के 12 करोड़ रूपये के लक्ष्य के विरूद्ध केवल 1.79 करोड़ रूपये ही अर्जित कर सका। स्क्रैप सामग्री की नीलामी करने में निगम की विफलता के कारण, निगम ने 113 नई बसों के क्रय का अवसर खो दिया जिसकी परिणति 27.15 करोड़ रुपये के संभाव्य अंशदान की क्षति के रुप में हुई जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	बसों की संख्या	औसत बस उत्पादकता प्रतिदिन (किलोमीटर में)	दिनों की संख्या	प्रति प्रभावी किलोमीटर अंशदान (रु0)	कुल हानि (करोड़ रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) (2×3×4×5)
2004–05	113	226	365	13.55	12.63
2005–06	113	230	365	15.31	14.52
कुल					27.15

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2006) कि नीलामी द्वारा पुरानी बसों तथा स्क्रैप सामग्री की निष्पादन कार्रवाई की जा रही थी।

परिचालन निष्पादन

3.3.10 2001–02 से 2005–06 की अवधि में निगम के परिचालन परिणामों का ब्योरा **परिशिष्ट–17** में दिया गया है। परिशिष्ट से स्पष्ट है कि 2005–06 को समाप्त विगत पॉच वर्षो में बसों के उपयोग का प्रतिशत 11.5 से 78.6 के बीच रहा तथा समान अवधि में दखलकारिता 57 तथा 66 प्रतिशत के बीच रहा। इस अवधि में ब्रेकडाउन की संख्या तथा प्रति किलोमीटर हानि में वृद्धि हुई जबकि समग्र परिचालन निष्पादन में ह्रास हुआ। 2001–02 से 2002–2003 की अवधि में बस कर्मचारी अनुपात भी बहुत अधिक था जो

2003–06 में घट गया। प्रमुख मानकों के आधार पर आकलित निगम के परिचालन निष्पादन का विवरण अग्रलिखित कंडिकाओं में दिया गया है।

वाहन शक्ति एवं उम्र रुप–रेखा

3.3.11 ए.एस.आर.टी.यू. के मानक के अनुसार फ्लीट की क्षमता का 60 प्रतिशत बसे चार वर्षो से कम उम्र का होना चाहिए। बसों की सामान्य उम्र 8 वर्ष या पॉच लाख किलोमीटर, जो पहले हो, होना चाहिए।

31 मार्च 2006 को समाप्त विगत पॉच वर्षो में फ्लीट अधिसम्पति, उपयोगिता तथा अधिक उम्र की बसें तथा फ्लीट अधिसम्पति से उनका प्रतिशत **परिशिष्ट–18** में दर्शाया गया है।

ऑन रोड बसों का कुल फ्लीट से प्रतिशत बहुत कम था

परिशिष्ट से स्पष्ट है कि कुल फ्लीट के विरुद्ध, चार वर्षों से कम उम्र की बसों का प्रतिशत, वर्ष 2001–02 (11 प्रतिशत) में, 60 प्रतिशत के आदर्श मानक से बहुत कम था। 1,373 बसों को रद्दी घोषित करने तथा 467 नई बसों {2002–03 (55) एवं 2003–04 (412)} के प्रवेश से, चार वर्षो से कम उम्र की बसों के प्रतिशत में वर्ष 2002–03 (74.6), 2003–04 (88.3) तथा 2004–05 (73.3) में सुधार हुआ, परन्तु यह पुनः 2005–06 में घटकर 64.6 प्रतिशत हो गया।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2006) कि इस निगम की तुलना अन्य राज्य परिवहन निगमों से नहीं की जा सकती है, क्योकि वित्तीय अवरोधों के कारण यह प्रति वर्ष नई बसों के क्रय करने में तथा पुराने बसों के हटाए जाने में सक्षम नहीं था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 18.41 करोड़ रुपये की निधि उपलब्धता के बावजूद निगम नई बसों का क्रय करने में विफल रहा।

फ्लीट उपयोगिता

ए.एस.आर.टी.यू. के मानकों के तुलना में निगम की बस उपयोगिता काफी खराब

3.3.12 ए.एस.आर.टी.यू. के मानक के अनुसार फ्लीट का 92 प्रतिशत सड़क पर चलने के योग्य होना चाहिए (90 प्रतिशत परिचालन में तथा 2 प्रतिशत आरक्षित रुप में)। निगम ने, अपितु पूर्नरुद्धार कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने लिए 75 प्रतिशत का मानक निर्धारित किया था। अपितु निगम का समग्र फ्लीट उपयोगिता, वर्ष 2001–06 की अवधि में 11.5 तथा 78.6 प्रतिशत के बीच रहा। जून 2003 तथा जून 2004[1] को समाप्त तिमाही में फ्लीट उपयोगिता क्रमशः 71.03 तथा 78.28 प्रतिशत जबकि अन्य राज्यों में यह प्रतिशत 82.15 तथा 99.49 प्रतिशत था जैसा कि नीचे ब्योरा दिया गया है:

राज्य निगम / तिमाही समाप्त	आँध्र प्रदेश	दिल्ली	बिहार	हिमा–चल	कर्नाटक	मध्य प्रदेश	महा–राष्ट्र	राज–स्थान
जून 2003	99.44	86.93	**71.03**	98.83	95.52	89.55	95.05	94.10
जून 2004	99.49	82.15	**78.28**	98.78	94.96	83.95	96.40	93.78

असंतोषजनक फ्लीट उपयोगिता के मुख्य कारण बसों का खराब संधारण तथा सड़को की खराब अवस्था के कारण अत्यधिक बस–ब्रेकडाउन था।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2006) कि सड़कों की खराब अवस्था तथा वित्तीय अवरोधों के अतिरिक्त, निगम कर्मशालाओं में तकनीकी कर्मचारियों का अभाव भी

[1] स्त्रोत : राज्य पथ परिवहन निगमो के गतिविधियों की समीक्षा–सवारी सेवा, नौ परिवहन मंत्रालय, पथ परिवहन एवं उच्च पथ, भारत सरकार (मार्च 2005)। मात्र इन दो तिमाहियो की सूचनाएँ उपलब्ध।

असंतोषजनक फ्लीट उपयोगिता के लिए जवाबदेह था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि खराब मानवशक्ति योजना के कारण, प्रबन्धन कर्मशालाओं के बेकार तकनीकी कर्मचारियों का बसों की मरम्मती के लिए उपयोग करने में विफल रहा (यथा कंडिका 3. 3.19 में उल्लेखित)।

बस उत्पादकता

अन्य राज्यों की तुलना में बस उत्पादकता बहुत कम थी।

3.3.13 निगम ने अपनी बसों के लिए प्रतिदिन 280 किलोमीटर चलने का उत्पादकता मानक निर्धारित किया है। इस मानक के विरुद्ध, 2001–06 की अवधि में, निगम की वास्तविक बस उत्पादकता 226 से 251 किलोमीटर प्रतिदिन रही। उत्पादकता में कमी के कारण सभी मार्गों का परिचालन न होना, बसों की निर्धारित सूची का रद्द हो जाना इत्यादि थे। जून 2003 तथा जून 2004 को समाप्त तिमाही में निगम की प्रतिदिन औसत 198.01 से 202.08 किलोमीटर बस उत्पादकता के विरुद्ध अन्य राज्यों में प्रतिदिन बस उत्पादकता 298.29 से 375.52 किलोमीटर के बीच रही, जिसका ब्योरा नीचे दिया गया है:

राज्य निगम / तिमाही समाप्त	ऑंध्र प्रदेश	बिहार	गुजरात	कर्नाटक	महाराष्ट्र	राजस्थान	पंजाब	कर्नाटक
जून 2003	328.26	**202.08**	315.68	348.78	308.22	322.45	298.29	344.55
जून 2004	332.23	**198.01**	307.63	342.81	317.23	324.08	301.62	375.52

निम्न बस उत्पादकता के कारण अंशदान की हानि, अर्थात निर्धारित किलोमीटर में गिरावट का उल्लेख कंडिका संख्या 3.3.15 में किया गया है।

प्रबन्धन ने, लेखा–परीक्षा अवलोकन से सहमत होते हुए, उत्तर दिया (सितम्बर 2006) कि सभी मार्गों का परिचालन न होना तथा निर्धारित सूची का रद्द होने के अतिरिक्त लम्बी दूरी वाले मार्गों का अभाव, अर्न्तराज्यीय बस–सेवा का परिचालन न होना, सड़कों की खराब अवस्था, तकनीकी कर्मचारियों के अभाव में बसों का खराब संधारण तथा वित्तीय अवरोध, इत्यादि भी निम्न बस उत्पादकता के लिए जबाबदेह थे।

दखलकारिता अनुपात

3.3.14 निगम द्वारा प्रति वाहन यात्रियों का प्रमाणक प्रतिशत (लोड फैक्टर), बैठने की क्षमता का 90 प्रतिशत निर्धारित किया गया (1994) था। वास्तविक दखलकारिता अनुपात बहुत कम था और 2001–06 की अवधि में 57 से 66 प्रतिशत के बीच रहा। जून 2003 तथा जून 2004 को समाप्त तिमाही में निगम के 64 प्रतिशत दखलकारिता अनुपात के विरुद्ध अन्य राज्यों में यह अनुपात 64 से 100.93 प्रतिशत के बीच रहा।

निम्न दखलकारिता अनुपात से अंशदान की क्षति को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

अवधि	वास्तविक दखलकारिता अनुपात	वास्तविक अंशदान (रुपये करोड़ में)	दखलकारिता अनुपात में गिरावट (मानक के विरुद्ध)	अंशदान गिरावट (रुपये करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) 3÷2×4
2001–02	66	18.94	24	6.89
2002–03	62	19.77	28	8.92
2003–04	57	29.22	33	16.92

2004–05	66	51.51	24	18.73
2005–06	65	58.48	25	22.49
कुल				**73.95**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2001–06 की अवधि में मानक दखलकारिता के विरुद्ध निम्न दखलकारिता के कारण निगम को कुल 73.95 करोड़ रूपए की हानि हुई। जैसा कि निगम द्वारा बतलाया गया कि दखलकारिता अनुपात में कमी का मुख्य कारण एक ही मार्ग में अनुबंधित/निजी वाहनों को चलाने की राज्य सरकार की अनुमति, बिना–टिकट यात्रा से यात्री राजस्व का रिसाव, अमितव्ययी मार्गों पर बसों का चलाना और बसों का बारमबार खराब होना था। निगम ने, अपितु, इन समस्याओं को रोकने व नियंत्रित करने हेतु कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया था।

निम्न दखलकारिता अनुपात के कारण 73.95 करोड़ रूपये राजस्व की हानि हुई।

प्रभावी किलोमीटर

3.3.15 निम्न तालिका निर्धारित किलोमीटर, प्रभावी किलोमीटर तथा निर्धारित सूची में कटौती के कारण अंशदान की हानि को दर्शाता है:

अवधि	निर्धारित[1] कि.मी. (लाख में)	प्रभावी किलोमीटर (लाख में)	किलोमीटर में कटौती (लाख में)	आई0 पी0 ई0 के0 एम0 (रु0)	अंशदान की हानि (करोड़ रुपये में)	उपलब्धि प्रतिशत में
1	2	3	4 (2–3)	5	6 (4×5)	7 (3÷2)
2001–02	607.30	152.54	454.76	12.42	56.48	25.11
2002–03	606.68	143.52	463.16	13.77	63.78	23.66
2003–04	596.64	246.22	350.42	11.87	41.59	41.27
2004–05	574.32	380.13	194.19	13.55	26.31	66.19
2005–06	591.85	381.97	209.88	15.31	32.13	64.54
कुल	**2976.79**	**1304.38**	**1672.42**		**220.29**	

निर्धारित किलोमीटर में कटौती के कारण 220.29 करोड़ रुपये के अंशदान की हानि हुई

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रभावी किलोमीटर का प्रतिशत 23.66 (2002–03) से 66.19 (2004–05) के बीच रहा। निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के विरुद्ध, प्रभावी किलोमीटर में कमी के कारण 2001–06 की अवधि में निगम 1,672.41 लाख निर्धारित किलोमीटर तय नहीं कर सका जिसके परिणामस्वरुप 220.29 करोड़ रुपए के अंशदान की हानि हुई।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2006) कि ऑफ–रोड बसों की संख्या में वृद्धि के कारण, वर्ष 2003–04 तक प्रभावी किलोमीटर में गिरावट तथा रद्द किलोमीटर में वृद्धि हुई, और उसके बाद स्थिति में सुधार हुआ। आगे, सड़कों की खराब अवस्था और तकनीकी कर्मचारियों के अभाव में बसों का खराब संधारण एवं कार्यशालाओं की दयनीय अवस्था ने भी प्रभावी किलोमीटर में गिरावट में योगदान दिया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निधि की उपलब्धता के बावजूद प्रबन्धन न तो फ्लीट–शक्ति बढ़ा सका या अपनी कार्यशालाओं में बसों के संधारण की गुणवत्ता को बेहतर बना सका। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा निर्धारित किलोमीटर का वार्षिक आधार पर निर्धारण उपरोक्त सभी कारकों को ध्यान में रखकर किया गया था।

ईंधन कार्यकुशलता

3.3.16 निगम ने हाई स्पीड डीजल (एच.एस.डी.) तेल के खपत का मानक, टाटा[2] बसों के लिए 4.5 कि.मी. प्रति लीटर निर्धारित किया था। इस मानक के विरुद्ध 2001–06

[1] निर्धारित किलोमीटर का अर्थ है अपने फ्लीट हेतु एक वर्ष–विशेष के लिए निगम द्वारा किलोमीटर का निर्धारित लक्ष्य।
[2] टाटा इंजीनियरिंग ओर लाकोमोटिम कम्पनी लिमिटेड (टेलको) द्वारा निर्मित

मानक से अधिक ईंधन खपत होने से सात करोड़ रूपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

की अवधि में वास्तविक तय की गई दूरी प्रति लीटर 3.79 किलोमीटर से 4.04 किलोमीटर के बीच थी। जून 2003 एवं जून 2004 को समाप्त तिमाही में, निगम की 3.78 से 4.14 किलोमीटर प्रति लीटर की ईंधन कार्य–कुशलता 4.05 से 5.40 किलोमीटर के बीच रहा जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

राज्य निगम / तिमाही समाप्त	ऑध्र प्रदेश	बिहार	गुज–रात	कर्ना–टक	मध्य प्रदेश	राज–स्थान	कर्ना–टक
जून 2003[1]	5.40	**4.14**	5.27	5.09	4.05	4.93	5.24
जून 2004[1]	5.28	**3.78**	5.21	5.30	4.07	4.95	5.40

इस प्रकार, मानक से लगभग 26.65 लाख लीटर तेल का खपत अधिक हुआ जिसके परिणामस्वरुप सात करोड़ रुपए का अधिक व्यय हुआ **(परिशिष्ट–19 के अनुरुप)**। बसों का खराब संधारण, कुशल चालकों का अभाव, साधन–विहीन कर्मशालाएँ तथा सड़कों की खराब अवस्था, तेल की अधिक खपत के कारण थे।

प्रबन्धन ने लेखा–परीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया (सितम्बर 2006)।

टायरों का कार्य निष्पादन

टायरों के समय से पूर्व खराब होने से निगम को 1.12 करोड़ रूपये की हानि हुई।

3.3.17 राष्ट्रीय औसत 1,25,604 किलोमीटर के विरुद्ध निगम द्वारा टायरों का जीवन काल दो रिट्रीडींग के उपरांत 85,000 किलोमीटर तय किया गया था। लेखा–परीक्षा में पाया गया कि 2001–06 की अवधि में, टायरों का समग्र उपलब्धि 39,800 किलोमीटर (मई 2004) से 76,670 किलोमीटर (नवम्बर 2002)रहा, जो निगम द्वारा निर्धारित मानक से बहुत कम था। 85,000 किलोमीटर के निर्धारित मानक के विरुद्ध, प्रति टायर का औसत जीवन–काल 55,455 किलोमीटर था। इन टायरों के जीवन–काल में कमी का मूल्य 1,511 नई टायरों के मूल्य के समतुल्य था। टायरों के समय से पूर्व खराब होने से 1.12 करोड़ रुपये की हानि हुई, जिसकी गणना 7,400 रुपये टायर, जिसमें प्रति नई टायर का औसत मूल्य 5,000 रुपये और दो रिट्रीडींग का मूल्य 2400 रुपये (केन्द्रीय कर्मशाला द्वारा प्रमंडल के विरुद्ध प्रविष्ट व्यय) सम्मिलित है, के आधार पर की गई।

प्रबन्धन ने उत्तर (सितम्बर 2006) में यह बताया कि सड़कों की खराब अवस्था तथा कुशल यांत्रिक कर्मचारियों के अभाव में बसों का खराब संधारण ने टायरों के खराब कार्य–निष्पादन में योगदान दिया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 85,000 किलोमीटर का मानक स्वयं निगम ने, सभी कारकों को ध्यान में रखकर, निर्धारित किया था।

बसों का अनधिकृत चलना

3.3.18 निगम अपने यात्रियों को घरेलू तथा अर्न्तराज्यीय सेवाएँ प्रदान करता है। 2001–06 की अवधि में परिचालित मार्गों की संख्या 144 से 212 के मध्य थी। लेखा–परीक्षा के क्रम में पाया गया कि अपनी बहुत सी बसों के लिए निगम को वैध/कार्यशील घरेलू एवं अर्न्तराज्यीय पथ परमिट प्राप्त नहीं था। 31 मार्च 2006 को रखे गए कुल 637 बसों के विरुद्ध निगम को मात्र 187 बसों के लिए वैध/ कार्यशील परमिट उपलब्ध थे। निगम ने 102 बसों के परमिट हेतु आवेदन नहीं किया था जबकि 348 बसों के मामले में आवेदन संबंधित प्राधिकारों के स्तर पर लम्बित थे। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2001–06 की अवधि में, पथ परिवहन निगम अधिनियम की धारा 20 के उल्लंघन में 11 अर्न्तराज्यीय मार्गों पर चली निगम की बसें, राज्य/अन्य राज्य के परिवहन प्राधिकारों द्वारा 30 मौकों पर वैध पथ परमिट के अभाव में, जब्त किए गए। इन जब्त की गई बसों को मुक्त कराने के लिए निगम को 8.90 लाख रुपए की दण्ड

[1] ऑकड़े केवल दो वर्षों के लिए उपलब्ध है।

बसों के अनधिकृत रूप से चलने से निगम को 23.86 लाख रूपये की हानि हुई।

राशि अदा करनी पड़ी। इसके अतिरिक्त, जब्त बसों के नहीं चलने से, निगम को 14.96 लाख रुपए के अंशदान की हानि हुई। इस प्रकार बसों के अनधिकृत रुप से चलने से, निगम को 23.86 लाख रुपए के राजस्व की हानि हुई।

प्रबन्धन ने लेखा–परीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (सितम्बर 2006)।

मानव–शक्ति विश्लेषण

3.3.19 निम्नलिखित तालिका, वर्ष 2001–06 में, निगम के मानव–शक्ति स्थिति को दर्शाता है:

अधिकाई कर्मचारियों को रोके रखने से भारी वेतन दायित्व का संचयन हुआ

क्र. स.	श्रेणी	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06
1	चालक	612	551	542	458	428
2	कन्डक्टर	2,503	2,453	2,327	2,113	2,111
3	पर्यवेक्षक	105	100	95	85	81
4	अन्य	99	68	53	49	45
5	कर्मशाला संधारण	1,705	1,505	1,485	1,262	1,201
6	प्रशासन	709	469	405	400	365
	कुल	**5,733**	**5,146**	**4,907**	**4,367**	**4,231**
	ऑन रोड बसों की संख्या	178	189	432	490	431
	मानक आवश्यक मानव–शक्ति (प्रति ऑन–रोड बस 7.08 कर्मचारी के आधार पर)	1,260	1,338	3,059	3,469	3,051
	अधिकई मानव–शक्ति	4,473	3,808	1,848	898	1,180
	अधिकाई कर्मचाारियों का कुल कर्मचाारियों का प्रतिशत	355	284.60	60.41	25.88	38.68
	बस–कर्मचारी अनुपाम	1:32	1:27	1:11	1:9	1:10

मानक कर्मचारी बस अनुपात, यथा निगम द्वारा निर्धारित, 7.08 प्रति बस है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2001–06 की अवधि में, निगम द्वारा निर्धारित मानक के आधार पर, अधिकाई कर्मचारियों की संख्या 898 से 4,473 थी।

जून 2003 तथा जून 2004 को समाप्त तिमाही में निगम के कर्मचारी/बस अनुपात 21.03 के विरुद्ध अन्य राज्यों[1] में यह प्रतिशत 4.30 से 6.47 बीच रहा।

प्रबन्धन ने उत्तर (सितम्बर 2006) में बतया कि पुर्नरुद्धार पैकेज में अधिकाई कर्मचारियों की छंटनी का प्रावधान था। पैकेज में अधिकाई कर्मचारियों की छंटनी हेतु यथा प्रावधानित निर्धारित निधि का, तथापि, निगम द्वारा उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश (नवम्बर 2000) के द्वारा इस निधि का विचलन कर इनसे नई बसों के क्रय का आदेश दिया था। परिणामस्वरुप, अधिकाई कर्मचारियों की छंटनी नहीं की जा सकी और यह कि नई बसों के आगमन से कर्मचारी बस अनुपात बेहतर होगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निगम ने नई बसों के क्रय हेतु सभी उपलब्ध निधियों का उपयोग नही किया था।

कर्मशालाओं का निम्न कार्य निष्पादन

3.3.20 बसों के वृहत् मरम्मत/ओभरहॉलिंग एवं एसेम्बली कम्पोनेन्ट्स के रिकंडिशनिंग, टायरों के रिट्रीडींग एवं बैटरी के रिकंडिशनिंग आदि के लिए निगम की दो क्षेत्रीय कर्मशाला प्रत्येक मुजफ्फरपुर एवं रॉची में तथा फुलवारीशरीफ में एक केन्द्रीय कर्मशाला था। क्रमानुसार तथा लक्ष्य के अनुरुप बसों के पूर्णरुपेण मरम्मति के मुख्य उद्देश्य से कर्मशालाओं की स्थापना की गई थी।

[1] ऑध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा राजस्थान

कर्मशालाओं का परिचालन निष्पादन

3.3.21 तीनों कर्मशालाओं के संचालन संबंधी आंकड़े **परिशिष्ट–20** में दिए गए हैं। इस परिशिष्ट से स्पष्ट है कि, 2001–06 की अवधि में, 23,300 मदों के वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध कर्मशालओं का वास्तविक कार्य–निष्पादन 1,449 से 5,637 मदों के बीच रहा, जो इस अवधि के लक्ष्य का 6.21 से 24.19 प्रतिशत रहा। कल–पूर्जों की आपूर्ति नहीं होना एवं बकाया बिजली–बिल अदा न करने के कारण रॉची एवं मुजफ्फरपुर के कर्मशालाओं में विद्युत–विच्छेदन, कर्मशालाओं के निम्न कार्य निष्पादन के मुख्य कारण थे। कर्मशालाओं के सभी कल–पूर्जों व कर्मचारी बेकार पड़े थे।

कर्मशाला के कार्य निष्पादन बहुत निम्न थे

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2006) कि दोनों क्षेत्रीय कर्मशालाओं में कार्यरत कर्मचारियों को समीपवर्त्ती प्रमण्डलों में मरम्मती कार्य हेतु तथा कर्मशालाओं की सम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु लगाया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रबन्धन इन कर्मचारियों की उनकी विशेषज्ञता के अनुरुप आदर्श रुप से उपयोग नहीं कर सका।

टायर रिट्रीडींग पर परिहार्य व्यय

3.3.22 फुलवारीशरीफ में अवस्थित केन्द्रीय कर्मशाला में निगम का एक टायर रिट्रीडींग प्लान्ट लगा है। लेखा–परीक्षा के क्रम में पाया गया कि अपना टायर रिट्रीडींग प्लान्ट होते हुए भी, वर्ष 2001–06 की अवधि में 353 टायरों का रिट्रीडींग निजी पक्षों से 6.93 लाख रुपए की लागत पर कराया गया। निजी पक्षों से टायर रिट्रीडींग कराए जाने का मुख्य कारण केन्द्रीय कर्मशाला में टायर रिट्रीडींग में विलम्ब था।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2006) कि केन्द्रीय कर्मशाला की टायर रिट्रीडींग क्षमता सात टायर प्रतिदिन से बढ़ाकर 21 टायर प्रतिदिन किया गया था। वास्तविकता यह है कि खराब योजना के कारण केन्द्रीय कर्मशाला की टायर रिट्रीडींग क्षमता यथासमय वर्त्तमान क्षमता तक नहीं बढ़ायी जा सकी।

बेकार कर्मचारियों को वेतन व भत्ते का भुगतान

3.3.23 लेखा–परीक्षा के क्रम में पाया गया कि, रॉची में कोई कार्य न होने तथा मुजफ्फरपुर में नगण्य कार्य होने (पॉच वर्षों में 16,500 मदों के लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 15 बस तथा चार मदों की मरम्मती की गई) के बावजूद इन दो कर्मशालाओं में नियुक्त कर्मचारियों को वेतन व भत्ते के विरुद्ध 2001–06 की अवधि में, निम्नलिखित ब्योरे के अनुरुप 1.31 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया:

निगम ने दो कर्मशालाओं में 1.31 करोड़ रुपए का बेकार स्थापना व्यय किया

वर्ष	मुजफ्फरपुर		रॉची	
	कर्मचारियों की संख्या	भुगतान (रुपए लाख में)	कर्मचारियों की संख्या	भुगतान (रुपए लाख में)
2001–02	63	15.88	64	10.07
2002–03	55	7.46	59	16.34
2003–04	50	13.19	55	15.33
2004–05	40	13.53	52	13.05
2005–06	34	12.52	50	13.27
कुल		**62.58**		**68.46**

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (सितंम्बर 2006) कि दोनों क्षेत्रीय कर्मशालाओं में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन व भत्ते का भुगतान, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में किया गया था। उत्तर यह स्पष्ट नहीं करता है कि एक ओर अहर्त्तापूर्ण यांत्रिक कर्मचारियों के अभाव में संधारण की गुणवत्ता को तुच्छ बतलाया गया वहीं दूसरी ओर कर्मशाला के बेकार कर्मचारियों को वेतन भुगतान किया जा रहा था।

बसों का समय पूर्व निवृति

3.3.24 ए.एस.आर.टी.यू. के मानक के अनुसार नए बस का जीवन–काल आठ वर्ष या पॉच लाख किलोमीटर, जो भी पहले हो, है। लेखा–परीक्षा के क्रम में पाया गया कि 1373 बसें, जिनका उपयोगी जीवन–काल समाप्त नहीं हुआ था, और जिन्हें निगम की विभिन्न कर्मशालाओं में मरम्मती हेतु भेजा गया था, का सामग्री[1]के अभाव में यथा समय मरम्मती नहीं किया जा सका। इन बसों को निगम द्वारा रद्दी घोषित कर दिया गया (11 अक्टूबर 2002 को 1,350 बसें तथा 21 जून 2004 को 23 बसें) है।

बसों के समय पूर्व निवृत्ति से निगम को 152.30 करोड़ रूपये की हानि हुई।

यदि यथासमय इन बसों की मरम्मती हो जाती, निगम को 152.30 करोड़[2] के अंशदान की प्राप्ति होती जिसका निम्नलिखित ब्योरे के अनुरुप 2002 से 2004 की अवधि में हानि हुआ।

क्रम संख्या	बसों द्वारा तय किलोमीटर	संख्या	गिरावट (लाख किलोमीटर)	कुल गिरावट (लाख किलोमीटर)
1	1 लाख किलोमीटर से कम	22	4	88
2	1 लाख से 2 लाख किलोमीटर	66	3	198
3	2 लाख से 3 लाख किलोमीटर	238	2	476
4	3 लाख से अधिक किलोमीटर	1047	1	426
	कुल	**1373**		**1,188**

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2006) कि बसों को पुर्नरुद्धार पैकेज के प्रावधानों के अन्तर्गत रद्दी घोषित किया गया था। उत्तर, इन बसों की मरम्मती में बिलम्ब जिनके कारण इनका उपयोगी जीवन समाप्त हो गया, के मामले में मौन है।

लेखा–परीक्षा के क्रम में पाया गया कि निगम के पास चार करोड़ रुपए (मार्च 1998) 320 बसों की मरम्मती के लिए उपलब्ध था। निगम ने 2.08 करोड़ रुपए का उपयोग कर मात्र 44 बसों की मरम्मती करवाया। शेष राशि में से, आय–कर व बिजली बकाया, इत्यादि अदा करने के लिए 63.23 लाख रुपए का विचलन किया गया, 31.66 लाख रुपए का उपयोग नई बसों के क्रय के लिए किया गया तथा शेष 97.22 लाख रुपए की राशि उपयोग में नहीं लाई गई।

राजस्व का संग्रहण

3.3.25 टिकट बिक्री से आय निगम के राजस्व का बड़ा स्त्रोत है। बिक्री राजस्व का संग्रहण एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र में सैकड़ों कन्डक्टरों द्वारा किया जाता है। पुर्नरुद्धार पैकेज कार्यक्रम के अन्तर्गत, राज्य सरकार ने, निगम को, अपने स्तर से, स्वस्थ व्यापार सिद्धान्तों के आधार पर, भाड़ा तय करने हेतु अधिकृत कर दिया था (जनवरी 2000)।

पुर्नरुद्धार योजना में प्रावधान किया गया था कि निगम यातायात आय के साथ–साथ, राजस्व सृजन करने हेतु गैर यातायात क्षेत्रों की भी खोज करे। लेखा–परीक्षा के क्रम में पाया गया कि वर्ष 2001–06 की अवधि में, गैर–यातायात आय 1.72 करोड़ रुपए से 7.75 करोड़ रुपए के बीच रहा जो संबंधित वर्षों में निगम के कुल परिचालन आय का 5.55 से 29 प्रतिशत था। वर्ष 2002–03 में, वर्ष 2001–02 के गैर–यातायात आय के ऊपर 75 प्रतिशत की गिरावट आई। वर्ष 2003–06 के दौरान, गैर–यातायात आय सात प्रतिशत से कम रहा। लेखा–परीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रबन्धन के स्तर पर, गैर–यातायात क्षेत्रों में राजस्व में वृद्धि हेतु गम्भीरतापूर्वक कोई प्रयास नहीं किया गया था।

[1] मरम्मती नहीं होने से उनका शेष उपयोगी जीवन समाप्त हो गया

[2] वर्ष 2002–04 के दौरान औसत आई.पी.ई.के.एम. 12.82 रुपए x 11.88 करोड़ किलोमीटर =152.30 करोड रुपए

प्रतिष्ठान, संग्रहित राजस्व के 55 प्रतिशत अंश को, एच.एस.डी. तेल, कर्मशालाओं में प्रयोग के लिए छोटे भंडार व स्पेयर पार्ट्स इत्यादि की अदायगी के लिए, रोकता था तथा शेष 45 प्रतिशत मुख्यालय को, वेतन भुगतान, टायर, ट्यूब फ्लैप व बैटरी, इत्यादि के क्रय हेतु, प्रेषित कर देता था। वर्ष 2001–06 की अवधि में परिचालन से राजस्व–आय तथा परिचालन पर व्यय निम्नवत् थे :

(राशि : रूपये करोड़ में)

वर्ष	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06
परिचालन आय	18.94	19.77	29.22	51.51	58.48
परिचालन व्यय	50.14	50.30	63.75	71.32	96.75
परिचालन हानि	31.20	30.53	34.53	19.81	38.27

इन उच्च परिचालन हानि के कारण है:

- ❖ निम्न दखलकारिता अनुपात (कंडिका 3.3.14 में वर्णित),
- ❖ निर्धारित किलोमीटर की कटौती (कंडिका 3.3.15 में वर्णित),
- ❖ एच.एस.डी. तेल का अधिक खपत (कंडिका 3.3.16 में वर्णित),
- ❖ अधिक मानव शक्ति (कंडिका 3.3.19 में वर्णित),
- ❖ कर्मशालाओं का निम्न कार्य–निष्पादन जिसमें बेकार कर्मचारियों के वेतन व भत्ते सम्मिलित हैं (कंडिका 3.3.20 से 3.3.23 में वर्णित)।

प्रबन्धन ने लेखा–परीक्षा अवलोकनों को स्वीकार (सितम्बर 2006) किया।

अनुबंधित बसों से बकाये की वसूली न होना

निगम, निजी संचालकों से 26.33 लाख रूपये की बकाया राशि वसूल नहीं कर सका।

3.3.26 निगम द्वारा एक योजना आरंभ किया गया (सितम्बर 1995) जिसके अन्तर्गत निर्दिष्ट मार्गों पर अनुबन्ध के आधार पर निजी संचालकों को बस चलाने की अनुमति प्रदान की गई थी। अपनी स्वयं की बसों के अनुपलब्धता के कारण उन्हीं मार्गों पर जिनपर निगम की अपनी बसें पूर्व से ही चल रही थी, इन बसों को चलाने की अनुमति प्रदान की गई। अनुबन्ध के अनुसार बस मालिकों को प्रत्येक माह के 26 दिनों के लिए 85 प्रतिशत लोड क्षमता पर गणना करते हुए बसों के प्रत्येक सिड्युल के लिए 12 प्रतिशत का भुगतान कमीशन के रुप में करना था। अलाभकारी पाए जाने के कारण निगम ने इस योजना को समाप्त (फरवरी 2003) कर दिया। लेखा–परीक्षा के क्रम में पाया गया कि 31 मार्च 2006 को, चार प्रमण्डलों में निजी संचालाकों से नवम्बर 2000 से 26.33 लाख रुपए का बकाया वसूलनीय था जिसकी वसूली संदिग्ध थी क्योंकि वसूली हेतु निगम ने कोई गंभीर प्रयास नहीं किया था।

आन्तरिक लेखा–परीक्षा

3.3.27 निगम का एक आन्तरिक लेखा–परीक्षा स्कंध है जिसमें एक अंकेक्षण पदाधिकारी, तीन कनीय अंकेक्षक, एक लेखापाल तथा एक क्लर्क है। आन्तरिक लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन, संचालन मुख्य जो आन्तरिक लेखा–परीक्षा के प्रभारी हैं, के माध्यम से प्रशासक को प्रस्तुत किया जाता है। लेखा–परीक्षा के क्रम में पाया गया कि 26 के स्वीकृत बल के विरुद्ध आन्तरिक लेखा–परीक्षा स्कंध का वास्तविक बल मात्र 6 था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2001–06 की अवधि में, 2004–05 में एक पर्यवेक्षण को छोड़, आन्तरिक लेखा–परीक्षा दल अपर्यवेक्षित रहा।

लेखा–परीक्षा के क्रम में आगे पाया गया कि वर्ष 2001–06 की अवधि में 230 लेखा–परीक्षणीय इकाइयों में से, आन्तरिक लेखा–परीक्षा स्कंध ने मार्च 2006 तक मात्र

17 इकाइयों का लेखा–परीक्षा किया था जो कुल लेखा परीक्षणीय इकाइयों का मात्र 7.4 प्रतिशत था। इसके अतिरिक्त, लेखा–परीक्षा स्कंध ने निगम मुख्यालय का कभी लेखा–परीक्षा नहीं किया।

निष्कर्ष

पुर्नरुद्धार योजना को लागू करने के मामले में निगम का कार्य निष्पादन त्रुटिपूर्ण था क्योंकि योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार से सहायता प्राप्त होने के बावजूद, निगम परिचालन निष्पादन व वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने में विफल रहा। इसके साथ ही, निगम योजना में यथा प्रावधानित रद्दी बसों व स्क्रैप की नीलामी से नई बसों के क्रय हेतु राजस्व का सृजन करने में विफल रहा जिसके कारण फ्लीट शक्ति को बढ़ाया नहीं जा सका। 800 बसों के लक्ष्य के विरुद्ध रखे गए बसों की औसत संख्या 637 थी।

मुख्यतः फ्लीट उपयोगिता, बस उत्पादकता, और दखलकारिता अनुपात मानक से कम होने के कारण, परिचालन आय, व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। प्रबन्धन के स्तर पर राजस्व सृजन हेतु गैर–यातायात क्षेत्रों की खोज का कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, बसों का प्रभावी किलोमीटर निर्धारित लक्ष्य से बहुत कम था।

अधिकाई एच.एस.डी. तेल की खपत, टायरों का निम्न कार्य–निष्पादन, उच्च कर्मचारी–बस अनुपात, निम्न कर्मचारी उत्पादकता एवं अकार्यशील कर्मशाला के कारण बड़ी संख्या में निम्न संधारण के चलते बसों की निवृति के कारण, निगम परिचालन व्यय को मानक के अधीन रख सकने में विफल रहा।

अनुशंसाऐं

निगम को चाहिए कि :

- निधियों को बैंकों में नियत/सावधि जमा में रखने के बदले में उपयोग करे,
- वाहन–क्षमता, वाहनों की निवृत्ति, बस उत्पादकता, दखलकारिता अनुपात, एच.एस.डी. तेल की खपत, टायरों का जीवन–काल के मामले में स्थापित मानकों को प्राप्त करने हेतु प्रयास करे,
- रॉची व मुजफ्फरपुर कर्मशालाओं के बेकार कर्मचारियों को विभिन्न स्थानों पर स्थापित प्रतिष्ठान कर्मशालाओं में लगाए जिनसे (प्रतिष्ठान) कर्मशालाओं के कार्य–निष्पादन में सुधार हो सके।

लेखा–परीक्षा परिणमों को सरकार को प्रतिवेदित (मई 2006) किये गए थे, उत्तर अब तक अप्राप्त थे (अक्टूबर 2006)।

अध्याय – IV

4. कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा का प्रेक्षण

इस अध्याय में राज्य सरकार की कम्पनियों/निगमों के कार्य सम्पादन के नमूना जाँच में पाये गये महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों का समावेश किया गया है।

सरकारी कंपनियाँ

बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड

4.1 केन्दु पत्ते के विक्रय नहीं होने के कारण 46.35 लाख रूपये की हानि

बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड ने केन्दु पत्तों के विक्रय में विलंब के कारण 46.35 लाख रूपये की हानि उठाई।

बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने गया प्रमंडल के सासाराम, भभुआ, चेनारी, और रोहतास प्रक्षेत्रों से केन्दु पत्तों का संग्रहण करने का निर्णय किया (मार्च 2001)। कम्पनी ने 2001–02 मौसम में गया प्रमंडल से 10,489[1] मानक बोरे[2] केन्दु पत्तों का विभागीय संग्रहण किया।

कम्पनी ने संग्रहित पत्तों के विक्रय के लिए निविदा आमंत्रित की (16 अगस्त 2001 एवं 28 अगस्त 2001)। चेनारी के लिए 501 रूपये, रोहतास एवं सासाराम प्रक्षेत्रों के लिए 471 रूपये एवं भभुआ प्रक्षेत्रों के लिए 653 रूपये प्रति मानक बोरा की उच्चतम बोली प्राप्त हुई। निगम ने कम दर का कारण बताकर चेनारी, रोहतास एवं सासाराम प्रक्षेत्रों के पत्तों को नहीं बेचा जबकि भभुआ प्रक्षेत्रों के पत्ते निविदाकर्ता के भुगतान न करने के कारण नहीं बेचे जा सके।

इसके बाद सितम्बर 2001 से अक्टूबर 2001 के बीच चार निविदाएँ आमंत्रित की गई, जिन्हें कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। अतः विक्रय समिति ने पहली निविदा (अगस्त 2001) में भाग लेने वाले निविदाकर्ताओं के साथ मोल–तोल किया तथा 511 रूपये प्रति मानक बोरा की दर से 1,960 बोरे 10.02 लाख रूपये में बेचे। एक अन्य निविदाकर्ता ने 501 रूपये प्रति मानक बोरा की दर से 8,530 बोरा के लिए इस शर्त के साथ प्रस्ताव दिया कि निगम उसे विक्रय मूल्य एवं इ.एम.डी. राशि चार द्वि–मासिक किश्तों में देने की छूट दे। बाजार में मंदी तथा पत्तों की गुणवता में कमी की वजह से बेहतर मूल्य प्राप्त होने की संभावना न होने के कारण विक्रय समिति द्वारा प्रस्ताव स्वीकार करने की अनुशंसा के बाद भी प्रबंध निदेशक ने शर्तो को अस्वीकार्य बताते हुए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया (नवम्बर 2001)। पत्तों के सड़ने की प्रकृति, मंदी, तथा रहतिया रख–रखाव लागत को ध्यान में नहीं रखा गया। प्रबंध निदेशक ने इस तथ्य को भी ध्यान नहीं रखा की प्रस्तावित दर (501 रूपये एवं 471 रूपये प्रति मानक बोरा) लागत दर 466[3] रूपये प्रति मानक बोरा से ज्यादा थे तथा वे संग्रहण लागत, परिवहन लागत तथा भंडारण लागत को आत्मसात कर सकते थे तथा उन दरों पर कुछ लाभ भी प्राप्त किया जा सकता था। इसके बाद दिसम्बर 2001 तथा अक्टूबर 2004 के बीच छः निविदाएँ आमंत्रित की गई, जिन्हें कोई भी प्रस्ताव नहीं मिला, जिसके कारण 46.35

[1] भभुआ (317.685 बोरा), + चेनारी (2,068.130 बोरा), + खोलहोल (97.100 बोरा) + रोहतास (6,046.800 बोरा) + सासाराम (1,959.968 बोरा) = 10,489.683 बोरा (कुल व्यय 48.91 लाख रूपये)।

[2] मानक बोरा = 50 पतो के 1,000 बडल = 50,000 पत्ते।

[3] 10,490 बोरा = 48.91 लाख रूपये लागत प्रति बोरा = 48,51,000– 10,490 = 466.25 या 466 रूपये प्रति मानक–बोरा।

लाख[1] रूपये मूल्य के केन्दु पत्तें अविक्रित रह गये। प्रमण्डल प्रबंधक, गया ने प्रबंध निदेशक को सूचित किया की पत्ते पूरी तरह सड़ गये हैं (अक्टुबर 2005)।

इस प्रकार पत्तों के सड़ने की प्रकृति, मंदी, तथा रहतियों की आवृतिक रख–रखाव लागत होने के बावजूद भी प्रबंध निदेशक द्वारा पत्तों को नहीं बेचने के निर्णय के कारण 46.35 लाख रूपये की हानि हुई।

निगम ने कहा (जुलाई 2006) की क्रेता द्वारा प्रस्तावित शर्तें निविदा की शर्तों के अनुरूप न होने के कारण प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था। प्रबंधन को अच्छे दर प्राप्त होने की भी आशा थी। निगम का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि पत्तों के सड़ने की प्रकृति तथा मंदी के कारण पत्तों को बेचना अत्यावश्यक था तथा इसके लिए निविदा की शर्तो में संशोधन किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त भविष्य में बेहतर दर की संभावना के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं थी तथा विक्रय समिति ने पहले ही सावधान कर दिया था कि मंदी तथा पत्तों की गुणवता में कमी के कारण बेहतर मूल्य प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं है।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2006); उत्तर अप्राप्त था (सितम्बर 2006)।

बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम लिमिटेड

4.2 *खराब नियोजन के कारण निधि का उपयोग न होना।*

राशि उपलबध होते हुए भी, निगम आधारभूत संरचना का विकास तथा बकाया वसूली की स्थिति को बेहतर नहीं कर सका

स्टेट चैनलाईजींग एजेन्सीज (एस.सी.ए.) के द्वारा वहन की जाने वाली वित्तीय बाधाओं को देखते हुए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम (रा.अ.वि.वि.नि.) ने एक योजना आरम्भ की (1998–99) जिसमें एस.सी.ए. को एक प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज मार्जिन, आधारभूत संरचना मजबूत करने, मानव संसाधन विकास करने, प्रोत्साहन कार्य–कलाप एवं बकाया वसूली एजेन्टों की नियुक्ति हेतु मिलना था। योजना के अनुसार राशि, एस.सी.ए. द्वारा पुनः वापसी के आधार पर उपलब्ध थी। बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम, लिमिटेड (कम्पनी) रा.अ.वि.वि.नि. की विभिन्न योजनाओं को बिहार में लागू करने वाली एस.सी.ए. है। किसी भी वर्ष का अधिकार, अगले दो वर्षो तक उपयोग किया जा सकता है तथा ऐसा न होने पर वह समाप्त हो जाएगा। कम्पनी को एक विशेष मामले के रूप में, विनियोजन के राशि को दो वर्ष की अवधि के बाद, 2003–04 तक अग्रसारित करने की अनुमति दी गई।

उपरोक्त योजनानुसार, रा.अ.वि.वि.नि. ने कम्पनी को मार्च 2006 तक के आठ वर्षो में 38.34 लाख रूपये का आवंटन किया। प्रारंभिक दो वर्षो में (1998–99 तथा 1999–2000) में निगम ने योजना की राशि खर्च नहीं की। कम्पनी ने मार्च 2006 तक के छः वर्षो में केवल 9.41 लाख रूपये खर्च किए तथा 28.93 लाख रूपये अप्रयुक्त रह गये। कम्पनी को अप्रयुक्त भाग को दो वर्ष की अवधि के बाद अग्रसारित करने की अनुमति मिलने के बाद भी, 14.12 लाख रूपये की राशि मार्च 2006 में समाप्त हो गई (6.41 लाख रूपये अप्रील 2004 में तथा 7.71 लाख रूपये अप्रील 2005 में)।

अतः राशि उपलब्ध होते हुए भी, कम्पनी योजनानुसार आधारभूत संरचना को मजबूत करने हेतु योजना, जो बकाया वसूली प्रक्रिया को बेहतर कर सकती थी, नहीं बना

[1] (8,530 बोरा पत्ते के लागत @ 466 रूपये = 39.75 लाख) + (भण्डारण लागत, 04/02 से 03/06 @ 1.65 लाख, 4 वर्ष के लिए = 6.60 लाख रूपये) = 46.35 लाख रूपये

सका। कम्पनी योजनानुसार उपलब्ध लाभों का उपयोग नहीं कर सका। बकाया वसूली भी 2003–04 में 2.64 प्रतिशत से गिरकर 2005–06 में 2.15 प्रतिशत हो गई।

कम्पनी ने स्वीकार किया (जून 2006) कि क्रय समिति में कोरम पूरा नहीं होने के कारण उपलब्ध राशि का पूर्णरूपेण उपयोग नहीं हो सका।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2006); उनका उत्तर अप्राप्त था (नवम्बर 2006)।

बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड

4.3 *जाली कागजातों को स्वीकार करने के कारण हानि*

जाली कागजातों को स्वीकार करने के कारण बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लि. ने 56.11 लाख रूपये की हानि उठाई।

बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने बारवे ग्रेनाइट एण्ड स्टोन कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, रॉची इकाई को 56.11 लाख रूपये ऋण दिया (मार्च 1995)। इकाई ऋण का पुनर्भुगतान नहीं कर सकी तथा मार्च 2002 को इकाई के विरूद्ध शेष बकाया राशि 1.63 करोड़ रूपये थी (ब्याज 1.07 करोड़ रूपये)। कम्पनी ने मई 2002 में इकाई का अधिग्रहण कर लिया तथा अप्रील 2002 से अप्रील 2005 तक इसे सात बार नीलामी के लिए रखा, जिसके लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। आठवीं विक्रय सूचना (मई 2005) के प्रत्युत्तर में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसे 53.12 लाख रूपये के पराक्रमित मूल्य पर स्वीकार किया गया। तद्नुसार प्रस्ताव की स्वीकृति की सूचना प्रस्ताव की मानक शर्तो के साथ निविदाकर्ता को दे दी गई (जून 2005)।

तदोपरांत, कम्पनी ने निर्णय किया (सितम्बर 2005), कि चूंकि क्रेता प्रतिफल की राशि (27 लाख रूपये, एक लाख रूपये ब्याज सहित) का 50 प्रतिशत जमा कर चुका है, अतः शेष प्रतिफल की राशि का बैंक गारंटी देने पर संपति का हस्तांतरण किया जा सकता है। संपति का अधिग्रहण करने के पूर्व, क्रेता ने अधिकार पत्र का सत्यापन किया तथा पाया कि सभी अधिकार पत्र जाली थे। जो जमीन बंधकीकृत की हुई थी वह "बकस्त भुइनहारी पहनाई" नामक एक आदिवासी जमीन थी जिसे उपायुक्त की अनुमति के बिना किसी व्यक्ति को बेचा नहीं जा सकता था। कम्पनी का जमीन पर अधिकार अवैधानिक होने के कारण, कम्पनी ने निविदाकर्ता के निवेदन पर 26 लाख रूपये वापस कर दिये (मार्च 2006)। कम्पनी ने न तो मामले की जॉच कराई और न ही जाली कागजातों को स्वीकार करने के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व तय किया। इस प्रकार, जाली कागजातों को स्वीकार करने के कारण कम्पनी ने 56.11 लाख रूपये की हानि सही।

प्रबंधन ने कहा (मई 2006) कि मामले की जॉच की जा रही हैं एवं यदि आवश्यक हुआ तो उत्तरदायित्व तय की जाएगी।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2006); जवाब अप्राप्त था (सितम्बर 2006)।

बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड

4.4 *अयोग्य इकाईयों को अनुचित लाभ*

ओ.टी.एस. योजना को त्रुटिपूर्वक लागू करने से बिहार राज्य साख एवं विनयोग निगम लिमिटेड ने अयोग्य इकाइयों को 3.69 करोड़ रूपये का अनुचित लाभ दिया।

बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने अकार्यशील संपतियों के भार को कम करने के लिए एक–मुश्त निपटारा योजना (ओ.टी.एस.) योजना प्रारंभ किया (अक्टूबर 2004)। योजना को पहले सितम्बर 2005 और पुनः दिसम्बर 2005 तक बढ़ाया गया। योजना के अन्तर्गत, योग्य इकाइयों को छः श्रेणियों में विभक्त किया गया, जिससे एक श्रेणी वैसी इकाइयों की थी जो, बी.आई.एफ.आर./शीर्ष संस्था (लघु उद्योग इकाइयों के लिए राज्य स्तरीय समिति) के साथ पंजीकृत थी।

तत्कालिन प्रबंध निदेशक ने अप्रील 2005 में ढील देने का निर्णय किया कि ओ.टी.एस. योजना के अन्तर्गत योग्यता को विचार करने हेतु बी.आई.एफ.आर./शीर्ष संस्था को महज दिया गया आवेदन पर्याप्त होगा। ओ.टी.एस. योजना के प्रावधानों में ढील देने के प्रबंध निदेशक के निर्णय को निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा जॉच से ज्ञात हुआ कि योजना का लाभ आठ[1] ऐसी बीमार इकाइयों को दिया गया जिन्होंने बी.आई.एफ.आर./शीर्ष संस्था के पास आवेदन किया था, तथा इन्हें उल्लेखित तिथि तक 5.43 करोड़ रूपये जमा करने को कहा गया था (परिशिष्ट–21)। सभी इकाइयों ने (सिवायें एक[2] के जिसने आंशिक परिशोधन राशि जमा की) परिशोधन राशि जमा कर दी। क्योंकि इकाइयॉ बी.आई.एफ.आर./शीर्ष संस्था के पास पंजीकृत नहीं थी, अतः उनका मामला योजना के अन्तर्गत समझौते के योग्य नहीं था, और उनसे 9.12 करोड़ रूपये परिशोधन राशि के रूप में वसूल की जानी चाहिए थी। अतः कम्पनी ने इन इकाइयों को 3.69 करोड़ रूपयों का अनुचित लाभ प्रदान किया। प्रबंधन ने कहा (दिसम्बर 2005) कि वह इन इकाइयों को कह रहा है कि या तो वे बी.आई.एफ.आर./शीर्ष संस्था द्वारा जारी निबंधन प्रमाण पत्र जमा करें या कम्पनी के पास 3.69 करोड़ रूपये जमा कर दें। निदेशक मण्डल ने निर्देश दिया (फरवरी 2006) कि बी.आई.एफ.आर./शीर्ष संस्था के निबंधन के बिना हुए ओ.टी.एस. समझौतों को नियमों के उल्लंघन तथा संबंधित अधिकारियों द्वारा की गई गलतियों के कारण रद्ध कर दी जाएँ।

प्रबंधन ने कहा कि संबंधित इकाइयों से बकाया वसूला करने की कार्रवाई की गई है। प्रबंधन ने यह भी कहा की विभागीय जॉच की जा चुकी है, तथा उचित कार्रवाई की जाएगी।

मामला सरकार को प्रतिवेदत किया गया (मई 2006); जवाब अप्राप्त था (सितम्बर 2006)।

सांविधिक निगम

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड

4.5 *पावर सब–स्टेशन तथा सम्बन्धित 33 के.वी. तार पर निरर्थक व्यय*

अपूर्ण पावर सब–स्टेशन तथा संबंधित 33 के.वी. तार पर बोर्ड ने 1.91 करोड़ रूपये का निरर्थक व्यय किया

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड विद्युत के सुगत प्रवाह के लिए अपने आपूर्ति अंचलों के द्वारा पावर सब–स्टेशन (पी.एस.एस.) तथा संबंधित 33 के.वी. लाइनों का निर्माण करती है। नये पी.एस.एस./लाइन के निर्माण अथवा विद्यमान पी.एस.एस./लाइन के पुर्नवास हेतु

[1] (i) सिटी गोल्ड मेटल (प्र.) लि. (ii) ईर्स्टन फुड इन्डिस्ट्रीज (iii) गौतम कोल वर्क्स (iv) होटल नानक सघ (प्र.) लि. (v) नव भारत लिक चेन (vi) डेटा अलॉज (प्र.) लि. (vii) शिवालिक रिक्लमेशन (प्र.) लि. (viii) सरोगी ऑक्सीजन (प्र.) लि.

[2] ईस्टर्न फुड इन्डिस्ट्रीज

कार्य लिया जाता है। असैनिक तथा वैद्युत कार्य, ठेकेदारों द्वारा किए जाते हैं तथा सामानों की आपूर्ति बोर्ड के द्वारा की जाती है।

लेखापरीक्षा में देखा गया (मई–सितम्बर 2005) कि बोर्ड ने मुंगेर जिला स्थित रामचन्द्रपुर तथा बरियारपुर में दो नये पी.एस.एस. तथा उनसे संबंधित लाइनों के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। इसने दरभंगा जिला के धनश्यामपुर, बांका जिला के शंभुगंज, तथा भोजपुर जिला के संदेश में तीन पी.एस.एस. तथा लाइनों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया। पुर्णिया जिला के मीरगंज पी.एस.एस. से दरगाह पी.एस.एस. तक तथा भोजपुर जिला के संदेश पी.एस.एस. (निर्माणाधीन) से विभिन्न गॉवो तक के लिए 33 के.वी. लाइन का पुर्नवास भी प्रारंभ किया गया। इनका विवरण निम्नानुसार है।

(राशि : लाख रूपये में)

पी.एस.एस. का नाम सम्बन्धित लाइन	योजना	अनुमान का वर्ष	पी.एस.एस./ लाइन की अनुमानित लागत	पूर्ण होने की तय–शुदा तिथि	पी.एस. एस. लाईन पर व्यय	कुल
रामचन्द्रपुर (जिला मुंगेर) एवं सम्बन्धित 33 के.वी. लाइन	ए.डी.पी.[1]	2002–03	40.02 26.14	मार्च 2004	27.79 1.99	29.78
बरियारपुर (मुंगेर जिला) एवं सम्बन्धित 33 के.वी. लाइन	आर.इ.[2]	2000–01	41.28 40.09	मार्च 2004	3.22 1.27	4.49
घनश्यामपुर (दरभंगा जिला) तथा सम्बन्धित 33 के.वी. लाइन	आर.इ.	2002–03 2003–04	27.97 66.64	मार्च 2003	16.83 14.55	31.38
मीरगंज पी.एस.एस. से दरगाह पी.एस.एस. (पूर्णिया जिला) में 33 के.वी. लाइन का पुनर्वास	पुर्नवास	2003–04	71.65	मार्च, 2005	61.33	61.33
शंभुगंज (बांका जिला) तथा सम्बन्धित 33 के. वी. लाइन	आर.इ.	2001–02	77.00 45.79	2003–04 फरवरी 2005	31.84 5.94	37.78
संदेश (भोजपुर जिला) तथा संबंधित 33 के. वी. थी लाइन	आर.इ.	2003–04	46.30 88.74	जून 2004	22.46 3.36	25.82
कुल			**571.62**			**190.58**

आपूर्ति अंचलों द्वारा निर्माण/पुर्नवास का कार्य 5.72 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत पर लिया गया तथा सामग्रियों की लागत सहित असैनिक तथा विद्युत कार्यो पर 1.91 करोड़ रूपये व्यय हुए। लेखापरीक्षा ने पाया कि संबंधित 33 के.वी. लाइनों के प्रतिष्ठापन में प्रगति थी तथा उपरोक्त योजनाएँ अपूर्ण थी (सितम्बर 2006)। जब तक लाइन का काम पूर्ण नहीं हो जाता, पी.एस.एस. को क्रियाशील नहीं किया जा सका। अंचलों के कथनानुसार, बोर्ड के द्वारा सामानों की आंशिक आपूर्ति, कार्य के पूर्ण नहीं होने के मुख्य कारण थे।

उपरोक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि कार्य पूर्ण होने की नियत तिथियॉ पहले ही बीत चुकी थीं तथा बोर्ड के पास पी.एस.एस. एवं सम्बन्धित लाइनों के निर्माण पूर्ण होने की कोई समय–सीमा नहीं थी। आगे प्रतिस्थापित सामग्रियों के चोरी/क्षति की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है।

[1] एनुएल डेवलपमेंट प्रोग्राम

[2] रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन

इस प्रकार कार्य के अनियोजित कार्यान्वयन के कारण 1.91 करोड़ का व्यय निरर्थक रहा तथा योजना का इच्छित लाभ प्राप्त नहीं हो सका।

मामला सरकार/बोर्ड को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2006); उनके जवाब अप्राप्त थे (सितम्बर 2006)।

4.6 *अतिरिक्त पुर्जों का अनावश्यक क्रय*

अतिरिक्त पुर्जों के अनावश्यक क्रय के परिणामस्वरूप 1.59 करोड़ रूपये के निधि का अवरोधन तथा 63.73 लाख रूपये ब्याज की अनुवर्ती हानि हुई

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) के बरौनी थर्मल पावर स्टेशन (बी.टी.पी.एस.) ने इकाई 6 के वॉयलर के पुंजीगत रख–रखाव हेतु 82 अतिरिक्त पुर्जो की आपूर्ति का क्रय आदेश, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) को 1.33 करोड़ रूपये सह उत्पाद कर तथा विक्रय कर की लागत पर दिया (नवम्बर 2001)। बोर्ड की केन्द्रीय क्रय समिति ने अगस्त 2001 में हुई बैठक में क्रय प्रस्ताव का अनुमोदन किया। बी.टी.पी.एस. द्वारा 1.60 करोड़ रूपये की लागत पर सभी अतिरिकत पुर्जे जनवरी 2002 से फरवरी 2003 के दौरान प्राप्त किए गए। आपूर्ति किया गया सामान, प्रेषण की तिथि से 18 महीने तथा वास्तविक प्रयोग के 12 महीने की अवधि जो भी पहले हो तक खराब कारीगरी तथा असंतोषजनक प्रदर्शन के विरूद्ध प्रतिभूतित थी। लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि बी.टी.पी.एस. में एक भी पुर्जे क प्रयोग नहीं हुआ था, क्योंकि बोर्ड के द्वारा इकाई 6 के पुंजीगत रख–रखाव का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया था (सितम्बर 2006)। केवल 0.60 लाख रूपये के चार पुर्जो को मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन स्थानान्तरित किया गया था, तथा शेष पुर्जे बेकार पड़े हुए थे जिसके परिणामस्वरूप 1.59 करोड़ रूपये के निधि का अवरोधन हुआ तथा मार्च 2003 से मार्च 2006 के दौरान 13 प्रतिशत[1] की दर से 63.73 लाख रूपये ब्याज की अनुवर्ती हानि हुई।

बोर्ड ने कहा (अप्रील 2006) की प्रारंम्भ में इकाई 6 के पुँजीगत रख–रखाव का निर्णय किया गया था, जिसके लिए पुर्जो का क्रय किया गया था। परन्तु बाद में प्लांट के बेहतर प्रदर्शन के लिए नवीकरण तथा आधुनिकीकरण का निर्णय किया गया। बोर्ड ने आगे कहा कि पुंजीगत रख–रखाव के लिए क्रय किए गए पुर्जो का उपयोग नवीकरण तथा आधुनिकीकरण में किया जाएगा। भेल ने मार्च 2006 में ही पुनरूद्धार का कार्य प्रारंभ कर दिया था। बोर्ड का जवाब स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि बोर्ड के अनुचित निर्णय के कारण 1.59 करोड़ रूपये के पुर्जो का क्रय हुआ जो तीन साल तक बेकार पड़े रहे तथा जिनकी अधिप्राप्ति समय सीमा केवल नौ माह थी। सामग्री की प्रतिभूती सीमा भी खत्म हो चुकी थी तथा पुर्जो की दशा में अद्योगति से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अप्रील 2006); उनके जवाब अप्राप्त थे (सितम्बर 2006)।

4.7 *त्रुटिपूर्ण अनुबंध के कारण परिहार्य व्यय*

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने ट्रांसफरमर क्रय के लिए त्रुटिपूर्ण अनुबंध के कारण 42.45 लाख रूपये का परिहार्य व्यय किया

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने अगस्त 2002 से नवम्बर 2004 के बीच 63/100 के.वी.ए. वितरण ट्रांसफरमर का क्रय प्रतिस्पधत्मिक बोली प्रक्रिया के तहत किया।

क्रय आदेश के उपवाक्य 7 के अनुसार, विलंबित आपूर्ति की स्थिति में आपूर्तिकर्ता से प्रति सप्ताह या उसके भाग के लिए 0.25 प्रतिशत की दर से दंड वसूलना था जो

[1] बिहार सरकार द्वारा बोर्ड को दिए गए ऋण पर अधिभारित ब्याज की दर

अधिकतम आपूर्ति किए गए माल के मूल्य का 5 प्रतिशत तक हो सकता था। आरम्भिक आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति में असफल होने की परिस्थिति में अन्य स्त्रोतो से ट्रांसफरमर क्रय में होने वाली अतिरिक्त लागत वसूल करने के लिए, क्रय आदेश में कोई लागत एवं जोखिम उपवाक्य नहीं सम्मिलित किया गया, जिससे बोर्ड को होने वाली किसी वित्तीय हानि से बचाया जा सकता था।

लेखापरीक्षा जॉच में उद्घाटित हुआ (जनवरी 2006) कि बोर्ड ने अगस्त 2002 से नवम्बर 2004 के बीच 63 एवं 100 के.भी.ए. के 549 ट्रांसफरमरों के क्रय के लिए चार आपूर्तिकर्ताओं को चार क्रय आदेश जारी किया जिनके विरूद्ध मार्च 2003 से जनवरी 2005 के बीच केवल 307 ट्रांसफरमरों की आपूर्ति हुई तथा 242 ट्रांसफरमरों की आपूर्ति नहीं हुई। आपूर्ति नहीं होने तथा बोर्ड के द्वारा शेष आपूर्ति को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयास अभिलेख में नहीं थे। यह भी पाया गया कि बोर्ड ने 45 ट्रांसफरमर की विलंबित आपूर्ति के लिए एक आपूर्तिकर्ता पर 0.15 लाख रूपये का दंड आरोपित किया था। तथापि 242 ट्रांसफरमरों की आपूर्ति नहीं करने के लिए अ–आपूर्तिकर्ताओं पर 4.94 लाख का दंड आरोपित नहीं कर आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ दिया गया। इसके अतिरिक्त बोर्ड ने नयी निविदा आमंत्रित की तथा अप्रील 2004 से दिसम्बर 2005 के बीच 670 ट्रांसफरमरों की आपूर्ति के लिए नया क्रय आदेश उन्ही आपूर्तिकर्ताओं को जारी किया। इन क्रय आदेशों में उच्च लागत पर पूर्व के क्रय आदेशों से संबंधित अनापूर्तित 242 ट्रॉसफरमर भी शामिल थे जिस कारण, जैसा **परिशिष्ट–22** में वर्णित है, 42.45 लाख रूपये की अतिरिक्त लागत लगी।

क्रय आदेश में, आपूर्ति नहीं करने के लिए लागत एवं जोखिम उपवाक्य नहीं सम्मिलित कर बोर्ड ने न तो अपने वित्तीय हितों की सुरक्षा की और न ही इसने आपूर्तिकर्ताओं पर 242 ट्रांसफरमरों के मूल्य को पूर्व के क्रय आदेशों के मूल्य तक लाने के लिए प्रभाव डाला। इस प्रकार बोर्ड को 42.45 लाख रूपये का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

बोर्ड ने कहा (जुलाई 2006) कि गंभीर वित्तीय संकट के कारण बोर्ड आपूर्तिकर्ताओं को पूर्ण भुगतान नहीं कर सका जिस कारण वे पूरी आपूर्ति नहीं कर सके। अतः कोई दंड आरोपित नहीं किया गया तथा बाद में ट्रासंफरमरों को उच्च दर पर क्रय किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बोर्ड को क्रय आदेशों को जारी करने के पहले इन समस्याओं को हल कर लेना चाहिए था।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया मई (2006); उनके जवाब अप्राप्त थे (सितम्बर 2006)।

4.8 *थर्मल पावर स्टेशनों पर निरर्थक व्यय*

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने थर्मल पावर स्टेशनों पर 88.05 करोड़ रूपये का निरथर्क व्यय किया

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन (बी.टी.पी.एस.) तथा मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन (एम.टी.पी.एस.) में दो–दो इकाईयॉ चला रहा था जिनकी कुल स्थापित/डिरेटेड स्थापित क्षमता 430 मे.वा. थी। इलेक्ट्रो स्टैटिक प्रीसीपीटेटर (ई.एस.पी.) के स्थापित नहीं होने के कारण बी.टी.पी.एस., 100 में.वा. की स्थापित क्षमता वाली दो इकाइयों को नहीं चला सका जो मार्च 1995/अप्रील 1996 से बन्द पड़ी हैं।

मानकों के अनुसार प्लांट के प्रति 10,000 घंटा परिचालन पर थर्मल पावर स्टेशन का पूंजीगत रख–रखाव होना चाहिए। लेखापरीक्षा के दौरान (अप्रील 2006) पाया गया कि दोनों प्लाटों का पूंजीगत रख–रखाव, जो बहुत दिनों से बकाया था, आज तक नहीं हो पाया था। इन इकाइयों की अंतिम पूंजीगत रख–रखाव की तिथि, अगले पूंजीगत रख–रखाव की नियत तिथि, एवं मार्च 2006 तक परिचालन के घंटे (अंतिम पूंजीगत रख–रखाव से) निम्न प्रकार है :–

इकाई	अंतिम पूंजीगत रख– रखाव की तिथि	अगले पूंजीगत रख– रखाव की नियत तिथि	मार्च 2006 तक परिचालन के घंटे (अंतिम पूंजीगत रख– रखाव से)
बी.टी.पी.एस., इकाई सं.–6	नवम्बर 1989	1992	66,331
बी.टी.पी.एस., इकाई सं.–7	मई 1993	1996	45,520
एम.टी.पी.एस., इकाई सं.–1	जनवरी 1997	2001	19,611
एम.टी.पी.एस., इकाई सं.–2	मई 1995	1997	35,992

उपरोक्त इकाइयों का समयानुसार पूंजीगत रख–रखाव नहीं कराने के कारण, प्लांटों की स्थिति और अधिक बिगड़ गयी, जिस कारण नवीकरण तथा आधुनिकीकरण की आवश्यकता पड़ी। बोर्ड ने फिर भी सर्वभारत औसत 63.8[1] प्रतिशत एवं निर्धारित मानक 80 प्रतिशत के तुलना में बहुत ही कम प्लॉट लोड फैक्टर (पी.एल.एफ.) पर अपनी इकाइयों की चालू रखा, जो निम्न वर्णित है :–

(प्लांट लोड फैक्टर प्रतिशत में)

वर्ष	बी.टी.पी.एस.	एम.टी.पी.एस.
2001–02	17.35	18.42
2002–03	14.49	13.93
2003–04	14.95	3.96 (अक्टूबर 2003 से बंद)
2004–05	8.34	(प्लांट बंद है।)
2005–06	6.57	(प्लांट बंद है।)

लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि दानों प्लांटों में एक वक्त में केवल एक इकाई काम करती थी, तथा दूसरी इकाई परिचालन समस्याओं के कारण बंद रहती थी। एम.टी.पी.एस. की दोनों इकाइयॉ, परिचालन की उच्च लागत, निम्न पी.एल.एफ., तथा लगातार बिगड़ जाने के कारण अक्टूबर 2003 से ही बंद थी। बोर्ड न तो एम.टी.पी.एस. की पूजीगत रख–रखाव करा सका और न ही उन्हें पुनः आरम्भ करा सका, जिसके कारण रिकार्ड में दर्ज नहीं थे। लेखापरीक्षा में देखा गया कि मार्च 2006 तक पिछले तीन वर्षो में दोनों प्लांटों में वास्तविक निवल उत्पादन मानक (6,632.88 एम.यु.) का केवल 7.70 प्रतिशत (510.875 एम.यु.) था। इस अवधि के दौरान उत्पादित उर्जा के अनुपात में स्थायी लागत कहीं ज्यादा थी। परिणामस्वरूप स्थापना लागत के वसूल न होने के कारण बोर्ड ने 88.05 करोड़ रूपये की हानि उठाई। **(परिशिष्ट–23)**।

यदि बोर्ड ने थर्मल प्लांटो के पूजीगत रख–रखाव की कार्रवाई समय पर की होती, प्रत्येक प्लांट के दोनों इकाइयों को एक साथ चलाया होता तथा बी.टी.पी.एस. में 100 में.वा. क्षमता के दो इकाइयों को चलाने के लिए समय पर ई.एस.पी. को स्थापित किया होता तो, उत्पादन बढ़ाया जा सकता था और स्थापना लागत को वसूल किया जा सकता था।

बोर्ड ने कहा (सितम्बर 2006) कि प्रारंभ में बी.टी.पी.एस. की इकाई–6 का पूँजीगत रख–रखाव, इकाई–7 का नवीकरण एवं आधुनिकरण, तथा एम.टी.पी.एस. का नवीकरण एवं आधुनिकरण करने का निर्णय लिया गया था, परन्तु बाद में चौतरफा सुधार के लिए राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत बी.टी.पी.एस. की चार इकाइयॉ तथा एम.टी.पी.एस. की दो इकाइयों का नवीकरण तथा आधुनिकरण कराने का निर्णय लिया गया। सम्प्रति, बिहार सरकार एवं नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एन.टी.पी.सी.) के मध्य एम.टी.पी. एस. की इकाइयॉ चलाने के लिए एक सयुक्त स्कन्ध उपक्रम स्थापित करने के लिए समझौते का स्मार पत्र हस्ताक्षरित हुआ है। उत्तर मान्य नही है क्योंकि समयानुसार कार्रवाई करने से इन इकाइयों को इस हद तक अधोपतन से रोका जा सकता था।

[1] स्त्रोत : उर्जा मंत्रालय

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2006); जवाब अप्राप्त थे (सितम्बर 2006)।

बिहार राज्य वित्त निगम

4.9 *बन्धक सम्पत्ति की चोरी/हटाया जाना*

अपने सम्पतियों की सुरक्षा हेतु कोई व्यवस्था न बना पाने में बिहार राज्य वित्त निगम की विफलता के कारण 18.32 करोड़ रूपये की हानि हुई

बिहार राज्य वित्त निगम (निगम) औद्योगिक इकाइयॉ स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। चुकौती की किश्तें, ऋण वितरण की प्रथम तिथि के बाद तथा 12/24 महीने के ऋण स्थगन की अवधि के उपरान्त त्रैमासिक या अर्धवार्षिक आधार पर तय की जाती है। ऋणी इकाइयों द्वारा निर्मित संपत्तियॉ निगम के पक्ष में बन्धक रहती है। निगम के अधिकारी ऋणी इकाइयों की स्थिति तथा ऋण वसूली की स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन संबंधित शाखा कार्यालय/मुख्यालय को देते हैं। यदि ऋण वसूली नहीं हो पाती है तो राज्य वित्तीय निगम (रा.वि.नि.) अधिनियम, 1951 की धारा 29 तथा 30 के अन्तर्गत कारवाई की जाती है तथा खुली निविदा आमंत्रित कर इकाई को बेचने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। अतः जब तक विक्रय की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती तब तक, निगम बंधक रखी संपत्तियों की उचित सुरक्षा प्रदान करने/सुनिश्चित करने हेतु बाध्य है।

त्रुटि करने वाली इकाइयों के अधिग्रहण हेतु धारा 29 के अन्तर्गत सूचना जारी करने की अवधि तथा उन्हें नीलाम करने की अवधि के बीच बंधक रखी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु निगम के पास कोई व्यवस्था नहीं है। निगम इकाइयों को बिना भौतिक कब्जा में लिए नीलाम करने के लिए रख देता है, जिस कारण संपत्तियॉ त्रुटिकर्ताओं द्वारा चोरी/हटाये जाने के लिए सुभेद्य हो जाती है। लेखापरीक्षा जॉच नें उद्घाटित किया कि निगम ने जनवरी 2005 तक त्रुटिकर्ताओं द्वारा चोरी किए गए/हटाये गए 18.69 करोड़ रूपये की संपत्तियों की वसूली के लिए त्रुटिकर्ताओं के विरूद्ध 748 मामलों में प्रथम सूचना प्रतिवेदन दाखिल किया था **(परिशिष्ट–24)**।

परिशिष्ट से यह देखा जा सकता है कि 748 मामलों में से, 686 मामले पॉच वर्ष से ज्यादा पुराने थे। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि 748 में से 44 मामले (6 प्रतिशत) में न्यायालय के द्वारा निर्णय किए गए थे (सितम्बर 2006)। इन 44 मामलों में से केवल 17 मामलों में निर्णय निगम के पक्ष में हुए थे तथा केवल 36.98 लाख रूपये (कुल राशि 18.69 करोड़ का 2 प्रतिशत) की वसूली हुई। निम्न वसूली के अतिरिक्त, निगम न्यायालय में दायर मामलों का अनुसरण करने में भारी राशि (जिसे लेखा परीक्षा में परिमाणित नहीं किया जा सका) व्यय कर रहा है।

इस प्रकार निगम द्वारा संपत्तियों की सुरक्षा हेतु कोई व्यवस्था न बना पाने तथा उसके लागू करने में विफलता के कारण 748 प्रथम सूचना प्रतिवेदन/न्यायिक मामला दायर हुए जिसके विरूद्ध 18.32 करोड़ रूपये की वसूलनीय राशि पॉच वर्षो से अधिक समय से बकाया थी।

लेखापरीक्षा परिणाम को स्वीकार करते हुए (मई 2006) प्रबंधन ने कहा कि निगम में बन्धकीकृत संपत्तियों की सुरक्षा हेतु कोई व्यवस्था नहीं है। उसने यह भी कहा कि जब तक संपत्तियों का अधिग्रहण निगम के द्वारा नहीं हो जाता तबतक उनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व प्रवर्तकों का होता है तथा जब कभी भी संपत्तियों के हटाये जाने की बात सूचना में आती है तो प्रथम सूचना प्रतिवेदन दाखिल किया जाता है तथा उसका अनुसरण किया जाता है। तथापि तथ्य यही है कि निगम के पास संपत्तियों की सुरक्षा हेतु कोई व्यवस्था नहीं है तथा इस कारण 18.32 करोड़ रूपये[1] की हानि हुई।

[1] प्रवर्तको द्वारा हटाए गए, गायब संपत्तियों की आसन्न कीमत

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2006); उनके जवाब अप्राप्त थे (सितम्बर 2006)।

सामान्य

4.10 *निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रारूप कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर प्रतिक्रिया*

लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए एवं मौके पर नहीं निपटाये गए लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) के कार्यालय प्रधानों एवं राज्य सरकार के संबंधित विभागों को निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से प्रेषित किया जाता हैं। सा.क्षे.उ. के कार्यालय प्रधानों को सम्बन्द्ध विभागों के प्रधानों के माध्यम से निरीक्षण प्रतिवेदनों का उत्तर छः हफ्तों के अन्दर देना होता है। 54 सा.क्षे.उ. से संबंधित मार्च 2006 तक जारी किए निरीक्षण प्रतिवेदनों से प्रकट हुआ कि 1,704 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 7,113 कंडिकायें सितम्बर 2006 के अन्त तक बाकी रह गयी थीं। 30 सितम्बर 2006 तक लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा कंडिकाओं का विभागावार विवरण **परिशिष्ट–25** में दिया गया है।

उसी प्रकार सा.क्षे.उ. के कार्यकलापों पर प्रारूप कंडिकाओं एवं समीक्षाओं के तथ्यों और ऑकड़ों की सम्पुष्टि हेतु एवं छः हफ्तों की अवधि के भीतर उनकी टिप्पणियों के लिए प्रधान सचिव/संबंधित प्रशासनिक विभाग के सचिव को अर्द्धसरकारी पत्रों के माध्यम से अग्रसारित किया जाता है। फिर भी यह देखा गया कि अप्रील से नवम्बर 2006 के दौरान विभिन्न विभागों को अग्रसारित किए गए नौ प्रारूप कंडिकाओं एवं तीन समीक्षाओं के उत्तर नहीं दिए गए जैसा कि **परिशिष्ट–26** में वर्णित है।

यह अनुशंसित किया जाता है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि (क) विहित समय सीमा के अन्दर, जो पदाधिकारीगण निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप कंडिकाओं/समीक्षाओं के जवाब भेजने में असफल रहे, उनके विरूद्ध कर्रवाई करने की प्रक्रिया विद्यमान हो; (ख) एक समयबद्ध कार्यक्रम के तहत हानि/बकाया अग्रिम/अधिक भुगतान की वसूली हेतु कार्रवाई और (ग) लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर उत्तर देने की प्रणाली मजबूत की जाए।

पटना
दिनांक

(अरुण कुमार सिंह)
प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक

(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट – 1

(कंडिका 1.3, 1.4, 1.5 एवं 1.16)

31 मार्च 2006 को सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के संदर्भ में अद्यतन प्रदत्त पूंजी, आय–व्ययक से वर्हिगमन, आय–व्ययक से दिये गए ऋण एवं बकाया ऋणों को दर्शानेवाली विवरणी

(कोष्ठक के अंदर दिये गए आकड़े आवंटन हेतु आंश आवेदन राशि के द्योतक है)

(कॉलम 3(क) से 4(छ) तक की राशि लाख रुपये में)

क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	चालू वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूंजी					वर्ष भर में बजट से प्राप्त साधारण पूँजी/ऋण		वर्ष भर में प्राप्त अन्य ऋण	2005–2006 के अन्त तक बकाया ऋण				2005–2006 के ऋण/साधारण पूँजी के अनुपात (पूर्व वर्ष)
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्री कम्पनियाँ	अन्य	कुल	साधारण पूँजी	ऋण		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	4(छ)/3(ङ)
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	4(च)	4(छ)	5
	कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ													
	कृषि एवं समवर्गी													
1.	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	162.46 (65.20)	---	---	138.94 (4.24)	301.40 (69.44)	--	--	--	2,792.55	--	--	2,792.55	7.53:1 (7.53:1)
2.	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	174.75 (125.25)	---	---	---	174.75 (125.25)	--	--	--	213.84	2.50	--	216.34	**0.72:1 (0.72:1)**
	प्रक्षेत्रवार योग	**337.21 (190.45)**		**---**	**138.94 (4.24)**	**476.15 (194.69)**	--	--	--	**3,006.39**	**2.50**	**--**	**3,008.89**	**4.48:1 (4.48:1)**
	इलेक्ट्रॉनिक्स													
3	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	407.77 (159.14)	---	---	---	407.77 (159.14)	---	--	--	593.48	--	--	593.48	1.05 :1 (1.05:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**407.77 (159.14)**	**---**	**---**	**---**	**407.77 (159.14)**	--	--	--	**593.48**	**--**	**--**	**593.48**	**105:1 (1.05:1)**
	वन													
4	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	175.08	54.00	---	---	229.08	--	--	--	--	--	--	--	--
	प्रक्षेत्रवार योग	**175.08**	**54.00**	**---**	**---**	**229.08**	--	--	--	--	--	--	--	--

क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	चालू वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूंजी					वर्ष भर में बजट से प्राप्त साधारण पूँजी / ऋण		वर्ष भर में प्राप्त अन्य ऋण	2005–2006 के अन्त तक बकाया ऋण				2005–2006 के ऋण / साधारण पूँजी के अनुपात (पूर्व वर्ष)
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्री कम्पनियाँ	अन्य	कुल	साधारण पूँजी	ऋण		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	4(छ) / 3(ङ)
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	4(च)	4(छ)	5
	खनन													
5	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लि.	997.35	---	---	---	997.35	--	--	--	--	--	--	--	--
	प्रक्षेत्रवार योग	**997.35**	**---**	**---**	**---**	**997.35**	--	--	--	--	--	--	--	--
	निर्माण													
6	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लि.	10.00	---	---	---	10.00	--	--	--	42.90	--	--	42.90	4.29:1 (4.29:1)
7	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि.	350.00	---	---	---	350.00	--	--	--	--	--	--	--	--
	प्रक्षेत्रवार योग	**360.00**	**---**	**---**	**---**	**360.00**	--	--	--	**42.90**	--	--	**42.90**	**4.29:1 (4.29:1)**
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास													
8	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लि.	475.00	---	---	700.04	1175.04	--	--	--	--	--	2118.11	2118.11	1.80:1 (1.38:1
9	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1336.00	---	---	---	1336.00	--	--	**30**	--	**1831.63**	---	1831.63	1.37:1 (1.49:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**1811.00**	**---**	**---**	**700.04**	**2511.04**	--	--	**30**	--	**1831.63**	**2118.11**	**3949.74**	**1.57:1 (1.45:1)**
	जन–वितरण													
10	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि.	526.58	---	---	---	526.58	--	11433.00	33.19	11864.01	194.06	--	12058.07	22.9:1 (1.12:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	526.58	---	---	---	526.58	--	**11433.00**	**33.19**	11864.01	194.06	--	12058.07	22.9:1 (1.12:1)

क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	चालू वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूंजी					वर्ष भर में बजट से प्राप्त साधारण पूँजी / ऋण		वर्ष भर में प्राप्त अन्य ऋण	2005–2006 के अन्त तक बकाया ऋण				2005–2006 के ऋण / साधारण पूँजी के अनुपात (पूर्व वर्ष)
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्री कम्पनियाँ	अन्य	कुल	साधारण पूँजी	ऋण		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	4(छ) / 3(ङ)
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	4(च)	4(छ)	5
	पर्यटन													
11	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि.	500.00	---	---	---	500.00	--	--	--	--	--	--	--	--
	प्रक्षेत्रवार योग	**500.00**	**---**	**---**	**---**	**500.00**	--	--	--	--	--	--	--	--
	उर्जा													
12	बिहार राज्य जल विद्युत पावर निगम लि.	9,904.00	---	---	---	9,904.00	--	845,24	**302.00**	10639.24	--	2640.00	13279.24	1.34:1 (1.26:1)
13	तेनूघाट विद्युत निगम लि.	10,000.00	---	---	---	10,000.00	--	--	--	60,889.00	--	4,145.00	65,034.00	6.5:1 (6.5:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**19,904.00**	**---**	---	---	**19,904.00**	--	**845.24**	**302.00**	**71528.24**	--	**6785.00**	**78313.24**	**3.93:1 (3.89:1)**
	वित्त प्रबन्ध													
14	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लि.	1500.00 (12.35)	---	---	---	1500.00 (12.35)	--	--	--	2047.34	--	3896.38	5943.72	3.93:1 (4.96:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**1,500.00 (12.35)**	**---**	**---**	**---**	**1,500.00 (12.35)**	--	--	--	**2047.34**	--	**3896.38**	**5943.72**	**3.93:1 (4.96:1**
	विविध प्रक्षेत्र													
15	बिहार राज्य टेक्स्ट–बुक प्रकाशन निगम लि.	47.67	---	---	---	47.67	--	--	--	--	--	--	--	--
16	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लि.	100.00	---	---	---	100.00	--	--	--	14.80	--	--	14.80	0.15:1 (0.14:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**147.67**	**---**	**---**	**---**	**147.67**	--	--	--	**14.80**	--	--	**14.80**	**0.1:1 (0.1:1)**
	योग (अ)	**26666.66 (361.94)**	**54.00**	---	**838.98 (4.24)**	**27559.64 (366.18)**	---	**12278.24**	**365.19**	**89097.16**	**2028.19**	**12799.49**	**10392.84**	**3.72:1 (3.34:1)**

क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	चालू वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूंजी					वर्ष भर में बजट से प्राप्त साधारण पूँजी/ऋण		वर्ष भर में प्राप्त अन्य ऋण	2005–2006 के अन्त तक बकाया ऋण				2005–2006 के ऋण/साधारण पूँजी के अनुपात (पूर्व वर्ष)
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्री कम्पनियाँ	अन्य	कुल	साधारण पूँजी	ऋण		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	4(छ)/3(ङ)
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	4(च)	4(छ)	5
ख	**कार्यशील सांविधिक निगम**													
	उर्जा													
1.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	---	---	---	---	---	---	105346	5680	534438		42032	576470	
	प्रक्षेत्रवार योग	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**105346**	**5680**	**534438**		**42032**	**576470**	
	परिवहन													
2.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	7475.57	2651.78	---	---	10127.35				8102.22			8102.22	0.8:1 (0.8:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**7475.57**	**2651.78**	**---**	**---**	**10127.35**				**8102.22**			**8102.22**	**0.8:1 (0.8:1)**
	वित्त प्रबन्ध													
3.	बिहार राज्य वित्तीय निगम	3994.77	---	---	3789.05	7783.82				12751.42		15916.73	28668.15	3.68:1 (4.1:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**3994.77**	**---**	**---**	**3789.05**	**7783.82**				**12751.42**		**15916.73**	**28668.15**	**3.68:1 (4.1:1)**
	विविध													
4.	बिहार राज्य भण्डारण निगम	68.55	---	---	68.55	137.10			429.78			725.72	725.72	5.29:1 (2.78:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**68.55**	**---**	**---**	**68.55**	**137.10**			**429.78**			**725.72**	**725.72**	**5.29:1 (2.78:1)**
	योग (ख)	**11538.89**	**2651.78**	**---**	**3857.60**	**18048.27**		**105346.00**	**6109.78**	**555291.64**	**0**	**58674.45**	**613966.09**	**34.01:1 (18.4:1)**
	कुल योग (क+ख)	**38205.55 (361.94)**	**2705.78**	**---**	**4696.58 (4.24)**	**45607.91 (366.18)**		**117624.24**	**6474.97**	**644388.80**	**2028.19**	**71473.94**	**717890.93**	**15.62:1 (9.3:1)**
स	**अकार्यशील कम्पनियाँ**													
	कृषि एवं समवर्गी													
1.	बिहार राज्य जल विकास निगम लि.	1.000.00	---	---	---	1.000.00			---	4967.89	---		4967.89	4.97:1 (4.97:1)
2.	बिहार राज्य दुग्ध निगम लि.	672.36	---	---	---	672.36			---	175.35	---		175.35	0.26:1 (0.26:1)

क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	चालू वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूंजी					वर्ष भर में बजट से प्राप्त साधारण पूँजी / ऋण		वर्ष भर में प्राप्त अन्य ऋण	2005–2006 के अन्त तक बकाया ऋण				2005–2006 के ऋण / साधारण पूँजी के अनुपात (पूर्व वर्ष)
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्री कम्पनियाँ	अन्य	कुल	साधारण पूँजी	ऋण		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	4(छ) / 3(ङ)
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	4(च)	4(छ)	5
3.	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई लिमिटेड	1000.00	---	---	---	1,000.00			---	855.42	---		855.42	0.86:1 (0.86:1)
4.	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लि.	756.52 (7.00)		---	---	756.52 (7.00)			---	1259.99	---		1259.99	1.65:1 (1.65:1)
5.	बिहार फल एवं सब्जी विकास निगम लि.	161.37	49.00	---	---	210.37			---	41.81	70.00	---	111.81	0.77:1 (0.77:1)
6.	बिहार कीटनाशक लि.	---	---	57.03 (238.90)	---	57.03 (238.90)			---	---	---	154.10	154.10	0.52:1 (0.52:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**3590.25 (7.00)**	**49.00**	**57.03 (238.90)**	**---**	**3696.28 (245.90)**			**---**	**7300.46**	**70.00**	**154.10**	**7524.56**	**1.9:1 (1.85:1)**
	उद्योग (विविध)													
7.	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लि.	718.48	---	---	---	718.48			---	1040.00	---	183.00	1223.00	1.70:1 (1.70:1)
8.	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लि.	1404.00	---	---	---	1404.00			---	6702.00	---	217.95	6919.95	4.93:1 (4.93:1)
9.	बिहार स्कूटर्स लि.	---	---	163.00	---	163.00			---	609.34	---		609.34	3.74:1 (3.74:1)
10.	बिहार पेपर मिल्स लि.	---	---	776.92	---	776.92			---	---	---	1071.61	1071.61	1.38:1 (1.38:1)
11.	बिहार राज्य फिनिस्ड लेदर्स निगम लि.	---	---	88.00	59.00	147.00			---	918.00	---		918.00	6.24:1 (6.24:1)
12.	बिहार राज्य ग्लेज्ड टाईल्स एवं सिरामिक्स लि.	---	---	115.00 (25.00)	---	115.00 (25.00)			---	---	---	366.33	366.33	2.62:1 (2.62:1)
13.	विश्वामित्र पेपर उद्योग लि.	---	---	114.57 (59.72)	---	114.57 (59.72)			---	---	---	81.15	81.15	0.47:1 (0.47:1)
14.	झंझारपुर पेपर उद्योग लि.	---	---	107.35 (41.55)	---	107.35 (41.55)			---	---	---	46.16	46.16	0.31:1 (0.31:1)

क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	चालू वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूंजी					वर्ष भर में बजट से प्राप्त साधारण पूँजी/ऋण		वर्ष भर में प्राप्त अन्य ऋण	2005–2006 के अन्त तक बकाया ऋण				2005–2006 के ऋण/साधारण पूँजी के अनुपात (पूर्व वर्ष)
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्री कम्पनियाँ	अन्य	कुल	साधारण पूँजी	ऋण		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	4(छ)/3(ङ)
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	4(च)	4(छ)	5
15.	बिहार राज्य टैनीन एक्सट्रैक्ट लि.	---	---	107.35	50.00	157.35			---	---	---	213.84	213.84	1.36:1 (1.36:1)
16.	बिहार सॉलभेंट एण्ड कैमिकल्स लि.	20.00	---	68.15	20.07	108.22			---	---	---	88.69	88.69	0.82:1 (0.82:1)
17.	सिन्थेटिक रेजिन्स (इस्टर्न) लि.	---	---	21.47	9.52 (78.69)	30.99 (78.69)			---	---	---	105.08	105.08	0.95:1 (0.95:1)
18.	मगध मिनरल्स लि.	---	---	0.07 (36.15)	---	0.07 (36.15)			---	---	---	46.58	46.58	1.29:1 (1.29:1)
19.	भवानी ऐक्टीव कार्बन लिमिटेड	---	---	9.43	---	9.43			---	---	---		---	---
20	बिहार राज्य चर्मोद्योग विकास निगम लि.	1000.00	---	---	---	1000.00		---	---	1242.55	---	170.00	1412.55	1.41:1 (1.41:1)
21	बिहार राज्य निर्माण निगम लि.	700.00	---	---	---	700.00			---	105.10	---		105.10	0.15:1 (0.15:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**3842.48**	**-**	**1571.31 (162.42)**	**138.59 (78.69)**	**5552.38 (241.11)**		**---**	---	**10616.99**	---	**2590.39**	**13207.38**	**2.28:1 (2.28:1)**
	अभियंत्रण													
22.	कुमारधुबी मेटल कॉस्टिंग एवं इन्जिनियरिंग लि.	---	---	110.00	107.00	217.00			---	---	---	663.44	663.44	3.06:1 (3.06:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	---	---	**110.00**	**107.00**	**217.00**			**---**	---	---	**663.44**	**663.44**	**3.06:1 (3.06:1)**
	इलेक्ट्रानिक्स													
23	बेलट्रान विडियो सिस्टम लि.	---	---	504.71	---	504.71			---	---	---	450.87	450.87	0.89:1 (0.89:1)

क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	चालू वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूंजी					वर्ष भर में बजट से प्राप्त साधारण पूँजी / ऋण		वर्ष भर में प्राप्त अन्य ऋण	2005–2006 के अन्त तक बकाया ऋण				2005–2006 के ऋण / साधारण पूँजी के अनुपात (पूर्व वर्ष)
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्री कम्पनियाँ	अन्य	कुल	साधारण पूँजी	ऋण		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	4(छ) / 3(ङ)
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	4(च)	4(छ)	5
24	बेलट्रान माइनिंग सिस्टम लि.	---	---	248.24	---	248.24			---	---	---		---	---
25	बेलट्रान इन्फारमेटिक्स लि.	---	---	0.28	---	0.28			---	---	---		---	---
	प्रक्षेत्रवार योग	---	---	**753.23**	---	**753.23**			---	---	---	**450.87**	**450.87**	**0.60:1 (0.60:1)**
	टेक्सटाईल्स													
26	बिहार राज्य वस्त्र निगम लि.	537.00	---	---	---	537.00			---	223.66	---		223.66	0.42:1 (0.42:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**537.00**	---	---	---	**537.00**			---	**223.66**	---		**223.66**	**0.42:1 (0.42:1)**
	हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प													
27	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प लि.	999.98	---	---	---	999.98			---	115.78	---		115.78	0.12:1 (0.12:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**999.98**	---	---	---	**999.98**			---	**115.78**	---		**115.78**	**0.12:1 (0.12:1)**
	चीनी													
28	बिहार राज्य चीनी निगम लि.	2000.00	---	---	---	2000.00			---	31406.27	---		31406.27	15.7:1 (15.7:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**2000.00**	---	---	---	**2000.00**			---	**31406.27**	---		**31406.27**	**15.7:1 (15.7:1)**
	सीमेंट													
29	बिहार राज्य सीमेंट निगम लिमिटेड	---	---	0.07	---	0.07			---	3.17	---		3.17	45.29:1 (45.29:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	---	---	**0.07**	---	**0.07**			---	**3.17**	---		**3.17**	**45.29:1 (45.29:1)**

क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	चालू वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूंजी					वर्ष भर में बजट से प्राप्त साधारण पूँजी/ऋण		वर्ष भर में प्राप्त अन्य ऋण	2005–2006 के अन्त तक बकाया ऋण				2005–2006 के ऋण/साधारण पूँजी के अनुपात (पूर्व वर्ष)
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्री कम्पनियाँ	अन्य	कुल	साधारण पूँजी	ऋण		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	4(छ)/3(ङ)
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	4(च)	4(छ)	5
	औषधि, रसायन एवं औषध													
30	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लि.	1500.00 (77.88)	---	---	---	1500.00 (77.88)		0.5	---	427.91	---		427.91	0.27:1 (0.27:1)
31	बिहार मेज प्रोडक्टस लि.	---	---	0.07 (73.68)	---	0.07 (73.68)			---	---	---	2.16	2.16	0.03:1 (0.03:1)
32.	बिहार ड्रग्स एवं केमिकल्स लिमिटेड	---	---	400.00	---	400.00			---	127.99	---		127.99	0.32:1 (0.32:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**1500.00 (77.88)**	**---**	**400.07 (73.68)**	---	**1900.07 (151.56)**		**0.5**	---	**555.90**	---	**2.16**	**558.06**	**0.27:1 (0.27:1)**
	वित्त प्रबंध													
33.	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लि.	106.51 (37.69)	---	---	---	106.51 (37.69)			---	---	---		---	---
	प्रक्षेत्रवार योग	**106.51 (37.69)**	---	---	**---**	**106.51 (37.69)**			---	---	---		---	**---**
	विविध प्रक्षेत्र													
34	बिहार राज्य निर्यात निगम लि.	200.00	---	---	---	200.00			---	121.77	---		121.77	0.61:1 (0.61:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**200.00**	**---**	**---**	**---**	**200.00**			**---**	**121.77**	**---**		**121.77**	**0.61:1 (0.61:1)**
	योग (ग)	**12776.22 (122.57)**	**49.00**	**2891.71 (475.00)**	**245.59 (78.69)**	**15962.52 (676.26)**		**0.5**		**50344.00**	**70.00**	**3860.96**	**54274.96**	**3.26:1 (3.26:1)**
	कुल योग (क+ख+ग)	**50981.77 (484.51)**	**2754.78**	**2891.71 (475.00)**	**4942.17 (82.93)**	**61570.43 (1042.44)**		**117624.74**	**6474.97**	**694732.80**	**2098.19**	**75334.90**	**772165.89**	**12.33:1 (7.68:1)**

नोटः–

1. वर्ष 2005–06 की समाप्ति पर बकाया ऋण केवल दीर्घकालीन ऋणों को प्रदर्शित करते हैं।
2. आंकडे औपबन्धित है एवं निगमों/कम्पनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं।
3. पटना उच्च न्यायालय द्वारा क्रम संख्या स–10, स–27, स–34 की निगमों की बंदी के आदेश दिए गए है।

परिशिष्ट–2

(कंडिका संख्या 1.6, 1.7, 1.13, 1.18 एवं 1.19 में संदर्भित)

सरकारी कम्पनियाँ एवं सांविधिक निगमें, जिनका लेखा सम्पूर्ण हो गया था, उनका अद्यतन वर्ष का संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(कॉलम 7 से 12 की राशि लाख रुपये में)

क्रम सं	प्रक्षेत्र तथा निगम का नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का सम्पूर्ण न हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)	अंकेक्षण टिप्पणी का प्रभाव	समादत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी (क)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल (ख)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रति–शतता	कितने वर्षों से लेखे बकाया हैं	कुल बिक्री	मानव संसाधन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
अ	**कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ**														
	कृषि एवं समवर्गी														
1.	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	कृषि	18.7.1977	1995-96	2005-06	(-)408.02	---	370.84	(-)3873.29	924.34	(-)129.02	--	10	944.46	129
2.	बिहार राज्य मत्स्य निगम लि.	पशु एवं मत्स्य पालन	23.3.1980	1992-93	1996-97	(-)22.16	---	174.75	(-)191.54	174.19	(-)4.77	--	13		43
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)430.18**	---	**545.59**	**(-)4064.83**	**1098.53**	**(-)133.79**	**--**	**23**		**172**
	इलेक्ट्रॉनिक्स														
3.	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	उद्योग	21.2.1978	1995-96	2005-06	(-)101.49	हानि 52.20 लाख रूपये से कम वर्णित	565.50	(-)688.15	736.94	(-)9.39	--	10	60.02	60
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)101.49**	---	**565.50**	**(-)688.15**	**736.94**	**(-)9.39**	**--**	**10**	**60.02**	**60**
	वन														
4	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	वन एवं पर्यावरण	10.2.1975	2000-01	2005-06	27.63	---	229.08	--	117.29	27.63	25.56	2281.02	2281.02	698
	प्रक्षेत्रवार योग					**27.63**	---	**229.08**		**117.29**	**27.63**	**23.56**	**2281-02**	**2281.02**	**698**

क्रम सं	प्रक्षेत्र तथा निगम का नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का सम्पूर्ण न हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)	अंकेक्षण टिप्पणी का प्रभाव	समादत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी (क)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल (ख)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रति–शतता	कितने वर्षों से लेखे बकाया हैं	कुल बिक्री	मानव संसाधन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	खनन														
5.	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लि.	खनन् एवं भूगर्भ	12.6.1972	2000-01	2004-05	929.04		997.35	703.82	2067.55	929.04	44.93	5	3154.58	1
	प्रक्षेत्रवार योग					**929.04**		**997.35**	**703.82**	**2067.55**	**929.04**	**44.93**	**5**	**3154.58**	**1**
	निर्माण						---								
6.	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लि.	गृह (पुलिस)	26.6.1974	1989-90	2004-05	(-)101.87	14.20 लाख रू0 से हानि कम वर्णित	10.00	(-)153.35	(-)100.95	(-)101.87	--	16	30.27	408
7	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि.	सड़क निर्माण	11.6.1975	1993-94	2004-05	(-)32.21	---	350.00	(-)753.56	655.50	(-)32.21	--	12	74.28	624
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)134.08**	---	**360.00**	**(-)906.91**	**554.55**	**(-)134.08**	**--**	**28**	**104.55**	**1032**
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास														
8	बिहार राज्य अल्प–संख्यक वित्त निगम लि.	अल्पसंख्यक कल्याण	22.3.1984	2001-02	2004-05	(-)25.13	---	1280.00	(-)189.64	2039.88	(-)25.13		4	30.84	21
9	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि.	कल्याण	17.6.1993	1996-97	2005-06	6.05	1.20 लाख रू0 से हानि कम वर्णित	275.00	82.28	351.85	61.96	17.61	9	78.37	16
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)19.08**		**1555.00**	**(-)107.36**	**2391.73**	**36.83**	**17.61**	**13**	**109.21**	**37**
	जन वितरण														
10	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि.	खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति	22.4.1973	1983-84	2005-06	(-)172.37		402.00	(-)1786.80	3543.89	313.25	8.84	22	17029.76	1516
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)172.37**	---	**402.00**	**(-)1786.80**	**3543.89**	**313.25**	**8.84**	**22**	17029.76	**1516**

क्रम सं	प्रक्षेत्र तथा निगम का नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का सम्पूर्ण न हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)	अंकेक्षण टिप्पणी का प्रभाव	समादत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी (क)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल (ख)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रति–शतता	कितने वर्षों से लेखे बकाया हैं	कुल बिक्री	मानव संसाधन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	पर्यटन														
11	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि.	पर्यटन	28.11.1980	1995-96	2005-06	82.81		295.00	184.61	553.46	82.81	14.96	10	115.18	223
	प्रक्षेत्रवार योग					**82.81**		**295.00**	**184.61**	**553.46**	**82.81**	**14.96**	**10**	**115.18**	**223**
	ऊर्जा														
12	बिहार राज्य जल विद्युत पावर निगम लि.	ऊर्जा	31.3.1982	1995-96	2004-05	(-)1430.44	26.06 करोड़ रूपये से हानि कम वर्णित	8926.00	(-)548.07	12833.65	(-)878.82	--	10	296.06	140
13	तेनुघाट विद्युत निगम लि.	ऊर्जा	26.11.1987	1993-94	2000-01	--		10000.00		58852.10		--	12		अनुपलब्ध
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)1430.44**		**18926.00**	**(-)548.07**	**71685.75**	**(-)878.82**	**--**	**22**	**296.06**	**140**
	वित्त प्रबन्ध														
14	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लि.	उद्योग	30.1.1975	2000-01	2004-05	(-)2735.31	20.10 लाख रू0 से हानि कम वर्णित	1512.35	(-)10023.48	18506.94	(-)1010.29	--	5		64
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)2735.31**		**1512.35**	**(-)10023.48**	**18506.94**	**(-)1010.29**	**--**	**5**		**64**
	विविध														
15.	बिहार राज्य टेक्सट बुक प्रकाशन निगम लि.	शिक्षा	2.4.1985	1995-96	2004-05	(-)304.52	60.54 लाख रूपये से हानि कम वर्णित	47.67	263.74	329.71	(-)304.52	--	10	1135.86	240
16.	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लि.	उद्योग	6.3.1983	1991-92	2000-01	1.87	---	94.50	(-)11.56	88.33	1.87	2.12	14		8
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)302.65**	---	**142.17**	**252.18**	**418.04**	**(-)302.65**	**2.12**	**24**	**--**	**248**
	योग (क					**(-)4286.12**	---	**25530.04**	**(-)16984.99**	**101674.67**	**(-)1079.46**		**167**		**4191**
ख	**सांविधिक निगमें**														
	ऊर्जा														
1.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	ऊर्जा विभाग	1.4.1958	2002-03	2005-06	(-)11772.61	---		(-)16383.97	(-)75831.63	9309.49		3	91893.48	15722
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)11772.61**			**(-)16383.97**	**(-)75831.63**	**9309.49**		**3**	**91893.48**	**15722**

क्रम सं	प्रक्षेत्र तथा निगम का नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का सम्पूर्ण न हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)	अंकेक्षण टिप्पणी का प्रभाव	समादत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी (क)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल (ख)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रति–शतता	कितने वर्षों से लेखे बकाया हैं	कुल बिक्री	मानव संसाधन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	परिवहन														
2.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम लि.	परिवहन विभाग	1.5.1959	2001-02	2004-05	(-)5085.59		10127.35	(-)62443.17	(-)38546.00	(-)2346.08		4	1292.25	4730
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)5085.59**		**10127.35**	**(-)62443.17**	**(-)38546.00**	**(-)2346.08**		**4**	**1292.25**	**4730**
	वित्त प्रबन्ध														
3.	बिहार राज्य वित्तीय निगम	उद्योग विभाग	2.11.1954	2004-05	2005-06	53.47		7783.82	(-)45487.45	40459.92	1800.23	4.45	1	753.12	386
	प्रक्षेत्रवार योग					**53.47**		**7783.82**	**(-)45487.45**	**40459.92**	**1800.23**	**4.45**	**1**	**753.12**	**386**
	विविध														
4.	बिहार राज्य भण्डारण निगम	सहकारिता	29.3.1957	2001-02	2005-06	87.00		137.10	429.91	1666.99	87.00	5.22	4	1079.18	307
	प्रक्षेत्रवार योग					**87.00**		**137.10**	**429.91**	**1666.99**	**87.00**	**5.22**	**4**	**1079.18**	**307**
	योग (ख)					**(-)16717.73**		**18048.27**	**(-)123884.68**	**(-)72250.72**	**8850.64**		**12**		21145
	कुल योग (क+ख)					**(-)21003.85**	---	**43578.31**	**(-)140869.67**	**29423.95**	**7771.18**		**179**		**25336**
ग	**अकार्यशील कम्पनियाँ**														
	कृषि एवं समवर्गी														
1.	बिहार राज्य जल विकास निगम लि.	जल संसाधन	12.4.1973	1978-79	1997-98	216.84	---	500.00	(-)1119.69	2670.29	242.30	9.07	27		15
2.	बिहार राज्य दुग्ध निगम लि.	पशुपालन एवं मत्स्य	13.3.1972	1991-92	2001-02	4.39	---	672.36	(-)900.07	568.69	4.39	0.77	14		
3.	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम	लघु सिंचाई	3.6.1975	1982-83	1993-94	(-)26.39	---	560.00	(-)85.78	953.41	(-)13.27	---	23	0.52	
4.	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लि.	कृषि	28.4.1966	1986-87	1995-96	(-)192.79	---	741.52	(-)1416.00	510.80	(-)142.86	---	19		
5.	बिहार फल एवं सब्जी विकास निगम लि.	कृषि	8.10.1980	1991-92	2005-06	(-)95.84	---	201.74	(-)512.54	62.45	(-)37.38	---	14	0.33	48

क्रम सं	प्रक्षेत्र तथा निगम का नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का सम्पूर्ण न हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)	अंकेक्षण टिप्पणी का प्रभाव	समादत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी (क)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल (ख)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रति–शतता	कितने वर्षों से लेखे बकाया हैं	कुल बिक्री	मानव संसाधन
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
6.	बिहार कीट–नाशक लि.	उद्योग	27.2.1983	1986-87	1991-92	(-)103.12	---	57.03	(-)103.12	234.98	(-)86.74	---	19		69
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)196.91**	---	**2732.65**	**(-)4137.20**	**5000.62**	**(-)33.56**	**---**	**116**		**132**
	उद्योग (विविध)														
7.	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लि.	उद्योग	29.10.1961	1990-91	2005-06	(-)141.93	---	718.48	(-)1655.56	185.69	(-)27.42	---	15	1521.65	89
8.	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लि.	उद्योग	5.11.1960	1986-87	-	(-)588.92		1404.00	(-)2290.78	2724.94	(-)317.13	-	19		
9.	बिहार स्कूटर्स लि.	उद्योग	19.1.1978	----	----	---	---	--	---	---	---	----	29		
10.	बिहार पेपर मिल्स लि.	उद्योग	08.07.1977	1985-86	1997-98	(-)6.09	---	156.12	(-)31.06	143.61	(-)6.09	----	अप्रैल 2004 से कंपनी परिसमापन की प्रक्रिया में		
11.	बिहार राज्य फिनिस्ड लेदर्स निगम लि.	उद्योग	20.4.1982	1983-84	1986-87	(-)149.39	---	146.59	(-)213.06	615.00	(-)76.48	---	22		252
12.	बिहार राज्य गलेज्ड टाईल्स एवं सिरामिक्स लि.	उद्योग	2.4.1984	1985-86	1997-98	(-)8.48	---	15.52	(-)51.08	350.00	(-)17.60	---	19		38
13.	विश्वामित्र पेपर उद्योग लि.	उद्योग	18.6.1983	1984-85	1988-89	(-)0.91	---	40.37	(-)1.45	69.00	---	---	21		16
14.	झंझारपुर पेपर उद्योग लि.	उद्योग	27.2.1982	1985-86	1991-92	(-)1.33	---	42.41	(-)2.09	59.32	(-)1.33	---	20		14
15.	बिहार राज्य टैनीन एक्सट्रेट लि.	वन एवं पर्यावरण	27.1.1984	1988-89	1993-94	(-)31.56	---	103.30	(-)66.59	249.15	(-)15.86	---	17		
16.	बिहार सौलभेंट एण्ड केमिकल्स लि.	वन एवं पर्यावरण	अगस्त 1979	1986-87	1995-96	(-)32.31	---	66.22	(-)32.31	167.23	(-)25.86	---	19		
17.	सिन्थेटिक रेजिन्स (ईस्टर्न) लि.	उद्योग	14.12.1982	1983-84	1987-88	(-)0.69	---	9.00	(-)0.73	17.41	(-)0.69	---	22		12
18.	मगध मिनरल्स लि.	उद्योग	22.11.1984	----	----	----	---	----	----	---	---	----	22		05

क्रम सं	प्रक्षेत्र तथा निगम का नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का सम्पूर्ण न हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)	अंकेक्षण टिप्पणी का प्रभाव	समादत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी (क)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल (ख)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रति–शतता	कितने वर्षों से लेखे बकाया हैं	कुल बिक्री	मानव संसाधन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19.	भवानी ऐक्टीव कार्बन लि.	उद्योग	26.3.1985	1985-86	1989-90	(-)1.38	---	2.39	(-)1.38	1.05	(-)1.38	---	20		
20.	बिहार राज्य चर्मोद्योग विकास निगम लि.	उद्योग	23.3.1974	1982-83	2004-05	(-)37.09	0.57 लाख रू0 से हानि कम वर्णित	514.00	(-)291.89	256.19	(-)37.09	---	23		419
21	बिहार राज्य निर्माण निगम लि.	जल संसाधन	22.8.1974	1986-87	2004-05	125.38	---	700.00	(-)278.67	(-)1026.64	125.49	---	19	1870.12	1479
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)874.70**	---	**3918.40**	**(-)4916.65**	**3811.95**	**(-)401.44**	**---**	**287**		**2324**
	अभियंत्रण														
22.	कुमारधुबी मेटल कास्टिंग एवं इन्जिनियरिंग लि.	उद्योग	25.10.1983	1994-95	1995-96	(-)238.84	---	217.00	(-)815.97	91.13	(-)151.00	---	11	1089.25	
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)238.84**	---	**217.00**	**(-)815.97**	**91.13**	**(-)151.00**	**---**	**11**		
	इलेक्ट्रॉनिक्स														
23.	बेलट्रॉन विडियो सिस्टम लि.	उद्योग	19.9.1984	1987-88	1998-99	(-)54.51	---	121.45	(-)21.77	101.98	(-)9.57	---	18	75.46	
24.	बेलट्रॉन माइनिंग सिस्टम लि.	उद्योग	30.1.1986	1989-90	2002-03	(-)9.57	---	125.84	(-)49.33	52.48	(-)9.57	---	16	41.38	
25.	बेलट्रॉन इनफॉरमेटिक्स लि.	उद्योग	1.3.1988	---	---	---	---	---	---	---	---	---	19		
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)64.08**	---	**247.29**	**(-)71.10**	**154.46**	**(-)19.14**		**53**		**16**
	वस्त्र														
26	बिहार राज्य वस्त्र निगम लि.	उद्योग	21.2.1978	1987-88	1995-96	(-)9.18	---	498.05	(-)32.22	372.35	(-)9.18	---	18		40
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)9.18**	---	**498.05**	**(-)32.22**	**372.35**	**(-)9.18**	**---**	**18**		**40**
	हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प														
27	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प लि.	उद्योग	21.5.1974	1983-84	1996-97	(-)9.52	---	627.98	(-)43.81	707.51	1.46	0.21	मार्च 04 से परिसमापन में		
	प्रक्षेत्रवार योग					(-)9.52	---	**627.98**	**(-)43.81**	**707.51**	**1.46**	**0.21**			

क्रम सं	प्रक्षेत्र तथा निगम का नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का सम्पूर्ण न हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)	अंकेक्षण टिप्पणी का प्रभाव	समादत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी (क)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल (ख)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रति–शतता	कितने वर्षों से लेखे बकाया हैं	कुल बिक्री	मानव संसाधन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	चीनी														
28.	बिहार राज्य चीनी निगम लि.	ईख	26.12.1974	1984-85	1996-97	(-)919.85	---	997.00	(-)7231.46	(-)1023.69	(-)320.24	---	21		
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)919.85**	---	**997.00**	**(-)7231.46**	**(-)1023.69**	**(-)320.24**		**21**		
	सीमेन्ट														
29.	बिहार राज्य सीमेन्ट निगम लि.	उद्योग	17.10.1981		---	---	---	---	---	---	---	----	25		
	प्रक्षेत्रवार योग					-	---	-	-	-	-	-	**25**		
	औषधि, रसायन एवं औषध														
30.	बिहार राज्य औषध एवं रसायन विकास निगम लि.	उद्योग	22.2.1978	1985-86	1992-93	(-)16.83	---	361.62	(-)73.84	687.48	(-)16.83	---	20		78
31.	बिहार मेज प्रोडक्ट लि.	उद्योग	2.9.1982	1983-84	1987-88	(-)2.70	---	66.59	(-)6.14	80.11	---	---	22		
32.	बिहार औषधि एवं रसायन लि.	उद्योग	12.8.1983	1985-86	1991-92	(-)3.02	---	93.67	(-)16.09	115.65	(-)3.02	---	20		48
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)22.55**	---	**521.88**	**(-)96.07**	**883.24**	**(-)19.85**		**62**		**126**
	वित्त प्रबन्ध														
33.	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लि.	पंचायती राज	20.4.1974	1984-85	1991-92	(-)1.19	---	144.20	(-)2.69	585.60	22.52	3.85	21		129
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)1.19**	---	**144.20**	**(-)2.69**	**585.60**	**22.52**	**3.85**	**21**		**129**
	विविध														

क्रम सं	प्रक्षेत्र तथा निगम का नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का सम्पूर्ण न हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)	अंकेक्षण टिप्पणी का प्रभाव	समादत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी (क)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल (ख)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रति–शतता	कितने वर्षों से लेखे बकाया हैं	कुल बिक्री	मानव संसाधन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
34	बिहार राज्य निर्यात निगम लि.	उद्योग	29.12.1974	1991-92	1999-00	(-)10.50	---	200.00	(-)0.95	375.36	0.93	0.25	मई 04 से परिसमापन में	494.35	54
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)10.50**	**---**	**200.00**	**(-)0.95**	**375.36**	**0.93**	**0.25**		**494.35**	**54**
	कुल (ग)					**(-)2347.32**	**---**	**10104.45**	**(-)17348.12**	**10958.53**	**(-)929.50**		**614**		**2821**
	कुल योग (क+ख+ग)					**(-)23351.17**		**53682.76**	**(-)158217.79**	**40382.48**	**6841.68**		**793**		**28157**

टिप्पणी : (1) नियोजित पूँजी, निवल अचल परिसम्पतियॉ (पूँजीगत कार्य में प्रगति सहित) जोड़ वित्तीय कम्पनियों एवं निगमों को छोड़कर जहॉ प्रदत पूँजी, मुक्त संरक्षित बॉण्ड, प्रदत एवं उधार (पूनर्वित को सम्मिलित कर) के आदि एवं अंतशेषों के औसत का प्रतिनिधित्व करती है।

(2) पटना उच्च न्यायालय द्वारा क्रम संख्या – ग–10, ग–27, एवं ग–34 में निगमों के बंदी के आदेश दिए गए है।

परिशिष्ट–3

(कंडिका 1.5 एवं 1.16 में संदर्भित)

वर्ष के दौरान प्राप्त साहाय्य, प्राप्त प्रतिभूतियाँ, बकाए की माफी, ऋण जिस पर मोहलत दी गई एवं वर्ष के दौरान अंश में परिवर्तित किया गया ऋण एवं मार्च 2006 के अंत तक प्राप्य साहाय्य तथा बकाये प्रतिभूतियों को दर्शाने वाली विवरणी

(कॉलम 3 (क) से 7 तक की राशि लाख रुपये में)

क्रम सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नाम	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान				वर्ष के दौरान प्राप्त प्रतिभूतियाँ एवं वर्षान्त में बकाए					वर्ष में बकायों का परित्याग				ऋण जिस पर मोहलत प्रदान की गई	वर्ष के दौरान साधारण पूँजी में परिवर्तित किए गए ऋण
		केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	कुल	बैंकों से नकद उधार	अन्य स्त्रोतो से ऋण	बैंक द्वारा खोले गए लेटर ऑफ क्रेडिट	भुगतान बन्धन	कुल योग	ऋण की अदायगी जिसे बट्टे खाते में डाला गया	ब्याज माफ	दाण्डिक ब्याज माफ	कुल योग		
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6	7
क	**अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ**															
1.	बिहार राज्य मत्स्य निगम लि.														(211.00)	
2	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम लि.	-	-	-	-	-	(1831.63)			(1831.63)	--	--	--	--	--	--
3	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लि.	-	-	-	-	-	2000.00 (2000.00)			2000.00 (2000.00)	--	--	--	--	--	--
	कुल – क	-		-		-	**2000.00 (3831.63)**	---	---	**2000.00 (3831.63)**	--	--	--	--	**(211.00)**	--
ख	**कार्यशील सांविधिक निगमें**															
1.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	-	-	-	-	-	(13862.50)	-	-	(13862.50)	--	--	--	--	--	--
2	बिहार राज्य वित्तीय निगम लि.	-	-	-	-	-	(17900.00)	-	-	(17900.00)	--	--	--	--	--	--
	कुल – ख	-		--	-	-	**(31762.50)**			**(31762.50)**	--	--	--	--	--	--
	सकल योग (क+ख)		-	-	-	-	**2000.00 (35594.13)**			**2000.00 (35594.13)**					**(211.00)**	
स	**अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ**															
1	बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लि.					(62.48)				(62.48)						

* (कोष्ठक के अंक वर्ष के अंत मे बकाए प्रतिभूतियों को दर्शाते है)

क्रम सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नाम	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान				वर्ष के दौरान प्राप्त प्रतिभूतियाँ एवं वर्षान्त में बकाए					वर्ष में बकायों का परित्याग				ऋण जिस पर मोहलत प्रदान की गई	वर्ष के दौरान साधारण पूँजी में परिवर्तित किए गए ऋण
		केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	कुल	बैंकों से नकद उधार	अन्य स्त्रोतो से ऋण	बैंक द्वारा खोले गए लेटर ऑफ क्रेडिट	भुगतान बन्धन	कुल योग	ऋण की अदायगी जिसे बट्टे खाते में डाला गया	ब्याज माफ	दाण्डिक ब्याज माफ	कुल योग		
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6	7
2	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लि.					(145.00)				(145.00)						
	कुल – स	-	-	--	-	**(207.48)**	-	-	-	**(207.48)**		--	--	--	--	--
	सकल योग (अ+ब+स)	-	-	-	-	**-** **(207.48)**	**2000.00** **(35594.13)**	-	-	**2000.00** **(35801.61)**	--	--	--	--	**(211.00)**	--

*नोट : आंकड़े कम्पनियों/निगमों द्वारा दिए गए सूचनाओं पर आधारित

कोष्टक में दिया गया अंक वर्षान्त में बकाये प्रतिभूतियों को दशार्ती हैं।

परिशिष्ट–4

(कंडिका 1.7 से संदर्भित)

सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाली विवरणी

(राशि : रुपये करोड़ में)

1. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड			
विवरण	2001-02+	2002-03	2003-04++
(क) दायित्त्व			
सधारण पूँजी	-	-	-
सरकार से ऋण	644.50	1111.59	3712.96
आरक्षित एवं अधिशेष (मूल्य ह्रास को छोड़कर)	-	-	86.59
चालू दायित्त्व एवं प्रावधान	4481.79	5082.78	3779.66
पूंजीगत दायित्व	776.53	869.94	646.68
कुल (क)			
(ख) **परिसम्पत्तियाँ**			
कुल अचल सम्पत्तियाँ	2100.68	2176.52	2293.95
घटे मूल्य ह्रास	1335.91	1471.24	1592.00
निवल अचल सम्पत्तियाँ	764.77	705.28	701.95
पूँजीगत कार्य में प्रगति	224.62	245.66	271.06
चालू सम्पत्तियाँ	2831.35	3373.53	6809.10
निवेश	219.86	215.26	185.96
सरकार से प्राप्त आर्थिक सहाय्य	1815.84	2357.14	--
अप्रयुक्त परिसम्पतियॉ	3.61	3.61	-
विविध व्यय			
घाटा	42.76	163.83	257.82
कुल – ख	**5902.81**	**7064.31**	**8225.89**
(ग) **नियोजित पूँजी***	(-)661.05	(-)758.91	4002.45
2. **बिहार राज्य पथ परिवहन निगम**			
विवरण	**2001-02**	**2002-03**	**2003-04**
(क) **दायित्त्व**			
पूँजी (पूँजी ऋण एवं अंश पूँजी सहित)	101.27	101.27	101.27
उधार (सरकार)	65.66	77.11	72.41
(अन्य)	2.87	-	-
निधि**	0.30	0.30	0.30
व्यापार बकाया एवं अन्य चालू दायित्त्व (प्रावधान सहित)	492.08	684.28	723.39
कुल – क	**662.19**	**862.96**	**904.37**
ख – **परिसम्पत्तियाँ**			
कुल ब्लाक	68.58	74.65	111.37
मूल्य ह्रास घटाएँ	52.18	54.12	59.70

+ बोर्ड ने लेखापरीक्षा के उल्लेख पर लेखाओं में संशोधन किया।

++ ऑकड़े औपबंधिक एवं निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए है।

* नियोजित पूँजी निवल अचल सम्पत्तियाँ (पूँजीगत कार्य सहित) एवं कार्यचालन पूँजी के योग को निरूपित करती है। परिवर्त्तित लागत एवं निवेश की राशि को चालू परिसम्पत्तियों में से घटाकर कार्यचालन पूँजी की गणना की गई है।

** मूल्य ह्रास निधि को छोड़कर।

शुद्ध अचल सम्पत्तियाँ	16.40	20.53	51.67
पूँजीगत कार्य (चेसिस का लागत सहित) प्रगति में	-	-	-
निवेश	-	-	-
चालू सम्पत्तियाँ ऋण एवं अग्रिम	90.22	229.59	192.87
संचित हानियाँ	555.56	612.84	659.83
कुल – ख	**662.19**	**862.96**	**904.37**
ग – नियोजित पूँजी#	(-)385.46	(-) 434.16	(-)478.85
3. बिहार राज्य वित्तीय निगम			
विवरण	**2002-03**	**2003-04**	**2004-05**
(क) दायित्त्व			
प्रदत्त पूँजी*	77.84	77.84	77.84
सुरक्षित कोष, अन्य सुरक्षित एवं अधिकोष	10.05	10.05	10.05
उधार	114.31	223.23	235.14
बाण्डस एवं ऋण पत्र	99.64	87.53	87.52
राज्य सरकार के साथ अन्य	0.14	0.14	0.14
अन्य दायित्त्व एवं प्रावधान	682.81	365.12	351.35
कुल – क	**984.79**	**763.91**	**762.04**
(ख) परिसम्पत्तियाँ			
रोकड एवं बैंक शेष	26.27	15.99	13.40
निवेश	0.06	0.05	0.05
ऋण एवं अग्रिम	289.35	285.23	285.49
शुद्ध अचल सम्पत्तियाँ	0.60	0.61	0.55
चालू सम्पत्तियाँ	4.53	5.61	6.66
लाभांश हानि खाता	1.03	1.01	1.01
घाटा	662.95	455.41	454.88
कुल – ख	**984.79**	**763.91**	**762.04**
(ग) नियोजित पूँजी**	301.85	398.64	404.60
4. बिहार राज्य भण्डार निगम ♦			
विवरण	**2003-04**	**2004-05**	**2005-06**
(क) दायित्त्व			
प्रदत्त पूँजी	1.37	1.37	1.37
संचित एवं अधिशेष	9.39	9.39	9.39
व्यापारिक बकाये एवं अन्य दायित्त्व (प्रावधान के साथ)	10.69	13.62	18.17

नियोजित पूँजी निवल अचल संपत्ति (पूँजीगत कार्य सहित) एवं कार्यचालन पूँजी का योग है।

* प्रदत्त पूंजी में अंश आवेदन पूंजी सम्मिलित है।

** नियोजित पूँजी प्रदत्त पूंजी, रिजर्व (उन रिजर्वो को छोड़कर जो कि बाहरी निवेश से समर्थित है), बांड, उधार एवं जमा (पुनर्वित सहित) के वर्ष के शुरूआती एवं अंतिम आंकड़ों के योग का माध्य है।

♦ निगम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।

कुल – क	**21.45**	**24.38**	**28.93**
(ख) **परिसम्पत्तियाँ**			
सकल परिसम्पत्तियां	7.78	7.78	7.78
मूल्य ह्रास घटाएं	2.89	3.12	3.42
निवल अचल सम्पत्तियाँ	4.89	4.66	4.36
पूँजीगत कार्य प्रगति में	1.51	7.78	12.03
चालू परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	15.05	11.94	12.54
लाभ एवं हानि लेखा			
कुल – ख	**21.45**	**24.38**	**28.93**
3. **नियोजित पूँजी** [π]	10.76	10.76	10.76

π नियोजित पूँजी निवल अचल संपति (पूँजीगत कार्य सहित) एवं कार्यचालन पूँजी का योग है।

परिशिष्ट–5
(कंडिका 1.7 से संदर्भित)
सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणाम की विवरणी

(राशि : रुपये करोड़ में)

1.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड			
क्रम सं.	विवरण	2001-02	2002-03	2003-04▲
1	(क) राजस्व प्राप्तियाँ	1,334.62	1,328.31	1,459.18
	(ख) सरकार से साहाय्य	471.80	541.30	611.10
	कुल	1,806.42	1,869.61	2,070.28
2	राजस्व व्यय (शुद्ध पूंजीगत व्यय), अमूर्त्त परिसम्पत्तियों का अपलेखन सहित परन्तु मूल्य ह्रास एवं ब्याज को छोड़कर	1,541.66	1,510.63	1,429.23
3	वर्ष का कुल बचत (–) घाटा (1–2)	264.77	358.98	641.05
4	पिछले वर्ष से सम्बन्धित समायोजन	(-)30.13	(-)3.35	53.41
5	वर्ष का अन्तिम बचत/(–) घाटा (3+4)	234.64	355.63	694.46
6	**विनियोजन**			
(क)	मूल्य ह्रास	135.68	135.47	120.75
(ख)	पूँजीगत ऋण पर ब्याज	13.58	90.26	321.29
(ग)	अन्य ऋण, बाण्ड, अग्रिम आदि पर ब्याज	108.69	120.56	75.23
(घ)	ऋण एवं वित्तीय भरों पर कुल ब्याज (ख+ग)	122.27	210.82	396.52
(ड)	पूंजीकृत ब्याज घटाएँ	7.50	7.05	10.86
(च)	राजस्व में भारित शुद्ध ब्याज (घ–ड)	114.77	203.77	385.66
(छ)	कुल विनियोजन (छ+च)	250.45	339.24	506.39
7	राज्य सरकार से प्राप्त सहायता के लेखाकरनण से पूर्व बचत(+)/घाटा (–) 5'6(छ)–1ख	(-)487.61	(-)389.44	(-)423.03
8	शुद्ध बचत/(–)घाटा 5–6(छ)	(-)15.81	16.39	188.07
9	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल*	98.96	220.16	573.73
10	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	--	--	14.33
2.	**बिहार राज्य पथ परिवहन निगम►**			
	विवरण	**2003-04**	**2004-05**	**2005-06**
	प्रचालन			
(क)	राजस्व	35.98	51.51	58.48
(ख)	व्यय	63.77	71.33	74.21
(ग)	बचत(+)/घाटा(–)	(-)27.79	(-)19.82	(-)15.73
	अप्रचालन			
(क)	राजस्व	2.90	3.23	2.25
(ख)	व्यय	30.07	37.73	36.53
(ग)	बचत(+)/घाटा(–)	(-)27.17	(-)34.50	(-)34.28
	राजस्व	38.88	54.74	60.73
	व्यय	93.84	109.06	110.74

▲ निगम से प्राप्त आंकडों के अनुसार।

* नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल निवल बचत/घाटा तथा लाभ एवं हानि लेखे में प्रमाणित कुल ब्याज (पूंजीकृत ब्याज को छोड़कर)

► निगम से प्राप्त आंकडों के अनुसार।

	बचत(+)/घाटा(–)	(-)54.96	(-)54.32	(-)50.01
	पूंजी एवं ऋण पर ब्याज	11.75	18.53	18.53
	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल	(-) 43.21	(-)35.79	(-) 31.48
3.	**बिहार राज्य वित्तीय निगम▼**			
	विवरण	**2002-03**	**2003-04**	**2004-05**
1	आय			
i)	ऋण पर ब्याज	12.28	7.24	7.53
ii)	अन्य आय	0.96	0.92	18.03
	कुल – 1	**13.24**	**8.17**	**25.56**
2.	**व्यय***			
i)	(क) दीर्घकालीन ऋण एवं अल्पकालीन ऋणों पर ब्याज	44.51	7.51	17.47
	(ख) अक्रियाशील कम्पनियों के लिए प्रावधान	--	0.12	0.00
	(ग) अन्य व्यय	7.02	6.92	7.56
	कुल – 2	**51.53**	**14.55**	**25.03**
3.	कर के पूर्व लाभ (+)/हानि(–) (1–2)	(-) 38.29	(-) 6.38	0.53
4.	कर का प्रावधान	-		
5.	अन्य विनियोजन	-		
6.	लाभांश हेतु उपलब्ध राशि#	-		0.53
7.	लाभांश	-		--
8.	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल	6.22	1.12	18.00
9.	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	2.06	0.28	4.45
4.	**बिहार राज्य भण्डार निगम▼**			
	विवरण	**2003-04**	**2004-05**	**2005-06**
1.	आय			
(अ)	भण्डारण प्रभार	4.56	4.93	5.32
(ब)	अन्य आय	13.97	16.31	19.06
	योग – 1	**18.53**	**21.24**	**24.38**
2.	व्यय			
(क)	स्थापना प्रभार	3.27	3.48	3.60
(ख)	अन्य आय	14.97	17.19	19.71
	योग–2	**18.24**	**20.67**	**23.31**
3	कर के पूर्व लाभ(+)/हानि(–)	0.29	0.57	1.07
4.	पूर्वावधि समायोजन	5.41	0.06	--
5.	अन्य विनियोजन	--	--	--

▼ निगम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।

* वर्ष के अक्रियाशील सम्पत्तियों के लिये प्रावधान को व्यय शीर्ष के अन्तर्गत अलग से दिखाया जाय।

\# उपलब्ध लाभांश चालू वर्ष के लाभ में से विशेष सुरक्षित निधि हेतु विनियोजन के पश्चात् है।

6.	लाभांश के लिये उपलब्ध राशि	शून्य	शून्य	0.20
7.	वर्ष के लिए लाभांश	--	--	--
8.	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल	0.29	0.57	1.07
9.	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	2.70	5.30	9.94

परिशिष्ट–6

(कंडिका 1.12 में संदर्भित)

सांविधिक निगमों के प्रचालन निष्पादन को दर्शानेवाली विवरण

1. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड◊

विवरण	2003-04	2004-05	2005-06
प्रतिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)			
(क) थर्मल	540	540	540
(ख) हाइड्रो	19.20	19.20	19.20
(ग) गैस	--	--	--
(घ) अन्य	--	--	--
योग	559.20	559.20	559.20
सामान्य अधिकतम मांग			
उत्पादित उर्जा (एम.के.डब्लू.एच.)			
(क) थर्मल	352.38	153.49	120.95
(ख) हाइड्रो	4.26	--	--
(ग) गैस	--	--	--
(घ) अन्य	--	--	--
योग	356.64	153.49	120.95
घटाव : अनुषांगिक खपत			
(क) थर्मल (प्रतिशतता)	60.02 (17.30)	30.79 (20.06)	25.13 (20.78)
(ख) हाइड्रो (प्रतिशतता)	0.58 (13.60)	-- --	--
(ग) गैस (प्रतिशतता)	-	--	--
(घ) अन्य (प्रतिशतता)	--	--	--
योग **(प्रतिशतता)**	60.60 (16.99)	30.79 (20.06)	25.13 (20.78)
उत्पादित उर्जा	292.36	122.70	95.82
क्रय की गई उर्जा	5773.59	6397.67	7126.47
बिक्री हेतु उपलब्ध कुल उर्जा	6037.94	6508.27	7209.88
बिक्री की गई उर्जा	3772.04	3934.51	4240.69
संचरण एवं वितरण हानि	2265.90	2573.76	2969.19
प्लान्ट लोड फैक्टर (प्रतिशतता)			
बिक्री हेतु उपलब्ध कुल उर्जा से संचरण एवं वितरण हानि की प्रतिशतता	37.52	39.54	41.18
विद्युन्मय गांवो/शहरों की संख्या	19131	20006	22084
उर्जान्वित किए पम्प–सेटो एवं कुओं की संख्या	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
सब–स्टेशनों की संख्या	350		

◊ निगम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।

संचरण/वितरण लाईन (कि.मी. में)			
(क) उच्च/मध्य वोल्टेज	66115	66313	68005
(ख) निम्न वोल्टेज	66666	66739	66766
समबद्ध भार (एम.वी.ए में)	अनुपलब्ध	3458.718	अनुपलब्ध
उपभोक्ताओं की संख्या (लाख में)	21.02	22.46	22.48
कर्मचारियों की संख्या	18436	17208	15722
उपभोक्ता/कर्मचारी अनुपात	1:114	1:131	1:143
वर्ष के दौरान कर्मचारी पर कुल व्यय (रुपये करोड में)	507.06	541.87	573.48
कुल राजस्व व्यय में कर्मचारी पर व्यय की प्रतिशतता	21.95	19.02	18.92
बिक्री की गई इकाईयाँ			
(क) कृषि	794.96	--	--
कुल बिक्री की गई इकाइयों के अश का प्रतिशत	22.01	--	--
(ख) औद्योगिक	704.98	--	--
कुल बिक्री की गई इकाइयों के अंश का प्रतिशत	19.52	--	--
(ग) वाणिज्यिक	281.07	--	--
कुल बिक्री की गई इकाइयों के अंश का प्रतिशत	7.78	--	--
(द) घरेलू	1131.44	--	--
कुल बिक्री की गई इकाइयों के अंश का प्रतिशत	31.33	--	--
(च) अन्य	699.04	--	--
कुल बिक्री की गई इकाइयों के अंश का प्रतिशत	19.36	--	--
कुल	**3611.49**	--	--
विवरण			
(क) राजस्व (सरकार से अर्थ सहाय्य को छोडकर) (रुपये करोड में)	1457.72	1557.76	1709.90
(ख) व्यय• (रुपये करोड में)	1719.20	1842.35	2128.60
(स) लाभ (+)/हानि(–) (रुपये करोड में)	(-)261.48	(-)284.59	(-) 418.70
(द) सरकार से अर्थ सहाय्य का औसतन दावा (रुपये में)	611.00	अप्राप्त	अप्राप्त
(च) मांगी गई औसतन ब्याज (रुपये में)	590.71	432.73	496.72

2. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम°

विवरण	2003-04	2004-05	2005-06
धारित वाहनों की औसत संख्या	362	605	637
चालू वाहनों की औसत संख्या	284	463	455
उपयोग में लाई गई वाहनों की प्रतिशतता	78	77	71
कर्मचारियों की संख्या	4907	4367	4367
कर्मचारी/वाहन अनुपात	1:17	1:9	1:10
वर्ष के अन्त तक प्रचालित मार्गों की संख्या	255	212	212
मार्ग किलोमीटर	216	198	198
प्रचालित किलोमीटर (लाख में)			

• राजस्व व्यय में मूल्य ह्रास को सम्मिलित किया गया लेकिन लम्बी अवधि के ऋणों पर ब्याज को छोड दिया गया।

° निगम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।

(क) सकल	252.66	393.60	391.53
(ख) प्रभावी	246.22	380.13	381.97
(ग) डेड	6.43	12.76	9.56
सकल कि. मी. से डेड कि. मी. की प्रतिशतता	2.54	3.24	2.44
प्रति बस प्रतिदिन तय की गई औसत किलोमीटर	238.00	226.00	230
प्रति कि. मी. संचालित औसत राजस्व (पैसे)	14.62	13.55	15.30
पिछले वर्ष की संचालन राजस्व में वृद्धि(+)/कमी (–) (प्रतिशत)	(+)0.20	(-)7.32	(+)12.91
प्रति किलोमीटर लाभ (+)/हानि (–) पैसे	38.15	26.70	28.99
पिछले वर्ष के व्यय पर संचालन व्यय में वृद्धि (+)/कमी (–) (%)	(-)33.59	(-)30.01	(+)8.58
प्रति किलोमीटर लाभ(+)/हानि(–) (पैसे)	--		
संचालित डिपो की संख्या	31	32	29
प्रति लाख कि. मी. पर ब्रेक डाउन की औसत संख्या	0.007	0.006	0.001
प्रति लाख कि.मी. पर दुर्घटनाओं की औसत संख्या	0.02	0.03	0.14
प्रचालित यात्री कि.मी. (करोड़ में)	--	--	--
ओकुपेन्सी अनुपात (प्रतिशत में)	57	66	65
प्रति लिटर प्राप्त कि. मी.			
(क) डीजल	3.90	3.94	3.88
(ख) इंजन ऑयल	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त

3. बिहार राज्य भण्डारण निगम•

विवरण	2003-04	2004-05	2005-06
शामिल केन्द्रों की संख्या	46	46	46
वर्ष के अंत तक सृजित किया गया भण्डारण क्षमता (लाख टन में)	1.01	--	0.20
निजी गोदाम	12.19	12.60	15.01
किराये का गोदाम	15.03	13.26	12.02
योग	27.22	25.86	27.03
वर्ष के दौरान उपयोग किये गये क्षमता का औसत (लाख टन में)	21.77	20.33	21.58
उपयोग का प्रतिशतता	80	80	80
(क) प्रतिवर्ष प्रति मैट्रिक टन औसत राजस्व (रुपये)	85.12	104.47	112.97
(ख) प्रतिवर्ष प्रति मैट्रिक टन औसत व्यय (रुपये)	83.78	101.67	108.02

• निगम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।

4. बिहार राज्य वित्तीय निगम ▫

(लाख रुपये में)

विवरण	2002-03		2003-04 (औपबंधिक)		2004-05	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वर्ष के प्रारम्भ में लंबित आवेदन	--	--	--	--	--	--
प्राप्त आवेदन पत्र	--	--	--	--	--	--
कुल	--	--	--	--	--	--
स्वीकृत आवेदन पत्र	--	--	--	--	--	--
रद्द/वापस लिये गये/अस्वीकृत आवदेन पत्र	--	--	--	--	--	--
वर्ष के अंत तक लंबित आवेदन पत्र	--	--	--	--	--	--
वर्ष के दौरान संवितरित ऋण	1	1.57	--	--	--	--
वर्ष के अन्त तक बकाया ऋण	6,256	2,10,194.00	6,185	2,38,941.14		2,80,106.00
वर्ष के अंत में अतिदेय ऋण	--	--	--	--	--	--
(अ) मूलधन	6,256	26,532.24	6,185	26,429.94		25,726.00
(ब) ब्याज	6,256	1,82,969.20	6,185	2,12,205.53		2,53,438.00
योग	**6,256**	**2,09,501.44**	**6,185**	**2,38,635.47**		**2,79,164.00**
सर्टिफिकेट केसों में अदायगी की निहित राशि	--	--	368	41,730.00	368	41,730.00
कुल बकाया ऋण पर अतिदेय राशि की प्रतिशतता	--	99.67		99.87		99.66

▫ निगम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।

परिशिष्ट–7

(कंडिका 1.21 में संदर्भित)

बंद की जाने वाली बिहार की सरकारी कम्पनियों के नाम

(राशि : रूपये लाख में)

क्रम सं.	कम्पनियों के नाम	प्रदत पूंजी	बिहार सरकार द्वारा दिए गए अग्रिम एवं ऋण
1	बिहार राज्य चर्मोद्योग विकास निगम लिमिटेड	1,000.00	1,242.55
2	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	999.98	115.78
3	बिहार राज्य औषध एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	1,577.88	427.91
4	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड	718.48	1,040.00
5	बिहार राज्य चीनी निगम निगम लिमिटेड	2,000.00	31,406.27
6	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	763.52	1,259.99
7	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	537.00	223.66
8	बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड	210.37	41.80
9	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	229.08	0.00
10	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड	144.20	0.00
11	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	100.00	14.80
12	बिहार राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम लिमिटेड	566.91	593.48
13	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	1,404.00	6,702.00
14	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	700.00	105.10
15	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड	10.00	42.90
16	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	350.00	0.00
17	बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड	200.00	121.77
कुल		11,511.42	43,338.01

बिहार की सरकारी निगमें जिन्होंने परिसमापन के लिए पटना उच्च न्यायालय में अर्जी दायर की

क्रम संख्या	कम्पनियों के नाम
1.	बिहार राज्य चमड़ा उद्योग विकास निगम लिमिटेड
2.	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड *
3.	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड
4.	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड
5.	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड
6.	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड
7.	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड
8.	बिहार फिनिस्ड लेदर लिमिटेड
9.	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड
10.	बिहार राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम लिमिटेड
11.	बिहार पेपर मिल लिमिटेड*.
12.	बेलट्रान विडियो सिस्टम लिमिटेड
13.	बेलट्रान माईनिंग सिस्टम लिमिटेड
14.	बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड *
15.	बिहार फल एवं सब्जी विकास निगम लि.

* पटना उच्च न्यायालय के आदेशानुसार निगम का परिसमापन किया जाना है।

परिशिष्ट–8

(कंडिका 1.23 से संदर्भित)

कम्पनियों जिनके अस्तियों, दायित्वों और प्रबंधन के बटवारे के संदर्भ में निर्णय लिया गया है को दर्शाने वाली विवरणी।

क्रम सं.	कम्पनी का नाम/निगमों के नाम	अस्तियों, दायित्वों और प्रबंधन के बटवारे का आधार	निर्णय का कार्यान्वय
1.	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	78:22 (बिहार : झारखण्ड)	निर्णय कार्यान्वित
2.	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	बटवारे से पहले के नौ वर्षों में निगम के बिहार तथा झारखण्ड के कार्य क्षेत्र में हुए लाभ के आधार पर बंटवारा	निर्णय अभी कार्यान्वित नहीं हुआ है।
3.	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड	संबंधित क्षेत्र में अप्राप्त ऋणों के आधार पर बटवारा	निर्णय अभी कार्यान्वित नहीं हुआ है।
4.	बिहार राज्य भण्डारण निगम	98:2 (बिहार : झारखण्ड)	निर्णय कार्यान्वित
5.	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	1. अंश, अस्तिव एवं दायित्वों (होटल अशोक, रॉच के लेकर) का 3:1 अनुपात में बटवारा (बिहार : झारखण्ड) 2. अचल संपतियों का "जहॉ है वाहॉ है" के आधार पर	निर्णय अभी कार्यान्वित नहीं हुआ है।
6.	बिहार राज्य अलपसंख्यक वित्त निगम लि0	संबंधित क्षेत्रों में अप्राप्त ऋणों के आधार पर बटवारा	निर्णय अभी कार्यान्वित नहीं हुआ है।
7.	बिहार राज्य पिछड़ वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	संबंधित क्षेत्रों में अप्राप्त ऋणों के आधार पर बटवारा	निर्णय अप्राप्त
8.	बिहार राज्य जल विद्युत पावर निगम लिमिटेड	69:31 (बिहार : झारखण्ड)	निर्णय कार्यान्वित
9.	बिहार राज्य टेक्स्ट–बुक प्रकाशन निगम लिमिटेड	जन संख्या के आधार पर बटवारा	निर्णय कार्यान्वित
10.	बिहार राज्य वित्तीय निगम	संबंधित क्षेत्र में अप्राप्त ऋणों के आधार पर बटवारा	निर्णय अभी कार्यान्वित नहीं हुआ है।
11.	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम	इसके बटवारे के संबंध में दोनों सरकारों के बीच कोई सहमति नहीं हो पाई	निर्णय अप्राप्त
12.	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	3:1 (बिहार : झारखण्ड)	निर्णय अभी कार्यान्वित नहीं हुआ है।

परिशिष्ट – 9
(कंडिका 1.28 से संदर्भित)
कम्पनियों के आंतरिक अंकेक्षण/आंतरिक नियंत्रण पर सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रेक्षण

क्रम सं0	कम्पनि का नाम	लेखा का वर्ष	संप्रेक्षण
1.	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	1983–84	हमारे विचार से, स्टोर की खरीद, कच्चामाल पूर्जा सहित, प्लांट एवं मशीनरी, उपस्कर एवं अन्य संपतियों में संबंधित आन्तरिक नियंत्रण प्रक्रिया अपर्याप्त है और कंपनी के आकार और कार्य कलापों के प्रकृति के अनुरूप नहीं है।
2.	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	1995–96	हमारे विचार में, खरीद, बिक्री तथा स्कंध के अंतर ईकाई स्थानान्तरण संबंधित आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया निगम के कार्यकलापों के प्रकृति एवं आकार के अनुरूप नहीं है। आंतरिक अंकेक्षण कार्य सनदी लेखाकारों की विभिन्न फार्मो द्वारा वित्तिय वर्ष की समाप्ति के बाद किया जाता है। आंतरिक अंकेक्षकों द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की गई इस प्रकार आंतरिक अंकेक्षण पद्धति अपर्याप्त है।
3.	बिहार राज्य इलेक्ट्रोनिक विकास निगम लिमिटेड	1995–96	निगम की आंतरिक अंकेक्षण पद्धति को उसके कार्यकलपों के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप मजबूत करने की आवश्यकता है।
4.	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	1995–96	हमारे विचार से और लेखा परीक्षा के दौरान दिए गए सूचनाओं और विवरणों के अनुसार, निगम में स्टोरस की खरीद, कच्चामाल पूर्ज सहित, लिनेन क्रौकरी, उपस्कर प्लांट एवं मशीनरी एवं अन्य समरूप संपतियों से संबंधित आंतरिक नियंत्रण पद्धति अपर्यापत हैं।
5.	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	1999–00 और 2000–01	हमारे विचार से, निगम की स्टोरम की खरीद की, कच्चामाल पूर्जा संहित, प्लांट एवं मशीनरी, उपस्कर तथा अन्य सम्पतियॉ के लिए और माल की बिक्री के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया निगम के कार्य कलापों के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप नहीं है।
6.	बिहार राज्य लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड	1990–91	हमारे विचार से, कच्चे माल की खरीद, स्टोरस और स्पेयरस तथा अन्य सम्पतियों के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया अपर्याप्त है और निगम के आकार और प्रकृति के अनुरूप नहीं है। आवंटित अंकेक्षण कार्य सनदी लेखाकरों की एक फर्म द्वारा किया गया, लेकिन हमारे विचार से, यह निगम के कार्यकलापों के आकार और प्रकृति के अनुरूप नहीं है।

परिशिष्ट–10

(कंडिका 1.30 में संदर्भित)

अद्यतन अन्तिमकरण किये हुए लेखाओं के अनुसार 619 (बी) कम्पनियों की प्रदत्त पूंजी, निवेश एवं संक्षिप्त कार्यचालन परिणाम को दर्शानेवाली विवरणी

(कॉलम 5 से 19 की राशि लाख रुपये में)

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	स्थिति (कार्यशील /अकार्य शील)	लेखा वर्ष	प्रदत्त पूंजी	साधारण पूँजी द्वारा			ऋण द्वारा			अनुदान द्वारा			साधारण पूँजी ऋण एवं अनुदान के रूप में कुल निवेश			लाभ (+)/ हानि (–)	संचित लाभ(+) / हानि (–)
					राज्य सरकार	राज्य सरकार की कम्पनियाँ	केन्द्र सरकार एवं उसकी कम्पनियाँ	राज्य सरकार	राज्य सरकार की कम्पनियाँ	केन्द्र सरकार एवं उसकी कम्पनियाँ	राज्य सरकार	राज्य सरकार की कम्पनियाँ	केन्द्र सरकार एवं उसकी कम्पनियाँ	राज्य सरकार	राज्य सरकार की कम्पनियाँ	केन्द्र सरकार एवं उसकी कम्पनियाँ		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
1	बिहार एयर प्रोडक्टस लि.	कार्यशील	1992-93	79.99	-	79.99	-	-	11.25	48.85	-	-	-	-	91.24	48.85	5.53	(-) 102.68
2	स्काडा एग्रो बिजनेस कं. लि.	कार्यशील	1999-2000	0.05	-	0.05			-	-	-	-	-	-			(-)2.72	(-)140.84
3	स्काडा एग्रो बिजनेस कं. खगौल लि.	अकार्य–शील**	आरम्भ से लेखाओं का अन्तिमक रण नहीं हुआ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	स्काडा एग्रो बिजनेस कं. डेहरी लि.	–वही–	आरम्भ से लेखाओं का अन्तिमक रण नहीं हुआ	-	-	-	-	-	--	-	--	-	-	-	-	-	-	--
5	स्काडा एग्रो बिजनेस कं. आरा लि.	–वही–	आरम्भ से लेखाओं का अन्तिम–करण नहीं हुआ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	स्थिति (कार्यशील /अकार्य शील)	लेखा वर्ष	प्रदत्त पूंजी	साधारण पूँजी द्वारा			ऋण द्वारा			अनुदान द्वारा			साधारण पूँजी ऋण एवं अनुदान के रूप में कुल निवेश			लाभ (+)/ हानि (–)	संचित लाभ(+) / हानि (–)
					राज्य सरकार	राज्य सरकार की कम्पनियाँ	केन्द्र सरकार एवं उसकी कम्पनियाँ	राज्य सरकार	राज्य सरकार की कम्पनियाँ	केन्द्र सरकार एवं उसकी कम्पनियाँ	राज्य सरकार	राज्य सरकार की कम्पनियाँ	केन्द्र सरकार एवं उसकी कम्पनियाँ	राज्य सरकार	राज्य सरकार की कम्पनियाँ	केन्द्र सरकार एवं उसकी कम्पनियाँ		
6	स्काडा एग्रो बिजनेस कं. औरंगाबाद लि.	–वही–	आरम्भ से लेखाओं का अन्तिमक रण नही हुआ	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	स्काडा एग्रो बिजनेस लि. मोहनियाँ	–वही–	आरम्भ से लेखाओं का अन्तिमक रण नहीं हुआ	-	-													
8	स्काडा एग्रो फॉरेस्ट्री कं. खगौल	–वही–	आरम्भ से लेखाओं का अन्तिमक रण नहीं हुआ	-	-													

** क्रमांक 3 से 8 तक की निगमों ने पटना उच्च न्यायालय में परिसमापन के लिये अर्जी दायर की है।

परिशिष्ट–11
(कंडिका 2.6.2 में संदर्भित)

जिन कम्पनी द्वारा अपने जिला कार्यालयों द्वारा सम्पूर्ण आवंटन एवं उठाव

(आकड़े एम.टी. में)

		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
ए.पी.एल., गेहूँ क्रय एवं विक्रय मूल्य रूपये 640.50 एवं 661.50 / क्विंटल	आवंटन	1,42,560	1,04,598	आंकड़े उपलब्ध नही कराये गये			
	उठाव	874	166				
	उठान का प्रतिशत	**0.61**	**0.16**				
ए.पी.एल. चावल क्रय एवं विक्रय मूल्य रूपये 834.75 एवं रूपये 857.35 / क्विंटल	आवंटन	95,040	69,738	आंकड़े उपलब्ध नही कराये गये			
	उठान	802	213				
	उठान का प्रतिशत	**0.84**	**0.31**				
अन्नपूर्णा गेहूँ निःशुल्क निर्गत	आवंटन	कार्य नहीं किये गये		11,833	11,840	9,821	13,461
	उठान			8,484	10,301	9,212	10,658
	उठान का प्रतिशत			**71.70**	**87.00**	**93.80**	**79.18**
अन्नपूर्णा चावल निःशुल्क निर्गत	आवंटन	कार्य नहीं किये गये		11,183	11,186	13,837	20154
	उठान			9,019	14,321	13,029	14,245
	उठान का प्रतिशत			**80.65**	**88.70**	**94.16**	**70.68**
अंत्योदय गेहूँ क्रय एवं विक्रय मूल्य रूपये 210 एवं 187 / क्विंटल	आवंटन	कार्य नहीं किये गये	आंकड़े उपलब्ध नही कराये गये	3,17,154	3,17,197	3,18,147	4,06,407
	उठान			2,81,306	3,05,415	3,15,933	3,87,989
	उठान का प्रतिशत			**88.70**	**96.29**	**99.30**	**95.46**
अंत्योदय चावल क्रय एवं विक्रय मूल्य रूपये 315 एवं 287 / क्विंटल	आवंटन	कार्य नहीं किये गये		2,50,699	2,50,764	2,52,613	3,37,415
	उठान			1,79,872	2,31,921	2,38,289	3,14,626
	उठान का प्रतिशत			**71.75**	**92.49**	**94.33**	**93.25**

बी.पी.एल., गेहूँ क्रय एवं विक्रय मूल्य रूपये 435.75 एवं 470.75 / क्विंटल	आवंटन	12,36,960	12,00,053	16,81,474	16,80,900	16,85,696	143,5,858
	उठाव	4,74,193	4,68,094	6,18,543	8,28,237	9,40,716	7,49,686
	उठान का प्रतिशत	**38.34**	**39.00**	**37.79**	**49.27**	**55.81**	**52.21**
बी.पी.एल. चावल क्रय एवं विक्रय मूलय रूपये 583.08एवं रूपये 618. 08 / क्विंटल	आवंटन	8,24,640	8,40,059	13,74,339	13,77,048	13,88,203	14,33,830
	उठाव	1,40,817	1,27,902	78,418	1,34,663	2,86,862	3,15,580
	उठान का प्रतिशत	**17.08**	**15.23**	**5.71**	**9.78**	**20.66**	**22.00**
एम.डी.एम. चावल निःशुल्क निर्गत	आवंटन	आंकड़े उपलब्ध नही कराये गये		2,89,593	2,54,540	2,58,900	3,00,802
	उठाव			1,37,918	1,89,141	1,96,502	1,62,561
	उठान का प्रतिशत			**47.62**	**74.31**	**75.90**	**54.04**
एस.जी.आर.वाई. गेहूँ निःशुल्क निर्गत	आवंटन	आंकड़े उपलब्ध नही कराये गये		12,205	28,802	75,074	1,71,004
	उठाव			14,403	28,802	42,099	86,305
	उठान का प्रतिशत			**118**	**100**	**56.08**	**50.47**
एस.जी.आर.वाई. चावल निःशुल्क निर्गत	आवंटन	आंकड़े उपलब्ध नही कराये गये		1,70,637	1,26,931	4,95,282	8,37,718
	उठाव			2,71,505	2,41,569	3,32,023	4,90,407
	उठान का प्रतिशत			**159.11**	**190.32**	**67.04**	**58.54**

परिशिष्ट–12
(कंडिका 2.6.13 में संदर्भित)

विभिन्न योजनाओं के प्रति खाद्यानों के विचलन की तालिका

1. गया जिला कार्यालय

योजना जिससे अतिरिक्त मात्रा प्राप्त किया गया	मात्रा (क्विंटल में)	विक्रय दर प्रति क्विंटल	योजना जिसके अन्तर्गत अतिरिक्त मात्रा बेची गई	कम्पनी का वसुली दर (राशि रूपये प्रति क्विंटल में)	प्रति क्विंटल अन्तर (राशि रूपये में)	लाभ का अतिरिक्त उत्पादन रूपये लाख में राशि
गेहूँ						
अन्नापूर्णा	1,018	निःशुल्क	बी.पी.एल.	470.75	470.75	4.79
एम.डी.एम.	1,532	निःशुल्क	ए.पी.एल.	661.50	661.50	10.13
एम.डी.एम.	3,000	निःशुल्क	ए.ए.वाई.	210.00	210.00	6.30
एम.डी.एम.	9,522	निःशुल्क	बी.पी.एल.	470.75	470.75	44.82
कुल						**66.04**
चावल						
अन्नापूर्णा	298	निःशुल्क	ए.पी.एल.	857.35	857.35	2.55
एस.जी.आर.वाई.	841	निःशुल्क	ए.पी.एल.	857.35	857.35	7.21
एस.जी.आर.वाई.	2,536	निःशुल्क	अन्नापूर्णा	निःशुल्क	-	-
एम.डी.एम.	5,236	निःशुल्क	अन्नापूर्णा	निःशुल्क	-	-
एस.जी.आर.वाई.	5,902	निःशुल्क	बी.पी.एल.	618.08	618.08	36.48
एम.डी.एम.	22,762	निःशुल्क	बी.पी.एल.	618.08	618.08	140.69
ए.ए.वाई.	1,344	315	ए.पी.एल.	857.35	542,35	7.29
ए.ए.वाई.	2,254	315	बी.पी.एल.	618.08	303.08	6.83
कुल चावल						**201.05**
सर्व योग						**267.09**

2. पटना जिला कार्यालय

योजना जिससे अतिरिक्त मात्रा प्राप्त किया गया	मात्रा (क्विंटल में)	विक्रय दर प्रति क्विंटल	योजना जिसके अन्तर्गत अतिरिक्त मात्रा बेची गई	कम्पनी का वसुली दर (राशि रूपये प्रति क्विंटल में)	प्रति क्विंटल अन्तर (राशि रूपये में)	लाभ का अतिरिक्त उत्पादन रूपये लाख में राशि
गेहूँ						
बी.पी.एल.	41,756.61	470.75	ए.पी.एल.	661.50	190.75	79.65
ए.ए.वाई.	29,672.21	210.00	ए.पी.एल.	661.50	451.50	133.97
अन्नापूर्णा	1,923.78	निःशुल्क	ए.पी.एल.	661.50	661.50	12.73
कुल गेहूँ						**226.35**
चावल						
ए.ए.वाई.	1,663.17	315.00	ए.पी.एल.	857.35	542.35	9.02
ए.ए.वाई.	18,614.24	315.00	बी.पी.एल.	618.08	303.08	56.42
अन्नापूर्णा	711.42	निःशुल्क	बी.पी.एल.	618.08	618.08	4.40

एफ.एफ.डब्लु. / एम.डी.एम.	18,013.74	निःशुल्क	बी.पी.एल.	618.08	618.08	111.34
कुल चावल						181.18
सर्व योग						407.53

3. छपरा जिला कार्यालय

योजना जिससे अतिरिक्त मात्रा प्राप्त किया गया	मात्रा (क्विंटल में)	विक्रय दर प्रति क्विंटल	योजना जिसके अन्तर्गत अतिरिक्त मात्रा बेची गई	कम्पनी का वसुली दर (राशि रूपये प्रति क्विंटल में)	प्रति क्विंटल अन्तर (राशि रूपये में)	लाभ का अतिरिक्त उत्पादन राशि रूपये लाख में
गेहूँ						
अन्नापूर्णा	557.57	निःशुल्क	बी.पी.एल.	470.75	470.75	2.62
ए.ए.वाई.	1,203.14	210	बी.पी.एल.	470.75	260.75	3.14
राहत निःशुल्क	11.62	निःशुल्क	बी.पी.एल.	470.75	470.75	0.05
कुल गेहूँ						5.76
चावल						
एस.जी.आर.वाई.	573.00	निःशुल्क	बी.पी.एल.	618.08	618.08	3.54
अन्नापूर्णा	46.84	निःशुल्क	बी.पी.एल.	618.08	618.08	0.29
ए.ए.वाई.	1,484.02	315	बी.पी.एल.	618.08	303.08	4.50
कुल चावल						8.33
सर्व योग						14.09

4. मधुबनी जिला कार्यालय

योजना जिससे अतिरिक्त मात्रा प्राप्त किया गया	मात्रा (क्विंटल में)	विक्रय दर प्रति क्विंटल	योजना जिसके अन्तर्गत अतिरिक्त मात्रा बेची गई	कम्पनी का वसुली दर (राशि रूपये प्रति क्विंटल में)	प्रति क्विंटल अन्तर (राशि रूपये में)	लाभ का अतिरिक्त उत्पादन राशिरूपये लाख में
चावल						
एस.जी.आर. वाई.	3,875	निःशुल्क	बी.पी.एल.	618.08	618.08	23.95
एम.डी.एम.	648	निःशुल्क	बी.पी.एल.	618.08	618.08	4.01
ए.ए.वाई.	5,318	315	बी.पी.एल.	618.08	303.08	16.12
एस.जी.आर. वाई. / एफ.एफ.डब्लू.	3,285	निःशुल्क	बी.पी.एल.	618.08	618.08	20.30
एस.जी.आर. वाई. / एफ.एफ.डब्लू.	710	निःशुल्क	ए.पी.एल.	857.35	857.35	6.09
कुल चावल						70.47

5. मुजफ्फरपुर जिला कार्यालय

योजना जिससे अतिरिक्त मात्रा प्राप्त किया गया	मात्रा (क्विंटल में)	विक्रय दर प्रति क्विंटल	योजना जिसके अन्तर्गत अतिरिक्त मात्रा बेची गई	कम्पनी का वसुली दर (राशि रूपये प्रति क्विंटल में)	प्रति क्विंटल अन्तर (राशि रूपये में)	लाभ का अतिरिक्त उत्पादन राशि रूपये लाख में
गेहूँ						
ए.ए.वाई.	8,621	210	बी.पी.एल.	470.75	260.75	22.48
अन्नापूर्णा	1,588	निःशुल्क	बी.पी.एल.	470.75	470.75	7.47
कुल गेहूँ						29.95
चावल						

ए.ए.वाई.	2,667	315	बी.पी.एल.	618.08	303.08	8.08
अन्नापूर्णा	812	निःशुल्क	बी.पी.एल.	618.08	618.08	5.02
एम.डी.एम.	16,017	निःशुल्क	बी.पी.एल.	618.08	618.08	98.99
कुल चावल						**112.09**
सर्व योग						**142.04**

6. रॉची जिला कार्यालय

योजना जिससे अतिरिक्त मात्रा प्राप्त किया गया	मात्रा (क्विंटल में)	विक्रय दर प्रति क्विंटल	योजना जिसके अन्तर्गत अतिरिक्त मात्रा बेची गई	कम्पनी का वसुली दर (राशि रूपये प्रति क्विंटल में)	प्रति क्विंटल अन्तर (राशि रूपये में)	लाभ का अतिरिक्त उत्पादन राशि रूपये लाख में
गेहूँ						
एस.जी.आर. वाई.	725	निःशुल्क	ए.पी.एल.	640.25	640.25	4.64
एस.जी.आर. वाई.	2,594	निःशुल्क	बी.पी.एल.	448.30	448.30	11.63
अंत्योदय	11,733	202.00	बी.पी.एल.	448.30	246.30	28.90
कुल गेहूँ						**45.17**
चावल						
अंत्योदय	164	303.00	ए.पी.एल.	864.30	561.30	0.92
अंत्योदय	456	303.00	बी.पी.एल.	597.95	294.95	1.34
एस.जी.आर. वाई.	6,236	निःशुल्क	बी.पी.एल.	597.95	597.95	37.29
कुल चावल						**39.55**
सर्व योग						**84.72**

7. हजारीबाग जिला कार्यालय

योजना जिससे अतिरिक्त मात्रा प्राप्त किया गया	मात्रा (क्विंटल में)	विक्रय दर प्रति क्विंटल	योजना जिसके अन्तर्गत अतिरिक्त मात्रा बेची गई	कम्पनी का वसुली दर (राशि रूपये प्रति क्विंटल में)	प्रति क्विंटल अन्तर (राशि रूपये में)	लाभ का अतिरिक्त उत्पादन राशि रूपये लाख में
गेहूँ						
अंत्योदय	2,703.79	202	बी.पी.एल.	448.30	246.30	6.66
एस.जी.आर. वाई.	709.26	निःशुल्क	बी.पी.एल.	448.30	448.30	3.18
कूल गेहूँ						**9.84**
अंत्योदय	500	303	बी.पी.एल.	597.95	294.95	1.47
एस.जी.आर. वाई.	2,212	निःशुल्क	ए.पी.एल.	864.30	864.30	19.12
ए.ए.वाई.	992	303	ए.पी.एल.	864.30	561.30	5.57
कुल चावल						**26.16**
सर्व योग						**36.00**

परिशिष्ट–13

(कंडिका – 2.6.16 में सन्दर्भित)

गया जिला कर्यालय का अप्रभावित भंडार का विवरणी

(राशिः रूपये लाख में)

क्र.सं.	मद	ईकाई	मात्रा	राशि
1	अरहर दाल	संख्या	-	18.61
2	कम्बलें	संख्या	197	0.95
3	अभ्यास पुस्तिका	क्विंटल	83,567	0.96
4	एफ.सी.आई. चावल	क्विंटल	23,971	93.98
5	एफ.सी.आई. गेहूँ	क्विंटल	3,993	13.7
6	चना	क्विंटल	3,190	13.24
7	चना दाल	क्विंटल	-	3.18
8	जुट बोरा	संख्या	1,986	0.11
9	किरासन तेल	लीटर	1,00,230	2.61
10	उगाही गेहूँ	क्विंटल	636	1.14
11	मसुर दाल	क्विंटल	950	11.88
12	सरसों तेल	क्विंटल	80	2.32
13	पाम तेल	क्विंटल	843	23.61
14	राशन कार्ड	संख्या	21,708	0.27
15	अतिउतम चावल	क्विंटल	693	4.68
16	सोडा	क्विंटल	28	0.06
17	चाय	क्विंटल	139	4.44
18	पाठ्य पुस्तक	संख्या	20,312	0.38
कुल				**196.20**

पटना जिला कार्यालय का अप्रभावित भंडार का विवरणी

(राशि रूपये लाख में)

क्रं.सं.	मद	इकाई	मात्रा	राशि
1	अमूल स्प्रे	संख्या	15,188	5.57
2	अरहर दाल	क्विंटल	2,013	52.81
3	डालडा	क्विंटल	0.40	0.77
4	अभ्यास पुस्तिका	संख्या	1,23,755	1.8
5	एफ.सी.आई. पी.डी.एस. गेहूँ	क्विंटल	74,576	307.08
6	चना	क्विंटल	3,949	83.95
7	जुट बोरा	संख्या	31,916	2.41
8	एच.एम.टी. घड़ी	संख्या	277	1.11
9	आयातित चीनी	क्विंटल	2,841	23.16
10	कीटनाशक	क्विंटल	--	2.5
11	लेभी साधारण चावल	क्विंटल	3,013	6.83
12	लेभी साधारण चावल	क्विंटल	13,639	32.07
13	लेभी चीनी	क्विंटल	10	0.12
14	मंसुर दाल	क्विंटल	3,051	67.92
15	मिश्रित वस्तु	–	--	20.59
16	मूँग दाल	क्विंटल	504	2.95
17	मास्टर तेल	क्विंटल	238	5.72
18	धान	क्विंटल	159	0.16
19	रेपसीड तेल	क्विंटल	50,913	1,456.31
20	रेपसीड तेल	क्विंटल	104	1.63
21	रेपसीड तेल (एस. टीन.)	संख्या	24,152	0.34
22	रेडीयों	सेट	453	1.02
23	राशन कार्ड	संख्या	2,998	0.02
24	साबुन	संख्या	8,541	0.18
25	सोलर कुकर	संख्या	138	0.9
26	सुधा घी	कि.ग्रा.	400	0.15
27	सुपर फाइन चावल(एफ.सी.आई.)	क्विंटल	1,07,269	599.07
28	चाय	क्विंटल	267	0.32
29	पाठ्य पुस्तक	संख्या	8,416	0.15
कुल				**2,677.61**

परिशिष्ट – 14
(कंडिका 3.2.7 में सन्दर्भित)
एम.ओ.यू. के कार्यान्वयन स्थिति को दर्शाती तालिका

क्रं. सं.	एम.ओ.यू. के अनुसार प्रतिबद्धता	लक्ष्य की निर्धारित शिड्यूल	स्थिति
1	राज्य विद्युत विनियामक आयोग (रा.वि. वि. आ.)	दिसम्बर 2001	राज्य सरकार ने राज्य विद्युत विनियामक आयोग का गठन कर दिया एवं इसे 15 अगस्त 2005 से कार्यशील बनाया। बोर्ड ने एक अनुसूची दर अप्रैल 2006 में फाइल किया। रा.वि.वि.आ. ने अद्यतन टैरिफ आदेश निर्गत नहीं किये (अक्टूबर 2006)।
2	ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम	2006	एम.ओ.यू. के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2006 तक सभी ग्रामों को विद्युत की आपूर्ति पूर्ण की जानी थी। बिहार में 45,103 ग्रामों में मात्र 20,473 ग्राम (45.39 प्रतिशत) उर्जीकृत हुये (मार्च 2006) बोर्ड ने 2000–01 तक 15,488 ग्राम उर्जीकृत किये एवं अप्रैल 2001 से मार्च 2006 तक मात्र 4,985 ग्राम उर्जाकृत हुये। इस प्रकार कार्य की वर्तमान प्रगति पर निर्णय लेते हुये सम्पूर्ण ग्रामों का 2006 तक उर्जीकरण की सम्भावना कम है।
3	बोर्ड का पुर्नगठण	दिसम्बर 2001	राज्य सरकार ने बिहार विद्युत सुधार बिल का विधायीकरण नहीं किया है (अक्टूबर 2006)। परिणामस्वरूप बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का विभाजन शुरू नहीं हो सका है।
4	समस्त 11 के.वी. वितरण फीडरों की मीटरिंग एवं समस्त उपभोक्ताओं की शत प्रतिशत मीटरिंग	दिसम्बर 2001	बोर्ड ने 11 के.वी. वितरण फीडरों में मीटर नहीं लाये है। 16 में से 12 अंचल में उपभोक्ताओं की मीटरिंग के कार्य एस.डी.पी. किये जा रहे है। शेष चार अंचल ने बोर्ड द्वारा किये जा रहे है जबकि आठ अंचलों में पी.जी.सी.आई.एल. को कार्य दिया गया है शेष चार अंचलों में मीटरिंग का कार्य राज्य योजनागत कार्यो में स्वीकृत किये गये है एवं कार्य कराना शेष है (अक्टूबर 2006)। कार्यो का कार्यान्वयन तालिका के नीचे वर्णित है।
5	उर्जा लेखापरीक्षा	जून 2002	11 के.वी. फीडरों की मीटरिंग न होने के कारण उर्जा लेखापरीक्षा नहीं किया जा सका हैं (अक्टूबर 2006)

6	परेषण एवं वितरण (टी. एण्ड डी.) हानियों को 18 प्रतिशत तक कम करना	दिसम्बर 2002	टी. एण्ड डी. हानियां वर्ष 2001–02 में 38.17 प्रतिशत 2002–03 में 40.85 प्रतिशत, 2003–04 में 36.04 प्रतिशत एवं 37.88 प्रतिशत, 2004–05 में थी। अतः उद्देश्य प्राप्त नहीं किये जा सके।
7	थर्मल पावर स्टेशनों के प्लांट लोड फैक्टर में सुधार	मार्च 2003	बिहार में थर्मल पावर स्टेशनों का प्लांट लोड फैक्टर 17.90 (2001–02) से कम हो कर 4.07 (2004–05) हो गया। संयत्रों का आधुनिकीकरण एवं विकास कार्य राष्ट्रीय सम विकास योजना के अर्न्तगत किया जाना है। यह अभी शुरू किया जाना है (अक्टूबर 2006)।
8	अचल सम्पति पर 3 प्रतिशत लाभ की प्राप्ति	मार्च 2003	अचल सम्पतियों पर 3 प्रतिशत लाभ की प्राप्ति नहीं की जा सकी (अक्टूबर 2006)
9	वितरण सूचनायें एवं प्रबंधन प्रणाली	जून 2005	बोर्ड ने दो अंचल[1] के लिए एस.सी.ए.डी.ए.[2] / डी.एम.एस.[3] एवं आई.टी. कार्यान्वयन एवं सात अंचल[4] के डी.एम.एस. / एस.सी.ए.डी.ए. अन्य कार्यो के साथ दिसम्बर 2003 में पी.जी.सी.आई.एल.[5] को आदेशित किया (दिसम्बर 2003)। दो अंचल में एस.सी.ए.डी.ए. / डी.एम.एस. प्रगति में है। एवं पी.जी.सी.आई.एल. द्वारा सात अंचलों में आई.टी. निर्गत नहीं किया गया है (अक्टूबर 2006)।
10	कृषि अनुसूची दर को कम से कम 50 पैसे प्रति यूनिट रखना	शून्य	मुख्यमंत्री / उर्जा–मंत्री के सम्मेलन (मार्च 2001) द्वारा लिये गये निर्णय को लागू करने के लिए कृषि दरों को पुनर्निधारित नहीं किया गया हे (मार्च 2006)। सम्मेलन में निर्णय लिया गया था कृषि दरों को न्यूनतम 50 पैसे प्रति यूनिट निर्धारित की जाय। जबकि बोर्ड ने 31.08 पैसे से 32.89 पैसे प्रति यूनिट वर्ष 2002–03 से वर्ष 2004–05 में वसूल किये। फलस्वरूप बोर्ड को 2002–03 से 2004–05 के दौरान 57.37 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

[1] पैसू (पूर्व) एवं पेसू पश्चिम
[2] एस.सी.ए.डी.ए. = सुपरवाइजरी कन्ट्रोल एण्ड डाटा एक्विजिसन सिस्टम
[3] डी.एम.एस. = डाटा मैनेजमेंट सिस्टम
[4] भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, पुर्णिया, रोहतास एवं सहरसा
[5] पी.जी.सी.आई.एल. = पावर ग्रिड कारपारेशन ऑफ इण्डिया

परिशिष्ट–15
(कंडिका 3.2.15 से संदर्भित)

वाणिज्यिक निष्पादन (ए.टी. एवं सी. हानि)

मण्डल का नाम		पेसू (पश्चिम)				पेसू (पूरब)					दरभंगा				
क्र. सं.	विवरण	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1	आई./पी. उर्जा	742.49	754.97	767.93	857.59	616.14	687.43	638.71	648.83	708.78	74.32	89.02	115.07	122.34	150.87
2	माप की हुई उर्जा (एम.यू.)	355.84	353.92	395.00	455.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	मापी की कार्य कुशलता (प्रतिशत)	47.93	46.88	51.44	53.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	विपत्र उर्जा	355.84	353.92	395.00	455.27	335.82	322.63	299.37	302.78	324.86	46.82	56.43	76.55	77.82	95.04
5	विपत्र की कार्य कुशलता	47.93	46.88	51.44	53.09	54.50	46.93	46.87	46.66	45.83	62.99	63.39	66.52	63.61	62.99
6	विपत्र राजस्व (रूपये करोड़ में)	182.85	217.45	224.73	236.01	120.34	113.37	106.60	107.26	114.82	20.64	24.87	33.75	36.41	38.92
7	राजस्व प्राप्ति (रूपये करोड़ में)	137.58	142.46	158.30	166.89	94.23	96.93	99.25	108.62	121.27	15.14	16.77	17.14	35.92	20.10
8	संग्रहण की कार्यकुशलता	75.24	65.51	70.44	70.71	78.30	85.50	93.10	101.26	105.62	73.35	67.43	50.78	98.65	51.64
9	राजस्व की प्राप्ति (एम.यू.)	267.74	231.87	278.24	321.94	262.95	275.85	278.71	306.72	343.05	34.34	38.05	38.87	76.77	49.08
10	टी. एवं डी. हानि (%)	52.07	53.12	48.56	46.91	45.50	53.07	53.13	53.33	54.17	37.00	36.61	33.47	36.39	37.00
11	ए.टी. एवं सी. हानि (%)	63.94	69.29	63.77	62.46	57.32	59.87	56.36	52.72	51.59	53.79	57.26	66.22	37.25	67.47
12	पी.जी.सी.आई. एल. द्वारा सूचित ए.टी. एवं सी. हानि	68.54	51.66	48.38	अनु.	47.36	60.12	61.36	62.25	अनु.	80.97	67.93	62.82	38.81	अनु.

मण्डल का नाम		भागलपुर					गया					पूर्णिया				
क्र.सं.	विवरण	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1	आई./पी. उर्जा	2156.45	2432.60	2486.97	2813.30	3239.26	-	-	51.78	54.95	51.64	-	178.60	170.47	188.45	199.95
2	माप की हुई उर्जा (एम.यू.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	मापी की कार्य कुशलता (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	विपत्र उर्जा	939.58	1003.02	1106.34	1162.98	1219.97	-	-	20.24	22.19	21.11	-	121.79	125.59	124.72	138.92
5	विपत्र की कार्य कुशलता	43.57	41.23	44.49	41.34	37.66	-	-	39.09	40.38	40.88	-	68.19	73.66	66.17	69.47
6	विपत्र राजस्व (रूपये करोड़ में)	53.86	55.01	60.85	63.50	64.95	-	-	68.86	74.58	77.04	-	51.20	50.58	52.52	53.70
7	राजस्व प्राप्ति (रूपये करोड़ में)	14.93	18.95	18.96	24.00	25.94	-	-	37.87	45.17	32.70	-	36.28	34.59	34.46	35.84
8	संग्रहण की कार्यकुशलता	27.72	34.45	31.16	37.80	39.94	-	-	55.00	60.57	42.45	-	70.85	68.38	65.60	66.73
9	राजस्व की प्राप्ति (एम.यू.)	260.50	340.57	344.72	439.55	487.24	-	-	111.38	134.43	89.59	-	86.38	85.89	81.84	92.61
10	टी. एवं डी. हानि (%)	43.57	41.23	44.49	41.34	37.66	-	-	60.91	59.62	59.12	-	31.8	26.33	33.82	30.52
11	ए.टी. एवं सी. हानि (%)	87.92	86.00	86.14	84.38	84.96	-	-	78.49	75.53	82.65	-	51.63	49.62	56.57	49.68
12	पी.जी.सी.आई.एल. द्वारा सूचित ए.टी. एवं सी. हानि	89.63	85.39	69.49	83.01	अनु.	79.72	63.24	66.48	63.31	अनु.	--	80.16	60.03	62.48	87.15

परिशिष्ट–16

(कंडिका 3.3.7 में संदर्भित)

नई बसों के क्रय हेतु 18.41 करोड़ रूपये के उपयोग न होने से सभाव्य हानि की गणना

वर्ष	उपलब्ध निधि (करोड़ रूपये में)	बसों की संख्या	बस उत्पादकता प्रतिदन	आई.पी.ई.के.एम. (रूपये)	दिनों की संख्या	संभाव्य राजस्व की हानि (करोड़ रूपये में)
(क) 9.19 करोड़ रूपयें में						
2001-02	9.19	89	235	12.42	365	9.48
2002-03	9.19	89	256	13.77	365	11.43
2003-04	9.19	89	238	11.87	365	9.18
2004-05	9.19	89	226	13.55	365	9.95
2005-06	9.19	89	230	15.31	365	11.44
(ख) 5.90 करोड़ रूपये में						
2003-04	5.90	57	238	11.87	365	5.88
2004-05	5.90	57	226	13.55	365	6.37
2005-06	5.90	57	230	15.31	365	7.33
(ग) 0.82 करोड़ रूपये में						
2004-05	0.82	8	226	13.55	365	0.89
2005-06	0.82	8	230	15.31	365	1.03
(घ) 2.50 करोड़ रू0						
2005-06	2.50	24	230	15.31	365	3.08
कुल						**76.08**

परिशिष्ट–17

(कंडिका संख्या 3.3.10 संदर्भित)

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का परिचालन कार्य–निष्पादन

विवरण	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
(i) फ्लीट					
(क) रखे गए वाहनों की औसत संख्या	1540	248	549	637	637
(ख) सड़क पर वाहनों की औसत संख्या	178	189	432	490	431
(ग) उपयोगिता की प्रतिशतता	11.5	76.2	78.6	76.9	67.66
(ii) संचालन दक्षता					
(क) लक्षित निर्धारित कि.मी. (रूपये लाख में)	607.30	606.68	596.64	574.32	591.85
(ख) संचालित सकल कि.मी. (रूपये लाख में)	156.46	147.53	252.66	393.60	391.53
(ग) परिचालित प्रभावी कि.मी. (रूपये लाख में)	152.54	143.52	246.22	380.13	381.97
(घ) प्रभावी कि.मी. का लक्ष्य से प्रतिशत	25.11	23.66	41.27	66.19	64.53
(ड़) डेड कि.मी. (लाख में)	3.92	4.01	6.43	12.76	9.56
(च) डेड कि.मी. का प्रतिशत सकल कि.मी. से	2.50	2.72	2.54	3.24	2.44
(छ) दखलकारिता अनुपात (प्रतिशत)	66	62	57	66	65
(iii) उत्पादकता					
(क) प्रतिदिन तय किया गया औसत किलोमीटर	235	256	238	226	230
(ख) वाहन कर्मचारी अनुपात (सड़क पर वाहनों पर आधारित)	1:32	1:27	1:11	1:9	1:10
(iv) ईंधन दक्षता (कि.मी. प्रति लिटर में)	4.04	4.04	3.90	3.94	3.88
(v) इन्भेन्टरी (औपबन्धिक)					
(क) खपत किए गए भंडार एवं कल–पुर्जे का मूल्य (रूपये लाख में)	194.79	89.64	117.84	419.46	513.58
(ख) प्रति वाहन खपत किए गए भंडार का कुल मूल्य (रूपये लाख में)	1.09	0.47	0.27	0.85	1.19
(vi) सुरक्षा एवं रख–रखाव					

विवरण	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
(क) प्रति दस हजार कि.मी. पर औसत ब्रेक डाउन	0.01	0.08	0.08	0.06	0.01
(ख) प्रति लाख कि.मी. पर दुर्घटना की औसत संख्या	0.06	0.04	0.02	0.08	0.07
(vii) टायरों का औसत कार्य, निष्पादन (किलोमीटर)	63619	59313	61033	48381	55964
(viii) आय एवं व्यय					
(क) प्रति कि.मी. औसत आय (रूपये में)	12.42	13.77	11.87	13.55	15.31
(ख) प्रति कि.मी. औसत व्यय (रूपये में)	32.87	35.05	25.90	18.77	25.33
(ग) प्रति कि.मी. हानि (रूपये में)	20.45	21.28	14.03	5.22	10.02
(ix) एक्सचेकर को अंशदान (रूपये लाख में)					
(क) राज्य सरकार एवं अन्य					
(i) मोटर वाहन कर एवं अन्य कर	51.08	80.00	234.00	247.00	247.00
(ii) ऋण एवं राज्य सरकार के पूँजीगत अंशदान पर बयाज	1,270.82	1,257.00	1,287.00	1,853.00	1,853.00
(iii) अन्य (बाजार लेनदारियाँ एवं सी.पी.एफ. खाता)	1,469.48	1,620.00	1,720.00	1,920.00	1,800.00
(ख) केन्द्र सरकार	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40
(x) संचालित पथों की संख्या	144	147	255	212	212
(xi) पथ किलोमीटर प्रति पथ (औसत)	220	218	216	198	198
(xii) संचालित डीपों की संख्या	32	32	31	32	29
(xiii) कुल मानव शक्ति	5,733	5,146	4,907	4,367	4,231

परिशिष्ट–18
(कंडिका संख्या 3.3.11 में संदर्भित)
वाहन शक्ति एवं उम्र रूप रेखा

विवरणी		स्थिति				
क्रं. सं.		**31.03.02**	**31.03.03**	**31.03.04**	**31.03.05**	**31.03.06**
1.	**फ्लीट में उपलब्ध बसों की कुल संख्या**	1540	248	549	637	637
(क)	चार वर्षो से कम उम्र की बसों की संख्या	170	185	485	467	412
	फ्लीट का प्रतिशत	(11)	(74.6)	(88.3)	(73.3)	(64.6)
(ख)	चार वर्षो से अधिक और आठ वर्षो से कम उम्र की बसों की संख्या	14	51	52	170	185
	फ्लीट का प्रतिशत	(0.9)	(20.5)	(9.4)	(26.7)	(29)
(ग)	आठ वर्षो से अधिक उम्र के बसों की संख्या	1356	12	12	शून्य	40
	फ्लीट का प्रतिशत	(88.1)	(4.9)	(2.3)	शून्य	(6.4)
2.	**सड़क पर बसों की संख्या एवं फ्लीट के सापेक्ष प्रतिशत**					
(क)	सड़क पर बसों की संख्या	178	189	432	490	431
	फ्लीट का प्रतिशत	(11.5)	(76.2)	(78.6)	(76.9)	(67.66)
(ख)	चार वर्षो से कम उम्र की बसों की संख्या	170	185	415	467	402
	फ्लीट एवं सड़क पर चलने वाली बसों की सापेक्ष प्रतिशत	(11 एवं 95.5)	(74.5 एवं 97.8)	(76 एवं 96.1)	(73.3 एवं 95.3)	(63 एवं 93.3)
(ग)	चार वर्षो से अधिक और आठ वर्षो से कम उम्र के बसों की संख्या	8	4	17	23	29
	फ्लीट का प्रतिशत	(4.5)	(2.2)	(3.9)	(4.7)	(6.7)
(घ)	आठ वर्षो से अधिक उम्र के बसों की संख्या एवं फ्लीट के सापेक्ष प्रतिशत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

परिशिष्ट–19

(कंडिका 3.3.16 में संदर्भित)

हाई स्पीड डीजल का अधिकाई खपत

प्रमण्डल / डीपों	अवधि	खपत (लीटर में)	व्यय (रूपए लाख में)	इंधन कार्य–दक्षता	अधिकाई एस.एस.डी. तेल (लीटर में)	अधिकाई व्यय (रूपए लाख में)	औसत दर प्रति लीटर (रूपए)
पुर्णिया प्रमण्डल	2005-06	6,80,371	225.39	3.80	1,05,835	35.06	33.12
	2004-05	6,97,379	200.21	3.88	96,083	27.58	28.70
	2003-04	411,188	114.26	3.94	51,170	14.22	27.78
गिरीडीह डीपो	2005-06	1,70,400	51.26	3.76	28,021	8.43	30.08
	2004-05	1,49,255	41.49	3.76	24,544	6.82	27.79
	2003-04	1,25,926	30.09	3.69	22,666	5.42	23.89
धनवाद डीपों	2004-05	2,30,218	61.14	3.87	32,230	8.55	26.55
	2003-04	1,24,157	26.65	3.71	21,796	4.68	21.46
बोकारों डीपों	2004-05	1,87,030	46.68	3.90	24,937	6.22	24.96
	2003-04	1,42,759	31.73	3.89	19,351	4.30	22.22
मुजफ्फरपुर प्रमण्डल	2004-05	6,68,411	153.73	3.71	1,17,343	26.98	23.00
	2003-04	3,60,540	82.92	4.17	26,439	6.08	23.00
रॉची प्रमण्डल	2004-05	10,94,324	265.53	3.83	1,62,932	39.53	24.26
	2003-04	7,16,871	153.94	4.12	60,535	12.99	21.47
बांकीपुर डीपों (पटना प्रमण्डल)	2005-06	10,60,514	349.97	3.83	1,57,898	52.11	33.00
	2004-05	10,01,937	275.53	3.95	1,22,458	33.68	27.50
छपरा प्रमण्डल	2005-06	3,43,847	106.77	3.32	90,164	28.00	31.05
	2004-05	4,13,570	107.83	3.01	1,36,937	35.71	26.07
दरभंगा प्रमण्डल	2005-06	12,70,314	377.06	3.40	3,10,521	92.17	29.68
	2004-05	10,82,092	283.39	3.71	1,89,967	49.75	26.18
	2003-04	5,05,349	107.43	4.00	56,150	11.94	21.26
गया प्रमण्डल	2005-06	16,43,521	278.63	3.82	2,48,354	42.11	16.96
	2004-05	8,69,525	213.24	3.94	1,08,207	26.54	24.52
दुमका प्रमण्डल	2005-06	2,27,242	74.99	2.47	1,02,511	33.83	33.00
	2004-05	1,70,953	47.87	3.61	33,810	9.47	28.00
भागलपुर	2005-06	3,37,387	80.54	3.62	65,977	15.75	23.87
	2004-05	4,08,086	104.41	3.42	97,940	25.05	30.48
	2003-04	2,78,525	60.54	3.37	69,940	15.20	21.74
आरा डीपो	2005-06	19,41,66	62.26	3.75	32,361	10.37	32.06
	2004-05	2,20,661	56.34	3.82	33,344	8.51	25.53
	2003-04	97,720	21.40	3.82	14,766	3.23	21.90
कुल					**26,65,187**	**700.28**	

परिशिष्ट–20
(कंडिका 3.3.21 में संदर्भित)
2001–02 से 2005–06 की अवधि में कार्यशालाओं का लक्ष्य एवं उपलब्धि

क्र0सं0	विवरणी	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि				
			2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06
1.	**एफ.आई. पम्प**						
	मुजफ्फरपुर	700	-	-	-	-	-
	राँची	700	-	-	-	-	-
	केन्द्रीय कर्मशाला	1,400	71	63	37	24	14
2.	**सेल्फ स्टाटर**						
	मुजफ्फरपुर	700	-	-	-	-	-
	राँची	700	-	-	-	-	-
	केन्द्रीय कर्मशाला	1,200	20	19	24	41	18
3.	**एलटर्नेटर**						
	मुजफ्फरपुर	700	1	-	-	-	-
	राँची	700	-	-	-	-	-
	केन्द्रीय कर्मशाला	1,200	23	24	19	24	25
4.	**फोन्ट एक्सेल**						
	मुजफ्फरपुर	100	-	-	-	-	-
	राँची	100	-	-	-	-	-
	केन्द्रीय कर्मशाला	600	6	4	3	5	9
5.	**रियर एक्सेल**						
	मुजफ्फरपुर	100	-	-	-	-	-
	राँची	100	-	-	-	-	-
	केन्द्रीय कर्मशाला	600	8	10	2	9	13
6.	**रियर बॉक्स**						
	मुजफ्फरपुर	100	-	-	-	-	-
	राँची	100	-	-	-	-	-
	केन्द्रीय कर्मशाला	600	15	11	11	25	19
7.	**स्टीयरिंग**						
	मुजफ्फरपुर	100	-	-	-	-	-
	राँची	100	-	-	-	-	-
	केन्द्रीय कर्मशाला	600	3	5	1	4	9
8.	**स्प्रींग एसेम्बली**						
	मुजफ्फरपुर	700	-	-	-	-	-
	राँची	700	-	-	-	-	-
	केन्द्रीय कर्मशाला	3,600	22	20	85	66	68
9.	**बस ओभरवॉलिंग**						
	मुजफ्फरपुर	100	-	-	-	-	-
	राँची	100	-	-	-	-	-
	केन्द्रीय कर्मशाला	300	27	22	18	17	12

क्रं0सं0	विवरणी	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि				
			2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06
10.	**ईंजन**						
	केन्द्रीय कर्मशाला	1,200	41	25	29	25	15
11.	**बैटरी**						
	केन्द्रीय कर्मशाला	1,200	-	-	-	-	-
12.	**टायर रिट्रिडिंग**						
	केन्द्रीय कर्मशाला	4,200	1314	1243	1444	4208	5435
	कुल –	23,300	1551	1449	1733	4448	5637
कार्य का प्रतिशतता			6.66	6.21	7.43	19.09	24.19
13.	**बसों को मरम्मति के लिए कर्मशाला में भेजा गया**						
	मुजफ्फरपुर		5	3	4	3	4
	राँची		-	-	-	-	-
	केन्द्रीय कर्मशाला		28	24	24	12	14
14.	**मरम्मति की गई बस**						
	मुजफ्फरपुर		4	2	3	2	4
	राँची		-	-	-	-	-
	केन्द्रीय कर्मशाला		21	23	10	15	12

परिशिष्ट–21
(कंडिका 4.4 में संदर्भित)

योजना के अन्तर्गत लाभ पाये ईकाइयों की विवरणी

(राशि : लाख रूपये में)

क्र. सं.	ईकाई का नाम	ओ.टी.एस. राशि		अन्तर
		बी.आई.एफ.आर. / शीर्ष संस्था	सामान्य श्रेणी	
1.	ईस्टन फूड इन्डस्ट्रीज	90.83	166.34	75.51
2.	सरोगी आक्सीजन (प्र.) लि.	85.49	136.69	51.20
3.	होटल नानक सन्स (प्र.) लि.	73.15	136.91	63.76
4.	डाटा ऍलोएज (प्र.) लि.	63.61	104.45	40.84
5.	सिटी गोल्ड मेटल (प्र.) लि.	60.80	113.90	53.10
6.	शिवालिक रिकलमेशन (प्र.) लि.	58.90	77.98	19.08
7.	नव भारत लिंक चेन	55.25	97.23	41.98
8.	गौतम कोल वर्क्स	54.79	78.22	23.43
कुल		**542.82**	**911.72**	**368.90**

परिशिष्ट–22
(कंडिका 4.7 में संदर्भित)

अपूर्ण आपूर्त्ति के आदेश के नियोजन के कारण अतिरिक्त लागत से सम्बन्धित विवरणी

क्रं. सं.	आपूर्तिकर्ताओं का नाम	पूर्व क्रय आदेश संख्या/ दिनांक	आदेशित मात्रा (संख्या)	दर (रूपये)	आपूर्तित मात्रा/ (अवधि)	वर्तमान क्रय आदेश संख्या/ दिनांक	आदेशित मात्रा (संख्या)	अअपूर्तित मात्रा सम्मिलित (संख्या)	दर (रूपये)	अतिरिक्त लागत (रूपये लाख में)
63 के.वी.ए. वितरण ट्रांसफारमर										
1.	मे. राजस्थान ट्रांसफारमर एवं स्विचगियर, जयपुर	67/ 26.11.04	34	39,949.20	शून्य	21/ 6.12.05	45	34	52,020.67	4.10
100 के.वी.ए. वितरण ट्रांसफारमर										
2.	मे. मानपुर इलेक्ट्रीक वर्क्स (प्र.) लि. गया	29/ 14.8.02	90	38,344.00	45 (3/03 से 10/03	20/ 15.4.04	45	45	42,883.00	2.04
3.	मे. राजस्थान ट्रांसफारमर एवं स्विच गियर, जायपुर	68/ 29.11.04	66	52,284.44	शून्य	20/ 6.12.05	400	66	74,558.04	14.70
4.	मे. ईस्ट अंडिया उद्योग, गाजियाबाद	61/ 3.9.04	359	52,284.44	262 (9/04 से 1/05)	24/ 6.12.05	180	97	74,558.04	21.61
कुल			**549**		**307**		**670**	**242**		**42.45**

परिशिष्ट – 23
(कंडिका 4.8 में संदर्भित)

(क) बी.टी.पी.एस. एवं एम.टी.पी.एस. पर स्थापना व्यय पर निरर्थक व्यय सम्बन्धित विवरणी निवल विद्युत उत्पादन के गणना :–

बी.टी.पी.एस. की स्थापित डिरेटड क्षमता	= 210 मे.वा.
एम.टी.पी.एस. की स्थापित क्षमता	= 220 मे.वा.
कुल स्थापित/डिरेटेड स्थापित क्षमता	430 मे.वा.
सर्व भारत औसत पी.एल.एफ. (63.80%)	430x63.80% 274.34 मे.वा.
सामान्य आपेक्षित उत्पादन	$\frac{= 274.34 \times 365 \times 24 \times 1000}{10^6}$ = 2403.22 (एम.यू.)
घटे : अतिरिकत उपयोग	=2,403.22 का 8 प्रतिशत = 192.26
निवल उत्पादन एक वर्ष में	= 2,403.22 एम.यू. – 192.26 (एम.यू.) = 2,210.96 एम.यू.
निवल उत्पादन तीन वर्ष में	=6,632.88 एम.यू.

(ख) 88.05 करोड़ रूपये हानि के गणना के विवरणी

2003-2004	
वास्तविक यूनिट उत्पादित	29,23,56,000 कि.वा.आ.
बिक्रय कीमत	9,998.57 लाख रूपये (@ 3.42 रूपये प्रति कि.वा.आ.)
घटे : अस्थायी लागत	7,203.28 लाख रूपये
सीमान्त योगदान	2,795.29 लाख रूपये
घटे : स्थायी लागत	4,843.17 लाख रूपये
लाभ / हानि	(-) 2047.88 रूपये(1)
2004–05	
वास्तविक यूनिट उत्पादित	12,26,99,000 कि.वा.आ.
बिक्रय कीमत	4,134.96 लाख रूपये (@ 3.37 रूपये प्रति कि.वा.आ.)
घटे : अस्थायी लागत	3,323.68 लाख रूपये
सीमान्त योगदान	811.28 लाख रूपये
घटे : स्थायी लागत	4,021.91 लाख रूपये
लाभ / हानि	(-) 3,210.63 लाख रूपये(2)
2005-06	
वास्तविक यूनिट उत्पादित	95,820,000 कि.वा.आ.
विक्रय कीमत	3,229.13 लाख रूपये (@ 3.37 रूपये प्रति कि.वा.आ.)
घटे : अस्थायी लागत	4,994.50 लाख रूपये
सीमान्त योगदान	(-) 1,765.37 लाख रूपये
घटे : स्थायी लागत	1,780.82 लाख रूपये
लाभ / हानि	(-) 3,546.19 लाख रूपये (3)
कुल हानि = (1)+(2)+(3)	**2003–04 से 2005–06 के अवधि में कुल हानि 88.05 करोड़ रूपये**

(ग) स्थायी लागत की विवरणी

(राशिः रूपये लाख में)

	2003-04	2004-05	2005-06
कर्मचारी लागत	3,971.34	3,618.44	1,625.98
स्थापना व्यय	183.54	165.72	67.00
मरम्मत एवं देख–रेख	688.29	237.75	87.84
कुल	**4,843.17**	**4,021.91**	**1,780.82**

(घ) अस्थायी लागत की विवरणी

(राशि : रूपये लाख में)

	2003-04	2004-05	2005-06
पानी का लागत	334.06	567.97	968.50
लूब्रीकेंट	35.10	123.90	260.00
स्टेशन आपूर्ति	68.36	45.00	124.00
(क)	**437.52**	**736.87**	**1352.50**
कोयला का लागत	4,897.89	2,111.14	3,212.00
तेल का लागत	1,867.87	475.67	430.00
(ख)	**6,756.76**	**2,586.81**	**3,642.00**
सर्व योग (क+ख)	**7,203.28**	**3,323.68**	**4,994.50**

परिशिष्ट – 24

(कंडिका 4.9 में सन्दर्भित)

जनवरी 2005 तक दर्ज किये गये एफ.आई.आर. के वर्ष–वार विशलेषण से सम्बन्धित सारणी

एफ.आर.आई. दर्ज के बाद समाप्त अवधि	एफ.आई.आर. की संख्या	सम्मिलित राशि (लाख रूपये में)
तीन वर्ष से कम (0–3)	41	94.45
तीन वर्ष से अधिक, पर पॉच वर्ष से कम (3–5)	21	70.13
पॉच वर्ष से अधिक, पर 10 वर्ष से कम (5–10)	512	1,159.23
10 वर्ष से अधिक, पर 20 वर्ष से कम (10–20)	174	545.00
कुल	**748**	**1,868.81**

परिशिष्ट -25

कंडिका संख्या 4.10 में सन्दर्भित

विभागवार बाकि निरीक्षण प्रतिवेदनों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	विभाग का नाम	सा.क्षे.उ. की संख्या	बाकी निरक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बाकी कंडिकाओं की संख्या	(नि.प्र.) वर्ष से कंडिका बाकी हैं
1.	उधोग	28	146	731	1990-91
2.	वन एवं पर्यावरण	3	52	327	1990-91
3.	कृषि	3	43	242	1990-91
4.	उर्जा	3	1,112	3,899	अनुपलब्ध
5.	पशुपालन	2	15	56	1990-91
6.	जल संसाधान	2	10	59	1990-91
7.	गन्ना	1	28	198	1990-91
8.	खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य	1	94	560	1990-91
9.	पर्यटन	1	18	57	1990-91
10.	मानव संसाधन	1	6	18	1990-91
11.	पथ निर्माण	1	37	198	1990-91
12.	गृह	1	13	48	1990-91
13.	कल्याण	2	7	58	1990-91
14.	पंचायती राज	1	4	7	1990-91
15.	खान एवं भू–विज्ञान	1	28	135	1990-91
16.	लघु सिंचाई	1	6	33	1990-91
17.	परिवहन	1	61	396	1990-91
18.	सहकारिता	1	24	91	1990-91
	कुल	**54**	**1,704**	**7,113**	

परिशिष्ट–26

कंडिका संख्या 4.10 में सन्दर्भित

विभागवार प्रारूप कंडिकाओं/समीक्षाओं जिनके जवाब अप्राप्त है को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	विभाग का नाम	प्रारूप कंडिकाओं की संख्या	समीक्षा के संख्या	जारी होने की अवधि
1.	उर्जा	4	2	अप्रिल 2006 नवम्बर 2006
2.	वित्त	1	-	मई 2006
3.	उद्योग	2	-	मई 2006
4.	अल्पसंख्यक कल्याण	1	-	मई 2006
5.	परिवहन	-	1	मई 2006
6.	वन एवं पर्यावरण	1	-	मई 2006